30 वां वार्षिक प्रतिवेदन
30 ANNUAL REPORT
2021 - 2022

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

30th

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2021-2022

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन
A Photo feature reaping the benefits of NBCFDC Schemes

सामान्य ऋण योजना / General Loan Scheme

मध्य प्रदेश के इंदौर में चिकित्सा दवाएं एवं उपस्करों की बिक्री की दुकान यूनिट। एनबीसीएफडीसी ने 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Medical Drugs and Equipment Trading Unit at Indore in Madhya Pradesh. NBCFDC provided loan under General Loan Scheme to the beneficiary through Madhya Pradesh Gramin Bank.

महिला समृद्धि योजना / Mahila Samridhi Scheme

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में ऊनी कपड़े की दुकान। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर राज्य महिला विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Woollen Cloth Store Unit at Pulwama district in the Union Territory of Jammu and Kashmir. NBCFDC provided loan under Mahila Samriddhi Yojana to the beneficiary through Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation.

सूक्ष्म वित्त योजना / Micro Finance Scheme

केरल के तिरुवनंतपुरम में बढ़ईगीरी इकाई। एन.बी.सी.एफ.डी.सी.की ने 'सूक्ष्म वित्त योजना' के अन्तर्गत केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Carpentry Unit at Thiruvananthapuram in Kerala. NBCFDC provided loan under Micro Finance Scheme to the beneficiary through Kerala State Backward Classes Development

नई स्वर्णिमा योजना / New Swarnima Scheme

केरल के तिरुवनंतपुरम में दूध प्रसंस्करण इकाई। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 'नई स्वर्णिमा योजना' के अन्तर्गत केरल राज्य वीमेन विकास निगम लि. के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Milk Processing Unit at Thiruvananthapuram in Kerala. NBCFDC provided loan under New Swarnima Scheme to the beneficiary through The Kerala State Women's Development Corporation Ltd.

शैक्षिक ऋण योजना / Education Loan Scheme

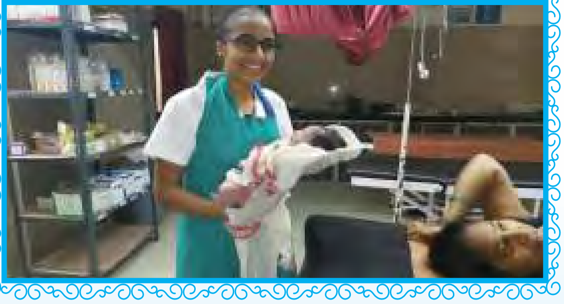

गुजरात के दाहोद में नर्सिंग जॉब। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Nursing Job at Dahod in Gujarat. NBCFDC provided loan under Education Loan Scheme to the beneficiary through Gujarat Backward Classes Development Corporation.

विपणन संयोजन
Marketing Linkages

डा0 वीरेन्द्र कुमार, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 35वां सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, 2022 में लाभार्थियों के स्टालों का दौरा किया एवं सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।

Dr Virendra Kumar ji, Hon'ble MoSJE and other senior officials visited the stalls of beneficiaries at 35th Surajkund International Craft Mela 2022 and appreciated the efforts of all participants.

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021; (आई.आई.टी.एफ.), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ग्राहकों से बातचीत करते हुए गुजरात एवं राजस्थान के लाभार्थी।

Beneficiary from Gujarat & Rajasthan interacting with customers at India International Trade Fair 2021 (IITF), Pragati Maidan, New Delhi.

लक्षित वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development Programmes for Target Group

टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी, असम द्वारा गुवाहाटी में सीएनसी मिलिंग जॉब रोल में सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in Certificate Course in CNC Milling job role conducted by Tool Room and Training Centre, Guwahati, Assam.

मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट में प्रशिक्षण कार्यक्रम – सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग द्वारा जयपुर, राजस्थान में इंजेक्शन मोल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in Machine Operator Assistant – Injection Moulding conducted by Central Institute for Petrochemical Engineering and Technology at Jaipur, Rajasthan.

ओ. पी. जिंदल कम्युनिटी कॉलेज, पंजीपात्रा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन जॉब रोल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in Assistant Electrician job role conducted by O P Jindal Community College at Punjipatra, Raigarh, Chhatisgarh.

अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर,भिवानी, हरियाणा में सिलाई मशीन आपरेटर जॉब रोल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in Sewing Machine Operator job role conducted by Apparel training and Design Centre at Bhiwani, Haryana.

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
Technology Upgradation Scheme

त्रिपुरा के सिपाहीजला में बांस की टोकरी बनाने और बांस की चटाई बनाने वाले क्लस्टर। एनबीसीएफडीसी ने भारतीय उद्यमिता संस्थान के माध्यम से इन क्लस्टर के दस्तकारों को करघे एवं टूलकिट प्रदान किए हैं।

Bamboo Basket Making & Bamboo Mat Making Cluster at Sepahijala in Tripura. NBCFDC has provided looms & Toolkit to the artisans of this cluster through Indian Institute of Entrepreneurship.

हरियाणा के झज्जर में मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला क्लस्टर। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने भारतीय उद्यमिता संस्थान के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों के समूह के दस्तकारों को उद्यमिता और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक मशीनरी/उपकरण और सीएफ़सी का विकास प्रदान।

Pottery Cluster at Jhajjar in Haryana. NBCFDC has provided Entrepreneurship & Design Development Training Programe, modern machinery / Tools and Dev. of CFC to artisans of this pottery cluster through Indian Institute of Entrepreneurship.

त्रिपुरा के सिपाहीजाला में रबड़ उत्पादक समूह। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इन क्लस्टर के दस्तकारों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपकरण/टूल्स् प्रदान किए हैं।

Rubber Grower Cluster at Sepahijala in Tripura. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programe and equipment/tools to artisans of this cluster through Tripura OBC Cooperative Development Corporation Ltd.

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में कालीन बुनाई समूह। एनबीसीएफडीसी ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से इस कालीन बुनाई समूह के दस्तकारों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। फ्रेम–लूम/उपकरण और सीएफ़सी का विकास प्रदान किया है।

Carpet Weaving Cluster at Bandipora and Anantnag in UT J&K. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programe, frame-looms/Tools and Dev. of CFC to artisans of this carpet weaving cluster through Indian Institute of Carpet Technology.

सीएसआर और जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहल
Initiatives under CSR and Awareness Programme

बिहार के आकांक्षी जिला गया में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन।

Free Eye & Health Checkup camp organised at Aspirational District Gaya, Bihar.

त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा जिला, में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

Awareness Programme organised by Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd. at South Tripura District, Tripura.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन।

Free Medical Camp for Transgender Community Organised at Gorakhpur, Uttar Pradesh.

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए तिरुर, केरल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर।

Free Medical Camp for Transgender Community Organised at Tirur, Kerala.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
National Backward Classes Finance and Development Corporation

वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि
Yearwise Cumulative Utilization Amount & Cumulative Recovery Amount

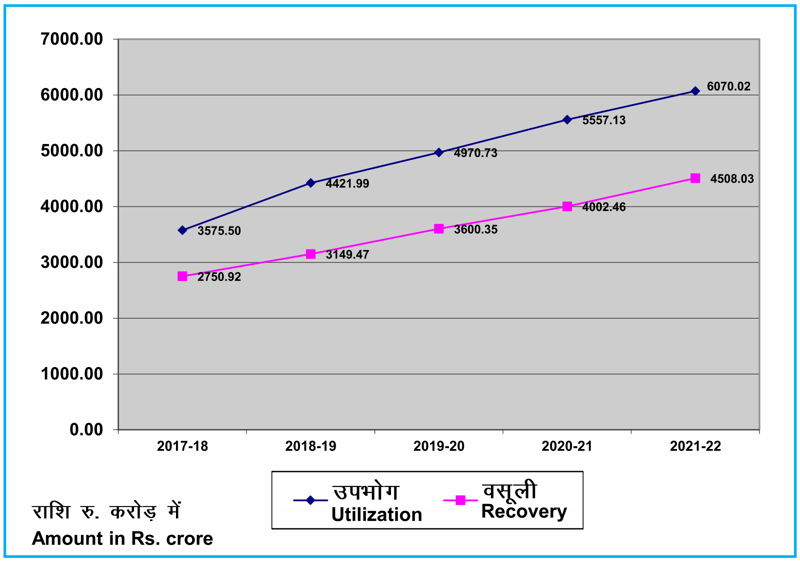

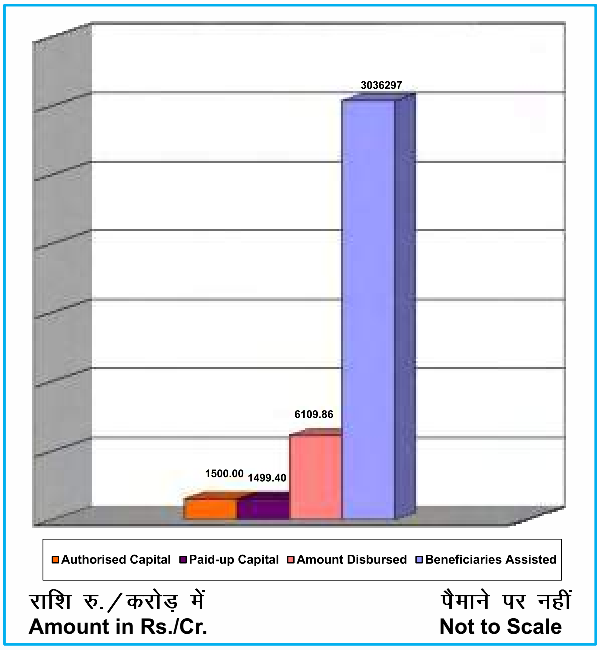

31.03.2022 तक अधिकृत अंशपूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।
Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2022.

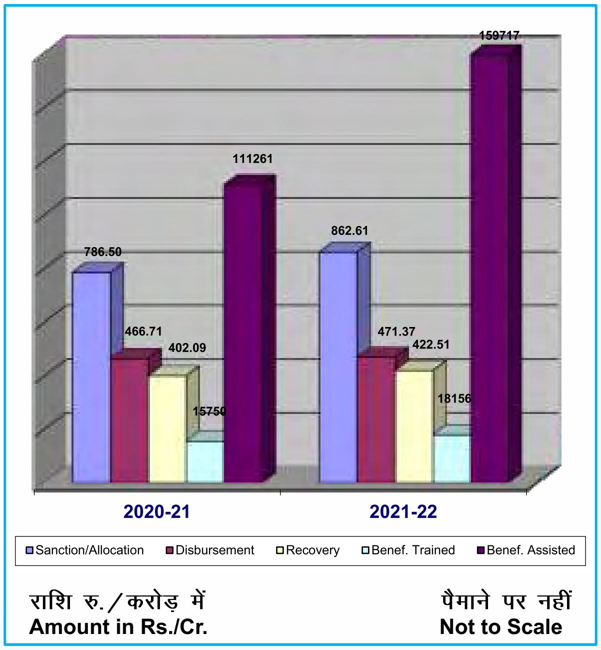

वर्ष 2020–2021 एवं 2021–22 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।
Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2020-2021 & 2021-22.

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
Rajbhasha Hindi Activities

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक एवं बैठक में भाग लेते हुए समिति के पदाधिकारीगण।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में वर्ष 2021 में प्रतियोगिता आयोजन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान श्री वी.आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा. सं. एवं सी.एस.आर.) व श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (कौ.वि.) एवं राजभाषा प्रभारी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ग्रहण किया गया। यह पुरस्कार नराकास अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया।

'हिन्दी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित 'विचार प्रतियोगिता' में भाग लेते हुए निगम के कार्मिकगण। इस अवसर पर श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (कौ.वि.) एवं राजभाषा प्रभारी तथा श्री मो. जावेद अहमद खाँ, सहा. प्रबंधक (राजभाषा) उपस्थित रहे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में 2021 में 'निपको' द्वारा राजभाषा से जुड़े कार्मिकों हेतु ऑन लाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में श्री मो. जावेद अहमद खाँ, सहा. प्रबंधक (राजभाषा), एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को प्रथम स्थान से सम्मानित करते हुए नराकास के अध्यक्ष महोदय। इस प्रतियोगिता में 'निपको' द्वारा कैश अवार्ड भी प्रदान किया गया।

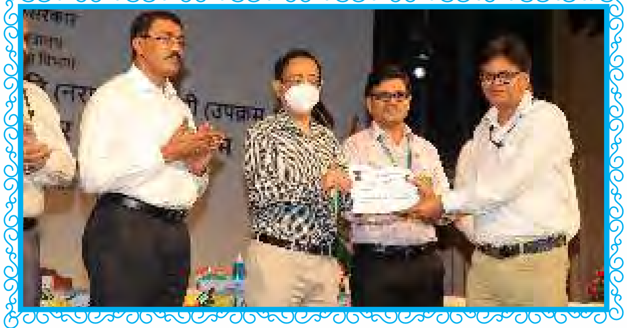

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित 'हिन्दी कार्यशाला' में भाग लेते हुए निगम के कार्मिकगण। कार्यशाला का संचालन श्री मो.जावेद अहमद खाँ, सहा. प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा किया गया।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

श्री रजनीश कुमार जैनव
प्रबन्ध निदेशक
Shri Rajnish Kumar Jenaw
Managing Director

श्री संजय पाण्डे
सं. सचिव एवं वि. सलाहकार
सा. न्याय और अ. म., भा. स., निदेशक
Shri Sanjay Pandey
JS & FA, SJ&E, GOI, Director

डॉ. सुभ्रांशू शेखर आचार्य
मु. म. प्र., सिडबी, निदेशक
Dr. Subhransu Sekhar Acharya
CGM, SIDBI, Director

श्री आर. वी. रामाकृष्ण
म. प्र., नाबार्ड, निदेशक
Shri R. V. Ramakrishna
GM, NABARD, Director

श्री संजय कुमार सिंह
गैर–सरकारी निदेशक
Shri Sanjay Kumar Singh
Non-official Director

श्रीमती पिंकी कुमारी
गैर–सरकारी निदेशक
Smt. Pinki Kumari
Non-official Director

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री रजनीश कुमार जैनव प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नई दिल्ली	Sh. Rajnish Kumar Jenaw Managing Director, NBCFDC New Delhi
श्री संजय पाण्डे संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Shri Sanjay Pandey Joint Secretary & FA, Ministry of SJ&E, Govt. of India,
डॉ० सुभ्रांशू शेखर आयार्य मु. महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली	Dr. Subhransu Sekhar Acharya CGM,SIDBI, New Delhi
श्री आर. वी. रामाकृष्ण महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली	Shri R. V. Ramakrishna GM, NABARD, Delhi
श्रीमती पिंकी कुमारी गैर–सरकारी निदेशक, पटना, बिहार	Smt. Pinki Kumari Non-official Director, Patna, Bihar
श्री संजय कुमार सिंह गैर–सरकारी निदेशक, पटना, बिहार	Shri Sanjay Kumar Singh Non-official Director, Patna, Bihar

प्रबन्घ निदेशक / Managing Director	: श्री रजनीश कुमार जैनव	Sh. Rajnish Kumar Jenaw
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव / SGM (Fin.) & Company Secretary	: श्री अजित कुमार सामल	Sh. Ajit Kumar Samal
लेखा परीक्षक / Auditors	: मेसर्स एम. ए. पी. एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट, दिल्ली–110092	M/s MAP & Associates Chartered Accountants, Delhi-110092
मुख बैंकर्स / Principal Bankers	: • केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली • एक्सिस बैंक, नई दिल्ली • एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली • आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Bank of Baroda, New Delhi • Axis Bank, New Delhi • HDFC Bank, New Delhi • IDFC FIRST Bank, New Delhi

Letter to the Shareholders

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I extend a very warm welcome to all of you to the 30th Annual Report of the Corporation.

I am indeed privileged to working towards the objective to promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and to assist the poorer section of these classes in skill development and self-employment ventures. Your Corporation provides financial assistance through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/ Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.

During the financial year 2021-22, with the collective efforts made by all the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has disbursed Rs.471.37 crores which translates into increase of 0.77% only which is mainly due to non-availability of Share Capital and outbreak of COVID 19 pandemic. The Corporation registered a total income of Rs.55.18 Crores as against Rs.58.23 Crores during previous year. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 2068.64 crores as compared Rs. 2036.35 crores as on 31.03.2021.

NBCFDC has been consistently increasing its outreach to the beneficiaries and so far has assisted over 30.36 lakh beneficiaries with a loan amount over Rs. 6109.86 crores through SCAs/CPs thereby turning around the equity support received from Government by over 4.07 times. SCAs have reported cumulative utilization of 98.56% of funds disbursed to them.

NBCFDC gives adequate attention to recovery of Loan from SCAs. As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 4511.98 Crore as against cumulative dues of the Rs.4580.60 Crore as on 31.03.2022. The cumulative amount of recoveries of Rs.4580.60 Crore comprises of Rs. 3888.16 Crore as principal and Rs. 692.44 Crore as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stood at 98.50% as on 31st March, 2022. We are diligently following up with the state governments from whom recovery has not been up to the mark.

Last but not least, with a view to incentivize effective and efficient implementation of NBCFDC schemes, your Corporation introduced various progressive initiatives which included the productivity linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme, Technology Up-gradation Scheme and Liberalized One time Settlement (OTS) schemes. I am pleased to share that the Annual Accounts of the Corporation for the year 2021-22 also has been audited by the Comptroller & Auditor General of India.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 18156 beneficiaries under the schemes of Skill Development Training Programme under PM-DAKSH using grants from Ministry of SJE and internal resources. These included 13408 fresh skilling & 4748 up-skilling programmes

अंशधारकों को पत्र

प्रिय सदस्यो,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मुझे वास्तव में उसके लिए कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और कौशल विकास व स्वरोजगार उद्यमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। आपका निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षरित कर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–.22 के दौरान, निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं मागदर्शन के फलस्वरूप आपका निगम ने कुल रू. 471.37 करोड़ का संवितरण किया है जिसमें मात्र 0.77% की वृद्धि आई है जिसका प्रमुख कारण है अंश पूंजी की अनुपलब्धता तथा कोविड–19 महामारी का प्रकोप है। निगम ने गत् वर्ष की कुल आय रू. 55.18 करोड़ की तुलना में कुल रू. 58.23 करोड़ की आय दर्ज की है। सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह हेतु संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2021 में रू. 2036.35 करोड की तुलना में आपके निगम की सकल सम्पत्ति रू. 2068.64 करोड़ हो गई है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निरंतर लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बढ़ा रहा है एवं अब तक एस.सी.ए./चौनल पार्टनर के माध्यम से रू. 6109.86 करोड़ की ऋण राशि से अधिक का संवितरण कर 30.36 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करा चुका है। जिससे सरकार से प्राप्त अंश सहायता का 4.07 गुणा से अधिक का वितरण किया गया है। एस.सी.ए. द्वारा उनको वितरित धनराशि के 98.56% सकल उपभोग को सूचित किया गया है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋणों की वसूली हेतु पर्याप्त ध्यान देता है। सतत् अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप दिनाँक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सकल बकाया रू. 4580.60 करोड़ के सापेक्ष रू. 4511.98 करोड़ की वसूली करने में निगम सफल हुआ है। रू. 4580.60 करोड़ की सकल वसूली में रू. 3888.16 करोड़ मूलधन एवं रू. 692.44 करोड़ ब्याज/अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सकल मांग के सापेक्ष सकल वसूली 98.50% है। हम पूर्ण कर्मठता से उन राज्य सरकारों के साथ अनुश्रवण कर रहे हैं जिनसे वसूली का स्तर ठीक नहीं है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आपके निगम ने विभिन्न प्रगतिशील पहलों की शुरूआत की जिसमें उत्पादकता से संबद्ध अनुदान–सहायता योजना (पी.एल.जी.आई.ए.), प्रोद्योगिकी उन्नयन योजना और उदार एक–मुश्त अदायगी योजना (ओ.टी.एस.) सम्मिलित हैं। मुझको साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निगम के वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कर ली गई है।

विकासात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में, आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–"पी.एम.–दक्ष" की योजना के तहत 18156 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा क्रियान्वित के तहत 13408 व्यक्तियों को फ्रेस

implemented by various governments Training Institutions & other credible Training Institutes identified by Ministry of SJE. All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE.

Your Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/channel partners. During the year, due to COVID-19, NBCFDC and its channel partners have organized 41 Awareness Camps in various States. The officials of the Corporation/channel partners also attended the camps & facilitated the target group in understanding the schemes and proposals were invited from Channel Partners for publicity of NBCFDC schemes through Digital Mediums amongst the target group. The Channel Partners of States of Kerala, Tripura and Uttar Pradesh were sanctioned grant under the Digital Awareness Programme.

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). It is noteworthy that NBCFDC surpassed the minimum statutory targets of CSR spending by cumulatively spending Rs. 5.24 crore as against the minimum Rs. 4.16 crore as at end of the year.

NBCFDC also undertook other CSR activities in various parts of the country for holistic development of students, providing clean drinking water, providing emergency flood relief support in Karnataka, Delhi etc.

You Corporation ensures all the payments be made through e-transfer to the SCAs/Vendors/employees etc. NBCFDC has also advised to its Channel Partners to make all the payments strictly through e-transfer to the Aadhaar Seeded Bank Accounts of the beneficiaries.

Your Corporation has developed & implemented "Loan and Employee Information Automation Project (LEAP)" for transparent & hitch free monitoring of loan disbursal, recoveries and employee compensations. The project aims to automate the Loan and HR Management activities and also facilitates maintenance of information pertaining to grants given to Training Institutes/ Sector Skill Councils. It will cater on-line to all activities involved in financing of projects including annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs/CPs.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the Members of the Board from time to time. I will also like to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, SCAs, State Governments, Statutory as well as Internal Auditors of the Corporation, officials of the C&AG, bankers of the Corporation and all employees of the Corporation whose sincere efforts were instrumental in achieving such result.

I convey my special thanks to all other stakeholders of the Corporation for their valuable support and cooperation and reposing continued confidence in the Corporation's management.

I am confident that with a dedicated and committed resource of employees and valuable support of our esteemed stakeholders, your Corporation will continue to surpass its targets and enhance value to its target group.

With best wishes,

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director

Place: New Delhi
Date : 28.09.2022

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

स्किलिंग व 4748 व्यक्तियों को अप–स्किलिंग के कार्यक्रम शामिल थे। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मानकों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।

आपके निगम ने अपनी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा लक्ष्य समूह को बैंकों के अधिकारियों / चैनल सहभागियों के साथ सम्पर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता–सह–ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष के दौरान, कोविड–19 महामारी के कारण निगम एवं इसके चैनल सहभागियों ने विभिन्न राज्यों में 41 जागरुकता शिविर आयोजित किए। निगम चैनल सहभागियों के कर्मिकों ने भी शिविरों में भाग लिया और लक्षित समूह को योजनाओं को समझाने में सहायता प्रदान की व लक्षित समूह के बीच डिजिटल माध्यमों से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रचार के लिए चैनल सहभागियों से प्रस्ताव आमं्त्रित किए गए। डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम के तहत केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के चैनल सहभागियों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यों तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के कार्य के रूप में गरीब एवं हासिए पर रहने वाले वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्त पोषित कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने वर्ष की समाप्ति पर रू. 4.16 करोड़ के सापेक्ष रू. 5.24 करोड़ का सकल वितरण कर निगमित सामाजिक दायित्व के सांविधिक न्यूनतम व्यय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने देश के विभिन्न भागों में छात्रों के समग्र विकास, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, कर्नाटक में आपात बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने के लिए एवं दिल्ली आदि में अन्य सी.एस.आर. कार्यकलापों को भी संचालित किया है।

आपका निगम यह सुनिश्चित करता है कि एस.सी.ए. / विक्रेताओं / कर्मचारियों आदि को किए जाने वाले भुगतान इलेक्ट्रानिक अंतरण (ई–ट्रंसफर) के माध्यम से किए जाएं। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को भी सलाह दी गई है कि लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में ई–ट्रासंफर के माध्यम से ही भुगतान किए जाएँ।

आपके निगम ने ऋण वितरण, वसूली और कर्मचारी मुआवजे की पारदर्शी और बाधा मुक्त निगरानी के लिए ''ऋण और कर्मचारी सूचना स्वचालन परियोजना (लीप)'' को विकसित और कार्यान्वित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ऋण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों को स्वचालित करना है और प्रशिक्षण संस्थानों / सेक्टर स्किल काउंसिलों को दिए गए अनुदानों से संबंधित सूचनाओं के रख–रखाव की सुविधा भी प्रदान करना है। यह वार्षिक कार्य योजना सहित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सम्मिलित सभी कार्यकलापों जिसमें एस.सी.ए. द्वारा ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण प्रस्ताव को मंजूरी देना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि जारी करना, एस.सी.ए. / चैनल सहभागियों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र / वसूली सम्मिलित है, को ऑन–लाइन सुविधाएं प्रदान करेगा।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय–समय पर दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, निगम के सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों, निगम के बैंकर्स से प्राप्त सहयोग व मार्गदर्शन तथा निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा से किए गए प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ।

मैं निगम के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना मूल्यवान सहयोग एवं सहायता प्रदान की तथा निगम के प्रबंधन में अपना सतत् विश्वास बनाए रखा।

मुझे विश्वास है कि समर्पित और प्रतिबद्ध मानव संसाधन एवं हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान समर्थन के साथ, आपका निगम अपने लक्ष्यों से अधिक कार्य करना जारी रखेगा और अपने लक्षित समूह की उपयोगिता को बढ़ाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

ह० / –

(रजनीश कुमार जैनव)

प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 28.09..2022

टिप्पणी– इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची
Contents

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	2-72
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of C&AG of India	73-74
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Report	75-81
5	तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	82
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	83
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	84
8	अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	85
9	टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियाँ Notes and Accounting Policies	86-140

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलंग्नक
Annexures to the Director's Report

अनुलग्नक Annexure	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	चैनल सहभागियों की सूची List of Channel Partners	22-24
2	विस्वास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की सूची List of Lending Institution for VISVAS Yojana Scheme	25
3	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	26-27
3.1	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2022	28-29
4	वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक–वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2019-20 to 2021-22	30-32
4.1	वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2021-22	33-34
4.2	वर्ष 2021–22 की अवधि में रा.चै.ए./आर.आर.बी./पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/RRB/PSB/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2021-22.	35-36
4.3	वर्ष 2021–22 के दौरान राज्यवार/सेक्टरवार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या State-wise/Sectorwise disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2021-22	37
4.4	नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण (2021–22) Statement showing details of Women Beneficiaries assisted under New Swarnima Scheme & Mahila Samridhi Yojana (2021-22).	38
4.5	वर्ष की अवधि के दौरान वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी एवं निधि के उपभोग का विवरण Details of Amount Disbursed, Beneficiaries Assisted during the year & utilization of fund.	39-41
4.6	वर्ष 2021–22 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2021-22.	42-44

अनुलग्नक Annexure	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
4.7	वित्तीय वर्ष (2021–22) में चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against Ongoing Projects for the financial year (2021-22)	45-46
4.8	वित्तीय वर्ष 2021–22 में चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR spent against other than ongoing projects for the financial year 2021-22	47
4.9	पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण Details of CSR amount spent in the Financial Year for Ongoing Projects of the preceding financial year(s)	48
4.10	वित्तीय वर्ष 2021–2022 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2021-2022	49-50
5.	31 मार्च, 2022 तक एस.सी.ए./राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2022.	51-53
6.	वर्ष 2021–22 की स्थिति के अनुसार पीएम–दक्ष योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह को राज्यवार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। State-wise Skill Development Training Provided to target group under PM-DAKSH Yojna during the year 2021-22.	54
7.	वर्ष 2021–22 के दौरान एनबीसीएफडीसी द्वारा आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विवरण Statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2021-22	55
8.	क) केरल राज्य में एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन ख) राजस्थान राज्य में एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन a) Evaluation Study of Loan Schemes of NBCFDC in the State of Kerla. b) Evaluation Study of Loan Schemes of NBCFDC in the State of Rajasthan.	56-66
9.	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रमाण–पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance.	67-72

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-30/2022/ **Date: 16 September, 2022**

NOTICE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Wednesday the 28th Day of September, 2022 at 11.30 AM at New Conference Room. No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS :

Item No. 1 : To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2022, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place : New Delhi **(Ajit Kumar Samal)**

Dated : 16.09.2022 GM (F) & Company Secretary

Notes: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).
2. Sri Anil Kumar V. Patil, Director (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)

Copy to:

M/s M A P & ASSOCIATES (DE2479),	}	With the request to make it convenient to
Chartered Accountants,	}	attend the meeting on scheduled date and
805, Vikas Deep, Laxmi Nagar Distt. Centre, Delhi-110092	}	time & place as mentioned above.

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 30th Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on wednesday, the 28th day of September, 2022 at 11.30 AM, at New Conference room No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001:

1.	Shri Rajnish Kumar Jenaw	Managing Director
2.	Shri Sanjay Pandey, JS&FA, MOSJE	Director
3.	Dr. Subranshu Sekhar Acharya, CGM, SIDBI	Director
4.	Shri R V Ramakrishna, GM, NABARD	Director
5.	Smt. Pinki Kumari (NOD)	Director
6.	Sanjay Kumar Singh (NOD)	Director

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. / ए.जी.एम.–30 / 2022 / **दिनांकः 16 सितम्बर, 2022**

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2022 दिन – बुधवार को पूर्वाहन 11.30 बजे न्यू कॉन्फ्रैंस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 में निम्न व्यवसाय के निष्पादित करने हेतु की जाएगीः

सामान्य व्यवसायः

मद सं.1 : 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से,

ह0 / –

स्थानः नई दिल्ली **(अजित कुमार सामल)**

दिनाँकः 16.09.2022 वरि. महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

टिप्पणीः सदस्य को बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का अधिकार है; जिसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा मेंः

1. संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)
2. श्री अनिल कुमार वी पाटिल, निदेशक (बी.सी.), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)

प्रतिलिपिः

मेसर्स एम.ए.पी. एण्ड एसोसिएट्स (डी.ई. 2479) चार्टर्ड एकाउंटेंट, 805, विकास दीप, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक सेन्टर, दिल्ली–110092	} इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाए गई तिथि, } समय एवं स्थान पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। }

विशेष आमंत्री

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) दिनाँक 28.09.2022 को (दिन बुधवार) पूर्वाहन 11.30 बजे, न्यू कॉन्फ्रैंस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 में आयोजित किया जाना है, कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करेंः

1.	श्री रजनीश कुमार जैनव,	प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री संजय पाण्डेय, स.सचि. एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.और अधि. मंत्रालय	निदेशक
3.	डॉ. सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक,सीडबी,	निदेशक
4.	श्री आर.वी. रामाकृष्ण,महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक
5.	श्रीमती पिंकी कुमारी, (गैर–सरकारी निदेशक)	निदेशक
6.	श्री संजय कुमार सिंह, (गैर–सरकारी निदेशक)	निदेशक

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 30th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2022.

1. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013), with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is upto Rs. 3.00 Lakh through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments /Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC- collectively referred as Channel Partners (CPs) .
- At present, 45 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 28 Banks including 04 Public Sector Banks(PSBs) and 24 Regional Rural Banks(RRBs) can channelize loans under NBCFDC. List of CPs is available at **Annexure-1** (Page No. 22-24). Additionally, NBCFDC has signed MoA with 22 Lending Institutions for implementation of recently launched Interest Subvention Scheme-VISVAS Yojana (Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ko Aarthik Sahayata Yojana). List of Lending Institutions for VISVAS is available at **Annexure-2** (Page No. 25).
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is Rs. 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 30वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं और जो सामूहिक रूप से चैनल पार्टनर कहलाते हैं के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए समय–समय पर पारिभाषित वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार (वर्तमान में रू. 3.00 लाख तक) आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।
- वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 45 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; 28 बैंकों, जिनमें 04 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज करते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** (पृ.स. 22–24) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने हाल ही में शुरू की गई ब्याज सबवेंशन योजना–विस्वास योजना (वंचित इकाई समूह एवं वर्गो को आर्थिक सहायता योजना) के कार्यान्वयन के लिए 22 ऋण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्वास के लिए ऋणदाता संस्थानों की सूची **अनुलग्नक–2** (पृ.स. 25) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहभागियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य:

- पिछड़े वर्गों एवं समय–समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल को उन्नत करने में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय–समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों/सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्धारित आय और/अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व–रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय–समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में रू. 3.00 लाख) के अनुसार चयनित मामलों में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान करना।
- सामान्य / व्यावसायिक / तकनीकी / वोकेशनल शिक्षा या स्नातक व उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2022 was Rs. 1499.40 Crore. Proposal for augmentation of Share Capital from Rs. 1500.00 Crore to Rs. 2215.oo Crore has been submitted to administrative Ministry.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste covering under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Relevant Caste Certificate to be issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is below Rs.3,00,000/- irrespective of rural or urban sector SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income upto Rs.1.50 Lakh. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

Following certifications to establish the income criteria can be used by the applicant:-

i) Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.

ii) Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks/SSCs on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.

iii) In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.

iv) For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with up to One hectare land holding) and small farmers (those with up to Two hectare land holding), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations:-

1) Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income below Rs.1.50 Lakh per annum.

2) Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income below Rs.3.00 Lakh per annum.

8. WORKING RESULTS

During the year, the disbursement of loan of the Corporation stood at Rs. 471.37 Crores as compared to Rs.466.71 cores in the previous year. During the year, the Corporation has not received any Amount towards equity support as compared in previous year of Rs. 55.40 Crore. The Corporation has submitted the proposal for augmentation of share capital from Rs. 1500.oo Crore to Rs. 2215.00 Crore to the Ministry of Social Justice & Empowerment. Further, a recovery of loans from channel partners has also affected due to COVID -19 Pandemic. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to Rs.6109.86 Crores for 30,36,297 beneficiaries.

On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 18156 beneficiaries during 2021-22 from 15750 in 2020-21, increased about 15.27%.

The Corporation's operating income stood at of Rs.53.21 Crore as compare to the Rs. 55.89 Crore registered in 2020-21. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was Rs. 29.15 crores in the current year in comparison to Rs. 34.08 Crores during the previous year.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500 करोड़ है। दिनाँक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ थी। अंश पूंजी रू. 1500 करोड़ से रू. 2215 करोड़ बढ़ाए जाने सम्बंधी प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है।

7. पात्रता

आवेदक समय–समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जाति से संबंधित प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

वर्तमान में वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना प्रतिवर्ष रु. 3.00 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं.14015/01/2010– एससीडी–IV दिनाँक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए प्रमाणीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न का उपयोग किया जा सकता है –

i) राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र।

ii) लाभार्थी द्वारा स्व–सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण–पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए./बैंक/ सेक्टर स्किल काउंसिल विचार कर सकते हैं।

iii) बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व–प्रमाणीकरण के मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन को ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

iv) भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमातं किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों (जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है), जैसा कि बैंक द्वारा उनकी मानक क्रिया के तहत मूल्याकंन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से सबंधित है निम्नानुसार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएगें।

1) भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख से कम मानी जाएगी।

2) छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से कम मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

निगम ने वर्ष के दौरान, गत्वर्ष रू. 466.71 करोड़ की तुलना में रू. 471.37 करोड का कुल ऋण वितरण किया। वर्ष के दौरान, निगम को गत वर्ष रू. 55.40 करोड़ की तुलना में कोई इक्विटी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई। निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अंश पूंजी रू. 1500.00 करोड़ से रू. 2215 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के कारण चैनल सहभागियों से ऋण की वसूली प्रभावित हुई है। समग्ररूप से आपके निगम ने 30,36,297 लाभार्थियों के लिए रू. 6109.86 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है।

कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2020–21 के 15750 की तुलना में वर्ष 2021–22 की अवधि में 18156 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 15.27% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2020–21 में दर्ज़ की गई रु. 55.89 करोड़ की तुलना में निगम की प्रचालन आय रु. 53.21 करोड़ है। पिछले वर्ष की अवधि में रु. 34.08 करोड़ की तुलना में, अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य रु. 29.15 करोड़ है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनत्म समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य

Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

(i) **Agriculture & Allied Activities:** Organic Farming, Dairy Farming, Sericulture, Horticulture, Poultry/Duck/Pig/Goat Rearing, Pisciculture, Tractor Trolley, Food & Agro Processing unit etc.

(ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Ice cream parlor, Cold Storage, Kiryana Shop, Packaging Unit, Flour Mill, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Hardware, Tent house, Shuttering unit, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving, Candles, Tapers, Wax Products, Stationary Shop, Fish & Marine Products etc.

(iii) **Service/Transport Sector:** Interior Decorator, Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, E-rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo, Audio & Visual Equipment rental Services etc.

(iv) **Technical and Professional Trades/Courses:** Technical, vocational& Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

10. LENDING POLICY :

➢ **Method of Lending**

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the States having nominated State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment status of loan taken from NBCFDC, capacity and infrastructure available to utilize the funds within the stipulated period with due consideration to needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, New Swarnima, Education Loan Scheme Under Micro Finance scheme, Mahila Samriddhi Yojana and Small Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samriddhi Yojana,Micro Finance Scheme and small loan schemes.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

I) TERM LOAN SCHEME

(i) General Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for various income generating activities in various sectors such as (a) Agriculture and Allied Sector, (b) Small Business/Artisan &(c) Traditional Sector and Transport & Service

सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछडे वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मोटे तौर पर, निम्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः

(I) कृषि एवं संबंधित कार्यकलापः जैविक कृषि, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मुर्गी/बतख/सुअर/बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर ट्राली, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई इत्यादि।

(ii) लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारंपरिक व्यवसायः आइसक्रीम पार्लर, शीतागार, किराने की दुकान, पैकिंग इकाई, आटा मिल, सब्जी विक्रय, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, हार्डवेयर, टेंट हाउस, शटरिंग यूनिट, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले–सिलाए कपड़ों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई, मोमबत्तियाँ टेपर्स, मोम उत्पाद, स्टेशनरी की दुकान, मछली एवं समुद्री उत्पाद इत्यादि।

(iii) सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्रः आंतरिक साज– सज्जा, आटो मरम्मत दुकान, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक सामानों की मरम्मत की दुकान, घरेलू उपकरण, मोबाइल मरम्मत की दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, ई–रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो, ऑडियो एवं विजुअल उपकरण रेंटल सेवाएं इत्यादि।

(iv) तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठयक्रमः स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है।

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए/बैंकों) से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवाहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. ऋण नीति

➢ **ऋण पद्धति**

आबंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य सभी चैनल सहभागियों से है, जिनसे आशा की जाती है कि निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान– शासकीय गारंटी, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अंश पूंजी, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति, विनिश्चित समयावधि में निधियों के उपभोग हेतु क्षमता एवं उपलब्ध अवसंरचना, लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्रियान्वयन के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए चैनल सहभागी आवंटन की सीमा में करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को वर्ष के आरंभ में 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) है एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/चैनल सहयोगियों के गत् कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आबंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का कम से कम 10% उत्तर–पूर्वी राज्यों को वितरित कराना सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहयोगियों, को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। सूक्ष्म वित्त योजना में महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेंस व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

चैनल सहयोगियों से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैंः

I) सावधि ऋण

(i) सामान्य ऋण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत (क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (ख) लघु व्यवसाय/दस्तकारी (ग) पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने

Sector. Loans are given upto 85% of the project cost subject to a maximum of Rs.15.00 Lakh per beneficiary. Loans upto Rs. 5.00 Lakh are provided at an interest rate of 6% p.a. Loans above Rs. 5.00 Lakh and upto Rs. 10.00 Lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. Loans above Rs.10.00 Lakh and upto Rs. 15.00 Lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(ii) New Swarnima Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for women of Backward Classes to inculcate the spirit of self-reliance among them. Loans are given upto 95% of the project cost. The maximum loan limit per beneficiary is Rs. 2.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(iii) Education Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available to the students of Backward Classes. The applicant should have obtained admission for any professional/ technical/vocational courses approved by appropriate agency such as AICTE, Medical Council of India, and UGC etc. in a duly accredited/ recognized institute and have minimum 50% marks in qualifying exam. Loans are given upto 90% of the course fees for studies in India and upto 85% of the course fees for studies outside India. Maximum loan limit per student is Rs.15.00 Lakh for studying in India at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Maximum loan limit per student is Rs.20.00 Lakh for studying abroad at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Loan is to be repaid in 15 years with moratorium period of 5 years.

II) MICRO FINANCE SCHEME

(i) Micro Finance Scheme : Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group especially for mixed group beneficiaries. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 5% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(ii) Mahila Samriddhi Yojana : Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group of women beneficiaries. Loans are given upto 95% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 4% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iii) Small Loan : Under this scheme, loan assistance is available to individuals to provide credit facilities for the target group. Loans are given upto 85% of the project cost. Maximum loan limit per beneficiary is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 6% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iv) NBFC-MFI Loan : Under this scheme, loan assistance can be channelized to SHGs through Micro Finance Institutions (MFIs) providing Bank Guarantee or similar financial instruments as security. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 12% p.a. Under this scheme repayment period is 4 Years.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

For Persons of the target group with Disabilities (40% or more), a special concession of 0.25% on rate of interest is provided.

In addition to the above concessional financing schemes, during the year 2020-21 Ministry of Social Justice & Empowerment introduced the following Interest Subvention Scheme -

(III) VANCHIT IKAI SAMOOH AUR VARGON KO AARTHIK SAHAYATA YOJANA (VISVAS YOJANA) :

Under this scheme, interest subvention at 5% is provided to Self Help Groups (SHGs) with 100% OBC members and OBC individuals who have taken loan for various income generating

वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 85% तक अधिकतम रु. 15.00 लाख ऋण दिया जाता है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर, रु. 5.00 लाख से ऊपर व रु. 10.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर तथा रु. 10.00 लाख से ऊपर व रु. 15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(ii) नई स्वर्णिमा योजनाः इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 2.00 लाख है व वार्षिक ब्याज दर 5% है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(iii) शिक्षा ऋण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उपयुक्त एजेंसी जैसे ए.आई.सी.टी.ई., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यू.जी.सी. आदि द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी व्यावसायिक/तकनीकी/वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 90% तक ऋण दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठयक्रम की फीस का 85% तक ऋण दिया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 15.00 लाख है तथा वार्षिक ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष (छात्राओं के लिए 3.5% प्रति वर्ष) है। विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 20.00 लाख तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के 3.5% वार्षिक) है। मोरेटोरियम अवधि सहित ऋणों का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में किया जाना है।

II) सूक्ष्म ऋण योजनाः

(I) सूक्ष्म ऋण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह के स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) विशेष रूप से मिश्रित समूहों के लिए लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख के ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 5% है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(ii) महिला समृद्धि योजनाः इस योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह की महिला लाभार्थियों के स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण सहायता उपलब्ध है। इस योजना में परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iii) लघु ऋणः इस योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह को एकल ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 1.25 लाख 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iv) एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई. ऋणः इस योजना के अंतर्गत, बैंक गारंटी अथवा इसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम.एफ.आई.) के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत के 90% तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रति समूह ऋण की अधिकतम सीमा रू. 15.00 लाख एवं स्व–सहायता समूह में प्रति लाभार्थी रू. 1.25 लाख है जिस पर ब्याज दर 12% वार्षिक है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

विशेष रूप से पुनर्वित्तीयन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बैंकों के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होंगे; हालाँकि बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।

लक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (40% अथवा अधिक) के लिए ब्याज दर में 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने रियायती वित्त पोषण योजनाओं हेतु निम्न ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है।

III) वंचित इकाई समूह और वर्गो की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना):

इस योजना के अन्तर्गत, ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों जिन्होंने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों हेतु ऐसे स्व–सहायता समूह जिनमें 100% अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं एवं

activities from those Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC. Interest Subvention is available for the Maximum Loan Limit for SHG of Rs. 4.00 Lakh and for individual of Rs. 2.00 Lakh. After submission of data of the beneficiaries on VISVAS Portal (dedicated portal developed for VISVAS Yojana) Interest subvention amount is directly transferred into the Aadhar Seeded Bank account of eligible SHG or Individual beneficiary. List of Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC is available at **Annexure-2** (Page No. 25).

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary	Pattern of Finance		Rate of Interest Per Annum.	
1.	Term Loan		NBCFDC**	SCA/Benef.	SCAs/Bank	Benef.
(a)	General Loan Scheme	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	Upto Rs.5 Lakh	
					3%	6%
					Above Rs.5 Lakh upto Rs.10.00 Lakh	
					4%	7%
					Above Rs.10 Lakh upto Rs.15.00 Lakh	
					5%	8%
(b)	Education Loan i) In India	Rs.15.00 Lakh	90%	10%	1%	4%*
	ii) Abroad	Rs.20.00 Lakh	85%	15%	1%	4%*
(c)	New Swarnima Scheme	Rs.2.00 Lakh	95%	05%	2%	5%
2.	Micro Finance					
(a)	Micro Finance Scheme	Rs.1.25 Lakh#	90%	10%	2%	5%
(b)	Mahila Samriddhi Yojana for women	Rs.1.25 Lakh#	95%	05%	1%	4%
(c)	Small Loan for individual	Rs.1.25 Lakh	85%	15%	3%	6%
(d)	NBFC-MFI Loan	Rs.1.25 Lakh#	90%	10%	4%	12%

* 0.5% rebate in interest for girls students.
# Subject to maximum of Rs. 15.00 Lakh per Self Help Group
** Permitted up to 100% in case of re-financing through Banks.

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2021-22 on 03rd January, 2022. Copy of MOU is available at **Annexure-3** (Page No. 26-27). As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for financial year 2021-22 comes to 83.53 which conform to 'Very Good 'category and placed at **Annexure-3.1** (Page No. 28-29).

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2021-22)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Loan Disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % of total Disbursement	%age	64.66	64.76	+0.10
2	EBITA as a percentage of Revenue	%age	59.34	53.64	-5.70*
3	Loan Disbursed/Total Funds Available	%age	100	99.59	(-) 0.41*
4	Overdue loans/Total loans	%age	2.64	2.14	0.50*

* Absolute

अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त किया है; को 5% की ब्याज सबवेंशन सहायता प्रदान की जाती है। ब्याज सबवेंशन एस.एच.जी. के लिए अधिकतम ऋण सीमा रु. 4.00 लाख और एकल व्यक्ति के लिए रु. 2.00 लाख उपलब्ध है। विश्वास पोर्टल (विश्वास योजना के लिए विकसित समर्पित पोर्टल) पर लाभार्थियों के लिए डेटा जमा करने के बाद ब्याज सबवेंशन राशि सीधे पात्र एस.एच.जी. या एकल व्यक्तिगत लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले ऋणदाता संस्थानों की सूची **अनुलग्नक–2** (पृष्ठ सं. 25) पर उपलब्ध है।

11. ब्याज दर

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर	
1.	**सावधि ऋण**		एन.बी.सी. एफ.डी.सी	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए./बैंक	एस.सी.ए./बैंक
(क)	सामान्य ऋण योजना	रू. 15.00 लाख	85%	15%	रु. 5 लाख तक	
					3%	6%
					रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तक	
					4%	7%
					रु. 10 लाख से अधिक व रु. 15 लाख तक	
					5%	8%
(ख)	शैक्षिक ऋण i) भारत में	रू. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*
	ii) विदेश में	रू. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*
(ग)	नई स्वर्णिमा योजना	रू. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%
2.	सूक्ष्म वित्त					
(क)	सूक्ष्म वित्त योजना	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	2%	5%
(ख)	महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए	रू. 1.25 लाख#	95%	05%	1%	4%
(ग)	एकल व्यक्ति के लिए लघु ऋण योजना	रू. 1.25 लाख	85%	15%	3%	6%
(घ)	एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई. ऋण	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	4%	12%

*छात्राओं को ब्याज दर में 0.5% की छूट है।
#प्रति स्वं–सहायता समूह रू. 15.00 लाख अधिकतम की दशा में
**बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्तीयन की दशा में 100% तक अनुमन्य।

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनः

निगम ने वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 3 जनवरी, 2022 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक–3** (पृष्ठ सं. 26–27) पर उपलब्ध है। उपलब्धियों एवं लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल स्कोर 83.53 आया है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी में है व **अनुलग्नक–3.1** (पृष्ठ सं. 28–29) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट कार्य निष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2021–22) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	अंतर (%)
1	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को कुल वितरण के % के रूप में	%	64.66	64.76	+0.10
2	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीए	%	59.34	53.64	-5.70*
3	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	100	99.59	(-) 0.41*
4	बकाया ऋण/कुल ऋण	%	2.64	2.14	0.50*

*निरपेक्ष

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2021-22	2020-21	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs.(Cr.)	862.61	786.50	+9.68
2	Disbursement of Loan	Rs.(Cr.)	471.37	466.70	+1.00
3	Beneficiaries Covered	Nos.	159717	111261	+43.55
4	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	98.50	98.03	+0.47*
5	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs)	43230	71474	-39.50
6	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs)	22545	34258	-34.19

* Absolute

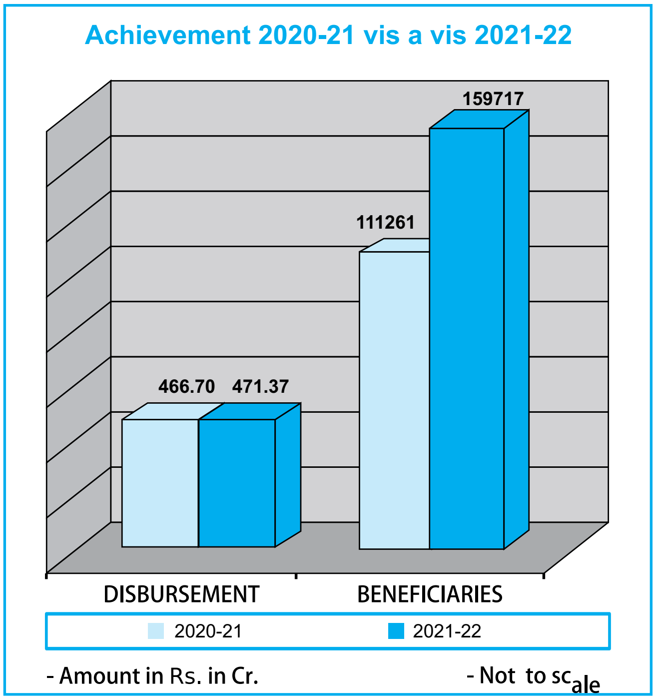

13.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to SCAs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from SCAs, were approved to the tune of Rs. 862.61 Crore Crore during the year 2021-22.

Against this Notional Sanction, the Corporation has disbursed Rs.471.37 Crore for assisting 1,59,717 beneficiaries and covered 30 States/ UTS out of 36 States/ UTS during the financial year 2021-22. State/UTs wise detail is available at **Annexure -4** (Page No. 30-32).

The disbursement so far made since inception now stands at Rs.6109.86 Crore for assisting 3036297 beneficiaries as on 31.03.2022. SCA & State-wise loan disbursement during the last three years, cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2022 is available at **Annexure-4.1** (Page No. 33-34) Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-4.2** (Page No. 35-36).

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2021-22 are available at **Annexure-4.3.** (Page No. 37).

Sector wise percentage of disbursement of funds of Rs. 145.26 Crore under Term Loan Scheme (excluding New Swarnima) during 2021-22 is as under:

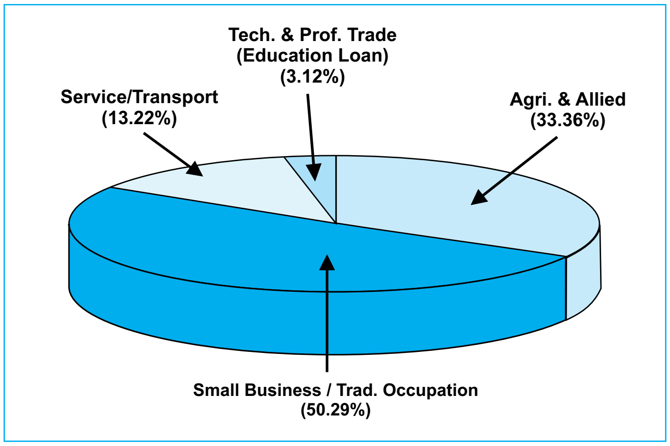

During 2021-22, 33.36% of Term Loan (excluding New Swarnima) was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 30.86% in previous year and 50.29% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 31.97% in previous year. Loan was disbursed for activities which include the manufacture/purchase, Agricultural Implements, Setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.

13.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2021-22	2020-21	% वृद्धि
1	ऋण की स्वीकृति	रू. (करोड)	862.61	786.50	+9.68
2	ऋण वितरण	रू. (करोड़)	471.37	466.70	+1.00
3	आच्छादित लाभार्थी	संख्या	159717	111261	+43.55
4	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	98.50	98.03	+0.47*
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रू.)	43230	71474	-39.50
6	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सूक्ष्म ऋण)#	(रू.)	22545	34258	-34.19

* निरपेक्ष

2020–21 की तुलना में 2021–22 में उपलब्धियाँ

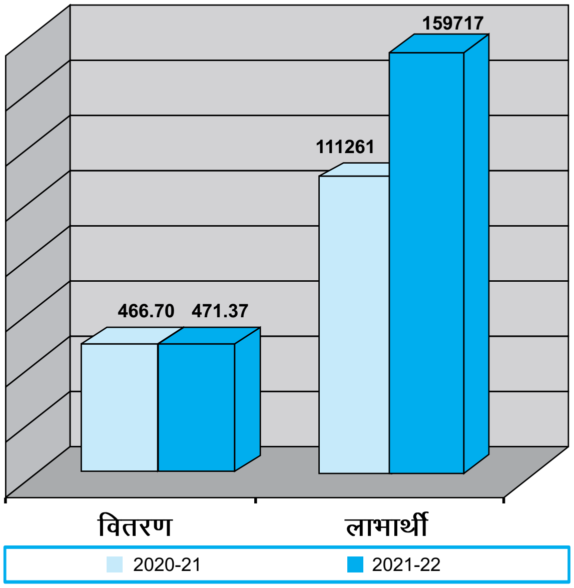

13.3 स्वीकृति एवं वितरण

वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को निगम द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान रु. 862.61 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान अनुमोदित आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 159717 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रु. 471.37 करोड़ वितरित किए हैं एवं 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4** (पृष्ठ स. 30–32) पर उपलब्ध है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 3036297 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु. 6109.86 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षो का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक–4.1** (पृष्ठ सं. 33–34) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरित नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक–4.2** (पृष्ठ सं. 35–36) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2021–22 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियो की संख्या **अनुलग्नक–4.3** (पृष्ठ सं. 37) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2021–22 की अवधि में सावधि ऋण योजना (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) के अन्तर्गत रु. 145.26 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:

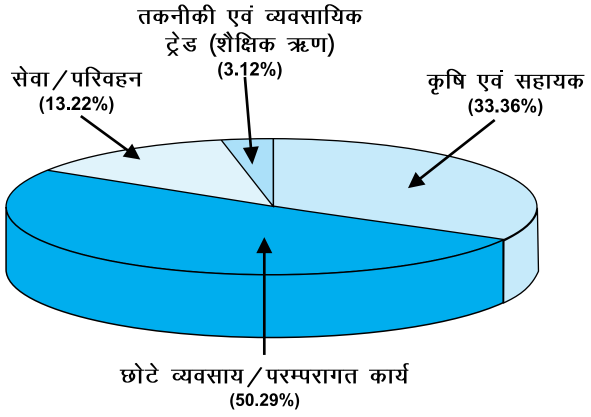

सावधि ऋण के अंतर्गत (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 30.86% की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान 33.36% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत् वर्ष के 31.97% की तुलना में 50.29% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं – विनिर्माण/खरीद, कृषि उपकरण, डेरी इकाईयों की स्थापना, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर– ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि की दुकान।

Backward classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and Electronic Shop, Woodwork, Auto rickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence 13.22% of Term loan (excluding New Swarnima) has been drawn by CPs in 2021-22 to meet the demand of the service providers as compared to 29.97% in previous year.

Education Loan under Term Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report 3.12% of the Term loan (excluding New Swarnima) has been given under Education Loan Scheme.

Disbursement During Last Four Years
(Amount in ₹ in Cr.)

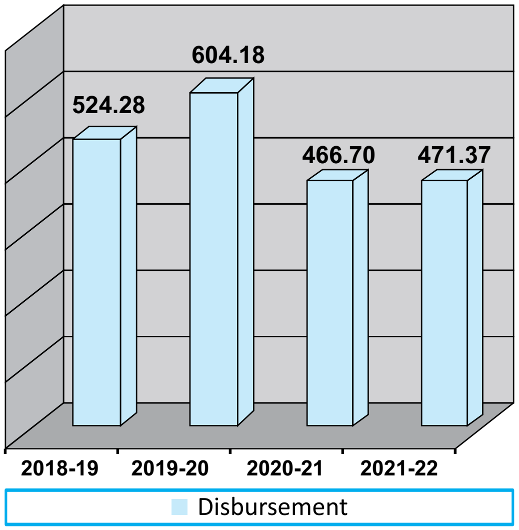

Beneficiaries Assisted During Last Four Years

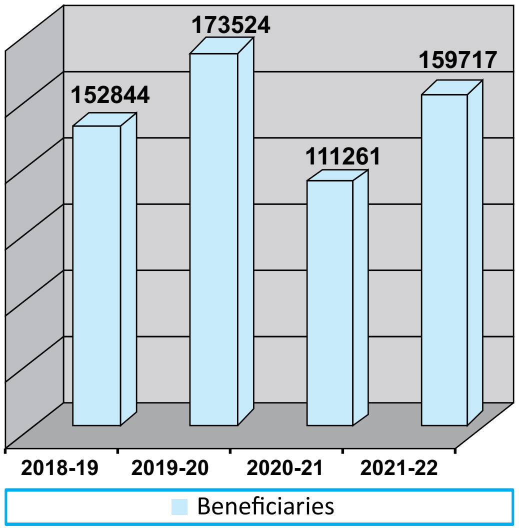

Scheme wise Disbursement (2021-22)

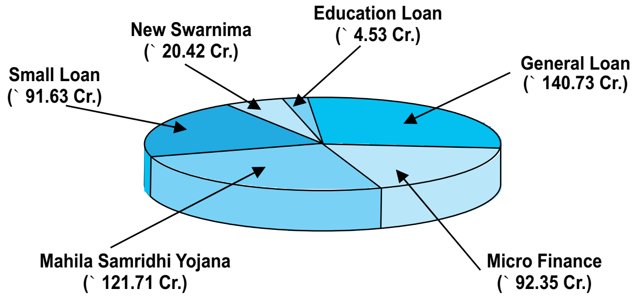

Scheme-wise Beneficiaries Assisted (2021-22)

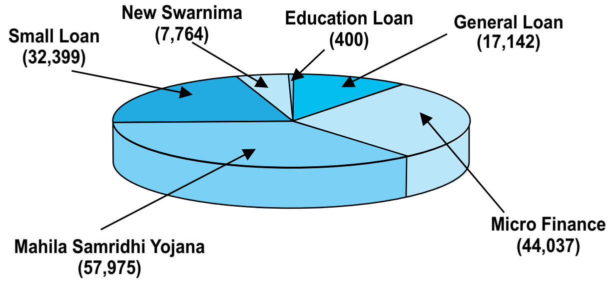

13.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2021-22, your Corporation provided loans of Rs.4.53 Crore to 400 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was Rs.9.68 Crore for 1145 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

Disbursement under Education Loan Scheme

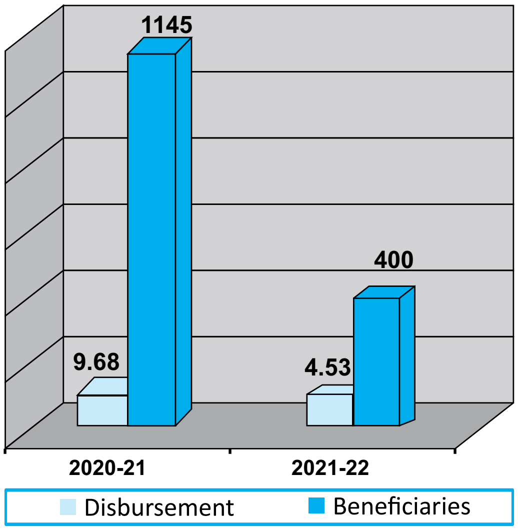

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर–साइकिल, टैक्सी, पिक–अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः चैनल सहभागियों द्वारा गत वर्ष 29.97% की तुलना में वर्ष 2021–22 में 13.22% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर), सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया।

सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान 3.12% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

गत् 4 वर्षों के दौरान वितरण
(राशि करोड़ रु. में)

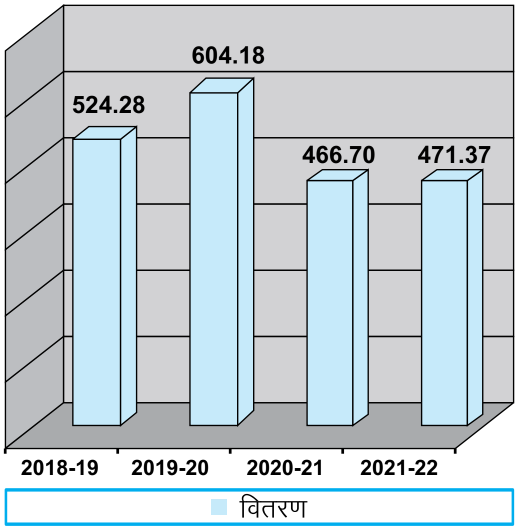

गत् 4 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

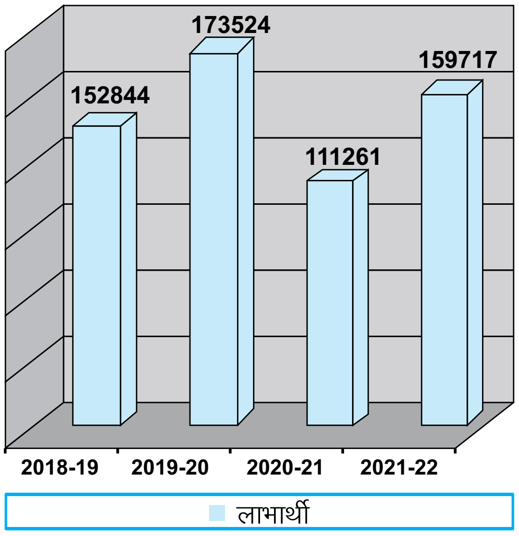

योजनावार वितरण (2021–22)

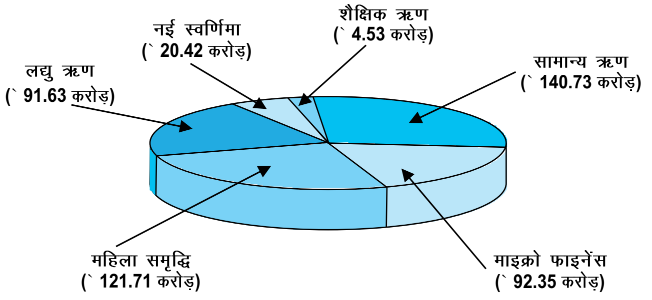

योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2021–22)

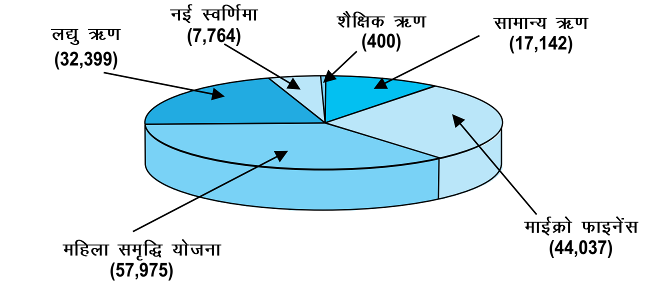

13.4 शैक्षिक ऋण वितरण:

आपके निगम ने वर्ष 2021–22 में गत वर्ष रु. 9.68 करोड़, 1145 लाभार्थियों के सापेक्ष शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रु. 4.53 करोड़ के ऋण 400 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं। योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी.आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए., इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि शामिल है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण

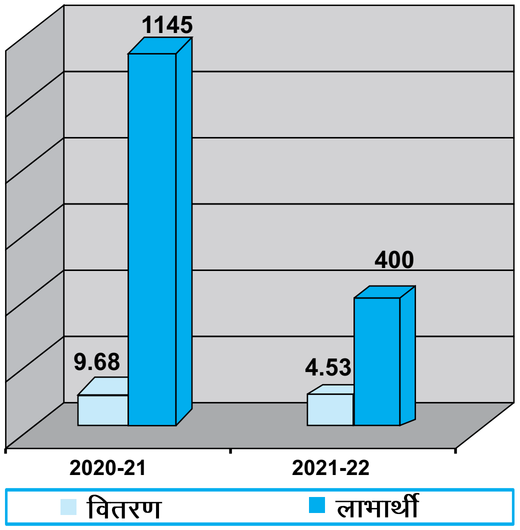

13.5 Participation of Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samriddhi Yojana under Micro Finance. An amount of Rs.142.13 Crore has been disbursed to assist 65739 women beneficiaries under these women oriented schemes for Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2021-22. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2021-22 is at **Annexure-4.4** (Page No.38).

Apart from these exclusive women centric schemes, the Corporation has disbursed Rs.201.71 Crore for assisting 59,923 women beneficiaries under other loan schemes in 2021-22 against Rs. 164.29 Crore for assisting 34,502 women beneficiaries in 2020-21. Therefore in all Rs.343.84 crores of loan was disbursed to assist 1,25,662 women beneficiaries.

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total Loan Disbursed during 2021-22

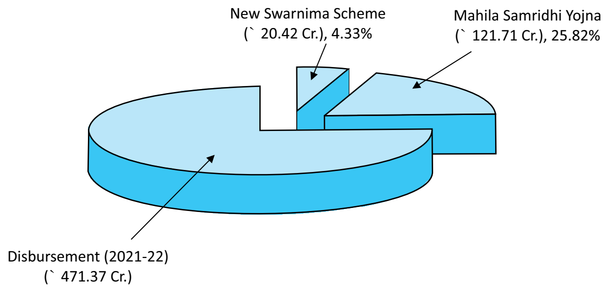

Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total No. of Beneficiaries covered during 2021-22

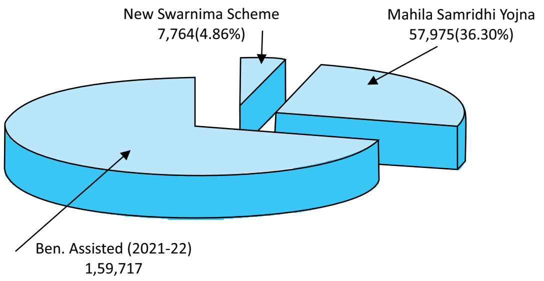

13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 97.69%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case to case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

During the FY 2021-22 against the fund disbursement of Rs. 471.37 Crore the Channel partners able to utilize the funds to the tune of Rs. 460.46 crore only. Hence utilization of loans by Channel partners stands at 97.69%. Status of utilization is available at **Annexure -4.5** (Page No. 39-41).

13.7 ACHIEVEMENT OF VISVAS YOJANA

1.	Amt. Disbursed	84.92 Lakh
2.	No. of Benef.	4587

14 INTERVENTIONS UNDER THE MINISTRY'S PROGRAM FOR TRANSGENDER COMMUNITY:

The administrative Ministry has sanctioned a grant of Rs.150.00 lakhs to undertake specific initiatives for welfare and support of Transgender community who were facing financial deprivation, social isolation and mental stress due to drying of their traditional source of income because of Covid-19 related issues. Summary of the interventions are as follows:

14.1 Free Medical Camps: During the year 2021-22,ten Medical Camps were organized in collaboration with Community Based Organizations

13.5 महिलाओं के लिए विशेष योजना

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, सजावटी मत्स्य उत्पादन, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के लिए रु. 142.13 करोड़ की राशि 65,739 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक–4.4** (पृष्ठ सं. 38) पर उपलब्ध है।

इन महिला केन्द्रित योजनाओं के अतिरिक्त निगम ने वर्ष 2020–21 में रु. 164.29 करोड़ का वितरण 34,502 महिला लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2021–22 में रु. 201.71 करोड़ का वितरण 59,923 महिला लाभार्थियों के लिए किया है। अतः कुल मिलाकर रु. 343.84 करोड़ ऋणों का वितरण 1,25,662 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।

वर्ष 2021–22 की अवधि में कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण वितरण

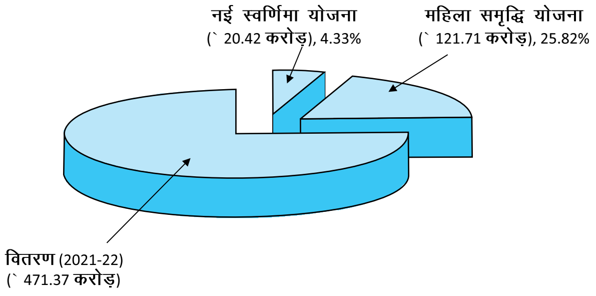

वर्ष 2021–22 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी

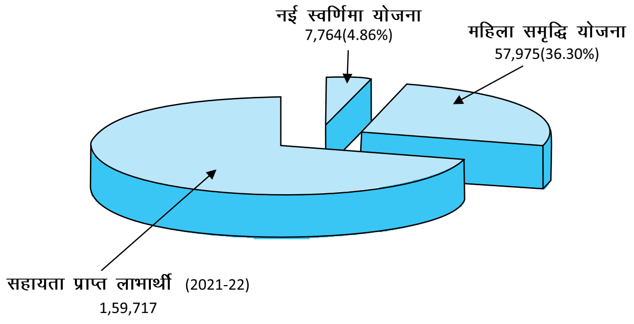

13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासभंव अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब–वार ब्याज दर लागू की गई है।

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1–120 दिन	3%
121–180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद के माध्यम से, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 97.69% रहा है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए, लक्ष्य समूह के लिए बैंकों की निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अवधि के आधार पर 180 दिनों तक मामले दर मामले आधार पर बढ़ाया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रू. 471.37 करोड़ की संवितरण की तुलना में चैनल सहभागियों ने रू. 460.46 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। अतः चैनल सहभागियों ने 97.69% ऋण का उपभोग किया है। उपभोग की स्थिति **अनुलग्नक–4.5** (पृष्ठ सं. 39–41) पर उपलब्ध है।

13.7 विश्वास योजना में उपलब्धि

1.	वितरित राशि	84.92 लाख
2.	लाभार्थियों की संख्या	4587

14. मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हस्तक्षेप:

प्रशासनिक मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण एवं सहायता हेतु रु. 150.00 लाख का अनुदान विशिष्ट पहल के तहत स्वीकृत किया है, क्योंकि कोविड–19 के कारण अपनी आय के पारंपरिक स्रोत के समाप्त होने के कारण वित्तीय अभाव में, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। संबंधित मुद्दों, हस्तक्षेपों का सारांश इस प्रकार है:

14.1 निःशुल्क चिकित्सा शिविरः वर्ष 2021–22 के दौरान, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के सहयोग से

(CBO), wherein 1020 Transgender persons have availed Medical facilities in various states, wherein they were provided free consultation by the Specialists, Dentists and Psychologist. Free spectacles were also provided, as per need.

14.2 Free Helpline for Transgender Community: A helpline was operational from May'2021 to Sep'21 provide psycho-social counseling support to Transgender community. Mass SMSs were also sent to the targeted community with the help of Community Based Organisation (CBO) for its publicity for availing the helpline services which has been utilized by them to face overcome the difficult challenges during pandemic period and a large number of consultations have been provided to transgender persons in various states.

15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance of Provisions of Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2021-22 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'22. During the year, 17 projects valued Rs.60.58 lakh were sanctioned and an expenditure of Rs.44.64 lakh was made on CSR activities for covering more than 51,000 marginalized people including the school students.

The CSR activities include Installation of Sanitary Napkin Vending Machines with incinerators for girl's high schools at Aspirational District Virudhunagar, (Tamil Nadu) and Leh (Ladakh), J&K, and Tripura. Besides 12 General Medical Camps have been organized in 8 states (Bihar, Delhi, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh , Tripura and Uttar Pradesh), wherein 2512 people attended the camp and 1065 spectacles distributed to poor people most of these camps have been organized in rural areas of the Aspiration Districts. Other interventions included distribution of Sanitary Napkins for improving menstrual hygiene of girls, Swachhta activities, Distribution of dry ration kits/food/medical equipment/Oxygen Cylinders to fight COVID-19, Dissemination of Natural fiber water-tanks (18 tanks) in rural areas at Beed districts of Maharashtra, Construction of Toilet Block at Ranir Bazar, West Tripura District of Tripura and Construction of Ice-Hockey Practice Rink at Thiksay Village (Kilibuk) of Leh District, Union Territory of Ladakh were also undertaken.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure-4.6, 4.7, 4.8, 4.9 & 4.10** (Page No. 42-50) of this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending Rs.5.24 crores on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of Rs.4.16 Crore upto 31.03.2022.

The Corporation being 80G registered had set up an internal COVID Relief Fund and mobilized during the year 2020-21 voluntary donations under Section 80-G from its own employees, those of sister PSEs and other noble minded donors. These funds have been utilized for COVID-19 Relief related activities during the year 2021-22 also i.e. distribution of Ration kits (330 nos.) to underprivileged residents & migrant workers to cover about 1630 needy persons in the State Karnataka and Delhi. An amount of Rs.5.49 lakh (including programms sanctioned during previous year) have been disbursed during the year.

16. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	2017-18 & 2021-22	Cumulative as on 31.03.2022
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**375.40**	**1499.40**
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**2534.35**	**6109.86**
3	Disbursement/ Budgetary support %age)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**6.75**	**4.07**
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**735934**	**3036297**
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**2041.04**	**4508.03**

दस चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 1020 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने विभिन्न राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया, जिसमें उन्हें विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक एवं चिकित्सक द्वारा मुफ्त परामर्श प्रदान किया गया। आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए।

14.2 ट्रांसजेण्डर समुदाय हेतु निःशुल्क हेल्पलाइनः मई, 2021 से सितम्बर, 2021 तक ट्रांसजेण्डर समुदाय को मनो—सामाजिक परामर्श सहायता प्रदान करने हेतु एक हेल्पलाइन काम कर रही थी। इसके प्रचार—प्रसार हेतु समुदाय आधारित संगठन (एस.बी.ओ.) की सहायता से हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने हेतु ढेर सारे एस.एम.एस. लक्षित समुदाय को भेजे गए जिनका उनके द्वारा सर्वव्यापी महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करने एवं उससे बाहर निकलने हेतु उपयोग किया गया एवं विभिन्न राज्यों में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को बड़ी संख्या में परामर्श उपलब्ध कराया गया।

15. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2021—22 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2022 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति की है। वर्ष के दौरान, रू. 60.58 लाख मूल्य की 17 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एसआर. कार्यकलापों पर रू. 44.64 लाख का व्यय किया गया, जिसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और स्कूली छात्रों सहित 51,000 से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया।

सीएसआर गतिविधियों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विरुधुनगर, (तमिलनाडु) और लेह (लद्दाख), जम्मू—कश्मीर और त्रिपुरा में गर्ल्स हाई स्कूलों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों सहित भट्ठियों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा 8 राज्यों (बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) में 12 सामान्य चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2512 लोगों ने शिविर में भाग लिया और 1065 चश्मे गरीब लोगों को वितरित किए गए, जिनमें से अधिकांश आकांक्षा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए गए है। अन्य हस्तक्षेपों में लड़कियों की मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण, स्वच्छता गतिविधियां, सूखे राशन किट/भोजन/चिकित्सा उपकरण/कोविड—19 से लड़ने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण, महाराष्ट्र के बीड जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर पानी के टैंक (18 टैंक) का प्रसार, त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले के रानिर बाजार में शौचालय ब्लॉक का निर्माण और लेह जिले के थिक्से गांव (किलिबक) में आइस—हॉकी अभ्यास रिंक का निर्माण, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक— 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एवं 4.10** (पृष्ठ सं. 42—50) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 2014—15 से शुरू होने वाले सीएसआर हस्तक्षेपों पर अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय रु. 4.16 करोड़ के मुकाबले 31.03.2022 तक रु. 5.24 करोड़ खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

निगम ने 80जी पंजीकृत होने के कारण एक आंतरिक कोविड राहत कोष की स्थापना की है एवं धारा 80—जी के तहत वर्ष 2020—21 के दौरान स्वयं अपने कर्मचारियों, समान निगमों और अन्य नेक दिल दाताओं को स्वैच्छिक दान हेतु प्रेरित किया। इन निधियों का उपयोग वर्ष 2021—22 के दौरान कोविड—19 राहत संबंधी गतिविधियों के लिए भी किया गया है, अर्थात राज्य कर्नाटक और दिल्ली में लगभग 1630 जरूरतमंद व्यक्तियों को कवर करने के लिए वंचित निवासियों और प्रवासी श्रमिकों को राशन किट (सं. 330) का वितरण किया। वर्ष के दौरान रू. 5.49 लाख (पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्यक्रमों सहित) की राशि का वितरण किया गया है।

16. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा—सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षण व्यय इत्यादि निगम की प्रगति निम्नानुसार हैः—

क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992—97	9वीं योजना 1997—02	10वीं योजना 2002—07	11वीं योजना 2007—12	12वीं योजना 2012—17	2017—18 एवं 2021—22	31.03.2022 को सकल
1	बजटीय सहायता (रू. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**375.40**	**1499.40**
2	वितरण (रू. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**2534.35**	**6109.86**
3	वितरण/बजटीय सहायता (%)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**6.75**	**4.07**
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**735934**	**3036297**
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	ऋण की वसूली (रू. करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**2041.04**	**4508.03**

17. FINANCIAL / OPERATIONAL PERFORMANCE

17.1 Income & Expenditure Account

i) During the year 2021-22, the operating income of Corporation has decreased from Rs. 55.89 crore to 53.21 crore

ii) The total expenses including employees cost has increased from Rs. 24.15 crore to Rs. 26.03 crore.

iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2021-22 is Rs. 30.65 crore as against Rs.34.26 crore during 2020-21.

17.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs. 2036.35 crore to Rs. 2068.65 crore in 2021-22.

17.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation has not received any equity support from Government of India and has disbursed Rs. 471.37 cr., which means Rs. 471.37 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

The cumulative equity support up to 31.03.2022 is Rs. 1499.40 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 6109.86 cr. covering 30,36,297 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 4.07 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 4610.46 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement (upto 31.03.2022)

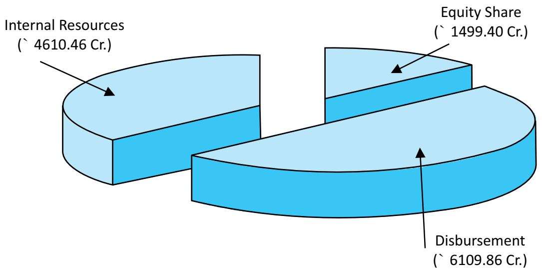

Cumulative Disbursement vs last five years Disbursement (upto 31.03.2022)

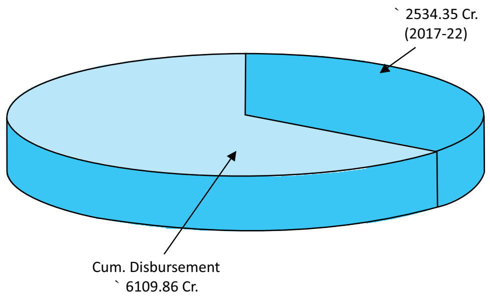

The disbursement over last five years has been 41.48% of the cumulative disbursement over 30 years of existence.

Cumulative Beneficiaries vs last five Years Beneficiaries (upto 31.03.2022)

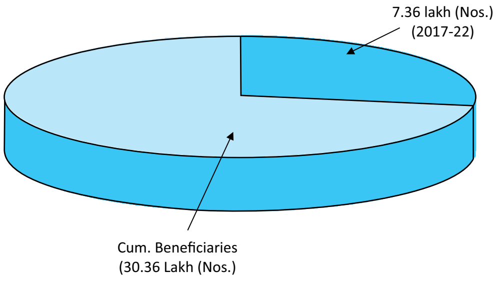

17.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 4508.03 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 4576.65 Cr. as on 31.03.2022. This includes Rs. 68.62 crores of long outstanding. The cumulative amount of recoveries of Rs. 4508.03 Cr. comprises of Rs. 3888.16 Cr. as principal and Rs. 619.87 interest. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 98.50 % as on 31st March, 2022 as against 98.03% on

17 वित्तीय / परिचालन कार्यनिष्पादन

17.1 आय एवं व्यय खाता

i) वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम की परिचालन आय रु. 55.89 करोड़ से घटकर 53.21 करोड़ हो गई है।

ii) कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 24.45 करोड़ से बढ़कर रु. 26.03 करोड़ हो गई है।

iii)वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य 2020–21 के रु. 34.26 करोड़ की तुलना में रु. 30.65 करोड़ है।

17.2 शुद्ध मूल्य

वर्ष 2021–22 मे ंनिगम का शुद्ध मूल्य रु. 2036.35 करोड़ से बढ़कर रू. 2068.65 करोड़ हो गया है।

17.3 सरकार से प्राप्त अंशपूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से कोई अंश पूंजी प्राप्त नहीं हुई है तथा रु. 471.37 करोड़ का वितरण किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण अथवा निगम के आंतरिक संसाधनों से बजटीय सहायता से रू 471.37 करोड़ आधिक्य का वितरण किया गया है।

31.03.2022 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1499.40 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 6109.86 करोड़ का संचयी वितरण कर 30,36,297 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 4.07 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 4610.46 करोड़ आधिक्य की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से वसूली एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आंतरिक संसाधन से कुल वितरण (31.03.2022 तक)

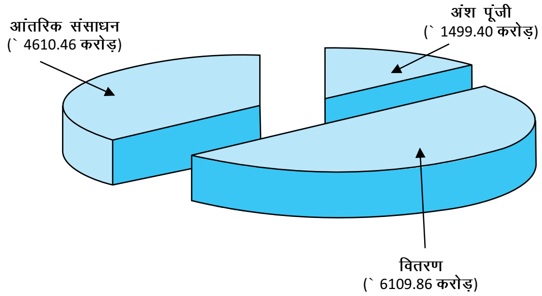

संचयी संवितरण बनाम गत् पाँच वर्षों का वितरण (31.03.2022 तक)

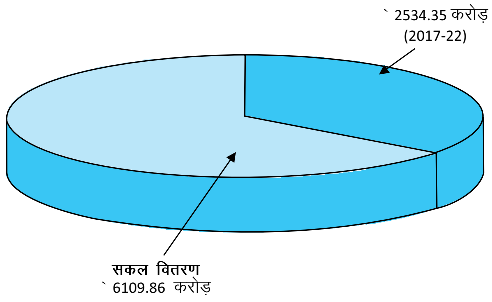

पिछले 5 वर्षों में वितरण अस्तित्व के 30 वर्षों के सचंयी वितरण का 41.48% रहा है।

संचयी लाभार्थी बनाम गत् पाँच वर्षों के लाभार्थी (31.03.2022 तक)

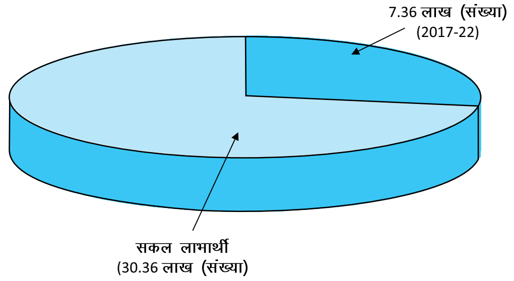

17.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ–साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम 31.03. 2022 की स्थिति के अनुसार रु. 4576.65 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रु 4508.03 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 68.62 करोड़ सम्मिलित है। रु. 4508.03 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 3888.16 करोड़ तथा ब्याज के रूप में रु. 619.87 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.3.2021 की 98.03% वसूली के सापेक्ष 31.3.2022 को एस.सी.ए. से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली जिसमें पुराने लगभग रू.

31.03.2021 with recovery of old overdues being nearly Rs.18.00 Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2022 is available at **Annexure-5** (Page No. 51-53).

Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

17.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is Rs. 53.21 crore.

17.6 Assets turnover Ratio

During the year, Assets turnover Ratio of your Corporation stood at 2.59%.

17.7 EBDTA as a percentage of Revenue

During the year, EBDTA as a percentage of Revenue of your Corporation stood at 53.64%.

17.8 Return on Net Worth

During the year, Return on Net Worth of your Corporation stood at 1.49%.

17.9 Return on Capital Employed

During the year, Return on Capital Employed of your Corporation stood at 1.48%.

17.10 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your Corporation is 99.59%, which is the best amongst all sister corporations.

17.11 Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement

During the year, the percentage of Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement stood at 64.76%.

17.12 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/Total loans (Net) of your Corporation is 2.14%, which is the best amongst all sister corporations.

17.13 NPA to Total Loans

NPA to Total Loans during FY 2021-22 stood at level of 0.32%'

17.14 Geographical coverage (No. of States/Uts functional covered)

During the year, the Corporation is able to cover 30 nos of States/UTs for disbursement of loan to ultimate beneficiaries

17.15 Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary

During the year, the Corporation is able to achieve %age of Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary at the level of 97.69%

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 30.65 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Dept. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

18. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

NBCFDC facilitates skill development training programmes in broad conformance to the Common Norms for upgradation of Technical and Entrepreneurial Skills, so that eligible members of target group may engage in developmental activities by way of self-employment or wage employment. Ministry of Social Justice and Empowerment launched Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojna during the year 2020-21 with an objective to improve the all-round competency and adeptness of artisans, so that they may improve their revenue generation capacities within their practicing vocations; women

18.00 करोड़ की वसूली सम्मिलित है, संचयी वसूली 98.50% है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक–5** (पृष्ठ सं. 51–53) पर उपलब्ध है।

आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

17.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु. 53.21 करोड़ है।

17.6 परिसंपत्तियों से टर्नओवर अनुपात

वर्ष के दौरान, आपके निगम का परिसंपत्तियों का टर्नओवर अनुपात. 2.59% रहा है।

17.7 ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में आय

वर्ष के दौरान, आपके निगम की ईबीआईटीडीए का प्रतिशत के रूप में आय 53.64% रही है।

17.8 शुद्ध मूल्य पर वापसी

वर्ष के दौरान, आपके निगम का शुद्ध मूल्य पर लाभ 1.49% रहा है।

17.9 नियोजित पूंजी पर वापसी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ 1.48% रहा है।

17.10 वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के लिए वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि का प्रतिशत 99.59% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.11 कुल वितरण के % के रूप में लाभार्थियों को वितरित किया गया माइक्रो फाइनेंस ऋण

वर्ष के दौरान, कुल वितरण के रूप में लाभार्थियों को दिए गए माइक्रो फाइनेंस ऋण का प्रतिशत 64.76% रहा है।

17.12 अति देय ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध) का प्रतिशत 2.14% है,जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.13 कुल ऋण का एन.पी.ए.

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल ऋण का एनपीए 0.32% रहा है।

17.14 भौगोलिक कवरेज(कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, निगम अंतिम लाभार्थियों को ऋण के वितरण के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने में समर्थ हुआ है।

17.15 निकटतम स्थान से अंततः लाभार्थी को वितरण

वर्ष के दौरान, निगम का निकटतम स्थान से अंततः लाभार्थियों को वितरण के स्तर का प्रतिशत 97.69% रहा है।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार रू. 30.65 करोड़ की व्यय से आय के आधिक्य की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा– 8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा– 8 (1) (ग) के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, विधि और न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनो अर्थात् नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

18. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. तकनीकी और उद्यमिता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप व्यापक रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है, ताकि लक्षित समूह के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा वेतन रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दस्तकारों की सर्वांगीण क्षमता और निपुणता में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 के दौरान प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) योजना शुरू की है, ताकि वे अपने व्यवसाय में राजस्व सृजन क्षमता में सुधार कर सकें; महिलाएं स्व–रोजगार में प्रवेश करें, जिससे उनकी

may enter into self-employment thereby financially empowering themselves without neglecting their domestic activities and youth may acquire long-term training and specialization in employable vocations giving them better standing in the job market. The target group of NBCFDC for skill training programme under PM-DAKSH is as under:

- Other Backward Classes (OBCs) having annual family income below Rs. 3.00 lakh.
- Economically Backward Classes (EBCs) having annual family income below Rs. 1.00 lakh.
- De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) without any income criteria

As per the guidelines of PM-DAKSH, following four categories of training programmes were facilitated by NBCFDC during 2021-22:

- Long Term Training Programmes, normally 6 Months to 1 Year
- Short Term Training Programmes, normally 2 to 5 Months or as stipulated in National Occupation Standard (NOS)
- Up skilling programmes, upto 1 Month
- Entrepreneurship Development Programmes, normally 10-15 days

The training programmes are conducted primarily through Govt. Training Institutes and other credible Training Institutes identified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The training programmes are conducted with 100% Grant-in-aid from Govt. of India.

During the year 2021-22, the Standing Finance Committee (SFC) had approved the target of 20,800 trainees. Due to the COVID – 19 restrictions imposed and glitches in PM-DAKSH portal, the Corporation could provide training to 18,156 trainees. In addition to above, the Corporation has also facilitated placement for 13,038 trainees. In order to achieve the targets, partnership was established by NBCFDC with following Training Institutes having training centers/partners at various locations in the country:

Sl. No.	Name of Training Institutes
1	Central Institute of Petrochemical Engineering & Technology (CIPET)-Chennai
2	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) - Noida
3	Indian Institute of Carpet Technology (IICT) -Srinagar
4	Indian Institute of Entrepreneurship (IIE) -Guwahati
5	National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC) Foundation- Delhi
6	Institute of Human Resources Development (IHRD)-Kochi
7	Apparel Training & Design Centre (ATDC) -Gurugram
8	Pithampur Auto Cluster-Indore
9	J&K ITC Organization Limited- Jammu
10	MPCON Ltd.-Bhopal
11	Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON)-Shimla
12	NITCON Ltd.-Delhi
13	Indo General Tool Room-Ahmedabad
14	Central Tool Room & Training Centre -Bhubaneshwar
15	Central Tool Room & Training Centre-Kolkata
16	MSME Technology Center - Rohtak
17	MSME Technology Centre-Visakhapatnam
18	MSME Technology Centre-Durg
19	MSME Technology Centre - Bhopal
20	MSME Development Institute -Bengaluru
21	Indo German Tool Room - Indore
22	Institute For Design of Electrical Measuring Instruments -Mumbai
23	Indo German Tool Room Aurangabad -Aurangabad
24	Central Institute of Hand Tools - Jalandhar
25	Tool Room & Training Centre -Guwahati
26	Central Tool Room (CTR) - Ludhiana
27	Electronics Service And Training Centre - Ramnagar (Uttrakhnad)

घरेलू कार्यकलापों की उपेक्षा किए बिना उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और युवा रोजगार योग्य व्यवसायों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करें जिससे उन्हें नौकरी के बाजार में बेहतर स्थान मिल सके। पीएम–दक्ष के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लक्षित वर्ग हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है:

- अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख से कम है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 1.00 लाख से कम है।
- गैर–अधिसूचित, घुमंतु एवं अर्ध–घुमंतु जन–जातियाँ (डी.एन.टी.) बिना आय मापदण्ड के।

पीएम–दक्ष के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2021–22 की अवधि में निम्न चार श्रेणियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए:

- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यत: 6 महीने से 1 वर्ष
- अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यत: 2 से 5 महीने या जैसा कि राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) द्वारां निर्धारित किया जाए;
- अप.स्किलिंग प्रोग्राम, 1 माह तक
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम, सामान्यत: 10–15 दिन

प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से चिन्हित किए गए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों व विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता के साथ आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान, स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) ने 20,800 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया था। कोविड–19 के प्रतिबंधो एवं पी.एम. दक्ष पोर्टल में खराबी के कारण निगम, 18,156 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सका। उपरोक्त के अतिरिक्त, 13,038 प्रशिक्षुओं को नियोजित करवाया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एन.बीसी.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिलों जिनके देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र/साझेदार हैं, के साथ भागीदारी की है:

क्र.स.	प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
1	सैन्ट्रल इंस्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट), चेन्नई
2	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.)–नोएडा
3	भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) –श्रीनगर
4	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई.) –गुवाहाटी
5	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) फाउंडेशन– दिल्ली
6	मानव संसाधन विकास संस्थान (आई.एच.आर.डी) –कोच्चि
7	अपैरल ट्रैनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (ए.टी.डी.सी.), गुड़गांव
8	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर–इंदौर
9	जम्मू एवं कश्मीर आई.टी.सी. संगठन लिमिटेड– जम्मू
10	एमपीकॉन लिमिटेड–भोपाल
11	हिमाचल कंसल्टेंसी लिमिटेड (हिमकॉन)–शिमला
12	निटकॉन लिमिटेड–दिल्ली
13	इंडो जनरल टूल रूम–अहमदाबाद
14	सेंट्रल टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेंटर –भुवनेश्वर
15	सेंट्रल टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेंटर–कोलकाता
16	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र – रोहतक
17	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र–विशाखापत्तनम
18	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र–दुर्ग
19	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र – भोपाल
20	एमएसएमई विकास संस्थान –बेंगलुरू
21	इंडो जर्मन टूल रूम – इंदौर
22	इन्सटीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रीकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट –मुंबई
23	इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद–औरंगाबाद
24	सेंट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल – जालंधर
25	टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र –गुवाहाटी
26	सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर) – लुधियाना
27	इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रैनिंग सेन्टर – रामनगर (उत्तराखंड)

28 Process and Product Development Centre (PPDC) - Agra

29 Process and Product Development Centre (PPDC) - Meerut

30 MSME Technology Centre -Bhiwadi

31 MSME Technology Centre -Pudduchery

32 CII Institute of Logistics-Chennai

33 Apollo Medskills Ltd.-Hyderabad

34 OP Jindal Community College-Raigarh

35 Indradhanus Welfare Society- Indore

36 Bright School Samiti-Indore

Overall expenditure on skill development utilizing grant-in-aid from Govt., Internal resources and limited CSR grants from other CPSEs stood at Rs. 35.50 crores.

Training Expenditure released as part payment on training sanctioned during 2021-22 was Rs. 5.46 crores. Statewise details of training during the year under report are available at **Annexure – 6** (Page No. 54).

19. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2021-22, loan amounting to Rs. 10.31 Cr. for 1722 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (Rs.9.88 Core) , Assam (Rs. 0.19 crore), Manipur (Rs. 0.01Crore), Nagaland (Rs. 0.02 Crore) and Sikkim (Rs. 0.21Crore). Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2021-22 (Rs. in Cr.)	Cum. Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2021-22	Cum. No. of Beneficiaries Assisted
Assam	0.19	76.63	17	49918
Manipur	0.01	26.72	4	19375
Meghalaya	-	0.002	-	1
Mizoram	-	0.002	-	2
Nagaland	0.02	0.02	2	2
Sikkim	0.21	29.84	9	5472
Tripura	9.88	185.39	1690	49522
TOTAL	**10.31**	**318.604**	**1722**	**124292**

20. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs & Exhibitions like India International Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, Dilli Haat at INA, New Delhi, Surajkund International Crafts Mela at Faridabad, Haryana, Lokotsav etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. These events not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price and understand the prevailing market conditions as regard to the Quality & Finishing of goods & products produced, Packaging etc. which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro travel expenses, DA, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2021-22 is available at **Annexure-7** (Page No.55).

28 प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर (पी.पी.डी.सी.) – आगरा

29 प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर (पी.पी.डी.सी.) – मेरठ

30 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र –भिवाड़ी

31 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र –पुदुचेरी

32 सी.आई.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स–चेन्नई

33 अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड–हैदराबाद

34 ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज–रायगढ़

35 इन्द्रधनुस वेलफेयर सोसाइटी–इंदौर

36 ब्राइट स्कूल समिति–इंदौर

सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता, आंतरिक संसाधनों एवं अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों से प्राप्त सीमित सी.एस.आर. अनुदान का उपयोग करते हुए कौशल विकास पर कुल रु. 35.50 करोड़ व्यय किया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में रु. 5.46 करोड़ जारी किया गया है। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक–6** (पृष्ठ सं. 54) पर दिया गया है।

19. उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों को 1722 लाभार्थियों हेतु रू. 10.31 करोड़ के ऋण उत्तर–पूर्वी राज्य त्रिपुरा को (रु. 9.88 करोड़), असम (रु. 0.19 करोड़), मणीपुर (रु. 0.01 करोड़), नागालैण्ड (रु. 0.02 करोड़) एवं सिक्किम (रु. 0.21 करोड़) को वितरित किए गए हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यो का संचयी विवरण इस प्रकार है–

राज्य	ऋण वितरण 2021–22 (रू. करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रू. करोड़ में)	2021–22 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	0.19	76.63	17	49918
मणीपुर	0.01	26.72	4	19375
मेघालय	–	0.002	–	1
मिजोरम	–	0.002	–	2
नागालैण्ड	0.02	0.02	2	2
सिक्किम	0.21	29.84	9	5472
त्रिपुरा	9.88	185.39	1690	49522
योग	**10.31**	**318.604**	**1722**	**124292**

20. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों एवं प्रदर्शनियों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला,प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली हॉट, आई.एन.ए.,नई दिल्ली, सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला,फरीदाबाद, हरियाणा एवं लोकोत्सव इत्यादि के साथ– साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/ मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन /प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बेचने का अवसर मिलता है एवं बाजार की मौजूदा स्थितियों को गुणवत्ता एवं तैयार सामान एवं उत्पादित उत्पादों, पैकिंग इत्यादि को समझते हैं, जो सामान्यतः उन्हें अपने स्थानों पर मिलना कठिन होता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाज़ारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने–जाने का किराया व्यय, डी.ए. इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी. एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित/ प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक–7** (पृष्ठ सं. 55) पर उपलब्ध है।

21. NEW INITIATIVES

21.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web based software LEAP which provides easy access to the Channel Partners for ease of business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating training of its channel partners for using SBMS (Social Benefit Management System) developed by NeGD, MeiTY on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping the target groups to apply on line & avail loan facilities of the corporation.

21.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme objectives

In order to facilitate technological upgradation & capacity augmentation to clusters of target groups and to improve quality of the products and productivity thereby & to enable them to face the competition in domestic and international markets, Corporation has introduced Technology Upgradation Scheme. During the year, Corporation has sanctioned an amount of Rs.78.67 Lakh to benefit 350 members of Backward Classes in the States of Tripura (Rubber Growers in Nalchar), Haryana (Pottery in Jhajjar) and UT of J&K (Cutting & Tailoring and Fabric Art in Kathua & Samba and Carpet Weaving in Anantnag & Bandipora) towards financial assistance for Entrepreneurship Development Programme (EDP), Procurement of Machinery and for Development of Common Facility Centre (CFC) under Technology Upgradation of Cluster Scheme of NBCFDC. During 2021-22, Corporation has released an amount of Rs.38.29 Lakh to Indian Institute of Entrepreneurship, J&K Women's Development Corporation, Indian Institute of Carpet Technology and Tripura OBC Cooperative Development Corporation Ltd. Cumulatively, the Corporation has sanctioned Rs.4,27,80,573/- and released Rs.2,43,80,463/- up to 31.03.2022 under this scheme.

21.3 Performance Linked Grant-In-Aid (PLGIA) Scheme

i) In order to strengthen the infrastructure of Channel Partners of National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC). Corporation has been providing grant to the SCA under Performance Linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme.

ii) Quantum of Assistance is normally restricted to 1% of the released funds in a year subject to max. of Rs.10.00 Lakhs p.a.

During the year, the Corporation has disbursed Rs.106.24 Lakhs to 14 Channel Partners under this scheme.

21.4 Skill Development Training Programme for members of Transgender' Community

Ministry of Social Justice and Empowerment has entrusted the sensitive job of Skill Development Training Programme for members' of Transgender' community on pilot basis to NBCFDC, with an objective to upgrade their skills to enable them to start income generating activities of their own or get gainfully employed in wage or self-employment. The Corporation has conducted skill training programmes for 181 members of Transgender' community in the state of Manipur, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamilnadu, Telangana & NOIDA. Placement has been provided to 111 trained trainees in Amazon, Flipkart, NMRC, NSFDC, WIPRO, SODEXO, Wallmart, Periferry, Tovo Chennai and Franklin Temleton.

22. MONITORING &EVALUATION

The Corporation accords due emphasis on the monitoring & evaluation studies for monitoring purpose and assessing the impact of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) schemes on the socio - economic status of the beneficiaries . The Channel Partners are also advised from time to time to strengthen the monitoring mechanism and take action on the observation / recommendations of evaluation studies. On - going - schemes are evaluated from time to time to have an impact assessment through independent agencies.

21. नई पहल

21.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

आपके निगम ने अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर लीप में सुधार किया है जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में आसानी के लिए चैनल सहभागियों को आसान पहुँच प्रदान करता है। एनबीसी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से NeGD, MeiTY द्वारा विकसित एस.बी.एम.एस. (सोशल बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं के ऑन–लाइन आवेदन करने व ऋण सहायता का लाभ उठाने में मदद करना है।

21.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत समूहों तक तकनीकी उन्नयन

लक्ष्य समूहों के लिए तकनीकी उन्नयन व क्षमता वृद्धि की सुविधा हेतु एवं उत्पादों की गुणवत्ता व उत्पादकता में सुधार करने के लिए और उन्हें घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए निगम ने प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है। वर्ष के दौरान, निगम ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.), मशीनरी की खरीद और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की क्लस्टर हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए त्रिपुरा (नालचर में रबर उत्पादक), हरियाणा (झज्जर में मिट्टी के बर्तन) और जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (कठुआ और सांबा में कटिंग व टेलरिंग तथा फैब्रिक आर्ट और अनंतनाग और बांदीपोरा में कालीन बुनाई) में पिछड़े वर्गों के 350 सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए रू. 78.67 लाख की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने भारतीय उद्यमिता संस्थान, जम्मू–कश्मीर महिला विकास निगम, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान और त्रिपुरा ओ.बी.सी. सहकारी विकास निगम लिमिटेड को रू. 38.29 लाख की राशि जारी की है। कुल मिलाकर, निगम ने रू. 4,27,80,573/– स्वीकृत किए हैं तथा इस योजना के तहत 31.03.2022 तक रू. 2,43,80,463/– जारी किए।

21.3 कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान योजना (पी.एल.जी.आई.ए.)

I) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफडी.सी.) चैनल सहभागियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान–सहायता (पी.एल.जी.आई.) योजना के तहत एस.सी.ए. को अनुदान प्रदान कर रहा है।

ii) सहायता की मात्रा सामान्य रूप से एक वर्ष में जारी धनराशि के 1% तक सीमित है, अधिकतम रू. 10 लाख प्रति वर्ष की सीमा में।

वर्ष के दारैान निगम ने इस याजेना के अन्तर्गत 14 चनैल सहभागियों को रू.106.24 लाख की धनराशि वितरित की है।

21.4 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पायलट आधार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संवेदनशील कार्य एन.बी.सी.एफडी.सी. को इस उद्देश्य से सौंपा है कि वे अपने कौशल को उन्नत कर सकें तथा आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को आरंभ कर सकें अथवा वेतन या स्वरोजगार में लाभप्रद रूप से कार्यरत हो सकें। निगम ने मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और नोयडा में ट्रांसजेंडर समुदाय के 181 सदस्यों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लगभग 111 प्रशिक्षुओं को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एनएमआरसी, एनएसएफडीसी, विप्रो, सोडेक्सो, वॉलमार्ट, पेरीफेरी, टोवो चेन्नई और फ्रैंकलिन टेम्लेटन में नियोजित किया गया है।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी के उद्देश्य से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की योजनाओं का लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक अवस्था पर प्रभाव के आकलन पर समुचित बल देता है। चैनल सहभागियों को समय–समय पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने और मूल्यांकन अध्ययन निगम की टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने की भी सलाह दी जाती है। स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव के आकलन के लिए समय–समय पर चल रही योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, निगम ने कुल 1600 लाभार्थियों के नमूना आकार हेतु मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा, जिसमें

During the year, the Corporation has assigned the work of evaluation studies for a total sample size of 1600 beneficiaries which includes credit and non-credit schemes. The study of credit scheme was awarded in the UT of Jammu & Kashmir for 900 beneficiaries which covers 450 beneficiaries each of two SCAs i.e. Jammu & Kashmir Women's Development Corporation & Jammu & Kashmir (SC / ST / OBC) Development Corporation. The study of non-credit scheme was awarded in the state of Kerala for 700 beneficiaries.

The above studies are being conducted through Ramanujan College, University of Delhi & Dr. Ambedkar Chair. Outcomes and action taken on the Evaluation Reports where final reports were received in 2021-22 are enclosed at **Annexure–8** (Page No. 56-66).

23. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its channel partners has sponsored/organized Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, due to COVID-19, NBCFDC and its channel partners have been able to organize 41 Awareness Camps in the States of Kerala, Tripura and Uttar Pradesh. The officials of the Corporation/channel partners also attended the camps & facilitated the target group in understanding the schemes. During the last seven years, NBCFDC and its channel partners have organized 425 such Awareness Camps in various States.

Due to prevailing COVID-19 pandemic, proposals were invited from NBCFDC's Channel Partners for publicity of NBCFDC schemes through Digital Mediums amongst the target group. The Channel Partner of state Punjab was sanctioned grant under the Digital Awareness Programme.

NBCFDC also offered a grant of Rs.1,00,000/- each to the channel partners (Banks) for publicity and spreading of awareness about its VISVAS Yojana (Vanch itIkai Samooh aur Vargon ko Aarthik Sahayata Yojana) through Digital Medium. Punjab Gramin Bank, Madhya Pradesh Gramin Bank and Chhattisgarh Rajya Gramin Bank were sanctioned the grant for the same.

24. MAIN EVENTS DURING 2021-22

24.1 Regional Review Meetings

Due to COVID-19 pandemic restrictions, the Corporation organized 03 Regional Review Meetings for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of Northern Region on 27.05.2021, Southern Region on 30.07.2021 and for Eastern & Western Region on 02.08.2021 through Video Conferencing (VC) to review the performance of SCAs.

In addition, meetings were routinely organized with the State Channelizing Agencies, Banks, Government Training Institutions and Sector Skill Council to update them on our financing & skilling Schemes & also take their feedback.

24.2 Exhibitions/Fairs/Melas

i) India International Trade Fair (IITF) – 2021

The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at 40th India International Trade Fair, 2021 (IITF 2021) from 14th November, 2021 to 27th November, 2021. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes through the Channel Partners. Wherein, NBCFDC participated through 21 beneficiaries assisted under its schemes, nominated by the Channel Partners making quality products from 11 states and 15 Channel Partners are participated in the program exhibiting and selling their products which included Natural Fiber Handicrafts (Screwpine & Water hyacinth), Ceramic products, Bamboo based Handicrafted Natural Flower Based broom, Pappad, pickles Aampapad, Kutch Craft,

क्रेडिट एवं नॉन–क्रेडिट योजनाएं शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 900 लाभार्थियों के लिए क्रेडिट योजना का अध्ययन प्रदान कार्य सौंपा, जिसमें दो एससीए अर्थात जम्मू एवं कश्मीर वीमेन विकास निगम और जम्मू एवं कश्मीर (एस.सी./एसटी/ओबीसी) विकास निगम में से प्रत्येक के 450 लाभार्थी शामिल हैं। केरल राज्य में 700 लाभार्थियों के लिए नॉन– क्रेडिट योजना का कार्य सौंपा गया था।

उपरोक्त अध्ययन रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉ. अम्बेडकर चेयर के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में प्राप्त अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणाम एवं कृत कार्रवाई का विवरण **संलग्नक–8** (पृष्ठ सं. 56–66) पर उपलब्ध है।

23. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार एवं जागरूकता:

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, कोविड–19 के कारण, एन.बी.सी.एफ. डी. सी. और इसके चैनल सहभागी केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 41 जागरूकता शिविर आयोजित करने में सफल हुए हैं। निगम के अधिकारियों, चैनल सहभागियों ने भी शिविरों में भाग लिया और योजनाओं को समझाने के लिए लक्षित समूहों को सुविधा प्रदान की। पिछले सात वर्षों के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं उसके चैनल सहभागियों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के 425 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

व्याप्त कोविड–19 महामारी के कारण, लक्षित समूह के बीच डिजिटल माध्यमों के जरिए से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के प्रचार के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के चैनल सहभागियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। पंजाब राज्य के चैनल सहभागी को डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी।

एनबीसीएफडीसी ने डिजिटल माध्यमों के जरिए से अपनी विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना) के बारे में प्रचार एवं जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्रत्येक चैनल सहभागियों (बैंकों) को रू. 1,00,000/– का अनुदान देने की पेशकश की। इसके लिए पंजाब ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को अनुदान स्वीकृत किया गया।

24. वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य आयोजन

24.1 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें

कोविड–19 महामारी के प्रतिबंधों के कारण, निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस. सी. ए.) के प्रबंध निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 03 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की। एस.सी.ए. के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए दिनाँक 27.05.2021 को उत्तरी क्षेत्र की, दिनाँक 30.07.2021 को दक्षिणी क्षेत्र और 02.08.2021 को पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र की समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें हमारी वित्त पोषण और कौशल योजनाओं के बारे में अद्यतन किया जा सके और उनकी प्रतिक्रिया भी ली जा सके।

24.2 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

i) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2021

निगम ने 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 (आई.आई.टी.एफ. 2021) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर, 2021 से 27 नवंबर, 2021 तक आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों अर्थात् एनबीसीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी और एनएसएफडीसी ने इस कार्यक्रम में चैनल भागीदारों के माध्यम से अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित कर भाग लिया। जिसमें एन.बी.सी.एफ. डी.सी. ने 11 राज्यों के 15 चैनल सहभागियों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाने वाले 21 सहायता प्राप्त लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम में प्रदर्शन एवं बिक्री की गई; उत्पादों में प्राकृतिक फाइबर हस्तशिल्प (स्क्रूपाइन और जलकुंभी), सिरेमिक उत्पाद, बांस आधारित हस्तशिल्प, प्राकृतिक फूल आधारित झाड़ू, पापड़, अचार, आमपापड़,

Batik, Tie & dye, PochampallySarees& Dress material, Assam handicraft, Muga Silk products, Brass Handicrafts, Honey and Horticulture products, Bandhni, Gujarati Handicraft, Banarsi Handloom, Cane and Bamboo, Wooden Handicrafts, Shawls, Stoles, Metal craft, Ari and Kani embroidery, etc.

ii) Surajkund International Craft Mela – 2022

The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at 35th Surajkund International Craft Mela 2022 from 19th March, 2022 to 4th April, 2022, NBCFDC was the Nodal Corporation for the event. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes through the Channel Partners. Wherein, NBCFDC participated through 47 beneficiaries assisted under its schemes, nominated by the Channel Partners making quality products from 13 states and 18 Channel Partners are participated in the exhibition and selling their products which include Handmade Food Products Katputli Sale & Manufacturing, Fancy Jutti, Wooden & marble Handicraft, Patchwork & textile, Wooden Toys & Textile, Panchdhatu products, Block Print Saree, Suit & Dress Material, Artificial Jewelry Work, Embroidery & crochet, Cane and Bamboo products, Terracotta Patchwork & textile Garments, Rose Wood Inlay Work, Pochampally Sarees, Ceramic Products, Jute, Aipan, Moonj Grass, Artificial Jewellery, Phulkari work, Jewellery Craft, Brass Handicraft items and Pickles etc.

25. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owed by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2021-22.

26. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/data received from SCAs/CPs/Tis.

27. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Human Resource & CSR(Planning), Project, Finance & Company Affairs, Skill Development and Administration / IT Department are operating with bare minimum staff of 53 (fifty three) employees as on 31.03.2022, inspite of continued increase in the volume of work of the Corporation able to reach to the gross root level beneficiaries. Out of the total manpower of the Corporation 53 employees 09 belongs to SC category, 01 ST Category and 13 belongs to OBC category, one Ex- Serviceman and one PWD person there is no backlog vacancy exists in any cadre. Corporation is following the reservation policy and guidelines issue by Department of Enterprise, Ministry of Heavy Industries, Government of India.

Corporation strongly believes in development of human resources in order to achieve the goals, targets, 20 (Twenty) officers and staff were deputed for 15 (Fifteen) various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

कच्छ शिल्प, बटिक, टाई और डाई, पोचमपल्ली साड़ी व ड्रेस सामग्री, असम हस्तशिल्प, मुगा रेशम उत्पाद, पीतल हस्तशिल्प, शहद व बागवानी उत्पाद, बंधनी, गुजराती हस्तशिल्प, बनारसी हथकरघा, बेंत व बांस, लकड़ी के हस्तशिल्प, शॉल, स्टोल, धातु शिल्प, आरी और कनी कढ़ाई इत्यादि शामिल थे।

ii) सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला – 2022

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 मार्च, 2022 से 4 अप्रैल, 2022 तक 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 में भाग लिया, इस आयोजन के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को नोडल निगम बनाया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सभी 03 शीर्ष निगमों अर्थात् एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चैनल सहभागियों के माध्यम से अपनी योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित किया। जिसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त 47 लाभार्थियों के माध्यम से भाग लिया गया जो 13 राज्यों के 18 चैनल सहभागियों द्वारा नामित गुणवत्तायुक्त उत्पाद तैयार करने वाले लाभार्थियों द्वारा अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु भाग लिया। इन उत्पादों में हाथ से बने खाद्य उत्पाद, कठपुतली की बिक्री, फैंसी जुट्टी, लकड़ी एवं पत्थर के हस्तशिल्प, पैचवर्क एवं टेक्सटाइल, लकड़ी एवं कपड़ों के खिलौने, पंचधातु से बने उत्पाद, ब्लॉक प्रिंट साड़ियाँ–सूट एवं ड्रेस मैटेरियल, कृत्रिम आभूषण, इम्ब्राडरी एवं क्रोचेट, बेंत एवं बांस के उत्पाद, टेराकोटा पैचवर्क एवं टेक्सटाइल गारमेंट, रोजवूड इनले वर्क, पोचम्पल्ली साड़ियाँ, मिट्टी के उत्पाद, जूट, एपिन, मूंज घास के उत्पाद, फुलकारी कार्य, ज्वैलरी क्राफ्ट, पीतल हस्तशिल्प के उत्पाद एवं अचार इत्यादि सम्मिलित थे।

25. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के आदेश, 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति, सभी केन्द्रींय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाना अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के आधिपत्य की एम.एस.ई. से 20% में से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के 2012 के आदेश के अनुपालन में आपके निगम ने वर्ष 2021–22 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

26. आधार अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा–7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सीपी) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी/डेटा प्रदान कर रहा है।

27. मानव संसाधन प्रबंधन

लगातार बढ़ते कार्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए निगम के क्रियाशील विभाग जैसे– मानव संसाधन एवं सी.एस.आर. (योजना), परियोजना, वित्त व कम्पनी कार्य, कौशल विकास और प्रशासन/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम स्टाफ 53 (तिरपन) के साथ कार्य कर रहे हैं। निगम के कुल 53 कर्मचारियों में 09 अनुसूचित जाति वर्ग, 01 अनुसूचित जनजाति व 13 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से, 01 (एक) भूपपूर्व सैनिक एवं 01 (एक) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है। किसी भी कैडर में कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के विकास में दृढ़ विश्वास रखता है। 20 (बीस) अधिकारियों और कर्मचारियों को घटनाक्रम से बराबर अगवत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन करने हेतु 15 (पन्द्रह) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

27.1 Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the committee consisting of :-

(i) Smt. Anupama Sood, SGM (Proj.)	- Presiding Officer
(ii) Shri V. R. Chary, SGM (HR & CSR)	- Member
(iii) Shri Ajit Kumar Samal, SGM (Fin.) & C.S	- Member
(iv) Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO Representative	- Member
(v) Smt. Neelam Mudgal, Manager (Proj/Fin)	- Member
(iv) Smt. Saramma Thomas, Officer	- Member Secretary

The aggrieved women employees have to submit her complaints to the committee. During the financial year 2021-22, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

28. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard on 15 June 2018. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

29. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time. During the year, 'Hindi Pakwada' & 'Hindi Diwas' were observed in the month of September. Winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Alongwith Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E and to NARAKAS through online portal or in prescribed format. Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith various Hindi Classes to develop the competencies for working in Hindi. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Subhasini' during the year.

During the reporting year, the Corporation organized 'Hindi Seminar', and Swarachit Hindi Kavita Patha Competition under the aegis of NARAKAS, Delhi (Upkram-2). For these events, the Corporation was awarded Shield by NARAKAS. Beside this, Rajbhasha Adhikari of the Corporation was also awarded for his special contribution for the promotion of Official Language.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2021-22 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

27.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतः असहिष्णु है एवं निगम ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं शिकायतों के निवारण सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

(I)	श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबन्धक (परि.)	– पीठासीन अधिकारी
(ii)	श्री वी.आर.चारी, वरि. महाप्रबन्धक (मा.स.–सी.एस.आर.)	– सदस्य
(iii)	श्री अजित कुमार सामल, वरि. महाप्रबन्धक (वित्त.)/ कम्पनी सचिव.	– सदस्य
(iv)	श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि.	– सदस्य
(v)	श्रीमती नीलम मुदगल, प्रबन्धक (परि./वित्त)	– सदस्य
(iv)	श्रीमती सारम्मा थॉमस, अधिकारी	– सदस्य सचिव

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

28. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस./आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

तथापि, आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है, साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढ़ांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

29. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

निगम दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय–समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा 'हिन्दी दिवस' मनाए गए थे। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग हेतु हिन्दी सॉफ्टवेयर 'सारांश' के साथ–साथ गूगल इनपुट टूल संचालित किए गए हैं।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मत्रांलय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रांलय एवं नाराकास को तिमाही/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट ऑन–लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गई। हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ साथ विभिन्न हिन्दी कक्षाएं आयोजित की गई। वर्ष के दौरान निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रकाशन किया गया है।

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में 'हिंदी संगोष्ठी' तथा स्व–रचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इन आयोजनों के लिए निगम को नराकास द्वारा शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिकारी को नराकास द्वारा राजभाषा के संवर्धन के लिए उनके विशेष योगदान हेतु भी सम्मानित किया गया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यक्रम में कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

30. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/ Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC).During the financial year 2021-22 all complaints/applications have been disposed off within the specified time limits.

31. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 26th October, 2021 to 1st November, 2021 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and also notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

32. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2020-21

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Excellent'. The performance of the Corporation has been rated as “Excellent” with a score of 95.85 for the financial year 2020-21 by DPE through IMC meeting minutes vide OM No. M-01/0047/2020-DPE (MoU) dated 15th December 2021 and DPE OM No. M-03/0011/2021-DPE (MoU) dated 18th January 2022.

33. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

34. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s M A P & ASSOCIATES (DE2479), Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2021-22. The Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2021-22 and submitted their report.

35. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2021-22 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments as per Companies Act, 2013.

36. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure- 9** (Page No. 67-72).

37. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link http://www.nbcfdc.gov.in.

38. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2022, there are Six Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took have place in the composition of the Board of Directors:

- Sh. R. V. Ramakrishna, GM, NABARD was appointed as part time Director on 17.08.2021 in

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2021—22 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

31. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवम्बर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय—समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

32. समझौता ज्ञापन 2020—21 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा है और स्व—मूल्यांकन के आधार पर निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा में निगम की उपलब्धि 'उत्कृष्ट' श्रेणी में थी। डीपीई द्वारा आईएमसी मीटिंग मिनट्स के माध्यम से दिनांक 15 दिसंबर 2021 के का.ज्ञा.सं. एम—01/0047/2020—डीपीई (एमओयू) और 18 जनवरी 2022 के डीपीई के का.ज्ञा.सं.एम—03/0011/2021—डीपीई (एमओयू) के तहत वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए निगम के प्रदर्शन को 95.85 के स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' स्कोर मिला है।

33. ऊर्जा संरक्षण,प्रोद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गए कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

34. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2021—22 के लिए मैसर्स एम.ए. पी. एण्ड एसोशिएट्सं (डीई2479), चाटर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2021—22 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2021—22 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

36. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता,पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वंय का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद द्वारा कारपोरेट प्रशासन पर जारी किया गया प्रमाण—पत्र **अनुलग्नक—9** (पृष्ठ सं. 67—72) पर उपलब्ध है।

37. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) जो कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट http://www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है।

38. निदेशक मण्डल

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में छः निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैः

- श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड को श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड के स्थान पर

place of Sh. Vivek Krishna Sinha, GM,NABARD.

- Sh. Sanjay Kumar Singh, Director was appointed as part time non-official Director (Independent) w.e.f. 17.11.2021.
- Smt. Pinki Kumari, Director was appointed as part time non-official Director (Independent) w.e.f. 13.12.2021.

The Board welcomes Shri R.V. Ramakrishna, GM, NABARD, Smt. Pinki Kumari, NOD and Shri Sanjay Kumar Singh, NOD as Director(s) on the Board of NBCFDC. The Board also places on record its appreciation for the valuable guidance given by Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD and Mr. Pravir Krishna, MD, TRIFED to the management of your Corporation during their tenure as part-time Director(s). Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

S.No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Rajnish K. Jenaw,MD,NBCFDC	Managing Director	01.04.2021	Till date
2.	Shri Sanjay Pandey, JS&FA,SJ&E	Director	15.05.2019	-do-
3.	Dr. Subhransu Sekhar Acharya, GM SIDBI	Director	21.11.2018	-do-
4.	Shri. R.V. Ramakrishna, GM, NABARD	Director	17.08.2021	-do-
5.	Smt. Pinki Kumari, NOD	Director	13.12.2021	-do-
6.	Shri Sanjay Kumar Singh, NOD	Director	17.11.2021	-do-
7.	Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD	Director	13.01.2020	28.07.2021
8.	Shri Pravir Krishna, MD, TRIFED	Director	04.08.2017	31.12.2021

39. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

40. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial

दिनांक 17.08.2021 से अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

- श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक को दिनांक 17.11.2021 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त किया गया।
- श्रीमती पिंकी कुमारी, निदेशक को दिनांक 13.12.2021 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक(स्वतंत्र) नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक एवं श्री संजय कुमार सिंह, गैर–सरकारी निदेशक का एन.बी.सी.एफ. डी.सी. के निदेशक मण्डल में स्वागत करता है। श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड एवं श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राईफेड के अंशकालिक निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मण्डल उनकी प्रसंशा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	01.04.2021	अब तक
2	श्री संजय पांडेय,संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	15.05.2019	यथोक्त
3	डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी	निदेशक	21.11.2018	यथोक्त
4	श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	17.08.2021	यथोक्त
5	श्रीमती पिंकी कुमारी, एन.ओ.डी.	निदेशक	13.12.2021	यथोक्त
6	श्री संजय कुमार सिंह, एन.ओ.डी.	निदेशक	17.11.2021	यथोक्त
7	श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	13.01.2020	28.07.2021
18	श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	04.08.2017	31.12.2021

39. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

I वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

ii यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;

iii निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

iv निगम के वार्षिक लेखे निदेशकों द्वारा प्रचलित मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं;

v निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

vi लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त हैं व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

40. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) जो कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक), नियमावली 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित है, के अन्तर्गत निगम का कोई भी

Personnel) Rules, 2014.

41. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

42. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178;

c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

e) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

43. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

41. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अभिप्राय में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया।

टिप्पणी सं. 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक—24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

42. सामान्यः

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं हैः

क) धारा 149 की उप—धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

ख) धारा 178 की उप—धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप—धारा (3) में दिया गया है;

ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

घ) लाभांश के रूप में अनुशंसित राशि का भुगतान, यदि कोई हो,

ङ) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मूर्त आदेश पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

43. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनको अभिलेखित करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/—	ह0/—
(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

ANNEXURE - 1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operativeFinance Corporation Ltd.,

   4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar,NTR Road, Tadigadapa, Vijayawada-521 134

2. StreeNidhi Credit Co-Operative Federation..

   2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013, Andhra Pradesh.

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.,

   1st floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati, Assam- 781008.

4. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,

   Dr. B.K. Kakoty Road, Gopinath Nagar, Guwahati, Assam-781 016.

5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,

   NEDFi House,G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,

   4th Floor, Sone Bhawan,Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,

   Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,

   T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangan, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh.

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn.

   Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,

    4th Floor, Patto Centre,Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403 001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn.,

    Block NO.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar, Gujarat-382 010.

12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,

    Block No.7, Third Floor, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, GUJARAT-382 010.

13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,

    Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat-382 010.

14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,

    Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,

    SCO No. 813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160 022.

HIMACHAL PRADESH

16. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,

    Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176 001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.

    May to October

    Exchange Road, Near Red Cross Office, Srinagar-190 001.

    Nov. to April

    715-A, Last Morh,Gandhi Nagar,Jammu-180004.

18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation.

    May to October

    Block No.- A, First Floor, Old Secretariat,Srinagar-180001.

    Nov. to April

    Hall No.6-B, 2nd Floor, Auqaf Complex, Gandhi Nagar, Jammu-180004.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,

    1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn.,

    No.16-D, 4th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bund Area,V asanthnagar, Bangalore, Karnataka-560 052.

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि
चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कालेज के सामने, पदमजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टडीगड़डपा, विजयवाड़ा – 521134
2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन
द्वितीय तल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा–520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आटीर्जन्स को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0,
प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टफेड रेहवरी कॉम्पलेक्स), ए. के. आजाद रोड़, रेहबरी, गुवाहाटी, असम– 781008
4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी –781016,

असम

5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि0,
नेडफी हाउस, जी.एस. रोड़ , दिसपुर , गुवाहाटी–781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001, बिहार

चंडीगढ

7. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एडिशलन टाउन हॉल बिल्डिग, तृतीय तल, सेक्टर –17 सी, चंडीगढ़–160017

छत्तीसगढ

8. छत्तीसगढ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,
टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर–24, न्यू रायपरु, अटल नगर, छत्तीसगढ–492101

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी–403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन
ब्लॉक न. –11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
ब्लॉक न.–7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, सेक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
ब्लॉक न. –16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात
14. गुजरात नौमेडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ब्लॉक न. –19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम
एस.सी.ओ. सं. 813–14, सेक्टर–22–ए, चंडीगढ़ –160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश –176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर
एक्सचैंज रोड, नियर रेड क्रास ऑफिस, श्रीनगर–190001
नवम्बर से अप्रैल
715–ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू–180004
18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर
ब्लाक–ए, पथम तल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर–180001
नवम्बर से अप्रैल
हॉल न. 6–बी, द्वितीय तल, एक्वाफ कॉम्पलेक्स, गाँधी नगर, जम्मू–180004

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलैक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड–834008

कर्नाटक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स. 16–डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बंद एरिया, बसंतनगर, बैंग्लोर–560052, कर्नाटक

21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,

    16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore-560 052

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.,

    'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.

23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,

    Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695 001.

24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,

    "SENTINEL", 2nd Floor,T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram,Kerala-695 035.

25. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED),

    Kamaleswaram,Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 009.

26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.),

    Near Railway Station, Nagampadom, Kottayam, Kerala-686002.

27. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd.,

    "Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695 122.

28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd., "BASANT" T. C. 20/2170,Opp. Manmohan Bungalow, Kowdiar P.O.,Thiruvananthapuram,Kerala-695 003.

MADHYA PRADESH

29. Sant Ravidas Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam,

    Hastshilp Bhawan, 03, Hamidia Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462 001

30 Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam

    Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, 1st Floor, 35 Shyamla Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462 002

MAHARASHTRA

31. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.,

    Administrative Building, 4th Floor,Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra-400 071.

32. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,

    25N,Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W),Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

33. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,

    Qrs. No. A/6, Unit-5,Near Rajib Bhawan,Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

34. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,

    No.1, VIII Cross St.,Anna Nagar, Nellithope,Puducherry-605 005.

PUNJAB

35. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation,

    SCO No. 60-61,Sector-17 A,Chandigarh, Punjab-160 017.

RAJASTHAN

36. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,

    2nd Floor,Nehru Sahkar Bhawan,Nr. 22, Godaam,Jaipur, Rajasthan- 302 005.

SIKKIM

37. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.

    (SABCCO),

    Sonam Tshering Marg (Kazi Road), Gangtok-737 101, Sikkim

TAMIL NADU

38. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,

    1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TELANGANA

39. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd.

    Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B, My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderabad -500063 Telangana

TRIPURA

40. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.,

    Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W),Agartala,Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

41. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,

    4th Floor, (South Wing), PCF Building,32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226 001.

42. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,

    10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

43. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,

    Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

West Bengal

44. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,

    H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1,Salt Lake,Kolkata, West Bengal-700 064.

45. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,

    'AMBER', DD-27/E, Sector-1,Salt Lake City,Kolkata,West Bengal-700 064.

21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., सं. 16–डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर–560052, कनार्टक

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पो.आ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल
23. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि0, पो. बाक्स. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम–695001, केरल

केरल

24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर, वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल
25. केरल स्टेट को–आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमेंट लि0 (मत्स्यफैड), कमलेश्वरम्, मानाकोड पो. ओ., तिरूअनंतपुरम – 695009, केरल
26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडेड कम्युनिटिज लि0, रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम –686002, केरल

केरल

27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0 "केलपाम",'कुम्भुमविला, अरायूर पो.ओ., कोट्टायम–695122, केरल
28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, "बसन्त टी. सी. 20/2170, मनमोहन बंग्लो, कोडियार पी. ओ., तिरुअनंतपुरम– 695003, केरल

मध्य प्रदेश

29. संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम हस्तशिल्प भवन, 03, हमिदिया रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश–462001
30. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम राजीव गाँधी भवन, परिसर–2, प्रथम तल, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश–462 002

महाराष्ट्र

31. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर मार्ग, चैम्बूर(ई), मुम्बई–400071, महाराष्ट्र
32. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 25–एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड़ न.–9, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले–पारले स्कीम (वेस्ट), मुम्बई–400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

33. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. ए/6, यूनिट–5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर –751001, ओड़ीसा

पुड्डूचेरी

34. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुड्डूचेरी–605005

पंजाब

35. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. सं. 60–61, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़–160017, पंजाब

राजस्थान

36. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान–302005

सिक्किम

37. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक –737101, सिक्किम

तमिलनाडु

38. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गंगूरेड्डी सबवे), चेन्नई–600008, तमिलनाडु

तेलंगना

39. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि. फ्लैट सं, 401, 402, 5–9–22 / बी, मेरा घर सरोवर प्लाजा, सचिवालय रोड, सैफा बाद, हैदराबाद–500063 तेलंगना

त्रिपुरा

40. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को–आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा–799001,

उत्तर प्रदेश

41. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0., चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश
42. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0., 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –226001

उत्तराखण्ड

43. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

पश्चिम बंगाल

44. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, मुख्यालयः ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर–1, साल्ट लेक, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल
45. पश्चिम बंगाल माइनोरिटिज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, 'अम्बर', डी.डी 27/ई, सेक्टर–1, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
LIST OF BANKS (RRBs/PSBs)

1. **Bank of Baroda**
   Baroda Bhavan 3rd Floor,R.C. Dutta Road, Vadodara-390 007, (Gujarat) India. (Head Office)

2. **Punjab National Bank**
   Micro,Small & Medium Enterprises Division, Plot No 4, Sector -10 Dwarka New Delhi -110075

3. **Canara Bank**
   H.O. 112 J.C.Road,Banglore-560002, Karnataka

4. **Union Bank of India**
   Agri Business Department, CO Annex, Union Bank of India, Second Floor, 5-9-11 Dr. Pattabhi Bhavan, Saifabad, Hyderabad-500004

5. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
   Door No.2-5-8/1, Ram Nagar,Hanmakonda – 506001, Warangal (City & Dist.), Telangana State

6. **Andhra Pragathi Grameena Bank**
   Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram,Kadapa - 516003,Andhra Pradesh

7. **Assam Gramin Vikash Bank**
   GS Rd, Bhangagarh, Guwahati, Assam 781005

8. **Dakshin Bihar Gramin Bank**
   Shri Vishnu Commercial Complex, NH-30, New Bypass, Near BP Highway Services Petrol Pump, Asochak, Patna-800016, Bihar

9. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**
   Head Office: Mahadevghat Road Sundar Nagar, Raipur (C.G)-492013

10. **Saurashtra Gramin Bank**
    Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat

11. **Baroda Gujarat Gramin Bank**
    101 ABN Chamber, 1st floor opposite welcome hotel, RC dutta road Alkapuri Baroda-390005.

12. **Sarva Haryana Gramin Bank**
    SHGB House,Plot No.1, Sector-3,Rohtak-124001, Haryana

13. **Himachal Pradesh Gramin Bank**
    Head Office, Jail Road (Panjethi), Talyahar, Mandi, Himachal Pradesh, Pin – 175001

14. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
    Market Place 3 rd floor Zila Parishad Bhawan Ranchi PIN-834001

15. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
    204, 2nd Floor,C 21 Business Park, C 21 Square, Opposite Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore (M.P.) - 452 010

16. **Madhyanchal Gramin Bank**
    H.O. Poddar Colony, Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

17. **Maharashtra Gramin Bank**
    Plot No. 42, Growth Centre, Waluj Mahanagar Project 4, Paithan road, CIDCO, Aurangabad, 431136

18. **Manipur Rural Bank**
    Keishampat Keisham Leikai, Imphal, Manipur-795001

19. **Punjab Gramin Bank**
    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab.

20. **Rajasthan Marudhara Grameen Bank**
    Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan

21. **Telangana Grameena Bank**
    2-1-520, 2nd Floor,Vijaya Sri Sai Celestia,St.No.9, Nallakunta, Shankermutt Road, Hyderabad-500044

22. **Tripura Gramin Bank**
    Head Office: V.I.P Road Abhoynagar, Agartala, West Tripura-799005

23. **Prathama UP Gramin Bank**
    Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box NO. 446, Moradabad-244001, Uttar Pradesh (INDIA).

24. **Baroda UP Bank**
    Buddh Vihar Commercial Scheme,Taramandal, Gorakhpur (U.P.)- 273018 India

25. **Aryavart Bank**
    H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

26. **Uttarakhand Gramin Bank**
    H.O.18,New Road,Dehradun-248001, Uttarakhand

27. **Konoklota Mahila urban Co- operative Bank ltd**
    GAR ALI Swahid Konoklota Barua Smriti Bhawan, Gar-ali, Jorhat-785001

28. **J&K GRAMEEN BANK**
    Near Fruit Complex, Narwal, Jammu (J&K).

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

बैंकों की सूची (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)

1. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा भवन, तृतीय तल, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा– 390007, (गुजरात) भारत। (प्रधान कार्यालय)

2. **पंजाब नेशनल बैंक**
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिवीजन, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर– 10, द्वारका नई दिल्ली – 110075

3. **केनरा बैंक**
मुख्यालय, 112 जे.सी. रोड, बेंगलुरु – 560002, कर्नाटक

4. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट, सी.ओ. एनेक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, 5–9–11, डॉ पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद– 500004

5. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
डोर संख्या 2–5–8/1, राम नगर, हनमाकोंडा– 506001, वारंगल (शहर एवं जिला), तेलंगाना राज्य

6. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक**
मरियापुरम चर्च के पास, मरियापुरम, कडपा–516003, आन्ध्र प्रदेश

7. **असम ग्रामीण विकाश बैंक**
जी. एस. रोड, भंगगढ़, गुवाहाटी, असम 781005

8. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, एनएच–30, नया बाईपास, नेशनल हाईवे पेट्रोलपम्प के पास, अशोचक, पटना–800016, बिहार

9. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, महादेवघाट रोड सुंदर नगर, रायपुर (सी. जी.) –492013, छत्तीसगढ़

10. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, विंग–2, प्रथम तल, एल.आई.सी. जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर रोड, राजकोट–360001, गुजरात

11. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक**
101 ए.बी.एन. चैंबर, वेलकम होटल के सामने, प्रथम तल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390005

12. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
एस.एच.जी.बी. हाउस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर–3, रोहतक–124001, हरियाणा

13. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, जेल रोड (पंजेठी), तल्याहार, मंडी, हिमाचल प्रदेश, पिन – 175001

14. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**
मार्केट पैलेस, तृतीय तल, जिला परिषद भवन, रांची, पिन–834001

15. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
204, द्वितीय तल, सी–21, बिजनस पार्क, सी–21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर.–10, इंदौर (म.प्र.) – 452 010

16. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालयः पोद्दार कॉलोनी, तिली रोड, सागर– 470001, मध्य प्रदेश

17. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
प्लॉट सं.– 42, ग्रोथ सेंटर, वालुज महानगर परियोजना 4, पैठण रोड, सिडको, औरंगाबाद, 431136

18. **मणिपुर ग्रामीण बैंक**
कीशमपट कीशम लेइकाई, इंफाल, मणिपुर– 795001

19. **पंजाब ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालयः जालंधर रोड, कपूरथला– 144601, पंजाब।

20. **राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक**
तुलसी टॉवर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर– 342003, राजस्थान

21. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
2–1–520, द्वितीय तल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, नल्लाकुंटा, शंकरमट्ट रोड, हैदराबाद – 500044

22. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालयः वी.आई.पी. रोड, अभयनगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा– 799005

23. **प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, राम गंगा विहार फेज– II, पोस्ट बॉक्स नं.–446, मुरादाबाद– 244001, उत्तर प्रदेश (भारत)।

24. **बड़ौदा यूपी बैंक**
बुद्ध विहार वाणिज्यिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर (यूपी) – 273018 भारत

25. **आर्यव्रत बैंक**
मुख्यालयः ए–2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

26. **उत्तराखंड ग्रामीण बैंक**
मुख्यालयः 18, न्यू रोड, देहरादून–248001, उत्तराखंड

27. **कोनोक्लोटा महिला अर्बन को. ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**
गार अली स्वाहिद कोनोक्लोटा बरुआ स्मृति भवन, गर– अली, जोरहाट– 785001

28. **जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक**
फ्रूट कॉम्प्लेक्स के पास, नरवाल, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)।

ANNEXURE - 2

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
Lending Institution List for VISVAS Yojana Scheme

1. **State Bank of India**
   C-5, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051
2. **Punjab National Bank**
   Plot No 4, Sector -10, Dwarka, New Delhi -110075
3. **Canara Bank**
   H.O. 112 J.C.Road,Banglore-560002, Karnataka
4. **Union Bank of India**
   239, Ground Floor, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
5. **Central Bank of India**
   Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
6. **Bank of India**
   Star House, C-5 G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051, Maharashtra, India
7. **Aryavart Bank**
   H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Uttar Pradesh
8. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
   30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020
9. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**
   Mahadevghat Road Sundar Nagar, Raipur-492013, Chhattisgarh
10. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
    C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blue, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh
11. **Maharashtra Gramin Bank**
    Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33, Golwadi Village,Tal-Dist- Aurangabad Near Disha Sankriti Society. 431010
12. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
    H.O. Rajendra Place, 5 Main Road,Near Over Bridge Ranchi-834001,Jharkhand
13. **Sarva Haryana Gramin Bank**
    H.O.SHGB House,Plot No.1, Sector-3,Rohtak-124001, Haryana
14. **Punjab Gramin Bank**
    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601. Punjab.
15. **Telangana Grameena Bank**
    2-1-520, 2nd Floor,Vijaya Sri Sai Celestia,St.No.9, Shankermutt Road,Hyderabad-500044
16. **Tripura Gramin Bank**
    V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005, Tripura
17. **J&K Grameen Bank**
    Near Fruit Complex, Narwal, Jammu (J&K) -180006.
18. **Konoklota Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.**
    Head office & Gar-Ali Branch, Sahid Konoklota Baruah Memrial Bhawan, Jorhat Mariani Rd, Gar-Ali, Jorhat, Assam 785001
19. **Jana Small Finance Limited**
    The Fairway Business Park, First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL Business Park Challaghatta, Bengaluru – 560071
20. **Anik Financial Services Pvt. Ltd.**
    Sahyadri Building, Behind Amitesh Hotel Near Sainaka Ambajogai Road, Latur. 413 512.
21. **Andhra Pradesh State Co-operative Bank**
    D.No. 27-29-28 NTR Sahakara Bhavan, Help Hospital Road, Governorpet, Vijayawada- 520 002. Andhra Pradesh, INDIA.
22. **Utkarsh Small Finance Bank**
    Utkarsh Tower, NH-31 (Airport Road), Sehmalpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi -221105(U.P.) India

अनुलग्नक–2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
विस्वास योजना के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं की सूची

1. **भारतीय स्टेट बैंक**
   सी–5, जी ब्लॉक बी,के,सी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400051
2. **पंजाब नेशनल बैंक**
   प्लॉट नंबर 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली –110075
3. **केनरा बैंक**
   मुख्यालयः 112 जे.सी. रोड, बंगलौर–560002, कर्नाटक
4. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
   239, भूतल, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र–400021
5. **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
   चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, महाराष्ट्र, भारत
6. **बैंक ऑफ इंडिया**
   स्टार हाउस, सी–5 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051, महाराष्ट्र, भारत
7. **आर्यावर्त बैंक**
   मुख्यालय ए–2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश
8. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
   30–7–24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530020
9. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
   महादेवघाट रोड सुंदर नगर, रायपुर– 492013, छत्तीसगढ़
10. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    सी–21, बिजनेस पार्क, सी 21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एमआर–10, इंदौर–452010, मध्य प्रदेश
11. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालय, प्लॉट नंबरः 42, गुट नंबरः 33, गोलवाडी गांव, ताल–जिला. औरंगाबाद, दिशा संकृति सोसायटी के पास –431010
12. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालयः राजेंद्र प्लेस, 5 मेन रोड़, ओवर ब्रिज के पास, रांची–834001, झारखंड
13. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
    एच.ओ.एस.एच.जी.बी. हाउस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर –3, रोहतक–124001, हरियाणा
14. **पंजाब ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालयः जालंधर रोड, कपूरथला–144601, पंजाब।
15. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
    2–1–520, द्वितीय तल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, शंकरमट्ट, रोड, हैदराबाद–500044
16. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
    वी.आई.पी. रोड़, अभयनगर अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा–799005, त्रिपुरा
17. **जम्मू.कश्मीर ग्रामीण बैंक**
    फ्रूट कॉम्प्लेक्स के पास, नरवाल, जम्मू (जम्मू.कश्मीर)–180006
18. **कोनोकलोटा महिला अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**
    मुख्यालय एवं गर–अली शाखा, साहिद कोनोक्लोटा बरुआ स्मारक भवन, जोरहाट मरियानी रोड, गर–अली, जोरहाट, असम–785001
19. **जन स्माल फाइनेंस लिमिटेड**
    फेयरवे बिजनेस पाक, प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ई.जी.एल. बिजनेस पार्क के पास में चलघट्टा, बेंगलुरु–560071
20. **अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड**
    सहयाद्री बिल्डिंग, अमितेश होटल के पीछे होटल साइनाक अंबाजोगई रोड के पास, लातूर–413 512.
21. **आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक**
    डी.स. 27–.29–28 एन.टी.आर. सहकार भवन, हेल्प हॉस्पिटल रोड, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा–5200 002. आंध्र प्रदेश, भारत
22. **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक**
    उत्कर्ष टॉवर, एन.एच.–31 (एयरपोर्ट रोड), सहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी–221105 (यूपी) भारत

ANNEXURE - 3

National Backward Classes Finance and Development Corporation (Standalone) – MoU 2021-22

Sl. No.	Name of Parameter	Unit	Weight	Estimates For (2020-21)	Best of Legacy performance	Target 2021-22
1.	Revenue from Operations	Rs. in Crore	10			58.81
2.	Asset Turnover ratio	%	5			3.23
3.	EBITA as a percentage of Revenue	%	10			59.34
4.	Return on Net Worth	%	10			1.91
5.	Return on Capital Employed	%	5			1.86
6.	Loans disbursed to Total funds Available	%	15			100
7.	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%	10			64.66
8.	Overdue loans to Total loans (Principal Net)	%	10			2.64
9.	NPA to Total Loans	%	10			0.10
10.	Geographical coverage	%	5			100
11.	Last mile Disbursement to ultimate beneficiary	%	10			100
		Total	**100**			

Notes

- The targets are based on audited accounts for the FY - 2020-21 .
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking
- Achievement for the parameters of Loans Disbursed to Total Funds Available, Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries. Overdue loans to Total Loans , NPA to Total Loans , Geographical coverage and Last Mie disbursement to ultimate beneficiaries to be confirmed based on Annual Report of CPSE for FY 2021-22
- Proportionate marks for achievement of 50 % to 100 % Targets.
- No marks for achievement below 50.00 % of Targets
- In working out achievements for FY 2021-22 , quantified qualifications of CAG/ Statutory Auditors to be adjusted in case of overstatement of Revenue / Profit/ Surplus or understatement of Loss / Deficit

अनुलग्नक—3

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एकल) — समझौता ज्ञापन 2021—22

क्र. सं.	मापदण्ड का नाम	इकाई	भार	2020—21 के लिए अनुमानित	विशिष्ट कार्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन	2021—22 के लक्ष्य
1.	संचालन से राजस्व	रू. करोड में	10			58.81
2.	परिसंपत्तियों का टर्नओवर अनुपात	%	5			3.23
3.	ई.बी.आई.टी.ए. राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%	10			59.34
4.	शुद्ध मूल्य पर वापसी	%	10			1.91
5.	विनियोजित पूंजी पर वापसी	%	5			1.86
6.	कुल उपलब्ध निधियों से ऋण वितरण	%	15			100
7.	सूक्ष्म वित्त के लाभार्थियों को ऋण वितरण	%	10			64.66
8.	कुल ऋणों का बकाया ऋण (शुद्ध मूलधन)	%	10			2.64
9.	कुल ऋणों का एन.पी.ए.	%	10			0.10
10.	भौगोलिक आच्छादन	%	5			100
11.	अंतिम लाभार्थी को अन्ततः वितरण	%	10			100
		योग	**100**			

टिप्पणियाँ:

- वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए लक्ष्य, लेखा परीक्षित खातों पर आधारित हैं।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विजन पर भी विचार किया जाता है।
- उपलब्ध निधियों से ऋण वितरण, सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित ऋण, कुल ऋणों के अतिदेय ऋण, कुल ऋणों का एन. पी. ए., भौगोलिक आच्छादन या मापदण्ड। और अंतिम लाभार्थियों को अन्ततः वितरण उपलब्धि हेतु वित्तीय वर्ष के लिए सी. पी. एस. ई. की वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 के आधार पर मापदण्डों की पुष्टि की जानी होती है।
- 50% से 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्य के 50.00% से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए उपलब्धियों की गणना में, सीएजी/सांविधिक लेखा परीक्षकों की मात्रात्मक योग्यता को राजस्व/लाभ/अधिशेष या हानि/घाटे को कम बताने के मामले में समायोजित किया जाना है।

Compliance parameters for 2021-22

Sl. No.	Parameters	Marks	Source/Verification
1	25% of Total Procurement from GeM portal: (Procurement of goods and services through GeM portal during the year as per GeM)/Total procurement of goods and services during the previous year as per Sambandh portal)*100	-2	Administrative Ministry on the basis of GeM portal and Sambandh portal
2	DPE guidelines on select matters i) Pay Revision guidelines and review of profitability of CPSEs for pay revision ii) Expenditure Management Economy Measure and Rationalisation of Expenditure iii) Guidelines on Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) iv) Guidelines on implementation of Apprenticeship Act, 1961 v) Guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs	-2	Administrative Ministry on the basis of CAG Reports etc.
3	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG / Statutory /Secretarial Auditor Report (s)
4	Target as given by DIPAM /NITI Aayog: i. Dividend Payout ii. Assets Monetization Milestones iii. Specific Disinvestment Milestone	-2	Administrative Ministry on the basis of confirmation from DIPAM /NITI Aayog.
5	Procurement and timely payment to Micro Small and Medium Enterprises (25% of Procurement of goods or services through MSEs (including 4% from SC/STMSEs and 3% from Women MSEs) during the year as per Samband Portal)/ (Total procurement goods and services during the year as per Samband Portal)	-2	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry. Administrative Ministry.	-1	Confirmation by the Administrative Ministry.

Sd/-
CMD/MD, National Backward Classes Fin. & Dev. Corp.
Date: 03 January, 2022

Sd/-
Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment
Date: 03 January, 2022

2021–22 हेतु अनुपालन मापदण्ड

क्र. सं.	मापदण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1.	जे.ई.एम. पोर्टल से कुल खरीद का 25% (जे.ई.एम. के अनुसार वर्ष के दौरान जे.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान माल और सेवाओं की कुल खरीद)*100	–2	जे.ई.एम. पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2.	चुनिंदा मामलों पर डी.पी.ई. के दिशा. निर्देश i) वेतन संशोधन दिशा–निर्देश और वेतन संशोधन के लिए सी.पी.एस.ई. की लाभप्रदता की समीक्षा ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और तर्कसंगत व्यय iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशा–निर्देश iv) अप्रेन्टिसशिप अधिनियम 1961 के कार्यान्वयन पर दिशा–निर्देश v) सी.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. व्यय पर समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश।	–2	सी.ए.जी. रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूसूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम के प्रावधानों का अनुपालन जैसेः (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) निदेशक मण्डल की समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	–3	सी.ए.जी./सांविधि/ सेक्रेटेरियल आडिटर रिपोर्ट (रिपोर्टों) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	डी.आई.पी.ए.एम./नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्यः i. लाभांश भुगतान ii. संपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन iii. विशिष्ट विनिवेश माइलस्टोन	–2	डी.आई.पी.ए.एम./नीति आयोग से प्रशासनिक मंत्रालय के आधार पर
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खरीद और समय पर भुगतान (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद का 25% जिसमें एस.सी./एस.टी. एम.एस.ई. से 4% और महिला एम.एस.ई. से 3% सम्मिलित है)/ (माल की कुल खरीद और सांबंद पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान सेवाएं)	–2	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	सी.पी.एस.ई. में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	–1	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि

ह0/–
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड कॉरपोरेशन.,
दिनांकः 03 जनवरी, 2022

ह0/–
सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिनांकः 03 जनवरी, 2022

ANNEXURE - 3.1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
Ministry of Social Justice and Empowerment (M/O SJ & E) 2021-22
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Target for the year	Achievement as on 31/03/2022	Raw Score
PART- A						
				Excellent 100%		
I	Revenue from Operations (Net of Taxes)	Rs. Crore	5	58.81	53.21	4.52
ii	Asset Turnover ratio	%	5	3.23	2.59	4.01
iii	EBITA as a percentage of Revenue	%	10	59.34	53.64	9.04
iv	Return on Average Net Worth	%	10	1.91	1.49	7.82
v	Return on Capital Employed	%	5	1.86	1.48	3.98
	Total (Part A)		**35**			**29.37**
PART- B						
I	Loans disbursed / Total funds Available	%	15	100	99.59	14.94
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiarires as a % Total Disbursement	%	10	64.66	64.76	10.00
ii	Overdue loans/Total loans (Principal Net)	%	10	2.64	2.14	10.00
iv	NPA to Total Loans	%	10	0.10	0.32	3.10
v	Geographical coverage (No. of States /Uts) functionally covered	%	10	100	83.33	8.33
vi	Last mile Disbursement to ultimate beneficiary (% of total disbursement by 31.03.2022.)	%	10	100	97.69	9.77
	Total (Part B)		**65**			**56.14**
	Total (Part A + Part B)		**100**			**85.51**

अनुलग्नक–3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2021–22 के लक्ष्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एवं उनका निर्धारण

भाग–क						
क्र. स.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदंड	इकाई	अंक	वर्ष के लिए लक्ष्य	31.03.2022 को उपलब्धि	अपुष्ट स्कोर
				उत्कृष्ट 100%		
I	संचालन से आय (शुद्ध कर)	रु. करोड़	5	58.81	53.21	4.52
ii	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23	2.59	4.01
iii	ईबीआईटीए आय के प्रतिशत के रूप में	%	10	59.34	53.64	9.04
iv	औसत शुद्ध मूल्य पर वापसी	%	10	1.91	1.49	7.82
v	नियोजित पूंजी पर वापसी	%	5	1.86	1.48	3.98
	कुल (भाग क)		**35**			**29.37**
भाग–ख						
i	वितरित ऋण / उपलब्ध कुल धनराशि	%	15	100	99.59	14.94
ii	कुल वितरण के प्रतिशत के रूप में लघु वित्त के तहत लाभार्थियों वितरित ऋण	%	10	64.66	64.76	10.00
ii	बकाया ऋण/कुल ऋण (मूलधन शुद्ध)	%	10	2.64	2.14	10.00
iv	कुल ऋण का एनपीए	%	10	0.10	0.32	3.10
v	कार्यात्मक रूप से भौगोलिक आच्छादन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सं.)	%	10	100	83.33	8.33
vi	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि (31.03.2022 से पूर्व कुल वितरण का %)	%	10	100	97.69	9.77
	कुल (भाग ख)		**65**			**56.14**
	कुल (भाग क + भाग ख)		**100**			**85.51**

Sl. No.	Parameters	Sources/ Verifiction	Marks	Raw Score
1	25% of Total Procurement fromgeM (Procurement of goods amd services through GeM portal during the year as per GeM)/ Total procurement of goods and services during the previous year as per Sambandh portal)*100	Administrative Ministry on the basis of GeM portal and Sambandh portal	-2	0
2	DPE guidelines on select matters (1) Pay Revision guidelines and review of profitability of CPSEs for pay revision (ii) Expenditure Management Economy Measure and Rationalisation of Expenditure (iii) Guidelinees on Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) (iv) Guidelines on implementation of Apprenticeship Act, 1961 (v) Guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs	Administrative Ministry on the basis of CAG Reports etc.	-2	0
3	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 for SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Direectore (ii) Board Committees (Audit Committ etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	Administrative Ministry on the basis of CAG / Statutory /Secretarial Auditor Report (s)	-3	0
4	Target as given by DIPAM /NITI Aayog (i) Dividend Payout (ii) Assets Monetization Milestones (iii) Specific Disinvestment Milestone	Administrative Ministry on the basis of confirmation from DIPAM/NITI Aayog.	-2	0
5	Procurement and timely payment to Micro Small and Medium Enterprises (25% of Procurement of goods or services through MSEs (including 4% from SC/STMSEs and 3% from Women MSEs) during the year as per Samband Portal)/ (Total procurement goods and services during the year as per Samband Portal)	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal	-2	-2
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry.	Confirmation by the Administrative Ministry.	-1	0
Net Total of Raw Score				**83.51**

क्र. स.	मापदंड	स्रोत / सत्यापन	अंक	अपुष्ट स्कोर
1	जे.ई.एम. पोर्टल से कुल खरीद का 25%रू (जे.ई.एम. के अनुसार वर्ष के दौरान जे.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान माल और सेवाओं की कुल खरीद)*100	जे.ई.एम. पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	–2	0
2	चुनिंदा मामलों पर डी.पी.ई. के दिशा–निर्देश (i) वेतन संशोधन दिशा–निर्देश और वेतन संशोधन के लिए सी.पी.एस.ई. की लाभप्रदता की समीक्षा (ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और तर्कसंगत व्यय (iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशा–निर्देश iv) अप्रेन्टिसशिप अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर दिशा–निर्देश v) सी.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. व्यय पर समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश।	सी.ए.जी. रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	–2	0
3	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम के प्रावधानों का अनुपालन जैसेः (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) निदेशक मण्डल की समितियां बैठकें (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	सी.ए.जी./सांविधिक/सेक्रेटेरियल आडिटर रिपोर्ट (रिपोर्टों) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	–3	0
4	डी.आई.पी.ए.एम./नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्यः i. लाभांश भुगतान ii. संपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन iii. विशिष्ट विनिवेश माइलस्टोन.	डी.आई.पी.ए.एम./नीति आयोग से प्रशासनिक मंत्रालय के आधार पर	–2	0
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खरीद और समय पर भुगतान (संबंद्ध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद का 25% जिसमें एस.सी./एस.टी. एम.एस.ई. से 4% और महिला एम.एस.ई. से 3% सम्मिलित है)/(माल की कुल खरीद और सांबंद पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान सेवाएं).	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय	–2	–2
6	सी.पी.एस.ई. में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य).	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि	–1	0
अपुष्ट स्कोर का कुल योग				**83.51**

Annexure-4

STATEMENT SHOWING SCA/RRB/PSB WISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2019-20 TO 2021-22

Financial : ₹ in Lakh
Physical : No. of Beneficiaries

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2019-20	2020-21	2021-22	Cumulative as on 31.03.2022	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**					
1		**Andhra Pradesh**					
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	20116.74	360543
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	0.00	50.00	84.00	134.00	891
	1.4	Andhra Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		Sub Total (1.1 to 1.4)	**0.00**	**50.00**	**84.00**	**21534.47**	**367190**
2		**Assam**					
	2.1	Assam (Artfed)	1180.00	150.00	0.00	2410.00	7667
	2.2	Assam (BC)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**1180.00**	**150.00**	**0.00**	**3424.42**	**9211**
3		**Bihar**					
	3.1	Bihar (BC)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		**Chhattishgarh**					
	4.1	Chhattishgarh (Bahudeshiya)	0.00	0.00	50.00	1917.30	3276
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	1242.32	410.82	967.58	2620.73	1487
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**1242.32**	**410.82**	**1017.58**	**4538.03**	**4763**
5		Goa (SC/ST/BC)	130.00	50.00	40.00	2567.74	2667
6		**Gujarat**					
	6.1	Gujarat (BC)	0.00	0.00	0.00	8419.77	17281
	6.2	Guajrat (Gopalak)	200.00	200.00	0.00	4222.42	10451
	6.3	Guajrat (Thakor)	150.00	800.00	700.00	6585.01	18974
	6.4	Guajrat (Nomadic)	0.00	0.00	0.00	225.57	753
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	325
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	2000.00	1887.49	1000.10	7387.58	19380
	6.7	Gujarat (Others)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**2350.00**	**2887.49**	**1700.10**	**27385.35**	**68364**
7		**Haryana**					
	7.1	Haryana (BC)	1000.00	400.00	750.00	12102.42	45728
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	0.00	0.00	0.00	1100.00	2862
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**1000.00**	**400.00**	**750.00**	**13202.42**	**48590**
8		**Himachal Pradesh**					
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	499.88	302.00	448.00	8227.86	13023
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**499.88**	**302.00**	**448.00**	**9578.86**	**16069**
9		**Jammu & Kashmir**					
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	300.00	300.00	320.00	1441.88	3108
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	300.00	300.00	350.00	2870.60	9169
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**600.00**	**600.00**	**670.00**	**4312.48**	**12277**
10		**Jharkhand**					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	300.00	0.00	0.00	945.30	1748
	10.2	Vananchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	600.00	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**2145.30**	**4497**

अनुलग्नक–4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक–वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

वित्तीयः रू. लाख में
भौतिकः लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		**राज्य**					
1		**आंध्र प्रदेश**					
	1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	20116.74	360543
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	0.00	50.00	84.00	134.00	891
	1.4	आंध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		उप योग (1.1 से 1.4)	**0.00**	**50.00**	**84.00**	**21534.47**	**367190**
2		**असम**					
	2.1	असम (आर्टफेड)	1180.00	150.00	0.00	2410.00	7667
	2.2	असम (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	**1180.00**	**150.00**	**0.00**	**3424.42**	**9211**
3		**बिहार**					
	3.1	बिहार (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
		उप योग (3.1 से 3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		**छत्तीसगढ**					
	4.1	छत्तीसगढ़ (बहुउद्देशीय)	0.00	0.00	50.00	1917.30	3276
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1242.32	410.82	967.58	2620.73	1487
		उप योग (4.1 से 4.2)	**1242.32**	**410.82**	**1017.58**	**4538.03**	**4763**
5		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	130.00	50.00	40.00	2567.74	2667
6		**गुजरात**					
	6.1	गुजरात (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	8419.77	17281
	6.2	गुजरात (गोपालक)	200.00	200.00	0.00	4222.42	10451
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	150.00	800.00	700.00	6585.01	18974
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	0.00	0.00	0.00	225.57	753
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	325
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2000.00	1887.49	1000.10	7387.58	19380
	6.7	गुजरात (अन्य)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		उप योग (6.1 से 6.7)	**2350.00**	**2887.49**	**1700.10**	**27385.35**	**68364**
7		**हरियाणा**					
	7.1	हरियाणा (बी.सी.)	1000.00	400.00	750.00	12102.42	45728
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1100.00	2862
		उप योग (7.1 से 7.2)	**1000.00**	**400.00**	**750.00**	**13202.42**	**48590**
8		**हिमाचल प्रदेश**					
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	499.88	302.00	448.00	8227.86	13023
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		उप योग (8.1 से 8.2)	**499.88**	**302.00**	**448.00**	**9578.86**	**16069**
9		**जम्मू और कश्मीर**					
	9.1	जम्मू एवं कश्मीर (एससी)	300.00	300.00	320.00	144.88	3108
	9.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	300.00	300.00	350.00	2870.60	9169
		उप योग (9.1 से 9.2)	**600.00**	**600.00**	**670.00**	**4312.48**	**12277**
10		**झारखंड**					
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	300.00	0.00	0.00	945.30	1748
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	600.00	910
		उप योग (10.1 से 10.3)	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**2145.30**	**4497**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2019-20	2020-21	2021-22	Cumulative as on 31.03.2022	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
11		**Karnataka**					
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	1500.00	0.00	0.00	41399.19	243090
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	0.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**1500.00**	**0.00**	**0.00**	**42899.19**	**246484**
12		**Kerala**					
	12.1	Kerala (Artisan)	100.00	150.00	150.00	1130.29	3526
	12.2	Kerala (BC)	14700.00	9800.00	11700.00	131382.27	542433
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	3700.00	2600.00	3250.00	42359.82	313935
	12.5	Kerala (Handicraft)	100.00	150.00	150.00	1241.50	4178
	12.6	Kerala (Polmarah)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	3600.00	3500.00	4300.00	24538.24	66137
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**22200.00**	**16200.00**	**19550.00**	**201898.65**	**934143**
13		**Madhya Pradesh**					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	3528.07	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	5969.63	3499.49	2597.77	13848.17	12683
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**5969.63**	**3499.49**	**2597.77**	**19232.60**	**31920**
14		**Maharashtra**					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	0.00	0.00	0.00	14814.16	46760
	14.5	Maharashtra Gramin Bank	0.00	0.00	109.18	109.18	81
	14.6	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.6)	**0.00**	**0.00**	**109.18**	**24249.16**	**74427**
15		**Manipur**					
	15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		**Orissa**					
	17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**Punjab**					
	18.1	Punjab (BC)	500.00	850.00	500.00	8045.88	23674
	18.2	Punjab Gramin Bank	1000.00	1000.00	2014.00	8494.87	16622
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**1500.00**	**1850.00**	**2514.00**	**16540.75**	**40296**
19		**Rajasthan**					
	19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	1700.00	700.00	100.00	8866.88	24435
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**1700.00**	**700.00**	**100.00**	**9543.23**	**25648**
20		Sikkim (SC/ST)	200.00	0.00	0.00	2962.86	5462
21		**Tamilnadu**					
	21.1	Tamilnadu (BC)	8000.00	10700.00	8000.00	100711.94	851080
	21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**8000.00**	**10700.00**	**8000.00**	**100767.94**	**851640**

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.) / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
11		**कर्नाटक**					
	11.1	डी. देवराज उर्स (बी.सी.)	1500.00	0.00	0.00	41399.19	243090
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		उप योग (11.1 से 11.2)	**1500.00**	**0.00**	**0.00**	**42899.19**	**246484**
12		**केरल**					
	12.1	केरल (आर्टीसन)	100.00	150.00	150.00	1130.29	3526
	12.2	केरल (बी.सी.)	14700.00	9800.00	11700.00	131382.27	542433
	12.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	3700.00	2600.00	3250.00	42359.82	313935
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	100.00	150.00	150.00	1241.50	4178
	12.6	केरल (पॉलिमर)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	3600.00	3500.00	4300.00	24538.24	66137
		उप योग (12.1 से 12.7)	**22200.00**	**16200.00**	**19550.00**	**201898.65**	**934143**
13		**मध्य प्रदेश**					
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	3528.07	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	5969.63	3499.49	2597.77	13848.17	12683
		उप योग (13.1 से 13.5)	**5969.63**	**3499.49**	**2597.77**	**19232.60**	**31920**
14		**महाराष्ट्र**					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0.00	0.00	14814.16	46760
	14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	109.18	109.18	81
	14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		उप योग (14.1 से 14.6)	**0.00**	**0.00**	**109.18**	**24249.16**	**74427**
15		**मणिपुर**					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		उप योग (15.1 से 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		**उड़ीसा**					
	17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		उप योग (17.1 से 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**पंजाब**					
	18.1	पंजाब (बी.सी.)	500.00	850.00	500.00	8045.88	23674
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1000.00	1000.00	2014.00	8494.87	16622
		उप योग (18.1 से 18.2)	**1500.00**	**1850.00**	**2514.00**	**16540.75**	**40296**
19		**राजस्थान**					
	19.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	1700.00	700.00	100.00	8866.88	24435
		उप योग (19.1 से 19.2)	**1700.00**	**700.00**	**100.00**	**9543.23**	**25648**
20		सिक्किम (एससी / एसटी)	200.00	0.00	0.00	2962.86	5462
21		**तमिलनाडु**					
	21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	8000.00	10700.00	8000.00	100711.94	851080
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		उप योग (21.1 से 21.3)	**8000.00**	**10700.00**	**8000.00**	**100767.94**	**851640**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2019-20	2020-21	2021-22	Cumulative as on 31.03.2022	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
22		**Telangana**					
	22.1	Telangana Grameena Bank	0.00	0.00	0.00	44.35	32
	22.2	Stree Nidhi Credit Coop. Federation Ltd.	0.00	2400.00	0.00	2400.00	6000
		Sub Total (22.1 to 22.2)	**0.00**	**2400.00**	**0.00**	**2444.35**	**6032**
23		**Tripura**					
	23.1	Tripura (OBC)	800.00	300.00	100.00	16935.11	46742
	23.2	Tripura Gramin Bank	0.00	712.92	885.01	1597.94	2772
		Sub Total (23.1 to 23.2)	**800.00**	**1012.92**	**985.01**	**18533.05**	**49514**
24		**Uttar Pradesh**					
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	700.00	400.00	600.00	7075.00	19035
	24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
	24.5	Aryavart Gramin Bank	4000.00	2500.00	1500.00	12500.00	14344
	24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1035.00	1225
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**4700.00**	**2900.00**	**2100.00**	**29122.80**	**65171**
25		**Uttarakhand**					
	25.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	100.00	0.00	0.00	555.81	989
	25.2	Uttrakhand Gramin Bank	0.00	0.00	26.33	26.33	5
		Sub Total (25.1 to 25.2)	**100.00**	**0.00**	**26.33**	**582.14**	**994**
26		**West Bengal**					
	26.1	West Bengal (BC)	600.00	0.00	0.00	9679.02	40037
	26.2	West Bengal (Minorities)	0.00	0.00	0.00	1100.00	7564
	26.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		Sub Total (26.1 to 26.3)	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**10794.02**	**47901**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**54571.83**	**44112.72**	**40691.97**	**581467.81**	**2990601**
II.		**PSBs**					
27		Dena Bank	0.00	0.00	0.00	100.00	70
28		Bank of Baroda	4768.50	1358.18	1226.11	16348.49	19819
29		Punjab National Bank	1077.00	1065.57	2699.99	5342.56	4504
30		Union Bank of India	0.00	0.00	2499.37	2499.37	2808
		Sub Total - PSBs (27 - 30)	**5845.50**	**2423.75**	**6425.47**	**24290.42**	**27201**
III.		**UT's**					
31		Chandigarh (SC/BC)	0.00	0.00	0.00	130.37	323
32		Delhi (SC/ST/OBC)	0.00	134.00	20.00	575.38	913
33		**Puducherry**					
	33.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	33.2	Puducherry (BC)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
		Sub Total (33.1 – 33.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4522.13**	**17259**
		TOTAL - UTs (31 – 33)	**0.00**	**134.00**	**20.00**	**5227.88**	**18495**
III.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**60417.33**	**46670.47**	**47137.44**	**610986.11**	**3036297**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.) / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	31.03.2022 को संचयी संवितरण	31.03.2022 को संचयी लाभार्थियों की संख्या
22		**तेलंगाना**					
	22.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	44.35	32
	22.2	स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.	0.00	2400.00	0.00	2400.00	6000
		उप योग (22.1 से 22.2)	**0.00**	**2400.00**	**0.00**	**2444.35**	**6032**
23		**त्रिपुरा**					
	23.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	800.00	300.00	100.00	16935.11	46742
	23.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	0.00	712.92	885.01	1597.94	2772
		उप योग (23.1 से 23.2)	**800.00**	**1012.92**	**985.01**	**18533.05**	**49514**
24		**उत्तर प्रदेश**					
	24.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	700.00	400.00	600.00	7075.00	19035
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
	24.5	आर्यावृत ग्रामीण बैंक	4000.00	2500.00	1500.00	12500.00	14344
	24.6	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1035.00	1225
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		उप योग (24.1 से 24.7)	**4700.00**	**2900.00**	**2100.00**	**29122.80**	**65171**
25		**उत्तराखंड**					
	25.1	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	100.00	0.00	0.00	555.81	989
	25.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	26.33	26.33	5
		उप योग (25.1 से 25.2)	**100.00**	**0.00**	**26.33**	**582.14**	**994**
26		**पश्चिम बंगाल**					
	26.1	पश्चिम बंगाल(बी.सी.)	600.00	0.00	0.00	9679.02	40037
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0.00	0.00	0.00	1100.00	7564
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		उप योग (26.1 से 26.3)	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**10794.02**	**47901**
		कुल – राज्य (1–26)	**54571.83**	**44112.72**	**40691.97**	**581467.81**	**2990601**
II.		**पीएसबी**					
27		देना बैंक	0.00	0.00	0.00	100.00	70
28		बैंक ऑफ बड़ौदा	4768.50	1358.18	1226.11	16348.49	19819
29		पंजाब नेशनल बैंक	1077.00	1065.57	2699.99	5342.56	4504
30		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	2499.37	2499.37	2808
		उप योग – पीएसबी (27–30)	**5845.50**	**2423.75**	**6425.47**	**24290.42**	**27201**
III.		**संघ राज्य क्षेत्र**					
31		चंडीगढ़ (एससी / बीसी)	0.00	0.00	0.00	130.37	323
32		दिल्ली (एससी / एसटी / ओबीसी)	0.00	134.00	20.00	575.38	913
33		**पुडुचेरी**					
	33.1	पुडुचेरी (आदिद्रविदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	33.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
		उप कुल (33.1 से 33.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4522.13**	**17259**
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (31–33)	**0.00**	**134.00**	**20.00**	**5227.88**	**18495**
III.		**कुल योग (I + II+III)**	**60417.33**	**46670.47**	**47137.44**	**610986.11**	**3036297**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / –
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0 / –
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

ANNEXURE - 4.1

SCA/RRB/PSB/STATE WISE & SCHEME WISE LOAN DISBURSEMENT AND BENEFICIARIES ASSISTED DURING THE YEAR 2021-22

Financial : ₹ in Lakh
Physical : No. of Beneficiaries

SL. NO.		NAME OF SCAs/ STATES/Uts/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
I.		**STATES**								
1		**Andhra Pradesh**								
	1.1	Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank	3.15	1	80.85	870	0.00	0	84.00	871
		Sub Total (1.1)	**3.15**	**1**	**80.85**	**870**	**0.00**	**0**	**84.00**	**871**
2		**Chhattisgarh**								
	2.1	Chhattisgarh (SC/ST)	0.00	0	50.00	200	0.00	0	50.00	200
	2.2	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank	925.54	470	42.04	64	0.00	0	967.58	534
		Sub Total (2.1 to 2.2)	**925.54**	**470**	**92.04**	**264**	**0.00**	**0**	**1017.58**	**734**
3		**Delhi**								
	3.1	Delhi (SC/ST)	7.00	25	8.00	40	5.00	25	20.00	90
		Sub Total (3.1)	**7.00**	**25**	**8.00**	**40**	**5.00**	**25**	**20.00**	**90**
4		**Goa**								
	4.1	Goa (SC/ST/BC)	24.00	14	16.00	50	0.00	0	40.00	64
		Sub Total (4.1)	**24.00**	**14**	**16.00**	**50**	**0.00**	**0**	**40.00**	**64**
5		**Gujarat**								
	5.1	Guajrat (Thakor)	234.00	670	330.00	950	136.00	400	700.00	2020
	5.2	Saurashtra Gramin Bank	212.40	135	787.69	1237	0.00	0	1000.09	1372
		Sub Total (5.1 to 5.2)	**446.40**	**805**	**1117.69**	**2187**	**136.00**	**400**	**1700.09**	**3392**
6		**Haryana**								
	6.1	Haryana (BC)	250.00	730	460.00	1850	40.00	200	750.00	2780
		Sub Total (6.1)	**250.00**	**730**	**460.00**	**1850**	**40.00**	**200**	**750.00**	**2780**
7		**Himachal Pradesh**								
	7.1	Himachal Pradesh (BC)	43.00	125	325.00	1380	80.00	400	448.00	1905
		Sub Total (7.1)	**43.00**	**125**	**325.00**	**1380**	**80.00**	**400**	**448.00**	**1905**
8		**Jammu & Kashmir**								
	8.1	Jammu & Kashmir (SC/BC)	120.00	280	150.00	600	50.00	200	320.00	1080
	8.2	Jammu & Kashmir (Women)	80.00	335	185.00	895	85.00	395	350.00	1625
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**200.00**	**615**	**335.00**	**1495**	**135.00**	**595**	**670.00**	**2705**
9		**Kerala**								
	9.1	Kerala (Artisan)	50.00	160	50.00	250	50.00	250	150.00	660
	9.2	Kerala (BC)	2200.00	6265	7890.00	35982	1610.00	7260	11700.00	49507
	9.3	Kerala (Fisheries)	0.00	0	2450.00	12100	800.00	3550	3250.00	15650
	9.4	Kerala (Handicraft)	105.00	345	30.00	110	15.00	75	150.00	530
	9.5	Kerala (Women)	1150.00	4815	2200.00	11045	950.00	4800	4300.00	20660
		Sub Total (9.1 to 9.5)	**3505.00**	**11585**	**12620.00**	**59487**	**3425.00**	**15935**	**19550.00**	**87007**

अनुलग्नक–4.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2021–22 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/आर.आर.बी./पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

वित्तीय : रू. लाख में
भौतिक : लाभार्थियों की संख्या

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
I.		राज्य								
1		आंध्र प्रदेश								
	1.1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	3.15	1	80.85	870	0.00	0	84.00	871
		उप योग (1.1)	**3.15**	**1**	**80.85**	**870**	**0.00**	**0**	**84.00**	**871**
2		छत्तीसगढ								
	2.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	0.00	0	50.00	200	0.00	0	50.00	200
	2.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	925.54	470	42.04	64	0.00	0	967.58	534
		उप योग (2.1 से 2.2)	**925.54**	**470**	**92.04**	**264**	**0.00**	**0**	**1017.58**	**734**
3		दिल्ली								
	3.1	दिल्ली (एससी/एसटी)	7.00	25	8.00	40	5.00	25	20.00	90
		उप योग (3.1)	**7.00**	**25**	**8.00**	**40**	**5.00**	**25**	**20.00**	**90**
4		गोवा								
	4.1	गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	24.00	14	16.00	50	0.00	0	40.00	64
		उप योग (4.1)	**24.00**	**14**	**16.00**	**50**	**0.00**	**0**	**40.00**	**64**
5		गुजरात								
	5.1	गुजरात (ठाकोर)	234.00	670	330.00	950	136.00	400	700.00	2020
	5.2	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	212.40	135	787.69	1237	0.00	0	1000.09	1372
		उप योग (5.1 से 5.2)	**446.40**	**805**	**1117.69**	**2187**	**136.00**	**400**	**1700.09**	**3392**
6		हरियाणा								
	6.1	हरियाणा (बी.सी.)	250.00	730	460.00	1850	40.00	200	750.00	2780
		उप योग (6.1)	**250.00**	**730**	**460.00**	**1850**	**40.00**	**200**	**750.00**	**2780**
7		हिमाचल प्रदेश								
	7.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	43.00	125	325.00	1380	80.00	400	448.00	1905
		उप योग (7.1)	**43.00**	**125**	**325.00**	**1380**	**80.00**	**400**	**448.00**	**1905**
8		जम्मू और कश्मीर								
	8.1	जम्मू और कश्मीर (एससी/बी.सी.)	120.00	280	150.00	600	50.00	200	320.00	1080
	8.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	80.00	335	185.00	895	85.00	395	350.00	1625
		उप योग (8.1 से 8.2)	**200.00**	**615**	**335.00**	**1495**	**135.00**	**595**	**670.00**	**2705**
9		केरल								
	9.1	केरल (आर्टीशन)	50.00	160	50.00	250	50.00	250	150.00	660
	9.2	केरल (बी.सी.)	2200.00	6265	7890.00	35982	1610.00	7260	11700.00	49507
	9.3	केरल (फिशरीज)	0.00	0	2450.00	12100	800.00	3550	3250.00	15650
	9.4	केरल (हस्तशिल्प)	105.00	345	30.00	110	15.00	75	150.00	530
	9.5	केरल (वीमेन)	1150.00	4815	2200.00	11045	950.00	4800	4300.00	20660
		उप योग (9.1 से 9.5)	**3505.00**	**11585**	**12620.00**	**59487**	**3425.00**	**15935**	**19550.00**	**87007**

SL. NO.		NAME OF SCAs/ STATES/Uts/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
10		**Madhya Pradesh**								
	10.1	Madhya Pradesh Gramin Bank	2597.77	1620	0.00	0	0.00	0	2597.77	1620
		Sub Total (10.1)	**2597.77**	**1620**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2597.77**	**1620**
11		**Maharashtra**								
	11.1	Maharashtra Gramin Bank	109.18	81	0.00	0	0.00	0	109.18	81
		Sub Total (11.1)	**109.18**	**81**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**109.18**	**81**
12		**Punjab**								
	12.1	Punjab (BC)	100.00	350	300.00	1500	100.00	500	500.00	2350
	12.2	Punjab Gramin Bank	1224.20	1915	789.80	1900	0.00	0	2014.00	3815
		Sub Total (12.1 to 12.2)	**1324.20**	**2265**	**1089.80**	**3400**	**100.00**	**500**	**2514.00**	**6165**
13		**Rajasthan**								
	13.1	Rajasthan (BC)	0.00	0	100.00	500	0.00	0	100.00	500
		Sub Total (13.1)	**0.00**	**0**	**100.00**	**500**	**0.00**	**0**	**100.00**	**500**
14		**TamilNadu**								
	14.1	Tamilnadu (BC)	0.00	0	0.00	0	8000.00	38700	8000.00	38700
		Sub Total (14.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**8000.00**	**38700**	**8000.00**	**38700**
15		**Tripura**								
	15.1	Tripura (OBC)	0.00	0	100.00	500	0.00	0	100.00	500
	15.2	Tripura Gramin Bank	502.31	254	382.71	929	0.00	0	885.02	1183
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**502.31**	**254**	**482.71**	**1429**	**0.00**	**0**	**985.02**	**1683**
16		**Uttar Pradesh**								
	16.1	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	80.00	360	320.00	1460	200.00	970	600.00	2790
	16.2	Aryavart Bank	600.00	689	900.00	1500	0.00	0	1500.00	2189
		Sub Total (16.1 to 16.2)	**680.00**	**1049**	**1220.00**	**2960**	**200.00**	**970**	**2100.00**	**4979**
17		**Uttarakhand**								
	17.1	Uttarakhand Gramin Bank	26.33	5	0.00	0	0.00	0	26.33	5
		Sub Total (17.1)	**26.33**	**5**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**26.33**	**5**
		TOTAL - STATES (1 - 17)	**10643.88**	**19644**	**17947.09**	**75912**	**12121.00**	**57725**	**40711.97**	**153281**
II		**PSB's**								
18	18.1	Bank of Baroda	724.93	407	501.18	774	0.00	0	1226.11	1181
	18.2	Punjab National Bank	2699.99	2447	0.00	0	0.00	0	2699.99	2447
	18.3	Union Bank of India	2499.37	2808	0.00	0	0.00	0	2499.37	2808
		Total PSB's (18)	**5924.29**	**5662**	**501.18**	**774**	**0.00**	**0**	**6425.47**	**6436**
III		**GRAND TOTAL (I+II)**	**16568.17**	**25306**	**18448.27**	**76686**	**12121.00**	**57725**	**47137.44**	**159717**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
10		<u>मध्य प्रदेश</u>								
	10.1	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2597.77	1620	0.00	0	0.00	0	2597.77	1620
		उप योग (10.1)	**2597.77**	**1620**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2597.77**	**1620**
11		<u>महाराष्ट्र</u>								
	11.1	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	109.18	81	0.00	0	0.00	0	109.18	81
		उप योग (11.1)	**109.18**	**81**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**109.18**	**81**
12		<u>पंजाब</u>								
	12.1	पंजाब (बी.सी.)	100.00	350	300.00	1500	100.00	500	500.00	2350
	12.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1224.20	1915	789.80	1900	0.00	0	2014.00	3815
		उप योग (12.1 से 12.2)	**1324.20**	**2265**	**1089.80**	**3400**	**100.00**	**500**	**2514.00**	**6165**
13		<u>राजस्थान</u>								
	13.1	राजस्थान (बी.सी.)	0.00	0	100.00	500	0.00	0	100.00	500
		उप योग (13.1)	**0.00**	**0**	**100.00**	**500**	**0.00**	**0**	**100.00**	**500**
14		<u>तमिलनाडु</u>								
	14.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	0.00	0	0.00	0	8000.00	38700	8000.00	38700
		उप योग (14.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**8000.00**	**38700**	**8000.00**	**38700**
15		<u>त्रिपुरा</u>								
	15.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	0.00	0	100.00	500	0.00	0	100.00	500
	15.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	502.31	254	382.71	929	0.00	0	885.02	1183
		उप योग (15.1 से 15.2)	**502.31**	**254**	**482.71**	**1429**	**0.00**	**0**	**985.02**	**1683**
16		<u>उत्तर प्रदेश</u>								
	16.1	यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	80.00	360	320.00	1460	200.00	970	600.00	2790
	16.2	आर्यावर्त बैंक	600.00	689	900.00	1500	0.00	0	1500.00	2189
		उप योग (16.1 से 16.2)	**680.00**	**1049**	**1220.00**	**2960**	**200.00**	**970**	**2100.00**	**4979**
17		<u>उत्तराखंड</u>								
	17.1	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	26.33	5	0.00	0	0.00	0	26.33	5
		उप योग (17.1)	**26.33**	**5**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**26.33**	**5**
		कुल – राज्य (1–17)	**10643.88**	**19644**	**17947.09**	**75912**	**12121.00**	**57725**	**40711.97**	**153281**
II		<u>पीएसबी</u>								
18	18.1	बैंक ऑफ बड़ौदा	724.93	407	501.18	774	0.00	0	1226.11	1181
	18.2	पंजाब नेशनल बैंक	2699.99	2447	0.00	0	0.00	0	2699.99	2447
	18.3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2499.37	2808	0.00	0	0.00	0	2499.37	2808
		कुल पीएसबी (18.1 से 18.3)	**5924.29**	**5662**	**501.18**	**774**	**0.00**	**0**	**6425.47**	**6436**
III		**कुल योग (I+II)**	**16568.17**	**25306**	**18448.27**	**76686**	**12121.00**	**57725**	**47137.44**	**159717**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

Annexure-4.2

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2021-22

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2021-22	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd., 2. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd., 2. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
2.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
3.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	SCA has not submitted demand. SCA has not submitted demand. SCA has not submitted demand.
4.	Jharkhand	01	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
5.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	SCA has not submitted demand. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
6.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.

अनुलग्नक–4.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2021–22 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि0, 2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि0, 2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	बिहार	01	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
3	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लि., 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम 4. गुजरात नोमेडिक एण्ड डिनोटिफाइड ट्राइब्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लि. 3. गुजरात नोमेडिक एण्ड डिनोटिफाइड ट्राइब्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
4.	झारखण्ड	01	1. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	1. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
5.	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (;वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
6.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछरा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2021-22	Reasons
7.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd.,	As per directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
			2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
8.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
9.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd., 2. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
10.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	SCA has not submitted demand.
11.	West Bengal	02	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	SCA has unutilized amount. Govt. Guarantee is not available
12.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	SCA has not submitted demand.
13.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & huge overdues.
14.	Assam	01	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	Huge overdue.
15.	Sikkim	01	1. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.	1. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.	SCA has not submitted demand.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
7.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि।	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
			2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि	2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि।	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
8.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
9.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि 2. उ. प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
10.	उत्तराखण्ड	01	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
11.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी एवं ओबीसी विकास एवं वित्त निगम	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी एवं ओबीसी विकास एवं वित्त निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के पास अनुप्रयोग राशि है।
			2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता
12.	चंडीगढ़	01	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. एवं अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
13.	पुडुचेरी	01	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं अत्याधिक बकाया।
14.	असम	01	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स को– ऑपरेटिव फेडरेशन लि	अत्याधिक बकाया।
15.	सिक्किम	01	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

ANNEXURE - 4.3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Statewise/ Sectorwise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2021-22 (31.03.2022)

(₹ in Lakh)

		Team Loan (TL)												Micro Finance Loan (MF)							
S. No	Name of State/UT	Agriculture and Allied Sector		Small Business & Traditional Occupation		Education Loan Scheme (in India)		Education Loan Scheme (Abroad)		Service and Transport Sector		New Swarnima		Micro Finance		Mahila Samridhi		Small Loan		Grand Total (TL + MFS)	
		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.
1	Andhra Pradesh	44.55	40	950.73	1645													89.55	866	1084.82	2551
2	Assam	9.64	11	9.30	6															18.94	17
3	Bihar	49.69	41	54.33	91													1.84	4	105.86	136
4	Chandigarh			0.16	2															0.16	2
5	Chhattisgarh	20.91	12	312.78	188					625.63	289							112.75	299	1072.06	788
6	Dadra and Nagar Haveli	4.59	1																	4.59	1
7	Delhi	1.00	4	4.46	17	1.00	1			2.00	4	1.00	5	5.00	25	5.00	25	3.00	15	22.46	96
8	Goa					4.00	4			20.00	10							16.00	50	40.00	64
9	Gujarat	354.58	356	806.21	638					20.00	60	90.00	280	170.00	510	136.00	400	965.87	1701	2542.67	3945
10	Haryana	173.24	482	48.13	91					40.00	80	20.00	100	200.00	950	40.00	200	260.82	901	782.20	2804
11	Himachal Pradesh	22.29	37	10.00	30	8.00	10			10.00	20	10.00	50	200.00	850	80.00	400	125.00	530	465.29	1927
12	Jammu & Kashmir	41.78	128	35.00	105	40.00	40			30.00	70	55.00	275	165.00	725	135.00	595	170.00	770	671.78	2708
13	Jharkhand	6.73	13	3.07	11													0.88	1	10.67	25
14	Karnataka	89.89	51	55.07	52													67.17	107	212.13	210
15	Kerala	817.45	2859	526.81	1397	300.00	300	100.00	45	660.00	1580	1125.00	5420	7735.00	37767	3425.00	15935	4896.75	21742	19586.00	87045
16	Madhya Pradesh	1.12	1	2253.41	1439					400.99	230							5.44	10	2660.97	1680
17	Maharashtra	171.66	119	208.95	169													24.14	37	404.74	325
18	Manipur			0.40	4															0.40	4
19	Nagaland	1.49	1	0.20	1															1.70	2
20	Odisha	16.76	18	26.15	16													1.63	3	44.54	37
21	Puducherry			4.23	3													0.29	1	4.53	4
22	Punjab	88.00	220	456.61	418					87.00	200	701.11	1434	400.00	1500	100.00	500	689.80	1900	2522.52	6172
23	Rajasthan	1236.67	863	91.32	95									50.00	250	50.00	250	185.55	262	1613.54	1720
24	Sikkim	1.00	1	20.60	8															21.60	9
25	Tamil Nadu	54.35	42	180.71	191											8000.00	38700	102.02	161	8337.08	39094
26	Telangana	52.78	53	3.71	3													10.44	37	66.93	93
27	Tripura	1.80	5	503.22	256									50.00	250			432.70	1179	987.73	1690
28	Uttar Pradesh	1530.97	1418	714.92	857							40.00	200	260.00	1210	200.00	970	1001.64	1823	3747.53	6478
29	Uttarakhand	37.65	28	23.36	17					25.31	4									86.32	49
30	West Bengal	15.71	36	1.98	5															17.69	41
	Total	**4846.30**	**6840**	**7305.82**	**7755**	**353.00**	**355**	**100.00**	**45**	**1920.93**	**2547**	**2042.11**	**7764**	**9235.00**	**44037**	**12171.00**	**57975**	**9163.27**	**32399**	**47137.44**	**159717**

अनुलग्नक–4.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2021–22 (31.03.2022) की अवधि में राज्य–वार एवं क्षेत्रवार संवितरण और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

(रू./लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क. सावधि ऋण (टीएल)												ख. सूक्ष्म वित्त ऋण (एमएफ)							
		कृषि और संबद्ध क्षेत्र		लघु व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय		शैक्षिक ऋण योजना				सेवा और परिवहन क्षेत्र		नई स्वर्णिमा		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		लघु ऋण		महायोग (सावधि ऋण + सूक्ष्म ऋण)	
						भारत में		विदेश में													
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	44.55	40	950.73	1645													89.55	866	1084.82	2551
2	असम	9.64	11	9.30	6															18.94	17
3	बिहार	49.69	41	54.33	91													1.84	4	105.86	136
4	चंडीगढ़			0.16	2															0.16	2
5	छत्तीसगढ	20.91	12	312.78	188					625.63	289							112.75	299	1072.06	788
6	दादरा एवं नगर हवेली	4.59	1																	4.59	1
7	दिल्ली	1.00	4	4.46	17	1.00	1			2.00	4	1.00	5	5.00	25	5.00	25	3.00	15	22.46	96
8	गोवा					4.00	4			20.00	10							16.00	50	40.00	64
9	गुजरात	354.58	356	806.21	638					20.00	60	90.00	280	170.00	510	136.00	400	965.87	1701	2542.67	3945
10	हरियाणा	173.24	482	48.13	91					40.00	80	20.00	100	200.00	950	40.00	200	260.82	901	782.20	2804
11	हिमाचल प्रदेश	22.29	37	10.00	30	8.00	10			10.00	20	10.00	50	200.00	850	80.00	400	125.00	530	465.29	1927
12	जम्मू एवं कश्मीर	41.78	128	35.00	105	40.00	40			30.00	70	55.00	275	165.00	725	135.00	595	170.00	770	671.78	2708
13	झारखंड	6.73	13	3.07	11													0.88	1	10.67	25
14	कर्नाटक	89.89	51	55.07	52													67.17	107	212.13	210
15	केरल	817.45	2859	526.81	1397	300.00	300	100.00	45	660.00	1580	1125.00	5420	7735.00	37767	3425.00	15935	4896.75	21742	19586.00	87045
16	मध्य प्रदेश	1.12	1	2253.41	1439					400.99	230							5.44	10	2660.97	1680
17	महाराष्ट्र	171.66	119	208.95	169													24.14	37	404.74	325
18	मणिपुर			0.40	4															0.40	4
19	नागालैंड	1.49	1	0.20	1															1.70	2
20	उड़ीसा	16.76	18	26.15	16													1.63	3	44.54	37
21	पुड्डुचेरी			4.23	3													0.29	1	4.53	4
22	पंजाब	88.00	220	456.61	418					87.00	200	701.11	1434	400.00	1500	100.00	500	689.80	1900	2522.52	6172
23	राजस्थान	1236.67	863	91.32	95									50.00	250	50.00	250	185.55	262	1613.54	1720
24	सिक्किम	1.00	1	20.60	8															21.60	9
25	तमिलनाडु	54.35	42	180.71	191											8000.00	38700	102.02	161	8337.08	39094
26	तेलंगाना	52.78	53	3.71	3													10.44	37	66.93	93
27	त्रिपुरा	1.80	5	503.22	256									50.00	250			432.70	1179	987.73	1690
28	उत्तर प्रदेश	1530.97	1418	714.92	857							40.00	200	260.00	1210	200.00	970	1001.64	1823	3747.53	6478
29	उत्तराखंड	37.65	28	23.36	17					25.31	4									86.32	49
30	पश्चिम बंगाल	15.71	36	1.98	5															17.69	41
	कुल	**4846.30**	**6840**	**7305.82**	**7755**	**353.00**	**355**	**100.00**	**45**	**1920.93**	**2547**	**2042.11**	**7764**	**9235.00**	**44037**	**12171.00**	**57975**	**9163.27**	**32399**	**47137.44**	**159717**

ANNEXURE-4.4

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Statement Showing Details of Women Beneficiaries assisted under New Swarnima Scheme, Mahila Samridhi Yojana (2021-22)

(Rs. in Lakh)

S.No.	Name of State/UT	New Swarnima		Mahila Samridhi	
		Amt.	Benef.	Amt.	Benef.
1	Delhi	1.00	5	5.00	25
2	Gujarat	90.00	280	136.00	400
3	Haryana	20.00	100	40.00	200
4	Himachal Pradesh	10.00	50	80.00	400
5	Jammu & Kashmir	55.00	275	135.00	595
6	Kerala	1125.00	5420	3425.00	15935
7	Punjab	701.11	1434	100.00	500
8	Rajasthan			50.00	250
9	Tamil Nadu			8000.00	38700
10	Uttar Pradesh	40.00	200	200.00	970
	Total	**2042.11**	**7764**	**12171.00**	**57975**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

अनुलग्नक—4.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

नई स्वर्णिमा योजना, महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों के विवरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण (2021—22)

(रु./लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	दिल्ली	1.00	5	5.00	25
2	गुजरात	90.00	280	136.00	400
3	हरियाणा	20.00	100	40.00	200
4	हिमाचल प्रदेश	10.00	50	80.00	400
5	जम्मू एवं कश्मीर	55.00	275	135.00	595
6	केरल	1125.00	5420	3425.00	15935
7	पंजाब	701.11	1434	100.00	500
8	राजस्थान			50.00	250
9	तमिलनाडु			8000.00	38700
10	उत्तर प्रदेश	40.00	200	200.00	970
	कुल	**2042.11**	**7764**	**12171.00**	**57975**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/—
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/—
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

ANNEXURE-4.5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Daetail of Amount Disbursed, Beneficiaries Assisted During the Year & utilization of Fund

Financial : ₹ in Lakh
Physical : No. of Beneficiaries

S.No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount of utilisation Recd.
1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	0.00	0	0.00
1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	0.00	0	0.00
1.3	Andhra Pradesh Grameena vikas Bank	84.00	871	84.00
1.4	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	0.00	0	0.00
1	**Andhra Pradesh**	**84.00**	**871**	**84.00**
2.1	Assam (BC)	0.00	0	0.00
2.2	Assam (Electronics)	0.00	0	0.00
2.3	Assam (Artfed)	0.00	0	0.00
2	**Assam**	**0.00**	**0**	**0.00**
3.1	Bihar (BC)	0.00	0	0.00
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0.00	0	0.00
3	**Bihar**	**0.00**	**0**	**0.00**
4	Chandigarh SC/ST/BC	0.00	0	0.00
5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	50.00	200	0.00
5.2	Chattisgarh Gramin Bank	967.58	534	967.58
5	**Chhattisgarh**	**1017.58**	**734**	**967.58**
6	**Delhi SC/ST/BC**	**20.00**	**90**	**20.00**
7	**Goa SC/ST/BC**	**40.00**	**64**	**40.00**
8.1	Gujrat (BC)	0.00	0	0.00
8.2	Gujrat (Gopalak)	0.00	0	0.00
8.3	Gujrat (D&NT)	0.00	0	0.00
8.4	Gujrat Takor Koli	700.00	2020	700.00
8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	0.00	0	0.00
8.6	Saurashtra Gramin Bank	1000.10	1372	1000.10
8	**Gujrat**	**1700.10**	**3392**	**1700.10**
9.1	Haryana(BC)	750.00	2780	591.84
9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	0.00	0	0.00
9	**Haryana**	**750.00**	**2780**	**591.84**
10.1	Himachal Pradesh (BC)	448.00	1905	323.00
10.2	Himacahl Gramin Bank	0.00	0	0.00
10	**Himachal Pradesh**	**448.00**	**1905**	**323.00**
11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	320.00	1080	198.32
11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	350.00	1625	315.50
11	**Jammu & Kashmir**	**670.00**	**2705**	**513.82**
12.1	Jharkhand (ST)	0.00	0	0.00

अनुलग्नक–4.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष के दौरान संवितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी एवं निधि के उपभोग का विवरण

वित्तीयः रु. लाख में
भौतिकः लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.	चैनल सहभागी का नाम	वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	उपभोग अभिलेखित राशि
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)–I नया	0.00	0	0.00
1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)–II पुराना	0.00	0	0.00
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	84.00	871	84.00
1.4	आंध्र प्रदेश गीता पारश्रमिका	0.00	0	0.00
1	**आंध्र प्रदेश**	**84.00**	**871**	**84.00**
2.1	असम (बी.सी.)	0.00	0	0.00
2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0	0.00
2.3	असम (आर्टफेड)	0.00	0	0.00
2	**असम**	**0.00**	**0**	**0.00**
3.1	बिहार (बी.सी.)	0.00	0	0.00
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
3	**बिहार**	**0.00**	**0**	**0.00**
4	चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	0.00	0	0.00
5.1	छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय	50.00	200	0.00
5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	967.58	534	967.58
5	**छत्तीसगढ**	**1017.58**	**734**	**967.58**
6	**दिल्ली एससी/एसटी/बीसी**	**20.00**	**90**	**20.00**
7	**गोवा एससी/एसटी/बीसी**	**40.00**	**64**	**40.00**
8.1	गुजरात (बी.सी.)	0.00	0	0.00
8.2	गुजरात (गोपालक)	0.00	0	0.00
8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	0.00	0	0.00
8.4	गुजरात ठाकोर कोली	700.00	2020	700.00
8.5	देना/बीओबी गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1000.10	1372	1000.10
8	**गुजरात**	**1700.10**	**3392**	**1700.10**
9.1	हरियाणा (बी.सी.)	750.00	2780	591.84
9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
9	**हरियाणा**	**750.00**	**2780**	**591.84**
10.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	448.00	1905	323.00
10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
10	**हिमाचल प्रदेश**	**448.00**	**1905**	**323.00**
11.1	जम्मू और कश्मीर एससी / एसटी / बीसी	320.00	1080	198.32
11.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	350.00	1625	315.50
11	**जम्मू और कश्मीर**	**670.00**	**2705**	**513.82**
12.1	झारखंड (एसटी)	0.00	0	0.00

12.2	Jharkhand gramin Bank	0.00	0	0.00
12.3	Vananchal gramin Bank	0.00	0	0.00
12	**Jharkhand**	**0.00**	**0**	**0.00**
13.1	Karnatka (BC)	0.00	0	0.00
13.2	Karnatka (Vishkarma)	0.00	0	0.00
13	**Karnatka**	**0.00**	**0**	**0.00**
14.1	Kerala (Artisan)	150.00	660	150.00
14.2	Kerala (BC)	11700.00	49507	11700.00
14.3	Kerala (CC)	0.00	0	0.00
14.4	Kerala (Fisheries)	3250.00	15650	3154.33
14.5	Kerala (Handicraft)	150.00	530	150.00
14.6	Kerala (Palmarah)	0.00	0	0.00
14.7	Kerala (Womens)	4300.00	20660	4300.00
14	**Kerala**	**19550.00**	**87007**	**19454.33**
15.1	Madhya Pradesh (sc)	0.00	0	0.00
15.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
15.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0	0.00
15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	2597.77	1620	2597.77
15.5	MadhyanchaL Gramin Bank	0.00	0	0.00
15	**Madhya Pradesh**	**2597.77**	**1620**	**2597.77**
16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0	0.00
16.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0	0.00
16.3	Maharashtra (OBC)	0.00	0	0.00
16.4	Maharashtra (Anashaib)	0.00	0	0.00
16.5	Maharashtra Gramin bank	109.18	81	109.18
16	**Maharashtra**	**109.18**	**81**	**109.18**
17.1	Manipur (Tribal)	0.00	0	0.00
17.2	Manipur (Women)	0.00	0	0.00
17	**Manipur**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**Odisha (BC)**	**0.00**	**0**	**0.00**
19.1	Puducherry (Adidridar)	0.00	0	0.00
19.2	Puducherry (BC)	0.00	0	0.00
19	**Puducherry**	**0.00**	**0**	**0.00**
20.1	Punjab (BC)	500.00	2350	197.02
20.2	Punjab Gramin Bank	2014.00	3815	2014.00
20	**Punjab**	**2514.00**	**6165**	**2211.02**
21.1	Rajasthan (SC)	0.00	0	0.00
21.2	Rajasthan (BC)	100.00	500	0.00
21	**Rajasthan**	**100.00**	**500**	**0.00**
22	**Sikkim (Sc/ST/BC)**	**0.00**	**0**	**0.00**
23.1	Tamilnadu (BC)	8000.00	38700	8000.00
23.2	Tamilnadu (womens)	0.00	0	0.00
23	**Tamilnadu**	**8000.00**	**38700**	**8000.00**

12.2	झारखंड ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12	**झारखंड**	**0.00**	**0**	**0.00**
13.1	कर्नाटक (बी.सी.)	0.00	0	0.00
13.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0.00	0	0.00
13	**कर्नाटक**	**0.00**	**0**	**0.00**
14.1	केरल (आर्टीसन)	150.00	660	150.00
14.2	केरल (बी.सी.)	11700.00	49507	11700.00
14.3	केरल (सीसी)	0.00	0	0.00
14.4	केरल (मत्स्य पालन)	3250.00	15650	3154.33
14.5	केरल (हस्तशिल्प)	150.00	530	150.00
14.6	केरल (पलमीरा)	0.00	0	0.00
14.7	केरल (वीमेन)	4300.00	20660	4300.00
14	**केरल**	**19550.00**	**87007**	**19454.33**
15.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0	0.00
15.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0	0.00
15.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0	0.00
15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2597.77	1620	2597.77
15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
15	**मध्य प्रदेश**	**2597.77**	**1620**	**2597.77**
16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0	0.00
16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0.00	0	0.00
16.3	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0	0.00
16.4	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0	0.00
16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	109.18	81	109.18
16	**महाराष्ट्र**	**109.18**	**81**	**109.18**
17.1	मणिपुर (ट्राईबल)	0.00	0	0.00
17.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0	0.00
17	**मणिपुर**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**ओडिशा (बी.सी.)**	**0.00**	**0**	**0.00**
19.1	पुडुचेरी (आदिद्रिदार)	0.00	0	0.00
19.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0.00	0	0.00
19	**पुडुचेरी**	**0.00**	**0**	**0.00**
20.1	पंजाब (बी.सी.)	500.00	2350	197.02
20.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	2014.00	3815	2014.00
20	**पंजाब**	**2514.00**	**6165**	**2211.02**
21.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0	0.00
21.2	राजस्थान (बी.सी.)	100.00	500	0.00
21	**राजस्थान**	**100.00**	**500**	**0.00**
22	**सिक्किम (एससी/एसटी/बीसी)**	**0.00**	**0**	**0.00**
23.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	8000.00	38700	8000.00
23.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0	0.00
23	**तमिलनाडु**	**8000.00**	**38700**	**8000.00**

24.1	Talangna Gramin Bank	0.00	0	0.00
24.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	0.00	0	0.00
24	**Talangna**	**0.00**	**0**	**0.00**
25.1	Tripura (BC)	100.00	500	0.00
25.2	Tripura Gramin Bank	885.01	1183	885.01
25	**Tripura**	**985.01**	**1683**	**885.01**
26.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
26.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari Bank	600.00	2790	597.05
26.3	Gramin Bank of Aryavart	1500.00	2189	1500.00
26.4	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.5	Sarv UP Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.6	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0	0.00
26	**Uttar Pradesh**	**2100.00**	**4979**	**2097.05**
27.1	Uttrakhand Bahudehiya	0.00	0	0.00
27.2	Uttrakhand Gramin Bank	26.33	5	26.33
27	**Uttrakhand**	**26.33**	**5**	**26.33**
28.1	West Bengal (BC)	0.00	0	0.00
28.2	West Bengal (Minorties)	0.00	0	0.00
28.3	West Bengal	0.00	0	0.00
	Sub Total	**40711.96**	**153281**	**39621.03**
29	**Public Sector Bank**			
29.1	Dena Bank	0.00	0	0.00
29.2	Punjab National Bank	2699.99	2447	2699.99
29.3	Vijaya /BOB Bank	1226.11	1181	1226.11
29.4	Union Bank Of India	2499.37	2808	2499.37
	Sub Total	**6425.46**	**6436**	**6425.47**
30	NGOS	0.00	0	0.00
	Grand Total	**47137.43**	**159717**	**46046.49**
	%age of utilisation			**97.69**

24.1	तेलंगना ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
24.2	स्त्री निधि क्रेडिट को–आपरेटिव फेडरेशन लि.	0.00	0	0.00
24	**तेलंगाना**	**0.00**	**0**	**0.00**
25.1	त्रिपुरा (बी.सी.)	100.00	500	0.00
25.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	885.01	1183	885.01
25	**त्रिपुरा**	**985.01**	**1683**	**885.01**
26.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0	0.00
26.2	उत्तर प्रदेश लैण्ड डेवलपमेंट एवं सहकारी बैंक	600.00	2790	597.05
26.3	आर्यवृत ग्रामीण बैंक	1500.00	2189	1500.00
26.4	काशी गोमती संयुक्ता ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.5	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26	**उत्तर प्रदेश**	**2100.00**	**4979**	**2097.05**
27.1	उत्तराखंड बहुद्देशीय	0.00	0	0.00
27.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	26.33	5	26.33
27	**उत्तराखंड**	**26.33**	**5**	**26.33**
28.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	0.00	0	0.00
28.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0.00	0	0.00
28.3	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00
	उप योग	**40711.96**	**153281**	**39621.03**
29	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**			
29.1	देना बैंक	0.00	0	0.00
29.2	पंजाब नेशनल बैंक	2699.99	2447	2699.99
29.3	विजया /बी. ओ. बी. बैंक	1226.11	1181	1226.11
29.4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2499.37	2808	2499.37
	उप योग	**6425.46**	**6436**	**6425.47**
30	गैर सरकारी संगठन	0.00	0	0.00
	कुल योग	**47137.43**	**159717**	**46046.49**
	उपभोग का %			**97.69**

ANNEXURE-4.6

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2021-22

1. BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013 Amendment Rules 2021 dated 22.01.2021.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the entire activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation. The Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its approved CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

2. COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The Composition of the CSR Committee of Directors during the year under report:

Name of Director (S)	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meeting of CSR Committee attended during the year
Mr. Rajnish Kumar Jenaw, MD., NBCFDC	Member	24th March, 2022	1
Mr. Sanjay Pandey, JS & FA,M/SJE	Member		1
Mr. Subranshu Shekhar Acharya, GM, SIDBI	Member		1
Mrs. Pinki Kumari, NOD	Member		1

अनुलग्नक–4.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2021–22 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व, नीति' (सी.एस.आर. नीति) इसके तहत एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

पहुंच बनाना: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस–पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम–विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची–VII व संशोधित नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021 के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के "व्यय से अधिक आय का आधिक्य" के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपयुक्त बजट समाप्त नहीं होगा तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी. एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व में अन्य सभी मामलों के साथ–साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व अधिनियम की अनुसूची–VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलापों सम्मिलित हैं।

तथापि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी। सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एनबी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्र: कंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक,एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	सदस्य	24.03.2022	1
श्री संजय पाण्डेय,संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय	सदस्य		1
डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सीडबी	सदस्य		1
श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक	सदस्य		1

3. The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en) & Annual Report at the link: (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en)

4. PROVIDE THE DETAILS OF IMPACT ASSESSMENT OF CSR PROJECTS CARRIED OUT IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 8 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014, IF APPLICABLE (ATTACH THE REPORT).

NOT APPLICABLE

5. DETAILS OF THE AMOUNT AVAILABLE FOR SET OFF IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 7 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014 AND AMOUNT REQUIRED FOR SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

6. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2018-19	Rs.2793.68 lakhs
Financial Year 2019-20	Rs.2574.11 lakhs
Financial Year 2020-21	Rs.3421.25 lakhs
Average Surplus	**Rs. 2929.68 lakhs**

7. (a) PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PERCENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): Rs.58.58 Lakhs. The Board of Directors has approved CSR budget of Rs.59.00 Lakhs for financial year 2021-22 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

(b) SURPLUS ARISING OUT OF THE CSR PROJECTS OR PROGRAMME OR ACTIVITIES OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS.

NOT APPLICABLE

(c) AMOUNT REQUIRED TO BE SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

(d) TOTAL CSR OBLIGATION FOR THE FINANCIAL YEAR (7a+7b-7c): Rs.58.58 lakhs

8. (a) CSR AMOUNT SPENT OR UNSPENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of Transfter	Name of the Fund	Amount	Date of Transfter
36.16 lakh	22.42	26.04.2022	NA	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year: Rs.17,35,340/- (Details at Annexure – 4.7)

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2021-22: Rs. 18,25,934/- (Details at Annexure - 4.8)

3. निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन निगरानी करेगा। नगम की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट लिंकः www.nbcfdc.gov.in (https://nbcfdc.gov.in/cs-policy/en) एवं वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en) पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. **कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें यदि लागू हो, (रिपोर्ट संलग्न करें) :**

लागू नहीं

5. **कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सैट ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि लागू हो :**

लागू नहीं

6. **गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष, 2018–19	रु. 2793.68 लाख
वित्तीय वर्ष, 2019–20	रु. 2574.11 लाख
वित्तीय वर्ष, 2020–21	रु. 3421.25 लाख
औसत आधिक्य	**रु. 2929.68 लाख**

7. **(क) निर्धारित सी.एस.आर. व्यय(उपरोक्त मद 3 में दी गई औसत राशि का दो प्रतिशत): रू. 58.58 लाख**
निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रू. 59.00 लाख के सी.एस.आर. बजट अनुमादित किया है एवं राजस्व बजट के अन्दर जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी है।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वांछित समायोजन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग) : रू. 58.58 लाख

8. **(क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रयुक्त / अप्रयुक्त सीएसआर राशि :**

वित्तीय वर्ष के लिए प्रयुक्त की गई कुल राशि (रू. में)	अप्रयुक्त राशि (रू. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित अप्रयुक्त कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
36.16 लाख	22.42	26.04.2022	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण : रू.17,35,340 / – (ब्यौरा **अनुलग्नक – 4.7** पर उपलब्ध है)

(ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण : रू. 18,25,934 / – (ब्यौरा **अनुलग्नक –4.8** पर है)

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Rs. 54,756.80/-

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NOT APPLICABLE

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs.36,16,030.80/-

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	58.58
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	36.16
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	NIL
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programme or activities of the previous financial year, if any	NA
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

9. (a) DETAILS OF UNSPENT CSR AMOUNT FOR THE PRECEDING THREE FINANCIAL YEARS:

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the fund	Amount (in Rs.)	Date of Transfer	
1.	2018-19	113.07	129.86	NIL			29.45
2.	2019-20	29.45	112.63				-33.59
3.	2020-21	0	136.43				0
	Total		**378.92**				

(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR **ONGOING PROJECTS** OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):- (Details at Annexure – 4.8).

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (2021-22)

(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. SPECIFY THE REASON(S), IF THE COMPANY HAS FAILED TO SPEND TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT AS PER SECTION 135(5).

NOT APPLICABLE

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 14.08.2022

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गई राशि: रू. 54,756.80/–

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): रू. 36,16,030.80/–

(छ) समायोजन (सैट ऑफ) के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र.स.	विवरण	राशि (रू. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	58.58
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	36.16
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सी.एस.आर. राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) की अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी धनराशि को विशिष्ट निधि में अंतरण, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				धनराशि का नाम	राशि (रु. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2018–19	113.07	129.86	शून्य			29.45
2.	2019–20	29.45	112.63				–33.59
3.	2020–21	0	136.43				0
	योग		**378.92**				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण:– **(ब्यौरा अनुलग्नक – 4.8** पर दिया गया है)।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष (2021–22) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

(संपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण,उसका पता आदि जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है।

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है

लागू नहीं

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.08.2022

ANNEXURE - 4.7

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

8(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR (2021-22):

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration Number
1.	"Covid-19 relief - Provision of Oxygen Cylinders to COVID 19 Patients" (Sanction of Rs, 2,72,500/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC) (1000 persons annually)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water.	Yes	Delhi	South Delhi	One month	1,36,250	95,500	Nil	No.	Netram Eye Foundation (NEF), Delhi	CSR00000560
2.	Covid-19 relief " provision of medical equipments to treat Covid – 19 patients during second wave of COVID-19 Pandemic (April-May 2021) (Sanction of Rs.5,03,000/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC) (2000 persons annually)	-Do-	Yes	Delhi	SDH EDMC, East Delhi	One Month	2,51,500	1,76,000	Nil	No	Swamy Dayanand Hospital (SDH, EDMC) New Delhi	CSR00004364
3.	Installation of Sanitary Napkin Vending Machines with incinerators for the eight Girls Government High Schools and Higher Secondary Schools (10,000 girls annually)	-Do-	Yes	Tamil Nadu	Virudhunagar (Aspirational District)	Three months	4,94,142	3,45,900	Nil	No	Dr. Ambedakar Chair, Annamalai University, Tamil Nadu	CSR00012495
4.	Construction of Toilet Block (benefited about 500 persons)	-Do-	Yes	Tripura	Ranir Bazar, West Tripura District	Two Months	4,56,000	2,28,000	Nil	No	Tripura OBC Coop. Dev. Corporation Ltd, Tripura	CSR00019589
5.	Dissemination of Natural fiber water-tanks (18 tanks) in rural areas	-Do-	Yes	Maharashtra	Beed district	Eight months	5,50,000	2,20,000	Nil	No	IIT - Bombay	CSR00007536

अनुलग्नक–4.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष (2021–22) के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण (8ख)

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था–निय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
I.	**सुरक्षित जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता साफ–सफाई स्वच्छता और स्लम विकास**											
1.	कोविड–19 राहत – कोविड–19 रोगियों हेतु ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्रावधान (रू. 2,72,500/– की स्वीकृति एन.एस.एफ.डी.सी. और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल है) (प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलनः निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हां	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	एक माह	1,36,250	95,500	शून्य	नहीं	नेत्रम आई फाउंडेशन (एनईएफ) (दिल्ली)	सीएसआर 00000560
2.	कोविड–19 राहत–"कोविड–19 की दूसरी लहर में कोविड–19 रोगियों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा उपस्करों का प्रावधान (अप्रैल–मई, 2021) (रू.5,03,000/– की मंजूरी एनएसएफडीसी और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सी.एस.आर.पहल है) (2000 व्यक्ति वार्षिक)	–वही–	हां	दिल्ली	एसडीएच, ईडीएमसी पूर्वी दिल्ली	एक माह	2,51,500	1,76,000	शून्य	नहीं	स्वामी दयानंद अस्पताल (एसडीएच, ईडीएमसी) नई दिल्ली	सीएसआर 00004364
3.	आठ सरकारी उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (10,000 लड़कियों को सालाना) के लिए भस्मक के साथ सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना (वार्षिक 1000 लड़कियाँ)	–वही–	हां	तमिलनाडु	विरूधनगर (आकांक्षी जिला)	तीन माह	4,94,142	3,45,900	शून्य	नहीं	डॉ0 अंबेडकर चेयर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	सीएसआर 00012495
4.	शौचालय ब्लॉक का निर्माण (लगभग 500 व्यक्ति लाभान्वित)	–वही–	हां	त्रिपुरा	रानीर बाजार, पश्चिम त्रिपुरा जिला	दो माह	4,56,000	2,28,000	शून्य	नही	त्रिपुरा ओबीसी को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, त्रिपुरा	सीएसआर 00019589
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर पानी के टैंक (18 टैंक) का प्रसार	–वही–	हां	महाराष्ट्र	बीड जिला	आठ माह	5,50,000	2,20,000	शून्य	नहीं	आईआईटी – बॉम्बे	सीएसआर 00007536

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration Number
6.	Installation of 14 sets of Sanitary Napkin Vending Machines and Disposal Machines (Incinerators) for the Girls in the Government High and Higher secondary Schools, 4000 girls annually (Phase-I)	-Do-	Yes	Tripura	Dhalai (Aspirational District)	One month	4,78,529	3,34,970	Nil	No	Tripura OBC Coop. Dev. Corporation Ltd, Tripura	CSR00019589
7.	Installation of 14 sets of Sanitary Napkin Vending Machines and Disposal Machines (Incinerators) for the Girls in the Government High and Higher secondary Schools, 4000 girls annually (Phase-II)	-Do-	Yes	Tripura	Dhalai (Aspirational District)	One month	4,78,529	3,34,970	Nil	No	Tripura OBC Coop. Dev. Corporation Ltd., Tripura	CSR00019589
						Total	**28,44,950.00**	**17,35,340.00**				

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था–निय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
6.	राजकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन एवं डिस्पोजल मशीन(इंसीनेरेटर) के 14 सेटों की स्थापना, प्रतिवर्ष 4000 बालिकाएं (चरण–I)	–वही–	हां	त्रिपुरा	धलाई (आकांक्षी जिला)	एक माह	4,78,529	3,34,970	शून्य	नहीं	त्रिपुरा ओबीसी को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, त्रिपुरा	सीएसआर 00019589
7.	राजकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन एवं डिस्पोजल मशीन (इंसीनेरेटर) के 14 सेटों की स्थापना, प्रतिवर्ष 4000 बालिकाएं (चरण–II)	–वही–	हां	त्रिपुरा	धलाई (आकांक्षी जिला)	एक माह	4,78,529	3,34,970	शून्य	नहीं	त्रिपुरा ओबीसी को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, त्रिपुरा	सीएसआर 00019589
						कुल	**28,44,950.00**	**17,35,340.00**				

ANNEXURE - 4.8

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

8(c) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST OTHER THAN ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Amount spent in for the Project (in Rs.)	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration Number	Name
(1)	"Covid-19 relief - Food distribution for migrant workers and homeless" benefited about 4,500 persons. (Sanction of Rs.2,70,000/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC, 9000 Nos.)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Delhi	Nizamuddin/ New Delhi Railway Station, South East Delhi	1,35,000	No	CSR00004209	Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM), Delhi
(2)	Covid-19 relief "Food distribution to migrant workers, daily wage workers and needy people during second wave of COVID-19 Pandemic, 7,500 persons (Sanction of Rs.3,87,000/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC, 15000 Nos.)	-Do-	Yes	Maharashtra	Sunderbaugh slums, Mumbai	1,93,500	No	CSR00002309	TRIPS - Development and Research Foundation, Maharashtra
(3)	Covid-19 relief "Food distribution to daily wage workers, abandoned and senior citizens and needy people, 7,500 persons (Sanction of Rs.5,25,000/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC, 15000 Nos.)	-Do-	Yes	Karnataka	Bengaluru	2,62,500	No	CSR00004118	The United Foundation (TUF), Bengaluru, Karnataka
(4)	Covid-19 relief "Provision of Oxygen Cylinders to treat COVID 19 Patients at Acharya Shree Bhikshu Government Hospital, Moti Nagar Road, New Delhi" (Sanction of Rs.3,96,000/- is Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC) (2000 persons annually)	-Do-	Yes	Delhi	Moti Nagar Road, New Delhi	1,98,000	No	CSR00001824	Karmsakshi Sewa Sansthan
(5)	COVID-19 Emergency:-To provide dry ration kits for three hundred families for minimum livelihood support to the street vendors & daily wage labours like rickshaw pullers and hand cart pullers (Thela) affected second wave of the COVID-19 (1500 persons)	-Do-	Yes	Assam	Kamrup (Metro) District	3,57,500	No	CSR00013389	IIE, Guwahati, Assam
(6)	Swachh Bharat Abhiyan - Sanitation and Cleanliness at Hauz Khaz, New Delhi	-Do-	Yes	Delhi	South Delhi	1,924	Yes	-	-
(7)	Medical Camps in poor localities	-Do-	Yes	Bihar, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh	Gaya, Central, New Delhi & North West Delhi, Hazaribagh, Raichur & Yadgir, Singrauli, Chitrakoot	6,77,510	No	CSR00010248 CSR00002906 CSR00000560	HLFPPT Mahavir International Netram Eye Foundation
					Total	18,25,934.00			

अनुलग्नक–4.8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए चालू परियोजनाओं के अरिरिक्त खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण 8(ग)

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में से गतिविधियों की मद सूची	स्था–नीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई धनराशि (रू.में)	कार्यान्वयन प्रणाली–सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			सी.एस.आर. पंजीकृत सं.	नाम
(1)	"कोविड .19 राहत–प्रवासी श्रमिकों और बेघरों के लिए भोजन वितरण" से लगभग 4,500 व्यक्तियों को लाभ हुआ। (रू. 2,70,000/– की स्वीकृति एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी. एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल है, सं. 9000)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलनः निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हां	दिल्ली	निजामुद्दीन/नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दक्षिण पूर्व दिल्ली	1,35,000	नहीं	सीएसआर 00004209	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम), दिल्ली
(2)	कोविड -19 राहत "प्रवासी श्रमिकों ,दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 7,500 व्यक्तियों को भोजन वितरण , (रू.3,87,000/– की स्वीकृति एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की संयुक्त सीएसआर पहल है, सं. 15000)	–वही–	हां	महाराष्ट्र	सुंदरबाग स्लमए मुंबई	1,93,500	नहीं	सीएसआर 00002309	ट्रिप्स–डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, महाराष्ट्र
(3)	कोविड –19 राहत "दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, परित्यक्त तथा वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद 7,500 व्यक्तियों को भोजन वितरण, (रू. 5,25,000/– की स्वीकृति एन.एस.एफ.डी. सी. और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सी. एस.आर. पहल है, सं. 15000)	–वही–	हां	कर्नाटक	बेंगलुरु	2,62,500	नहीं	सीएसआर 00004118	यूनाइटेड फाउंडेशन (टी.यू.एफ.) बेंगलुरु, कर्नाटक
(4)	कोविड–19 राहत " आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल ,मोती नगर रोड ,नई दिल्ली में कोविड–19 रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्रावधानः (3,96,000/– की स्वीकृति एन.एस.एफ.डी.सी. और एन.बी.सी. एफ.डी.सी. की संयुक्त सी.एस.आर. पहल है) (वार्षिक 2000 व्यक्ति)	–वही–	हां	दिल्ली	मोती नगर रोडए नई दिल्ली	1,98,000	नहीं	सीएसआर 00001824	कर्मसाक्षी सेवा संस्थान
(5)	कोविड–19 आपात स्थिति–: कोविड–19 दूसरी लहर के दौरान प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों और दैनिक वेतन भोगी मजदूरों जैसे रिक्शा चालकों और हाथ ठेला चलाने वालों(थैला) को न्यूनतम आजीविका सहायता के लिए तीन सौ परिवारों के लिए सूखा राशन किट प्रदान करने हेतु (1500 व्यक्ति)	–वही–	हां	असम	कामरूप (मेट्रो) जिला	3,57,500	नहीं	सीएसआर 00013389	आईआईईए गुवाहाटी, असम
(6)	स्वच्छ भारत अभियान - स्वच्छता एवं सफाई, नई दिल्ली	–वही–	हां	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	1,924	हां	–.	–
(7)	गरीब इलाकों में चिकित्सा शिविर	–वही–	हां	बिहार, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश	गया, सैन्ट्रल, नई दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली, हाजारीबाग, रायचूर और यदगिर, सिंगरौली, चित्रकूट	6,77,510	नहीं	सीएसआर 00010248	एच.एल.एफ.पी.पी.टी.
								सीएसआर 00002906	महावीर इंटरनेशनल
								सीएसआर 00000560	नेत्रम आई फाउंडेशन
					कुल	18,25,934,00			

ANNEXURE - 4.9

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

9. (b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	**Project ID**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Project Duration**	**Total amount allocated for the project (in Rs.)**	**Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)**	**Status of the project-Completed/ Ongoing.**
1.	NBCFDC/CSR-25	Construction of Eight Toilets for Girl students in Government Senior Secondary School Village- Bandhwari, Gurugram, Haryana (about 325 girl's students)	2018-19	60 Days	4,94,500.00	49,450.00	4,94,500.00	Completed
2.	NBCFDC/CSR-37	Promoting Awareness about Gandhian values amongst DNT community & Public in Gujrat	2019-20	One Month	1,11,213.00	11,213.00	1,11,213.00	Completed
3.	NBCFDC/CSR-38	Construction of toilets complex cum water tank and waiting area in a Village in Dist. Sikar, Rajasthan	2019-20	Six Months	5,00,000.00	5,019.00	4,05,019.00	Completed
4.	NBCFDC/CSR-44	Taking Gandhi Heritage to youth/ Students in Schools/colleges/ Institutions in Mewat, Delhi, North East, Central India & South India for conducting online programme in 40 Schools for 3000 no. of Students	2019-20	Twelve Months	5,04,000.00	95,802.00	4,99,002.00	Completed
5.	NBCFDC/CSR-58	COVID-19 Emergency: - Hunger Relief Programme, distribution of hygiene items and protective gear to families and frontline Warriors. (10,000 Nos.)	2020-21	One Month	10,36,500.00	2,22,301.00	9,99,676.00	Completed
6.	NBCFDC/CSR-59	COVID-19 Emergency;-Mask making and distribution by Transgender persons for transgender community & Poor people in Patna, Bihar. (3700 Nos.)	2020-21	16 Days	2,10,000.00	52,500.00	2,10,000.00	Completed
7.	NBCFDC/CSR-65	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community in Mewat, Haryana, and 3617 Nos. (Phase - IV)	2020-21	Four Months	5,02,425.00	1,25,606.00	5,02,425.00	Completed
8.	NBCFDC/CSR-75	Supply and Installation of Plastic Bottle Crusher Machine at DDA Shopping Complex Yusuf Sarai Near Green Park Metro Station (Approx. persons 9125)	2020-21	One Month	2,03,800.00	2,03,800.00	2,03,800.00	Completed
10.	NBCFDC/CSR-92	'COVID-19 Emergency- Mask preparation and distribution of 30,000 masks in Six states among underprivileged.	2020-21	One Month	3,30,000.00	82,500.00	3,30,000.00	Completed
		Total			**38,81,225.00**	**8,48,191.00**	**37,55,635.00**	

अनुलग्नक–4.9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 9(ख)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. स.	परियोजना आई. डी.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशिं (रू. में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रू. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण / चालू
1.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–25	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम–बंधवारी, गुरुग्राम, हरियाणा में छात्राओं के लिए आठ शौचालयों का निर्माण (लगभग 325 छात्राएं)	2018–19	60 दिन	4,94,500.00	49,450.00	4,94,500.00	पूर्ण
2.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–37	गुजरात में डीएनटी समुदाय एवं जनता के बीच गांधीवादी मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना	2019–20	एक माह	1,11,213.00	11,213.00	1,11,213.00	पूर्ण
3.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–38	सीकर,राजस्थान जिले के एक गांव में शौचालय परिसर सह पानी की टंकी एवं प्रतीक्षालय का निर्माण	2019–20	छह माह	5,00,000.00	5,019.00	4,05,019.00	पूर्ण
4.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–44	मेवात,दिल्ली,उत्तर पूर्व,मध्य भारत और दक्षिण भारत के स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में युवाओं / छात्रों को गांधी विरासत को अपनाने के लिए 40 स्कूलों के 3000 विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।	2019–20	बारह माह	5,04,000.00	95,802.00	4,99,002.00	पूर्ण
5.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–58	कोविड–19 आपात स्थितिः– भूख राहत कार्यक्रम, परिवारों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को स्वच्छता सामग्री और सुरक्षात्मक गियर का वितरण (संख्या–10,000)	2020–21	एक माह	10,36,500.00	2,22,301.00	9,99,676.00	पूर्ण
6.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–59	कोविड–19 आपात स्थिति :– पटना,बिहार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा मास्क बनाना व ट्रांसजेंडर समुदाय और गरीब लोगों के लिए वितरण करना। (संख्या–3700)	2020–21	16 दिन	2,10,000.00	52,500.00	2,10,000.00	पूर्ण
7.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–65	मेवात, हरियाणा में हासिए पर रहले वाले बच्चों,युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार (चरण–IV)	2020–21	चार माह	5,02,425.00	1,25,606.00	5,02,425.00	पूर्ण
8.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–75	ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, युसूफ सराय में प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन की आपूर्ति एवं स्थापना (लगभग 9125 व्यक्ति)	2020–21	एक माह	2,03,800.00	2,03,800.00	2,03,800.00	पूर्ण
9.	एनबीसीएफडीसी / सीएसआर–92	कोविड–19 आपात स्थितिः– मास्क बनाना एवं छह राज्यों में वंचितों के बीच 30,000 मास्क का वितरण।	2020–21	एक माह	3,30,000.00	82,500.00	3,30,000.00	पूर्ण
		कुल			**38,81,225.00**	**8,48,191.00**	**37,55,635.00**	

ANNEXURE- 4.10

CSR ACTIVITIES/PROJECTS DURING THE YEAR 2021-22

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

1. **Promoting preventive Health Care, Sanitation & Education:**

a) Programme for installing Automated Sanitary Napkin Vending Machines and Incinerators in five Government Girls Higher Secondary Schools of (Benefited 4,665 Girls) at Khanyar, Amirakadal, Sonwar, Channapora & Kothibagh Shrinagar districts of J&K.

b) Installation of Sanitary Napkin Vending Machines with incinerators for the eight Girls Government High Schools and Higher Secondary Schools at Virudhunagar (Aspirational District) of Tamil Nadu.

c) Installation of Sanitary Napkin Vending Machines and Disposal Machines for the Girls in the Government Colleges, High Schools and Higher Secondary Schools at Leh, Ladakh.

d) Installation of 14 sets of Sanitary Napkin Vending Machines and Disposal Machines (Incinerators) for the Girls in the Government High and Higher secondary Schools of Dhalai District, Tripura (Aspirational District). Phase-I

e) Dissemination of Natural fiber water-tanks (18 tanks) in rural areas at Beed districts of Maharashtra.

f) Construction of Toilet Block (benefited about 500 persons) at Ranir Bazar, West Tripura District of Tripura.

g) Construction of Ice-Hockey Practice Rink at Thiksay Village (Kilibuk) of Leh District, Union Territory of Ladakh.

h) Swachhta Bharat Abhiyan at Hauz Khas, New Delhi.

i) Installation of 14 sets of Sanitary Napkin Vending Machines and Disposal Machines (Incinerators) for the Girls in the Government High and Higher secondary Schools of Aspirational District Dhalai, Tripura. (Phase-II)

j) **Medical Camps:-** During the year, 12 Free Eye and Medical Check-up camps were organized in eight States (Bihar, Delhi, Haryana, Jharkhand and Karnataka, Madhya Pradesh, Tripura and Uttar Pradesh) in collaboration with our implementing partners. Overall in these Camps, about 2512 patients have availed benefit of 4858 OPD check-ups and 1065 free spectacles were distributed to the poor people.

2. **Other Support Activities during COVID-19/Distribution of food**

➢ "Covid-19 relief - Food distribution for migrant workers and homeless at Nizamuddin/New Delhi Railway Stations". (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC).

➢ "Covid-19 relief - Provision of Oxygen Cylinders to COVID 19 Patients at Delhi NCR. (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC).

अनुलग्नक–4.10

वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः –

1. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा देनाः

क) जम्मू–कश्मीर के खानयार, अमीराकदल, सोनवार, चन्नापोरा और कोठीबाग श्रीनगर जिलों के पांच सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (4,665 लड़कियाँ लाभान्वित) में स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और भस्मक स्थापित करने का कार्यक्रम।

ख) तमिलनाडु के विरुधुनगर (आकांक्षी जिला) में आठ बालिका सरकारी हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भस्मक सहित सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना।

ग) लेह, लद्दाख में सरकारी कॉलेजों, हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन की स्थापना।

घ) त्रिपुरा (आकांक्षी जिला) के धलाई जिले के सरकारी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन (इंसीनरेटर) के 14 सेट की स्थापना। (चरण–1)।

ङ) महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर पानी के टैंक (18 टैंक) का प्रसार।

च) त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले के रानीर बाजार में शौचालय ब्लॉक (लगभग 500 व्यक्ति लाभान्वित) का निर्माण।

छ) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह जिले के ठिकसे गांव (किलिबुक) में आइस–हॉकी अभ्यास रिंक का निर्माण।

ज) हौज खास, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान।

झ) आकांक्षी जिला धलाई, त्रिपुरा के सरकारी हाई और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन (इंसीनरेटर) के 14 सेट की स्थापना। (फेस II)

ञ) चिकित्सा शिविरः– वर्ष के दौरान, हमारे कार्यान्वयन सहभागियों के सहयोग से आठ राज्यों (बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) में 12 निःशुल्क नेत्र और चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल मिलाकर लगभग 2512 रोगियों ने 4858 ओपीडी जांच का लाभ उठाया और 1065 निःशुल्क चश्मे गरीब लोगों को वितरित किए गए।

2. कोविड–19 के दौरान अन्य सहायता कार्यक्रम/भोजन का वितरण

- कोविड–19 राहत– निजामुद्दीन/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर "प्रवासी श्रमिकों और बेघरों के लिए भोजन वितरण" (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल)।
- कोविड–19 राहत– दिल्ली एनसीआर में "कोविड–19 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान" (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल)।

- Covid-19 relief "Food distribution to migrant workers, daily wage workers and needy people at Sunderbaugh slums, Mumbai during second wave of COVID-19 Pandemic (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC.)
- Covid-19 relief "Food distribution to daily wage workers, abandoned and senior citizens and needy people at DJ Halli slum, Bengaluru. (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC).
- Covid-19 relief "provision of medical equipments to treat Covid – 19 patients at SDH EDMC, Delhi during second wave of COVID-19 Pandemic (April-May 2021) (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC).
- "Covid-19 relief "Provision of Oxygen Cylinders to COVID 19 Patients at Acharya Shree Bhikshu Government Hospital, Moti Nagar Road, New Delhi" (Joint CSR initiative of NSFDC & NBCFDC).
- COVID-19 Emergency:-To provide dry ration kits for three hundred families for minimum livelihood support to the street vendors & daily wage labours like rickshaw pullers and hand cart pullers (Thela) affected second wave of the COVID-19 in Guwahati, Assam.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

- कोविड–19 राहत– कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सुंदरबाग, मुंबई की "झुग्गियों में प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण" (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल)।
- कोविड–19 राहत– डीजे हल्ली स्लम, बेंगलुरु में "दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, परित्यक्त और वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण" (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल)।
- कोविड–19 राहत– कोविड–19 महामारी (अप्रैल–मई 2021) की दूसरी लहर के दौरान एसडीएच ईडीएमसीए दिल्ली में कोविड–19 "रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपस्करों का प्रावधान" (एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की संयुक्त सीएसआर पहल)।
- कोविड–19 राहत– आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, मोती नगर रोड, नई दिल्ली में कोविड–19 "रोगियों हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान" (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की संयुक्त सीएसआर पहल)।
- कोविड–19 आपात स्थितिः– गुवाहाटी, असम में कोविड–19 की दूसरी लहर में प्रभावित हुए रेहड़ी–पटरी वालों एवं रिक्शा चालकों और हाथ ठेला खींचने वाले जैसे दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को न्यूनतम आजीविका सहायता के लिए तीन सौ परिवारों को "सूखा राशन किट प्रदान" करना।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

	ह0/–	ह0/–
	(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
स्थानः नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांकः 04.08.2022	(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

Annexure-5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 20212

(₹ in Lakh)

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues (1)	Cumulative Recoveries (2)	Overdues (3)	% age of Recoveries (4 = 2/1*100)
I.		**STATES**				
1		**Andhra Pradesh**				
	1.1	Andhra Pradesh (BC) -I	19230.76	19230.76	0.00	100
	1.2	Andhra Pradesh (BC) -II	1356.79	1005.02	351.77	74
	1.3	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.4	Andhra Pradesh Gramin Bank	5.10	5.10	0.00	100
	1.5	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
		Sub Total (1.1 to 1.5)	**22185.43**	**21833.66**	**351.77**	**98**
2		**Assam**				
	2.1	Assam (BC)	768.12	768.12	0.00	100
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	Assam (Artfed)	1520.62	1025.34	495.28	67
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**2655.82**	**2160.54**	**495.28**	**81**
3		**Bihar**				
	3.1	Bihar (BC)	5527.42	2275.35	3252.07	41
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	500.35	500.35	0.00	100
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**6027.77**	**2775.70**	**3252.07**	**46**
4		**Chhattishgarh**				
	4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	1729.48	1445.37	284.11	84
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	227.63	227.63	0.00	100
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**1957.11**	**1673.00**	**284.11**	**85**
5		Goa (SC/ST/BC)	2418.42	2364.89	53.53	98
6		**Gujarat**				
	6.1	Gujarat (BC)	9908.31	9908.31	0.00	100
	6.2	Guajrat (Gopalak)	3286.30	3286.30	0.00	100
	6.3	Guajrat (Thakor)	4306.11	4306.11	0.00	100
	6.4	Guajrat (Nomadic)	157.49	157.49	0.00	100
	6.5	Bank of Baroda Gujarat Gramin Bank	29.70	29.70	0.00	100
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	2029.10	2029.10	0.00	100
	6.7	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**19763.95**	**19763.95**	**0.00**	**100**
7		**Haryana**				
	7.1	Haryana (BC)	8276.87	8276.87	0.00	100
	7.2	Sarva Haryana Gramin Bank	54.26	54.26	0.00	100
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**8331.13**	**8331.13**	**0.00**	**100**
8		**Himachal Pradesh**				
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	6453.03	6453.03	0.00	100
	8.2	Himachal Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**6508.70**	**6508.70**	**0.00**	**100**
9		**Jammu & Kashmir**				
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	526.01	497.41	28.60	95
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	1924.17	1924.16	0.01	100
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**2450.18**	**2421.57**	**28.61**	**99**

अनुलग्नक–5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2022 तक एस.सी.ए.वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रू./लाख)

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		राज्य				
1		**आंध्र प्रदेश**				
	1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.) -I	19230.76	19230.76	0.00	100
	1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-II	1356.79	1005.02	351.77	74
	1.3	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.4	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	5.10	5.10	0.00	100
	1.5	आंध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 से 1.5)	**22185.43**	**21833.66**	**351.77**	**98**
2		**असम**				
	2.1	असम (बी.सी.)	768.12	768.12	0.00	100
	2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (आर्टफेड)	1520.62	1025.34	495.28	67
		उप योग (2.1 से 2.3)	**2655.82**	**2160.54**	**495.28**	**81**
3		**बिहार**				
	3.1	बिहार (बी.सी.)	5527.42	2275.35	3252.07	41
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	500.35	500.35	0.00	100
		उप योग (3.1 से 3.2)	**6027.77**	**2775.70**	**3252.07**	**46**
4		**छत्तीसगढ**				
	4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	1729.48	1445.37	284.11	84
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	227.63	227.63	0.00	100
		उप योग (4.1 से 4.2)	**1957.11**	**1673.00**	**284.11**	**85**
5		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	2418.42	2364.89	53.53	98
6		**गुजरात**				
	6.1	गुजरात (बी.सी.)	9908.31	9908.31	0.00	100
	6.2	गुजरात (गोपालक)	3286.30	3286.30	0.00	100
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	4306.11	4306.11	0.00	100
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	157.49	157.49	0.00	100
	6.5	बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	29.70	29.70	0.00	100
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2029.10	2029.10	0.00	100
	6.7	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 से 6.7)	**19763.95**	**19763.95**	**0.00**	**100**
7		**हरियाणा**				
	7.1	हरियाणा (बी.सी.)	8276.87	8276.87	0.00	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	54.26	54.26	0.00	100
		उप योग (7.1 से 7.2)	**8331.13**	**8331.13**	**0.00**	**100**
8		**हिमाचल प्रदेश**				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	6453.03	6453.03	0.00	100
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 से 8.2)	**6508.70**	**6508.70**	**0.00**	**100**
9		**जम्मू एवं कश्मीर**				
	9.1	जम्मू एवं कश्मीर (एससी)	526.01	497.41	28.60	95
	9.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	1924.17	1924.16	0.01	100
		उप योग (9.1 से 9.2)	**2450.18**	**2421.57**	**28.61**	**99**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues (1)	Cumulative Recoveries (2)	Overdues (3)	% age of Recoveries (4 = 2/1*100)
10		**Jharkhand**				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	635.96	587.08	48.88	92
	10.2	Vananchal Gramin Bank	255.72	255.72	0.00	100
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	207.63	207.63	0.00	100
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**1099.31**	**1050.43**	**48.88**	**96**
11		**Karnataka**				
	11.1	Karnataka (BC)	39797.75	39797.75	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	738.51	204.52	533.99	28
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**40536.26**	**40002.27**	**533.99**	**99**
12		**Kerala**				
	12.1	Kerala (Artisan)	757.30	757.29	0.01	100
	12.2	Kerala (BC)	98324.97	98324.76	0.21	100
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	35374.49	35374.46	0.03	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	742.41	712.20	30.21	96
	12.6	Kerala (Polymer)	173.59	79.62	93.97	46
	12.7	Kerala (Women)	11806.72	11806.67	0.05	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**148308.29**	**148183.81**	**124.48**	**100**
13		**Madhya Pradesh**				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1554.81	1393.17	161.64	90
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4625.86	4398.23	227.63	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	24.47	24.47	0.00	100
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	3346.58	3346.58	0.00	100
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**10175.46**	**9786.19**	**389.27**	**96**
14		**Maharashtra**				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2278.90	2204.49	74.41	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	8368.35	8256.92	111.43	99
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	Maharashtra Gramin Bank	0.36	0.36	0.00	100
	14.6	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.6)	**28240.97**	**28055.13**	**185.84**	**99**
15		**Manipur**				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**Orissa**				
	17.1	Orissa (BC)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	Orissa (Others)	41.77	29.55	12.22	71
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**2329.50**	**2317.28**	**12.22**	**99**
18		**Punjab**				
	18.1	Punjab (BC)	6002.71	6002.71	0.00	100
	18.2	Punjab (Gramin Bank)	3082.35	3082.35	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**9085.06**	**9085.06**	**0.00**	**100**
19		**Rajasthan**				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	5901.00	5675.33	225.67	96
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**6363.81**	**6138.14**	**225.67**	**96**
20		Sikkim (SC/ST)	3374.90	3090.56	284.34	92

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया (1)	सकल वसूली (2)	अतिदेय (3)	वसूली का प्रतिशत (4 = 2/1*100)
10		**झारखंड**				
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	635.96	587.08	48.88	92
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	255.72	255.72	0.00	100
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	207.63	207.63	0.00	100
		उप योग (10.1 से 10.3)	**1099.31**	**1050.43**	**48.88**	**96**
11		**कर्नाटक**				
	11.1	कर्नाटक (बी.सी.)	39797.75	39797.75	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	738.51	204.52	533.99	28
		उप योग (11.1 से 11.2)	**40536.26**	**40002.27**	**533.99**	**99**
12		**केरल**				
	12.1	केरल (आर्टीसन)	757.30	757.29	0.01	100
	12.2	केरल (बी.सी.)	98324.97	98324.76	0.21	100
	12.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	35374.49	35374.46	0.03	100
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	742.41	712.20	30.21	96
	12.6	केरल (पॉलिमर)	173.59	79.62	93.97	46
	12.7	केरल (वीमेन)	11806.72	11806.67	0.05	100
		उप योग (12.1 से 12.7)	**148308.29**	**148183.81**	**124.48**	**100**
13		**मध्य प्रदेश**				
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1554.81	1393.17	161.64	90
	13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	4625.86	4398.23	227.63	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	24.47	24.47	0.00	100
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	3346.58	3346.58	0.00	100
		उप योग (13.1 से 13.5)	**10175.46**	**9786.19**	**389.27**	**96**
14		**महाराष्ट्र**				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2278.90	2204.49	74.41	97
	14.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	8368.35	8256.92	111.43	99
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	0.36	0.36	0.00	100
	14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14.1 से 14.6)	**28240.97**	**28055.13**	**185.84**	**99**
15		**मणिपुर**				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 से 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**ओडिशा**				
	17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	41.77	29.55	12.22	71
		उप योग (17.1 से 17.2)	**2329.50**	**2317.28**	**12.22**	**99**
18		**पंजाब**				
	18.1	पंजाब (बी.सी.)	6002.71	6002.71	0.00	100
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	3082.35	3082.35	0.00	100
		उप योग (18.1 से 18.2)	**9085.06**	**9085.06**	**0.00**	**100**
19		**राजस्थान**				
	19.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	5901.00	5675.33	225.67	96
		उप योग (19.1 से 19.2)	**6363.81**	**6138.14**	**225.67**	**96**
20		सिक्किम (एससी/एसटी)	3374.90	3090.56	284.34	92

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues (1)	Cumulative Recoveries (2)	Overdues (3)	% age of Recoveries (4 = 2/1*100)
21		**Tamilnadu**				
	21.1	Tamilnadu (BC)	79722.03	79621.41	100.62	100
	21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	Tamilnadu (Others)	6.43	6.43	0.00	100
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**79781.14**	**79680.52**	**100.62**	**100**
22		**Tripura**				
	22.1	Tripura (OBC)	8933.38	8933.38	0.00	100
	22.2	Tripura Gramin Bank	185.34	185.34	0.00	100
		Sub Total (22.1 to 22.2)	**9118.72**	**9118.72**	**0.00**	**100**
23		**Telangna**				
		Stree Nidhi Credit Coop	457.48	457.48	0.00	100
24		**Uttar Pradesh**				
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	4629.46	4629.07	0.39	100
	24.3	Sarva U.P Gramin Bank	18.78	18.78	0.00	100
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	Kashi Goumti Grmain Bank	495.54	495.54	0.00	100
	24.6	Aryavart Gramin Bank	3434.12	3434.12	0.00	100
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.50	0.50	0.00	100
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**19432.32**	**19431.93**	**0.39**	**100**
25		**Uttarakhand**	**325.37**	**309.02**	**16.35**	**95**
	25.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	351.12	344.31	6.81	98
	25.2	Uttarakhand Gramin Bank	0.13	0.13	0.00	100
		Sub Total (25.1 to 25.2)	**351.25**	**344.44**	**6.81**	**98**
26		**West Bengal**				
	26.1	West Bengal (BC)	7726.67	7726.67	0.00	100
	26.2	West Bengal (Minorities)	836.53	820.31	16.22	98
	26.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
		Sub Total (26.1 to 26.3)	**8579.52**	**8563.30**	**16.22**	**100**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**446841.84**	**440447.74**	**6394.10**	**99**
II.		**UT's**				
27		Chandigarh (SC/BC)	114.79	114.79	0.00	100
28		Delhi (SC/ST/OBC)	425.01	425.01	0.00	100
29		**Puducherry**				
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	Puducherry (BC)	3996.66	3528.70	467.96	88
		Sub Total (29.1 to 29.2)	**4174.31**	**3706.35**	**467.96**	**89**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**4714.11**	**4246.15**	**467.96**	**90**
III.		**PSB's**				
30		Bank of Baroda	5479.69	5479.69	0.00	100
31		Punjab National Bank	628.56	628.56	0.00	100
32		Dena Bank	0.62	0.62	0.00	100
		Sub Total (30 to 32)	**6108.87**	**6108.87**	**0.00**	**100**
III.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**457664.82**	**450802.76**	**6862.06**	**98.50**

Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
21		**तमिलनाडु**				
	21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	79722.03	79621.41	100.62	100
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	6.43	6.43	0.00	100
		उप योग (21.1 से 21.3)	**79781.14**	**79680.52**	**100.62**	**100**
22		**त्रिपुरा**				
	22.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	8933.38	8933.38	0.00	100
	22.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	185.34	185.34	0.00	100
		उप योग (22.1 से 22.2)	**9118.72**	**9118.72**	**0.00**	**100**
23		**तेलंगना**				
	23.1	स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव.	457.48	457.48	0.00	100
24		**उत्तर प्रदेश**				
	24.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	4629.46	4629.07	0.39	100
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	18.78	18.78	0.00	100
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	495.54	495.54	0.00	100
	24.6	आर्यवृत ग्रामीण बैंक	3434.12	3434.12	0.00	100
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.50	0.50	0.00	100
		उप योग (24.1 से 24.7)	**19432.32**	**19431.93**	**0.39**	**100**
25		**उत्तराखंड**	325.37	309.02	16.35	95
	25.1	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	351.12	344.31	6.81	98
	25.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	0.13	0.13	0.00	100
		उप योग (25.1 से 25.2)	**351.25**	**344.44**	**6.81**	**98**
26		**पश्चिम बंगाल**				
	26.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	7726.67	7726.67	0.00	100
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	836.53	820.31	16.22	98
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
		उप योग (26.1 से 26.3)	**8579.52**	**8563.30**	**16.22**	**100**
		कुल – राज्य (1–26)	**446841.84**	**440447.74**	**6394.10**	**99**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**				
27		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	114.79	114.79	0.00	100
28		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	425.01	425.01	0.00	100
29		**पुडुचेरी**				
	29.1	पुडुचेरी (आदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	3996.66	3528.70	467.96	88
		उप कुल (29.1 से 29.2)	**4174.31**	**3706.35**	**467.96**	**89**
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (27–29)	**4714.11**	**4246.15**	**467.96**	**90**
III.		**पीएसबी**				
30		बैंक ऑफ बड़ौदा	5479.69	5479.69	0.00	100
31		पंजाब नेशनल बैंक	628.56	628.56	0.00	100
32		देना बैंक	0.62	0.62	0.00	100
		उप योग – पीएसबी (30–32)	**6108.87**	**6108.87**	**0.00**	**100**
III.		**कुल योग (I+II+III)**	**457664.82**	**450802.76**	**6862.06**	**98.50**

टिप्पणी : कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

Annexure-6

National Backward Classes Finance and Development Corporation

Statewise Skill Development Training Provided to target group under PM-DAKSH Yojana during the year 2021-22 (as on 31-03-2022)

Sl. No.	Name of the State/UTs	No. of Trainees	Amount Allocated (Rs. in Lakhs)	Amount Disbursed (Rs. in Lakhs)
1	Andhra Pradesh	653	81.30	9.50
2	Assam	1332	205.64	49.46
3	Bihar	1399	217.67	42.68
4	Chhatisgarh	390	67.78	17.96
5	Delhi	179	26.19	5.87
6	Gujarat	854	113.46	24.10
7	Haryana	419	70.05	12.93
8	Himachal Pradesh	120	11.85	3.04
9	J&K	495	92.68	17.94
10	Laddakh	50	6.03	0.54
11	Jharkhand	515	86.59	22.3
12	Karnataka	508	73.02	8.67
13	Kerala	546	67.13	10.53
14	Madhya Pradesh	1115	168.93	33.48
15	Maharashtra	1117	184.43	30.75
16	Manipur	407	78.15	16.08
17	Meghalaya	30	5.83	1.42
18	Odisha	413	82.61	6.95
19	Pondicherry	34	2.93	0
20	Punjab	471	71.00	18.00
21	Rajasthan	1129	191.08	34.89
22	Sikkim	155	24.26	6.08
23	Tamil Nadu	632	125.79	14.2
24	Telangana	441	76.63	11.01
25	Tripura	419	65.83	12.15
26	Uttar Pradesh	3109	474.53	112.14
27	Uttarakhand	180	25.44	6.34
28	West Bengal	1044	119.87	16.72
	Total	**18156**	**2816.70**	**545.72**

अनुलग्नक–6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2021–22 के दौरान पीएम–दक्ष योजना के तहत लक्षित समूह को राज्यवार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	प्रशिणार्थियों की संख्या	आवंटित राशि (₹ लाख में)	वितरित राशि (₹ लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	653	81.30	9.50
2	असम	1332	205.64	49.46
3	बिहार	1399	217.67	42.68
5	छत्तीसगढ़	390	67.78	17.96
6	दिल्ली	179	26.19	5.87
8	गुजरात	854	113.46	24.10
9	हरियाणा	419	70.05	12.93
10	हिमाचल प्रदेश	120	11.85	3.04
11	जम्मू एण्ड कश्मीर	495	92.68	17.94
12	लद्दाख	50	6.03	0.54
13	झारखंड	515	86.59	22.3
14	कर्नाटक	508	73.02	8.67
15	केरल	546	67.13	10.53
16	मध्य प्रदेश	1115	168.93	33.48
17	महाराष्ट्र	1117	184.43	30.75
18	मणिपुर	407	78.15	16.08
19	मेघालय	30	5.83	1.42
21	उड़ीसा	413	82.61	6.95
22	पुडुचेरी	34	2.93	0
23	पंजाब	471	71.00	18.00
24	राजस्थान	1129	191.08	34.89
25	सिक्किम	155	24.26	6.08
26	तमिलनाडु	632	125.79	14.2
27	तेलंगना	441	76.63	11.01
28	त्रिपुरा	419	65.83	12.15
29	उत्तर प्रदेश	3109	474.53	112.14
30	उत्तराखंड	180	25.44	6.34
31	पश्चिम बंगाल	1044	119.87	16.72
	कुल	**18156**	**2816.70**	**545.72**

ANNEXURE-7

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

MARKETING LINKAGS (2021-22)

Sl. No.	Name of Mela	State/UT	Date
1	Make in Uttarakhand 2021	Uttarakhand	16th - 17th September, 2021
2	Destination Himachal Pradesh 2021	Himachal Pradesh	28th - 30th September, 2021
3	India International Trade Fair, 2021	New Delhi	14th - 27th November, 2021
4	Swadeshi Mela, Lucknow 2021	Uttar Pradesh	17th - 26th December, 2021
5	Ujjwal Uttar Pradesh 2021	Uttar Pradesh	24th – 26th December, 2021
6	35th International Surajkund Craft Mela 2022	Haryana	19th March to 4th April 2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

अनुलग्नक–7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

विपणन संयोजन (2021–22)

क्र.स.	मेले का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक
1	मेक इन उत्तराखंड 2021	उत्तराखंड	16 – 17 सितंबर, 2021
2	गंतव्य हिमाचल प्रदेश 2021	हिमाचल प्रदेश	28 – 30 सितंबर, 2021
3	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021	नई दिल्ली	14 – 27 नवंबर, 2021
4	स्वदेशी मेला, लखनऊ 2021	उत्तर प्रदेश	17 – 26 दिसंबर, 2021
5	उज्जवल उत्तर प्रदेश 2021	उत्तर प्रदेश	24 – 26 दिसंबर, 2021
6	35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2022	हरियाणा	19 मार्च से 4 अप्रैल 2022

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2022

ANNEXURE-8

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A) EVALUATION STUDY OF LOAN SCHEMES OF NBCFDC IN THE STATE OF KERALA

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
Recommendations of Evaluating Agency in respect of Kerala State and Comments/Action Taken by NBCFDC		
1.	Skill Development Training is required for the SHG members; women members are more interested to do skill related business activities.	Based on assessment by SCAs interested members can be sent for Skill Development Programs conducted by NBCFDC through the Training institutes. NBCFDC's skill development initiatives are circulated with SCAs also from time to time.
2.	In Micro - Finance scheme, the other community members can be reduced from 40% to 30%.	SHG eligibility criteria are that maximum 40% of the members can be from other weaker sections and it in no way deters inclusion of OBC wherein members belonging to weaker sections are less. This is done with a view to promote heterogeneity and mainstreaming of OBC beneficiaries.
3.	Insurance for the Cattle, Poultry should be made mandatory for the Term loan beneficiaries	SCA shall be informed for taking action in this regard.
4.	The women beneficiaries are expecting KSWDC sponsored driving schools. After getting Driving License expect two-wheeler/ three-wheelers through KSWDC loans to market their products and to operate their own Auto rickshaws for earning.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
5.	The beneficiaries with good track of repaying can be entertained with Top-up facility during the loan period.	The aim of the NBCFDC schemes is to provide concessional finance to extremely marginalized people of its target group. However, on successful repayment of loan beneficiary can avail loan provided he/she fulfils the eligibility conditions (OBC caste and annual family income criteria).
6.	The guided value of the property shall be increase from 80% to 90% so that the beneficiaries will get more loan amount for their business.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
7.	To improve the awareness level of the NBCFDC and KSWDC loan schemes among the beneficiaries, the loans schemes can be disseminated through Social media and Print media.	NBCFDC provides Grant (upto Rs. 3.00 lakh in a year) to its Channel Partners for awareness camps and publicity activities. SCAs are advised to utilize the grant for publicity that will communicate the schemes of NBCFDC in most effective manner.

अनुलग्नक–8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(क) केरल राज्य के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाओं का मूल्याकंन अध्ययन

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ/कार्रवाई
केरल राज्य के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा की गई टिप्पणियाँ/कार्रवाई		
1.	एस.एच.जी. सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता है; महिला सदस्य कौशल से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को करने में अधिक रुचि रखती हैं।	एससीए द्वारा मूल्यांकन के आधार पर इच्छुक सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भेजा जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास पहलों को समय–समय पर एससीए को भी भेजा जाता है।
2.	सूक्ष्म–वित्त योजना में, अन्य समुदाय के सदस्यों को 40% से घटाकर 30% किया जा सकता है।	एसएचजी पात्रता मानदंड यह है कि अधिकतम 40% सदस्य अन्य कमजोर वर्गों से हो सकते हैं और यह किसी भी तरह से ओबीसी को शामिल करने से नहीं रोकता है जिसमें कमजोर वर्ग के सदस्य कम हैं। यह ओबीसी लाभार्थियों की विविधता को बढ़ावा देने और मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से किया जाता है।
3.	सावधि ऋण लाभार्थियों के लिए मवेशी, मुर्गी पालन के लिए बीमा अनिवार्य किया जाना चाहिए।	राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
4.	महिला लाभार्थी केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित ड्राइविंग स्कूलों की प्रतीक्षा कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद केरल स्टेट वीमेन डेवलपमेंट से ऋण के माध्यम से दोपहिया/तिपहिया वाहनों से अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने और आय सृजन के लिए अपने स्वयं के ऑटो रिक्शा संचालित करने की आशा में हैं।	राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
5.	ऋण अवधि के दौरान पुनर्भुगतान में अच्छा ट्रैक रखने वाले लाभार्थियों को टॉप–अप सुविधा हेतु अवसर प्रदान किया जा सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का उद्देश्य अपने लक्षित समूह के अति हाशिए पर रहने वाले लोगों को रियायती वित्त प्रदान करना है। तथापि; ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर लाभार्थी ऋण प्राप्त कर सकता है; बशर्ते वह पात्रता शर्तो (ओ.बी.सी. जाति और वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड) को पूरा करता हो।
6.	संपत्ति का निर्देशित मूल्य 80% से बढ़ाकर 90% किया जाए ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय के लिए अधिक ऋण राशि प्राप्त कर सके।	राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
7. .	लाभार्थियों के बीच एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता के स्तर में सुधार के लिए, ऋण योजनाओं को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार गतिविधियों के लिए अनुदान राशि (एक वर्ष में रु. 3.00 लाख तक) प्रदान करता है। एससीए को सलाह दी जाती है कि वे प्रचार के लिए अनुदान राशि का उपयोग करें जिससे एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं से अति प्रभावी तरीके से संसूचित हो सकेगें।

Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at NBCFDC level

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
1.	Majority of respondents opined that the loan amount sanctioned by NBCFDC is not sufficient for the beneficiaries to do a small scale business. Hence the loan amount can be increased by KSWDC.	As per the study average loan sanctioned by KSWDC for surveyed beneficiaries is Rs.2,75,820/- which is well below the NBCFDC's Term Loan limit of Rs. 15.00 Lakh per beneficiary. Loan limits are reviewed periodically based on input of channel partners and market trends.
2.	As per the feedback from the beneficiaries, KSWDC expecting Top-up facility from the corporations.	The aim of the NBCFDC schemes is to provide concessional finance to extremely marginalized people of its target group. However, on successful repayment of loan beneficiary can avail loan provided he/she fulfils the eligibility conditions (OBC caste and annual family income criteria). NBCFDC releases funds to its Channel Partners based on the demand raised by them.
3.	Expecting GIA up to 30 lakhs for Awareness programmes, Training programmes for the staff members and for promotional activities	Corporation provides GIA of 1% of released funds subject to maximum amount of Rs. 10.00 Lakh to SCA for improving their loan delivery, recovery and training of officials. For the KSWDC's performance from 2017-18 to 2020-21 for a period of four years an amount of Rs. 40.00 Lakh has been provided by NBCFDC. NBCFDC also provides grant upto Rs. 2.00 Lakh per year to SCA for publicity and awareness programs.
4.	NBCFDC have to improve the awareness level about the Loan Schemes and Skill Development Training Schemes like awareness camps should organized by NBCFDC.	NBCFDC provides Grant to its Channel Partners for awareness camps and publicity which can be utilized for creating adequate awareness as per the need of beneficiaries.
5.	The widows and physically challenged members are expecting special privileges like. Low interest, subsidy for the loan amount.	NBCFDC from 2019-20 is providing rebate of 0.25% for persons with disability (40% and above).
6.	In case of widows, if they became widow during the tenure of the loan, the balance loan amount can be totally waived.	Corporation has circulated Loan Distress Fund (LDF) policy which has been adopted by some of our good performing SCAs. The SCA has been advised to adopt LDF to meet such contingencies.
7.	As NMDFC giving Subsidy for the loans likewise the subsidy may be entertained for NBCFDC schemes also.	NBCFDC loans are provided at extremely concessional rate of interest and NBCFDC doesn't provide any subsidy presently under its scheme.
8.	At present the age limit for the beneficiaries is 55 years which may be extended to 60 years.	Age limit is decided by the SCA considering the repayment tenure, business for which loan is sought etc.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. स्तर पर लागू मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ / कार्रवाई
1.	अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत ऋण राशि लाभार्थियों के लिए छोटे व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऋण राशि को के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. द्वारा बढ़ाया जा सकता है।	अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों के लिए केएसडब्ल्यूडीसी द्वारा स्वीकृत औसत ऋण रु. 2,75,820 / — है, जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रति लाभार्थी रु. 15.00 लाख की सावधि ऋण सीमा से काफी कम है। चैनल सहभागियों और बाजार के रुझानों के इनपुट के आधार पर समय—समय पर ऋण सीमा की समीक्षा की जाती है।
2.	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के अनुसार, के.एस.डब्ल्यू.डी.सी., निगम से टॉप—अप सुविधा की अपेक्षा करता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का उद्देश्य अपने लक्षित समूह के अत्यंत हाशिए पर रहने वाले लोगों को रियायती वित्त प्रदान करना है। हालांकि, ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर लाभार्थी ऋण प्राप्त कर सकता है बशर्ते वह पात्रता शर्तों (ओ.बी.सी. जाति और वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड) को पूरा करता हो। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल पार्टनर्स द्वारा की गई मांग के आधार पर उन्हें फंड जारी करता है।
3.	जागरूकता कार्यक्रमों, स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रचार गतिविधियों के लिए रू. 30.00 लाख तक अनुदान राशि की आशा है।	निगम ऋण वितरण, वसूली और कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रू.10.00 लाख, जारी की गई निधियों के 1% अनुदान राशि एस.सी.ए. को प्रदान करता है। के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. के प्रदर्शन के लिए 2017—18 से 2020—21 तक चार साल की अवधि हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा रू. 40.00 लाख प्रदान किया गया है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एस.सी.ए. को प्रत्येक वर्ष रु. 2.00 लाख तक की अनुदान राशि प्रचार—प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध कराता है।
4.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण योजनाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में जागरूकता स्तर में सुधार करना चाहिए और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार के लिए अनुदान राशि प्रदान करता है जिसका उपयोग लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
5.	विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य कम ब्याज, ऋण राशि के लिए सब्सिडी जैसे विशेषाधिकारों की अपेक्षा कर रहे हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वर्ष 2019—20 से विकलांग व्यक्तियों (40% और अधिक) के लिए 0.25% की छूट प्रदान कर रहा है।
6.	विधवाओं के मामले में, यदि वे ऋण की अवधि के दौरान विधवा हो जाती हैं, तो शेष ऋण राशि को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है।	निगम ने ऋण संकट निधि (एल.डी.एफ.) नीति परिचालित की है जिसे हमारे कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले एससीए द्वारा अपनाया गया है। एससीए को ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एलडीएफ को अपनाने की सलाह दी गई है।
7.	जिस प्रकार एनएमडीएफसी ऋणों के लिए सब्सिडी दे रही है उसी प्रकार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भी योजनाओं के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋण अत्यंत रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वर्तमान में अपनी योजना के तहत कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है।
8.	वर्तमान में लाभार्थियों की आयु सीमा 55 वर्ष है जिसे 60 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	पुनर्भुगतान अवधि, व्यवसाय जिसके लिए ऋण मांगा गया है, आदि को देखते हुए एससीए द्वारा आयु सीमा तय की जाती है।

Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at State Channelising Agency(SCA)/Channel Partner (CP)Level

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
1.	Majority of respondents opined that the loan amount sanctioned by KSWDC is not sufficient for the beneficiaries to do a small-scale business. Hence the KSWDC should take steps to get additional amount from NBCFDC.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
2.	The beneficiaries who are defaulters are expecting subsidy for NBCFDC loan with regard to interest and principal amount. Hence KSWDC has to work out the feasibility of giving subsidy after discussing with NBCFDC.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
3.	The population of the backward classes is very high in the state of Kerala; hence the budget allocation for the Kerala can be increased.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
4.	The documents for getting loan should be simplified and it should be in uniform manner for the entire state.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
5.	The documentation for loan processing can be done through online.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
6.	KSWDC needs to improve awareness level of schemes of NBCFDC, which is the funding agency to provide loans to the Beneficiaries. Therefore, the Advertisement and Publicity of NBCFDC schemes is essential in the state of Kerala.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
7.	Apart from Term loan, MFS is entertained only in selected districts so MFS schemes should be entertained in all the districts of Kerala. for Women Empowerment	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
8.	In some districts there are no offices. Hence for ease access of beneficiaries the offices should be established in all the districts.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
9.	Some of the districts are having more number of Islands. The beneficiaries residing in Islands are expecting some special privileges as they have to travel through boats to procure the raw material and to market their products.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
10.	The beneficiaries are expecting loan top up so KSWDC should frame a policy after discussing with NBCFDC.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
11.	Privileges may be given to the Pre-closure of loan by the beneficiaries	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
12.	After repayment of previous loans, the beneficiaries are very much interested to get further loans to extend their business, because of the fullest cooperation of the KSWDC staffs. So KSWDC should take steps for giving that loan.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
13.	As part of regular follow up, in case of business, SCA may ensure photographs of Assets creation just after six months of loan disbursement to beneficiaries and also to ascertain the current status of business.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action
14.	The amount of loan sanctioned by NBCFDC is based on the letter of guarantee given by the State Government. So, SCA should take steps for increasing the guarantee amount given by the state government to cover up more people.	Report has been shared with CP by NBCFDC to take necessary action

स्टेट चैनलाईजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/चैनल पार्टनर (सी.पी.) स्तर पर लागू मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई/टिप्पणियाँ
1.	अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. द्वारा स्वीकृत ऋण राशि लाभार्थियों के लिए छोटे स्तर पर व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए के.एस.डब्लू.डी.सी. को एन.बी.सी. एफ.डी.सी. से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
2.	जो लाभार्थी डिफॉल्टर हैं, वे एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण के लिए ब्याज और मूल राशि के संबंध में सब्सिडी की उम्मीद कर रहे हैं। एन.बी.सी. एफ.डी.सी. से विचार–विमर्श करने के उपरान्त के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. को सब्सिडी देने की व्यवहार्यता पर काम करने की आवश्यकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
3.	केरल राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या बहुत अधिक है; इसलिए केरल के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
4.	ऋण प्राप्त करने के दस्तावेजों को सरल बनाया जाना चाहिए और यह पूरे राज्य के लिए समान रूप से होना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
5.	ऋण प्रक्रिया के लिए प्रलेखन ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
6.	के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने वाली वित्त पोषण एजेंसी है। इसलिए, केरल राज्य में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का विज्ञापन और प्रचार आवश्यक है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
7.	सावधि ऋण के अतिरिक्त, एम.एफ.एस. का प्रोत्साहन केवल चयनित जिलों में किया जाता है, अतः केरल के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण के लिए एम.एफ.एस. योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
8.	कुछ जिलों में कार्यालय नहीं हैं। अतः लाभार्थियों की सुगम पहुंच के लिए सभी जिलों में कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
9.	कुछ जिलों में द्वीपों की संख्या अधिक है। द्वीपों में रहने वाले लाभार्थी कुछ विशेषाधिकारों की अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कच्चे माल की खरीद और अपने उत्पादों के विपणन के लिए नावों से यात्रा करनी पड़ती है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
10.	लाभार्थी लोन टॉप अप चाहते हैं इसलिए के.एस.डब्ल्यू.डी.सी. को एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ विचार–विमर्श करने के बाद एक नीति तैयार करनी चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
11.	लाभार्थियों द्वारा ऋण अवधि से पूर्व–ऋण बंद (लोन क्लोजर) करने के लिए विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
12.	पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद, के.एस.डब्ल्यू.डी.सी.कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग के कारण, लाभार्थी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए और ऋण प्राप्त करने में बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए के.एस. डब्ल्यू.डी.सी. को इस प्रकार के ऋण देने के लिए कदम उठाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
13.	नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के अंग के रूप में, व्यवसाय के मामले में, एससीए लाभार्थियों को ऋण संवितरण के छः महीने बाद व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का भी पता लगाने के लिए संपत्ति निर्माण के फोटो ग्राफ्स सुनिश्चित कर सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।
14.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत ऋण राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी पत्र पर आधारित है। अतः एससीए द्वारा अधिक लोगों को कवर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि को बढ़ाने हेतु कदम उठाने चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चैनल सहयोग के साथ रिपोर्ट साझा की गई है।

(B) EVALUATION STUDY OF LOAN SCHEMES OF NBCFDC IN THE STATE OF RAJASTHAN

S.No.	Recommendations	Comments
Recommendations of Evaluating Agency in respect of Rajasthan State and Comments/Action Taken by NBCFDC		
1.	The results call for launching of different women centric schemes by NBCFDC. A proper gap analysis must be done regarding the expectation of women in the region and the actual delivery intended by these schemes. The new schemes should be designed keeping in mind the current market trends and should be reviewed periodically.	NBCFDC has exclusive schemes for the benefit of women viz. New Swarnima and Mahila Samriddhi Yojana under its Term Loan and Micro Finance Schemes respectively. Loan Limits under these schemes are also revised from time to time based on feedback from Channel Partners.
2.	Assistance should be provided for forward linkages. For example, a person who avails loan for carpentry should also be provided necessary training and financial assistance on how to package, brand and sell the produce at competitive rates in the market.	SCAs are provided information related to NBCFDC's Skill Development Training Program time to time. SCA based on assessment of beneficiaries can send them to such training programs.
3.	In view of the growing population of the backward classes in all the districts, it is advisable to increase the volume of the financial assistance. Many beneficiaries submitted that the loans sanctioned to them under the three schemes i.e., Term Loan, Micro Finance Scheme and Mahila Samriddhi Yojna of NBCFDC were insufficient to cater to their needs. Further, based on the budget of the project proposal, or business plan, the General Term Loan (GTL) amount should be increased depending upon the market value of the document of immovable property submitted by the beneficiary.	Loan limits under various schemes of NBCFDC are revised from time to time based on income eligibility criteria and feedback from its Channel Partners. Regarding the market value of the immovable property SCA has been informed to take necessary action.
4.	The beneficiaries were of the opinion that the rate of interest of the loan amount should be reduced to bring down the list of defaulters. Most of the people who avail loan are from poor background and hence find it difficult to repay loan. It is pertinent to mention that economy of the country has been badly affected in pandemic, with inconsistent income caused by multiple lockdowns throughout the year. Therefore, this situation has made impossible or difficult for them to repay their monthly loan installments.	NBCFDC provides loans under its schemes at very low rate of interest. Loans are provided for income generating activities only. Loan amount is provided by SCAs after factoring in repayment potential of the business undertaken by beneficiary.
5.	As data indicates around 70% beneficiaries could not provide employment to others. It means that not much employment has been generated through the scheme. Out of 600 beneficiaries, around 30% beneficiaries contributed to employment generation. To uplift the economy, it is advisable that NBCFDC should give special preference to those ventures which generate further employment.	NBCFDC provides loans to eligible OBC beneficiaries with Annual Family Income upto Rs. 3.00 Lakh. The primary objective of these loan schemes is to make beneficiaries atleast self-sufficient through various income generating activities. Hence, in short term the major goal for these beneficiaries is self-employment.
6.	NBCFDC should promote Skill Development Training. It is observed that business failure is one of the prominent reasons for irregularity in the repayment of loan. Therefore, possible help should be provided for training and nurturing local skills particularly in women centric business activities.	SCAs are provided information related to NBCFDC's Skill Development Training Program time to time. SCA based on assessment of beneficiaries can send them to such training programs.

ख. राजस्थान राज्य में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

क्र.सं.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
	राजस्थान राज्य के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा की गई टिप्पणियां/कार्रवाई	
1.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के परिणाम आह्वान करते हैं। क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा के संबंध में और इन योजनाओं के वास्तविक वितरण का उचित अंतराल पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। नई योजनाओं को बाजार के मौजूदा रुझानों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए और समय—समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास महिलाओं के लाभ के लिए विशेष योजनाएं हैं यथा; सावधि ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के तहत क्रमशः नई स्वर्णिमा और महिला समृद्धि योजना। चैनल पार्टनर्स के फीडबैक के आधार पर इन योजनाओं के तहत ऋण सीमाएं भी समय—समय पर संशोधित की जाती हैं।
2.	फॉरवर्ड लिंकेज के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो बढ़ईगीरी के लिए ऋण प्राप्त करता है, उसे बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद को पैकेज, ब्रांड और बेचने के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी एससीए को समय—समय पर प्रदान की जाती है। एस.सी.ए. लाभार्थियों के आंकलन के आधार पर उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज सकता है।
3.	सभी जिलों में पिछड़े वर्गो की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी जाती है। कई लाभार्थियों ने व्यक्त किया कि एनबीसीएफडीसी की तीन योजनाओं अर्थात सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त योजना और महिला समृद्धि योजना के तहत उन्हें स्वीकृत ऋण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्ताव, या व्यवसाय योजना के बजट के आधार पर, लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति के दस्तावेज के बाजार मूल्य के आधार पर सामान्य सावधि ऋण (जी.टी.एल.) राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सीमा समय—समय पर आय पात्रता मानदंड और इसके चैनल सहभागियों से प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित की जाती है। अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में एससीए को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।
4.	लाभार्थियों का मत था कि बकाएदारों की सूची को छोटा करने हेतु ऋण राशि की ब्याज दर कम की जानी चाहिए। ऋण लेने वाले अधिकांश लोग गरीब पृष्ठभूमि से हैं और इसलिए ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि महामारी में पूरे वर्ष कई लॉकडाउन होने के कारण अनियमित आय से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अतः; इस स्थिति ने उनके लिए अपनी मासिक ऋण किस्त चुकाना असंभव या कठिन बना दिया है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपनी योजनाओं के तहत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। ऋण केवल आय प्राप्त करने वाली गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थी द्वारा किए गए व्यवसाय की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए एससीए द्वारा ऋण राशि प्रदान की जाती है।
5.	जैसा कि आँकड़े संकेत करते हैं कि लगभग 70% लाभार्थी दूसरों को रोजगार प्रदान नहीं कर सके। इसका तात्पर्य है कि योजना से ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। 600 लाभार्थियों में से, लगभग 30% लाभार्थियों ने रोजगार सृजन में योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यह सलाह दी जाती है कि एनबीसीएफडीसी को उन कार्यकलापों को विशेष वरीयता देनी चाहिए जो आगे रोजगार पैदा करते हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. पात्र ओबीसी लाभार्थियों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख तक है को ऋण प्रदान करता है। इन ऋण योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अतः संक्षेप में, प्रमुख उद्देश्य इन लाभार्थियों को स्वरोजगार देना है।
6.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। यह देखा गया है कि व्यवसाय की विफलता ऋण की अदायगी में अनियमितता के प्रमुख कारणों में से एक है। अतः प्रशिक्षण हेतु संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए एवं खासकर महिला केन्द्रित व्यावसायिक कार्यकलापों को संपोषित किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी एस.सी.ए. को समय—समय पर प्रदान की जाती है। एस.सी.ए. लाभार्थियों के आधार पर उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज सकता है।

S.No.	Recommendations	Comments
7.	The beneficiaries were looking forward to insurance for their group members and their business (Animals).	SCA shall be informed for taking action in this regard.
8.	Since the awareness level regarding other schemes of NBCFDC is not good, NBCFDC must place big hoardings of their schemes in the premises of SCA. Further an advertising pamphlet may be given to all beneficiaries at the time of sanctioning the loan so that they can be acquainted with the other schemes.	Hoardings in head office will have limited visibility as most of the beneficiaries are from remote areas. Hence, SCAs are encouraged to conduct awareness camp in areas with concentration of OBC population. NBCFDC provides Grant upto Rs. 3.00 Lakh per year to its Channel Partners for awareness camps and publicity activities wherein various scheme related material/pamphlets is provided. SCAs are advised to utilize the grant for publicity that will communicate the schemes of NBCFDC in most effective manner.
9.	The analysis of repayment schedule revealed the mismatch of agreed and actual payment schedule. NBCFDC should scrutinise the schedule at periodic intervals so as to curb the possibility of non- performing assets.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
10.	Many beneficiaries shared that they experienced difficulties in getting the loan. The primary difficulty as mentioned by the beneficiaries was – 'different legal formalities to be complied with'. Since majority of the population of different schemes is not much educated, NBCFDC should make attempt to simplify the procedures. For this training should be imparted to official staff of SCAs and resource persons of the districts to overcome practical difficulties of clients.	Procedures for availing loan from the SCAs are defined by respective agency only. The delivery and recovery mechanism is decided by the respective Channel Partners. The SCAs have been advised from time to time to simplify the procedure. NBCFDC also provides grant under Performance Linked Grant in Aid (PLGIA) Scheme for strengthening the delivery mechanism and for training of the officials of Channel Partners. SCA shall be informed for taking action in this regard.
11.	The beneficiaries feel that the process of sanctioning the loan is very lengthy. Some of the respondents even mentioned that they got the sanctioning date after around 6-7 months. NBCFDC should institute mechanism wherein this time for getting the loan can be reduced. The loans must be sanctioned within two months from the date of application and must be disbursed within one month from the date of sanctioning so that the beneficiaries may start their activities in time. Further the format of application and their enclosures should be in a simplified manner which will ease the loan process.	To reduce the time gap and visits of beneficiary to office of channel partner due to incomplete documentation, SCAs are continually being advised to use SBMS. The system allows to upload requisite documents from remote place without the need of visiting office. Once such application is submitted in portal, district official checks document online.Also, SCA can seek clarification online only if the documents are incomplete and beneficiary can upload/ enter data for which clarification is sought. Once all such checks are completed then only District official conducts interview of applicant at site wherein he checks original documents without the need of multiple visits to office of SCA.
12.	Since a significant number of beneficiaries in the study were from rural areas, it is suggested that the household income limit should be revised so that maximum people can avail the loan boosting up self-employment avenues.	Annual Family Income limit for person belonging to OBC to avail NBCFDC loan is presently Rs. 3.00 Lakh. The limit is revised from time to time based on directions of Ministry.

क्र.सं.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
7.	लाभार्थी अपने समूह के सदस्यों और अपने व्यवसाय (पशु) के लिए बीमा की प्रतीक्षा कर रहे थे।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
8.	चूंकि एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अपनी योजनाओं के बड़े होर्डिंग एससीए के परिसर में लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करते समय एक विज्ञापन पुस्तिका दी जानी चाहिए ताकि वे अन्य योजनाओं से परिचित हो सकें।	मुख्यालय में होर्डिंग लगाने से सीमित लोग ही उसे देख सकेंगे; क्योंकि अधिकांश लाभार्थी दूर–दराज के क्षेत्रों से हैं। इसलिए, एस.सी.ए. को ओबीसी आबादी वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष रु. 3.00 लाख तक का अनुदान प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न योजना संबंधी सामग्री/पर्चे प्रदान किए जाते हैं। एससीए को सलाह दी जाती है कि वे प्रचार के लिए अनुदान का उपयोग करें जो एनबीसीएफडीसी की योजनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से संसूचित करेगा।
9.	पुनर्भुतान सूची का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि सहमत और वास्तविक भुगतान सूची बेमेल है। एनबीसीएफडीसी को समय–समय पर इस अनुसूची की जांच करनी चाहिए ताकि अनर्जक आस्तियों की संभावना पर अंकुश लगाया जा सके।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
10.	कई लाभार्थियों ने साझा किया है कि उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लाभार्थियों द्वारा बताई गई प्राथमिक कठिनाई थी – 'विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना'। चूंकि विभिन्न योजनाओं की अधिकांश आबादी अधिक शिक्षित नहीं है' इसलिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ग्राहकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एससीए के कार्मिकों एवं जिलों के संसाधकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	एससीए से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया केवल संबंधित एजेंसी द्वारा परिभाषित की जाती है। वितरण एवं वूसली तंत्र संबंधित चैनल भागीदारों द्वारा विनिश्चित किया जाता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एससीए को समय–समय पर सलाह दी गई है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वितरण तंत्र को मजबूत करने और चैनल पार्टनर्स के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यनिष्पादन से संबद्ध (पी.एल.जी.आई.ए.) योजना के तहत अनुदान भी प्रदान करता है। इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एससीए को सूचित किया जाएगा।
11.	लाभार्थियों को लगता है कि ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें लगभग 6–7 महीनों के बाद स्वीकृति मिली। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें ऋण प्राप्त करने के लिए इस समय को कम किया जा सके। आवेदन की तारीख से दो महीने के भीतर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और मंजूरी की तारीख से एक महीने के भीतर वितरित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी समय पर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकें। इसके अलावा आवेदन का प्रारूप और उनके संलग्नक सरलतम होने चाहिए जिससे ऋण प्रक्रिया आसान होगी।	अपूर्ण प्रमाणीकरण के कारण चैनल पार्टनर के कार्यालय में लाभार्थी के दौरे व समय–अंतराल को कम करने के लिए, एससीए को लगातार एसबीएमएस का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। यह सिस्टम कार्यालय जाए बिना दूरस्थ स्थान से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। एक बार इस तरह के आवेदन को पोर्टल में जमा करने के बाद, जिले का कार्मिक ऑनलाइन दस्तावेज़ की जाँच करता है। साथ ही, एससीए केवल तभी ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकता है जब दस्तावेज अधूरे हों और लाभार्थी उस डेटा को अपलोड/प्रविष्ट कर सकता है जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक बार इस तरह की सभी जांच पूरी हो जाने के बाद ही जिले का कार्मिक साइट पर आवेदक का साक्षात्कार आयोजित करता है, जिसमें वह एससीए के कार्यालय में कई बार जाने की आवश्यकता के बिना मूल दस्तावेजों की जांच करता है।
12.	चूंकि अध्ययन में बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि घरेलू आय सीमा को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण का लाभ उठा सकें।	ओबीसी से संबंधित व्यक्तियों के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा वर्तमान में रू. 3.00 लाख है। मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर समय–समय पर सीमा में संशोधन किया जाता है।

S.No.	Recommendations	Comments
13.	The widows and physically challenged members expected special privileges like low rate of interest and subsidy for the loan amount.	NBCFDC from 2019-20 is providing rebate of 0.25% for persons with disbaility (40% and above). Also, Corporation has circulated Loan Distress Fund (LDF) policy which has been adopted by some of our good performing SCAs. The SCA has been advised to adopt LDF to meet such contingencies.
14.	Education is a catalyst for social transformation and social change. It is noted that there were no takers for education loan barring few exceptions. There is need to create awareness to avail the education loan and develop related skills among the beneficiaries so that there is a scope for their employability in different sectors.	NBCFDC provides Grant upto Rs. 3.00 Lakh per year to its Channel Partners for awareness camps and publicity activities wherein various scheme related material/pamphlets is provided. SCAs are advised to utilize the grant for publicity that will communicate the schemes of NBCFDC in most effective manner.
15.	The study finds that the loan amount taken by the studied population is not adequate enough to bring out marked improvement in the lifestyles of beneficiaries. NBCFDC may reconsider increasing the loan amount of the schemes under the present study to experience perceptible change by the beneficiaries in their lives.	Loan limits under various schemes of NBCFDC are revised from time to time based on income eligibility criteria and feedback from its Channel Partners.
16.	A mobile app can be designed to provide end to end communication (comments, suggestions, query) from the side of the applicant. It will also provide the beneficiaries a hassle-free process of procuring the loan wherein they can get information about receiving the instalments and checking the update and status of their loan For NBCFDC and SCA a location-based tracker could be made available in the app so as to keep a track of the shop/occupation of the beneficiary. This will also help them spot the defaulter more easily and quickly.	Noted. SBMS mobile app is under development and will be unveiled soon.
17.	The responsibility for disbursement of online loan should be given to the district units instead of SCA. This is because majority district units are unable to track the disbursement of instalments, which take more than 12 months to be transferred into the accounts of the beneficiaries. The districts units receive information much later about the transfer of loan in the accounts of beneficiaries. Moreover, this will also reduce the burden of the SCA and hold the district units accountable for their actions.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at NBCFDC level		
1.	The results call for launching of different women centric schemes by NBCFDC. A proper gap analysis must be done regarding the expectation of women in the region and the actual delivery intended by these schemes. The new schemes should be designed keeping in mind the current market trends and should be reviewed periodically.	NBCFDC has exclusive schemes for the benefit of women viz. New Swarnima and Mahila Samriddhi Yojana under its Term Loan and Micro Finance Schemes respectively. Loan Limits under these schemes are also revised from time to time based on feedback from Channel Partners.

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
13.	विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य ऋण राशि के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी जैसे विशेषाधिकारों की अपेक्षा करते हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वर्ष 2019–20 से विकलांग व्यक्तियों (40% और अधिक) के लिए 0.25% की छूट प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, निगम ने ऋण संकट निधि (एल.डी.एफ) नीति परिचालित की है जिसे हमारे कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले एससीए द्वारा अपनाया गया है। एससीए को ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एलडीएफ को अपनाने की सलाह दी गई है।
14.	शिक्षा सामाजिक रुपांतरण और सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है। यह ध्यान दिलाया जाता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षा ऋण लेने वाले कोई नहीं थे। शिक्षा ऋण का लाभ उठाने और लाभार्थियों के बीच संबंधित कौशल विकसित करने हेतु जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उनके रोजगार की गुंजाइश हो।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष रू. 3.00 लाख तक का अनुदान प्रदान करता है जिसमें विभिन्न योजना संबंधी सामग्री / पर्चे प्रदान किए जाते हैं। एससीए को सलाह दी जाती है कि वे प्रचार के लिए अनुदान का उपयोग करें जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से संसूचित करेगा।
15.	अध्ययन में पाया गया है कि लक्षित आबादी द्वारा ली गई ऋण राशि लाभार्थियों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्ययन के तहत अपने जीवन में लाभार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष परिवर्तन का अनुभव करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं की ऋण राशि बढ़ाने पर विचार कर सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सीमा, समय–समय पर आय पात्रता मानदंड और इसके चैनल सहभागियों से प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित की जाती है।
16.	आवेदक की ओर से आरंभ से अंत तक संचार सुविधाएं (टिप्पणीयाँ, सुझाव, प्रश्न) प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा सकता है। यह लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने की एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया भी प्रदान करेगा जिसमें वे किश्त प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ऋण की अद्यतन स्थिति की जांच कर सकते हैं, इसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एससीए के लिए एक स्थान–आधारित ट्रैकर उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि जिससे लाभार्थी की दुकान/व्यवसाय पर नजर रखी जा सके। यह डिफॉल्टर को आसानी से और जल्दी से पहचानने में भी मदद करेगा।	नोट कर लिया गया है। एस.बी.एम.एस. मोबाइल ऐप प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा।
17.	ऑनलाइन ऋण वितरण की जिम्मेदारी एससीए की बजाय जिले की इकाइयों को दी जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश जिले की इकाइयाँ किश्तों के वितरण को ट्रैक करने में असमर्थ हैं, जिन्हें लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने में 12 महीने से अधिक समय लगता है। लाभार्थियों के खातों में ऋण के हस्तांतरण के बारे में जिला इकाइयों को बहुत बाद में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह एससीए के बोझ को भी कम करेगा और जिला इकाइयों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाएगा।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. स्तर पर लागू मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु	
1.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के परिणाम आह्वान करते हैं। क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा के संबंध में और इन योजनाओं के वास्तविक वितरण का उचित अंतराल पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। नई योजनाओं को बाजार के मौजूदा रुझानों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए और समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास महिलाओं के लाभ के लिए विशेष योजनाएं हैं यथा; सावधि ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के तहत क्रमशः नई स्वर्णिमा और महिला समृद्धि योजना। चैनल पार्टनर्स के फीडबैक के आधार पर इन योजनाओं के तहत ऋण सीमाएं भी समय–समय पर संशोधित की जाती हैं।

S.No.	Recommendations	Comments
2.	Assistance should be provided for forward linkages. For example, a person who avails loan for carpentry should also be provided necessary training matching to their business and financial assistance on how to package, brand and sell the produce at competitive rates in the market.	SCAs are provided information related to NBCFDC's Skill Development Training Program time to time. SCA based on assessment of beneficiaries can send them to such training programs.
3.	In view of the growing population of the backward classes in all the districts, it is advisable to increase the volume of the financial assistance. Many beneficiaries submitted that the loans sanctioned to them under the three schemes i.e., Term Loan, Micro Finance Scheme and Mahila Samriddhi Yojna of NBCFDC, were insufficient to cater to their business needs. Further, based on the budget of the project proposal, or business plan, the General Term Loan (GTL) amount should be increased depending upon the market value of the document of immovable property submitted by the beneficiary.	Funds are released to the SCAs based on demand raised by them and fulfilment of prudential lending norms. Loans are sanctioned to beneficiaries by SCAs based on their own assessment norms such as eligibility criteria, repayment capacity etc.
4.	The beneficiaries were of the opinion that the rate of interest of the loan amount should be reduced to bring down the list of defaulters. Most of the people who avail loan are from poor background and hence find it difficult to repay loan. It is pertinent to mention that economy of the country has been badly affected in pandemic, with inconsistent income caused by multiple lockdowns throughout the year. Therefore, this situation has made impossible or difficult for them to repay their monthly loan installments.	NBCFDC provides loans under its schemes at very low rate of interest. Loans are provided for income generating activities only. Loan amount is provided by SCAs after factoring in repayment potential of the business undertaken by beneficiary.
5.	As data indicates around 70% beneficiaries could not provide employment to others. Not much employment has been generated through the scheme. Out of 600 beneficiaries, around 30% beneficiaries contributed to employment generation. To uplift the economy, it is advisable that NBCFDC should give special preference to those ventures which generate further employment.	NBCFDC provides loans to eligible OBC beneficiaries with Annual Family Income upto Rs. 3.00 Lakh through SCAs. The primary objective of these loan schemes is to make beneficiaries atleast self-sufficient through various income generating activities. Hence, in short term the major goal for these beneficiaries is self- employment.
6.	NBCFDC should promote Skill Development Training. It is observed that business failure is one of the prominent reasons for irregularity in the repayment of loan. Therefore,possible help should be provided for training and nurturing local skills particularly in women centric business activities.	SCAs are provided information related to NBCFDC's Skill Development Training Program time to time. SCA based on assessment of beneficiaries can send them to such training programs.
7.	The beneficiaries were looking forward to insurance for their group members and their business (Animals).	SCA shall be informed for taking action in this regard.

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
2.	फॉरवर्ड लिंकेज के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बढ़ईगीरी के लिए ऋण प्राप्त करता है उसे अपने व्यवसाय से मेल खाते हुए आवश्यक प्रशिक्षण और बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद की पैकिंग, ब्रांड और बिक्री के बारे में वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	एससीए को समय–समय पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर एससीए उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज सकता है।
3.	सभी जिलों में पिछड़े वर्गों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी जाती है। कई लाभार्थियों ने बताया कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की तीन योजनाओं अर्थात सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त योजना और महिला समृद्धि योजना के तहत उन्हें स्वीकृत ऋण उनकी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। इसके अलावा, परियोजना प्रस्ताव या व्यवसाय योजना के बजट के आधार पर लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति के दस्तावेज के बाजार मूल्य के आधार पर सामान्य सावधि ऋण (जी.टी.एल.) राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।	एससीए को उनके द्वारा की गई मांग और विवेकपूर्ण उधार मानदंडों की पूर्ति के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। पात्रता मानदंड, चुकौती क्षमता आदि अपने स्वयं के मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर एससीए द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।
4.	लाभार्थियों का मत था कि बकाएदारों की सूची को छोटा करने हेतु ऋण राशि की ब्याज दर कम की जानी चाहिए। ऋण लेने वाले अधिकांश लोग गरीब पृष्ठभूमि से हैं और इसलिए ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि महामारी में पूरे वर्ष कई लॉकडाउन होने के कारण अनियमित आय से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अतः; इस स्थिति ने उनके लिए अपनी मासिक ऋण किस्त चुकाना असंभव या कठिन बना दिया है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपनी योजनाओं के तहत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। ऋण केवल आय प्राप्त करने वाली गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थी द्वारा किए गए व्यवसाय की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए एससीए द्वारा ऋण राशि प्रदान की जाती है।
5.	जैसा कि आँकड़े संकेत करते हैं कि लगभग 70% लाभार्थी दूसरों को रोजगार प्रदान नहीं कर सके। योजना से ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। 600 लाभार्थियों में से लगभग 30% लाभार्थियों ने रोजगार सृजन में योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यह सलाह दी जाती है कि एनबीसीएफडीसी को उन कार्यकलापों को विशेष वरीयता देनी चाहिए जो आगे रोजगार पैदा करते हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एस.सी.ए. के माध्यम से पात्र ओबीसी लाभार्थियों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख तक है, को ऋण प्रदान करता है। इन ऋण योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अतः प्रमुख उद्देश्य कम समय में इन लाभार्थियों को स्वरोजगार देना है।
6.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। यह देखा गया है कि ऋण की अदायगी में अनियमितता का प्रमुख कारणों में से व्यवसाय की विफलता एक कारण है। अतः प्रशिक्षण हेतु संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए एवं खासकर महिला केन्द्रित व्यावसायिक कार्यकलापों को संपोषित किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी एस.सी.ए. को समय–समय पर प्रदान की जाती है। एस.सी.ए. लाभार्थियों के आकलन के आधार पर उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज सकता है।
7.	लाभार्थी अपने समूह के सदस्यों और अपने व्यवसाय (पशु) के लिए बीमा की प्रतीक्षा कर रहे थे।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।

S.No.	Recommendations	Comments
8.	Since there is a need to improve the awareness level regarding other schemes of NBCFDC, NBCFDC must place big hoardings of their schemes in the premises of SCA. Further an advertising pamphlet may be given to all beneficiaries at the time of sanctioning the loan so that they can be acquainted with the other schemes.	Hoardings in head office will have limited visibility as most of the beneficiaries are from remote areas. hence, SCAs are encouraged to conduct awareness camp in areas with concentration of OBC population. NBCFDC provides Grant upto Rs. 3.00 Lakh per year to its Channel Partners for awareness camps and publicity activities wherein various scheme related material/pamphlets is provided. SCAs are advised to utilize the grant for publicity that will communicate the schemes of NBCFDC in most effective manner.
9.	The analysis of repayment schedule revealed the mismatch of agreed and actual payment schedule. NBCFDC should scrutinise the schedule at periodic intervals, so as to curb the possibility of non- performing assets. Needs to shift to the Actionable points at SCA level.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
10.	Many beneficiaries shared that they experienced difficulties in getting the loan. The primary difficulty as mentioned by the beneficiaries was – 'different legal formalities to be complied with'. Since majority of the population of different schemes is not much educated, NBCFDC should make attempt to simplify the procedures. For this training should be imparted to official staff of SCAs and resource persons of the districts to overcome practical difficulties of clients.	Procedures for availing loan from the SCAs are defined by respective agency only. The delivery and recovery mechanism is decided by the respective Channel Partners. The SCAs have been advised from time to time to simplify the procedure. NBCFDC also provides grant under Performance Linked Grant in Aid (PLGIA) Scheme for strengthening the delivery mechanism and for training of the officials of Channel Partners. SCA shall be informed for taking action in this regard.
11.	The beneficiaries feel that the process of sanctioning the loan is very lengthy. Some of the respondents even mentioned that they got the sanctioned loan even after a period of more than 6 months. NBCFDC should institute mechanism wherein this time for getting the loan can be reduced. The loans must be sanctioned within two months from the date of application and must be disbursed within one month from the date of sanctioning so that the beneficiaries may start their activities in time. Further the format of application and their enclosures should be in a simplified manner which will ease the loan process. It is also suggested that to reduce the time of disbursement, NBCFDC need to keep regular follow up for disbursement of the applied loan amount by the SCA in a timely manner. NBCFDC may ask the SCA to send quarterly report of disbursed loan amount to know the disbursement status, so that timely disbursement to the beneficiaries could be made.	To reduce the time gap and visits of beneficiary to office of channel partner due to incomplete documentation, SCAs are continually being advised to use SBMS. The system allows to upload requisite documents from remote place without the need of visiting office. Once such application is submitted in portal, district official checks document online.Also, SCA can seek clarification online only if the documents are incomplete and beneficiary can upload/ enter data for which clarification is sought. Once all such checks are completed then only District official conducts interview of applicant at site wherein he checks original documents without the need of multiple visits to office of SCA.

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
8.	चूंकि एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अपनी योजनाओं के बड़े होर्डिंग एससीए के परिसर में लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करते समय एक विज्ञापन पुस्तिका दी जानी चाहिए ताकि वे अन्य योजनाओं से परिचित हो सकें।	मुख्यालय में होर्डिंग लगाने से सीमित लोग ही उसे देख सकेंगे; क्योंकि अधिकांश लाभार्थी दूर—दराज के क्षेत्रों में हैं। इसलिए, एस.सी.ए. को ओबीसी आबादी वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष रु. 3.00 लाख तक का अनुदान प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न योजना संबंधी सामग्री/पर्चे प्रदान किए जाते हैं। एससीए को सलाह दी जाती है कि वे प्रचार के लिए अनुदान का उपयोग करें जो एनबीसीएफडीसी की योजनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से संसूचित करेगा।
9.	चुकौती सूची के विश्लेषण यह प्रकट करता है कि सहमत और वास्तविक भुगतान सूची के बेमेल है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को समय—समय पर सूची की जांच करनी चाहिए, ताकि अनर्जक आस्तियों की संभावना पर अंकुश लगाया जा सके। एससीए को कार्रवाई योग्य बिंदुओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
10.	कई लाभार्थियों ने साझा किया कि उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लाभार्थियों द्वारा बताई गई प्राथमिक कठिनाई थी – 'विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना'। चूंकि विभिन्न योजनाओं की अधिकांश आबादी अधिक शिक्षित नहीं है, इसलिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ग्राहकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एससीए के आधिकारिक कर्मचारियों और जिलों के संसाधनों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	एससीए से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया केवल संबंधित एजेंसी द्वारा परिभाषित की जाती है। वितरण और पुनर्प्राप्ति तंत्र संबंधित चैनल भागीदारों द्वारा तय किया जाता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एससीए को समय—समय पर सलाह दी गई है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वितरण तंत्र को मजबूत करने और चैनल पार्टनर्स के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शन लिंक्ड ग्रांट इन एड (पी.एल.जी.आई.ए.) योजना के तहत अनुदान भी प्रदान करता है। इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एससीए को सूचित किया जाएगा।
11.	लाभार्थियों को लगता है कि ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें 6 महीने से अधिक की अवधि के बाद स्वीकृत ऋण मिला। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें ऋण प्राप्त करने के लिए इस समय को कम किया जा सके। आवेदन की तारीख से दो महीने के भीतर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और मंजूरी की तारीख से एक महीने के भीतर वितरित की जानी चाहिए ताकि लाभार्थी समय पर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, आवेदन का प्रारूप और उनके संलग्नक सरल होने चाहिए जिससे ऋण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह भी सुझाव दिया जाता है कि संवितरण के समय को कम करने के लिए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को एससीए द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू ऋण राशि के वितरण के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एससीए को संवितरण की स्थिति जानने के लिए संवितरित ऋण राशि की त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है ताकि लाभार्थियों को समय पर ऋण वितरण किया जा सके।	अपूर्ण प्रमाणीकरण के कारण चैनल पार्टनर के कार्यालय में लाभार्थी के दौरे व समय—अंतराल को कम करने के लिए, एससीए को लगातार एसबीएमएस का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। यह सिस्टम कार्यालय जाए बिना दूरस्थ स्थान से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। एक बार इस तरह के आवेदन को पोर्टल में जमा करने के बाद, जिले का कार्मिक ऑनलाइन दस्तावेज़ की जाँच करता है। साथ ही, एससीए केवल तभी ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकता है जब दस्तावेज अधूरे हों और लाभार्थी उस डेटा को अपलोड/प्रविष्ट कर सकता है जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक बार इस तरह की सभी जांच पूरी हो जाने के बाद ही जिले का कार्मिक साइट पर आवेदक का साक्षात्कार आयोजित करता है, जिसमें वह एससीए के कार्यालय में कई बार जाने की आवश्यकता के बिना मूल दस्तावेजों की जांच करता है।

S.No.	Recommendations	Comments
12.	It has been observed that most of the beneficiaries in their feedback have requested to enhance the loan amount as the sanctioned amount was insufficient to meet their needs. Sometimes setting up a business requires a heavy funding. For getting a higher amount of loan they are required to mortgage some of their valuable articles while the situation is that on account of their poor social-economic conditions they are unable to provide any such valuable article which can be mortgaged.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
13.	Since a significant number of beneficiaries in the study were from rural areas, it is suggested that the household income limit should be revised so that maximum people can avail the loan boosting up self-employment avenues.	Annual Family Income limit for person belonging to OBC to avail NBCFDC loan is presently Rs. 3.00 Lakh. The limit is revised from time to time based on directions of Ministry.
14.	The widows and physically challenged members expected special privileges like low rate of interest and subsidy for the loan amount.	NBCFDC from 2019-20 is providing rebate of 0.25% for persons with disbaility (40% and above). Also, Corporation has circulated Loan Distress Fund (LDF) policy which has been adopted by some of our good performing SCAs. The SCA has been advised to adopt LDF to meet such contingencies.
15.	Education is a catalyst for social transformation and social change. It is noted that there were no takers for education loan barring few exceptions. There is need to create awareness to avail the education loan and develop related skills among the beneficiaries so that there is a scope for their employability in different sectors.	NBCFDC provides Grant upto Rs. 3.00 Lakh per year to its Channel Partners for awareness camps and publicity activities wherein various scheme related material/pamphlets is provided. SCAs are advised to utilize the grant for publicity that will communicate the schemes of NBCFDC in most effective manner.
16.	The study finds that the loan amount taken by the studied population is not adequate enough to bring out marked improvement in the lifestyles of beneficiaries. NBCFDC may reconsider increasing the loan amount of the schemes under the present study to experience perceptible change by the beneficiaries in their lives.	Loan limits under various schemes of NBCFDC are revised from time to time based on income eligibility criteria and feedback from its Channel Partners. Regarding the market value of the immovable property SCA has been informed to take necessary action.
17.	A mobile app can be designed to provide end to end communication (comments, suggestions, query) from the side of the applicant. It will also provide the beneficiaries a hassle-free process of procuring the loan wherein they can get information about receiving the instalments and checking the update and status of their loan For NBCFDC and SCA a location-based tracker could be made available in the app so as to keep a track of the shop/ occupation of the beneficiary. This will also help them spot the defaulter more easily and quickly.	Noted. SBMS mobile app is under development and will be unveiled soon.
18.	The responsibility for disbursement of online loan should be given to the district units instead of SCA. This is because majority district units are unable to track the disbursement of instalments, which take more than 12 months to be transferred into the accounts of the beneficiaries.	SCA shall be informed for taking action in this regard.

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
12.	यह देखा गया है कि अधिकांश लाभार्थियों ने अपने फीडबैक में ऋण राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि स्वीकृत राशि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। कभी–कभी व्यवसाय स्थापित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ऋण की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी कुछ मूल्यवान वस्तुओं को गिरवी रखना पड़ता है जबकि स्थिति यह है कि उनकी खराब सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण वे ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं जिसे गिरवी रखा जा सकता है।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
13.	चूंकि अध्ययन में बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि घरेलू आय सीमा को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण का लाभ उठा सकें।	वर्तमान में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. पात्र ओबीसी लाभार्थियों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख तक है को ऋण प्रदान करता है। मंत्रालय के निर्देशानुसार समय–समय पर सीमा में संशोधन किया जाता है।
14.	विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य ऋण राशि के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी जैसे विशेषाधिकारों की अपेक्षा करते हैं।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वर्ष 2019–20 से विकलांग व्यक्तियों (40% और अधिक) के लिए 0.25% की छूट प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, निगम ने ऋण संकट निधि (एल.डी.एफ) नीति परिचालित की है जिसे हमारे कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले एससीए द्वारा अपनाया गया है। एससीए को ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एलडीएफ को अपनाने की सलाह दी गई है।
15.	शिक्षा सामाजिक रूपांतरण और सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है। यह ध्यान दिलाया जाता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षा ऋण लेने वाले कोई नहीं थे। शिक्षा ऋण का लाभ उठाने और लाभार्थियों के बीच संबंधित कौशल विकसित करने हेतु जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उनके रोजगार की गुंजाइश हो।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविरों और प्रचार गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष रू. 3.00 लाख तक का अनुदान प्रदान करता है जिसमें विभिन्न योजना संबंधी सामग्री / पर्चे प्रदान किए जाते हैं। एससीए को सलाह दी जाती है कि वे प्रचार के लिए अनुदान का उपयोग करें जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से संसूचित करेगा।
16.	अध्ययन में पाया गया है कि लक्षित आबादी द्वारा ली गई ऋण राशि लाभार्थियों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्ययन के तहत अपने जीवन में लाभार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष परिवर्तन का अनुभव करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं की ऋण राशि बढ़ाने पर विचार कर सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सीमा समय–समय पर आय पात्रता मानदंड और इसके चैनल सहभागियों से प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित की जाती है। अस्थाई परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य के बारे में एससीए को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
17.	आवेदक की ओर से आरंभ से अंत तक संचार सुविधाएं (टिप्पणीयाँ, सुझाव, प्रश्न) प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा सकता है। यह लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने की एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया भी प्रदान करेगा जिसमें वे किश्त प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ऋण की अद्यतन स्थिति की जांच कर सकते हैं, इसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एससीए के लिए एक स्थान–आधारित ट्रैकर उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि जिससे लाभार्थी की दुकान/व्यवसाय पर नजर रखी जा सके। यह डिफॉल्टर को आसानी से और जल्दी से पहचानने में भी मदद करेगा।	नोट कर लिया गया है। एस.बी.एम.एस. मोबाइल ऐप प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा।
18.	ऑनलाइन ऋण वितरण की जिम्मेदारी एससीए की बजाय जिले की इकाइयों को दी जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश जिले की इकाइयाँ किश्तों के वितरण को ट्रैक करने में असमर्थ हैं, जिन्हें लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने में 12 महीने से अधिक समय लगता है।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।

S.No.	Recommendations	Comments
19.	The districts units receive information much later about the transfer of loan in the accounts of beneficiaries. Moreover, this will also reduce the burden of the SCA and hold the district units accountable for their actions.	SCA shall be informed for taking action in this regard.
Action Taken points/recommendations at State Channelising Agency(SCA)/Channel Partner (CP)Level		
1.	It is noted that majority of the beneficiaries of the Rajasthan other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd for the two schemes General Term Loan and Micro Finance Schemes were males. As similar trend is observed in many districts, SCA, Jaipur should take initiative to make more women aware of the schemes of NBCFDC. SCA needs to improve awareness mechanism for creating awareness in all the districts.	Report has been shared with Channel Partner (CP) by NBCFDC to take necessary action.
2.	Most of the respondents have linkage of Mobile and Aadhar number but SCA must ensure complete adherence to the norms.	-Do-
3.	SCA should conduct special advertisement campaign to popularise the schemes of NBCFDC as some respondents expressed dissatisfaction regarding the information furnished by SCA officials.	-Do-
4.	SCA should have regular programmes to create awareness about different financing schemes particularly for the unemployed youth. SCA may work with employment agencies for advertising the schemes of NBCFDC and can place hoardings at employment agencies.	-Do-
5.	When respondents were enquired about their awareness level regarding other schemes of NBCFDC, the study observed that around 62% of the beneficiaries of Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation were aware about other schemes of NBCFDC whereas around 38% of the beneficiaries were not aware about other schemes. Analysis of different districts revealed that the level of awareness about other schemes of NBCFDC is very poor in some districts . Hence, efforts should be made to create awareness about the schemes of NBCFDC as there is lot of scope for the same.	-Do-
6.	The analysis of repayment schedule revealed that 39% of the beneficiaries were regular in repaying the loan amount. Therefore, measures should be taken to bring 61% (irregular or defaulter) of the beneficiaries into this category of ' regular'.	-Do-

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
19.	लाभार्थियों के खातों में ऋण के हस्तांतरण के बारे में जिले की इकाइयों को बहुत देर बाद में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, यह एस.सी.ए. के भार को भी कम करेगा एवं जिले की इकाइयों को उनके कार्यों हेतु जवाबदेह ठहराएगा।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/चैनल पार्टनर (सी.पी.) स्तर पर की गई कार्रवाई के बिंदु/सिफारिशें		
1.	यह पाया गया है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की दो योजनाओं सामान्य सावधि ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी पुरुष थे। कई जिलों में इसी प्रकार की समान प्रवृत्ति देखी गई है। जयपुर, एससीए को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए पहल करनी चाहिए। एससीए को सभी जिलों में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।	आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल पार्टनर के साथ रिपोर्ट साझा की गई है
2.	अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मोबाइल और आधार नंबर का लिंकेज है; अतः एससीए को मानदंडों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए।	—वही—
3.	एससीए को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष विज्ञापन अभियान चलाना चाहिए क्योंकि कुछ उत्तरदाताओं ने एससीए कार्मिकों द्वारा दी गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त किया है।	—वही—
4.	विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एससीए के नियमित कार्यक्रम होने चाहिए। एससीए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के विज्ञापन के लिए रोजगार एजेंसियों के साथ काम कर सकता है और रोजगार एजेंसियों पर होर्डिंग लगा सकता है।	—वही—
5.	जब उत्तरदाताओं से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की अन्य योजनाओं के बारे में उनके जागरूकता स्तर के बारे में पूछताछ की गई तो अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम के लगभग 62% लाभार्थी एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में अवगत थे जबकि लगभग 38% लाभार्थी अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं थे। विभिन्न जिलों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ जिलों में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर बहुत खराब है। अतः एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसमें काफी गुंजाइश है।	—वही—
6.	पुनर्भुगतान समय—सारिणी के विश्लेषण से पता चला कि 39% लाभार्थी ऋण राशि चुकाने में नियमित थे। इसलिए 61% (अनियमित या चूककर्ता) लाभार्थियों को 'नियमित' की इस श्रेणी में लाने के उपाय किए जाने चाहिए।	—वही—

S.No.	Recommendations	Comments
7.	Some resource persons in some districts have expressed their dissatisfaction with the query handling mechanism of SCA, Rajasthan. Therefore, Rajasthan SCA officials should ensure healthy and cooperative query handling mechanism whereby the doubts and queries of beneficiaries could be resolved within 2 working days. They must also seek feedback from their clients for the possible improvement in their framework.	-Do-
8.	Many beneficiaries and district resource persons are of the view that online direct application is confusing. Most applicants are not much educated or computer/ ICT literate to understand the online procedure. Therefore, they usually get in touch with the 'agents' who charge them hefty amounts as part of registration fees. This could be made eazy by hiring an administrative clerk at the office of assistant director, so that applicants bring all the required documents to office; and thereby the online process of application should be carried out from the end of the government offices only.	-Do-

क्र.स.	संस्तुति	टिप्पणियाँ
7.	कुछ जिलों के कुछ संसाधक व्यक्तियों ने राजस्थान, एस.सी.ए. के शंका निवारण तंत्र पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। इसलिए, राजस्थान एससीए के अधिकारियों को स्वस्थ एवं सहकार शंका निवारण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए जिससे लाभार्थियों के संदेह और प्रश्नों को 2 कार्य दिवसों के भीतर हल किया जा सके। उन्हें ढांचे में संभावित सुधार के लिए अपने ग्राहकों से फीडबैक भी लेना चाहिए।	–वही–
8.	कई लाभार्थियों और जिला संसाधक व्यक्तियों का विचार है कि ऑनलाइन प्रत्यक्ष आवेदन भ्रमित करने वाला है। अधिकांश आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने के लिए अधिक शिक्षित या कंप्यूटर/आईसीटी से भिज्ञ नहीं हैं। इसलिए, वे आमतौर पर 'एजेंटों' के संपर्क में रहते हैं जो उनसे पंजीकरण शुल्क के रूप में मोटी रकम वसूलते हैं। सहायक निदेशक के कार्यालय में एक प्रशासनिक क्लर्क को काम पर रखकर इसे आसान बनाया जा सकता है, ताकि आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में ला सकें; और इस प्रकार आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया केवल सरकारी कार्यालयों के स्तर पर ही की जानी चाहिए।	–वही–

ANNEXURE-9

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders.

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/ Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with the Corporation. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board of the Corporation strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, channel partners and the society at large. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships other than NBCFDC
Sh. Rajnish Kumar Jenaw (DIN 09056584)	Executive	3/3	Yes	2
Sanjay Pandey (DIN 08453230)	Non-Executive	3/3	Yes	3
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939)	Non-Executive	2/3	No	2
Sh. R.V. Ramakrishna* (DIN 08667163)	Non-Executive	3/3	Yes	2
Sh. Sanjay Kumar Singh** (DIN 09403132)	Non-Executive	2/3	No	-
Smt. Pinki Kumari *** (DIN 09433819)	Non-Executive	2/3	NO	-
Pravir Krishna$ (DIN 06519104)	Non-Executive	0/3	No	3
Vivek Krishna Sinha$$ (DIN 08667163)	Non-Executive	0/3	No	2

Note: * Appointed as Director w.e.f. 17.08.2021
** Appointed as Director w.e.f. 17.11.2021
*** Appointed as Director w.e.f. 13.12.2021
$ Ceased to be Directors w.e.f. 31.12.2021
$$ Ceased to be Directors w.e.f. 28.07.2021

अनुलग्नक–9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चत किया जाता है कि इसके समस्त लेन–देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, कानूनी एवं प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा समस्त अंशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि शेष सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) एवं इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पीएसबी/आरआरबी) जिनके साथ निगम द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारकों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/गैर–कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में उपयुक्त अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निगम का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे अंशधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों एवं वृह्त स्तर पर समाज के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करता है। निदेशक मंडल नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती/डा.)	श्रेणी	निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें/निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया (हाँ/नहीं)	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अलावा संख्या जिसमें निदेशक हैं
श्री रजनीश कुमार जैनव (डिन 09056584)	कार्यकारी	3/3	हाँ	2
श्री संजय पाण्डेय (डिन 08453230)	गैर–कार्यकारी	3/3	हाँ	3
डा0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य (डिन 06727939)	गैर–कार्यकारी	2/3	नहीं	2
श्री आर.वी. रामाकृष्ण * (डिन 08667163)	गैर–कार्यकारी	3/3	हाँ	2
श्री संजय कुमार सिंह ** (डिन 09403132)	गैर–कार्यकारी	2/3	नहीं	–
श्रीमती पिंकी कुमारी *** (डिन 09433819)	गैर–कार्यकारी	2/3	नहीं	–
श्री प्रवीर कृष्ण $ (डिन 06519104)	गैर–कार्यकारी	0/3	नहीं	3
श्री विवेक कृष्ण सिन्हा $$ (डिन 08667163)	गैर–कार्यकारी	0/3	नहीं	2

नोटः *दिनांक 17.08.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त

**दिनांक 17.11.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त

***दिनांक 13.12.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त

$ दिनांक 31.12.2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

$$ दिनांक 28.07.2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2021-22, Three Board meetings were held. The maximum interval between any two meetings was well within the permissible gap of 120 days. Attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
125	28.07.2021	SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED
126	27.12.2021	SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI
127	24.03.2022	SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक सूची जो इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु आरक्षित होती है जिसमें कॉरपोरेट कार्य–निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता–ज्ञापन के सबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ–साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर नियमित समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेंण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती है। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार–विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया गया। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मण्डल की तीन बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
125	28.07.2021	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड
126	27.12.2021	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह,गैर–सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी
127	24.03.2022	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर–सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक	––

3.3. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e.www.nbcfdc.gov.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee of the Board (ACB)

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 27.12.2021. During the financial year three meetings of the audit committee was held on 28.07.2021, 27.12.2021 & 24.03.2022.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of Audit Committee as on 31.03.2022 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Chairman	Official Director
Mr. Rajnish Kumar Jenaw, Member	Managing Director
Mr. R. V. Ramakrishna, Member	Director
Mr. Sanjay Kumar Singh (NOD), Member	Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 CSR Committee of the Board

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has reconstituted CSR Committee on 27.12.2021. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met once during the year under review on 24.03.2022. The composition of CSR committee as on 31.03.2022 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Mr. Rajnish Kumar Jenaw, Member	Managing Director
Sanjay Pandey, Member	Official Director
Dr. Subranshu Sekhar Acharya, Member	Director
Smt. Pinki Kumari (NOD), Member	Director

4.3 Remuneration Committee of the Board

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप–समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 निदेशक मण्डल की लेखा–परीक्षा समिति (ए.सी.बी.)

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 27.12.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र तीन बैठकें दिनांक 28.07.2021,27.12.2021 एवं 24.03.2022 को आयोजित हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री / श्री / श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री रजनीश कुमार जैनव, सदस्य	प्रबंध निदेशक
श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, सदस्य	निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह, गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य	निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को–टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2 निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची–VII एवं कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी ने दिनांक 27.12.2021 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यों के साथ–साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है:

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख–रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की एक बार दिनांक 24.03.2022 को बैठक हुई। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री / श्री / श्रीमती)	श्रेणी
श्री रजनीश कुमार जैनव, सदस्य	प्रबंध निदेशक
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री सुभ्रांशू शेखर आचार्य, सदस्य	निदेशक
श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य	निदेशक

4.3. निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर–यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.

Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year only two meetings of the Remuneration Committee were held on 27.12.2021 & 24.03.2022. The composition of Remuneration committee as on 31.03.2022 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Shri. Sanjay Pandey, Member	Official Director
Mr. Rajnish Kumar Jenaw, Member	Managing Director
Mr. Sanjay Kumar Singh (NOD), Member	Director

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government's letter of appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of Rs. 4000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

5.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

S. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2018-2019	20.09.2019 1130 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2019-2020	30.12.2020 1400 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.
3	2020-2021	24.11.2021 1230 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.

8. Disclosures

a) There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on

2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर— यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय—समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र दो बैठकें दिनांक 27.12.2021 एवं 24.03.20322 को हुई थी। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री रजनीश कुमार जैनव, सदस्य	प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह,गैर—सरकारी निदेशक, सदस्य	निदेशक

5 निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा—शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें!

5.1 सरकार के नामिनी गैर—सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर—सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन—देन नहीं किया गया।

5.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रु. 4000/— का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

5.3 वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश फार्म एमजीटी—9 कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा—निर्देशों के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में, उचित जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन और न्यूनतम ढांचे के साथ—साथ आंतरिक मूल्यांकन ढांचे, एकीकृत और कॉरपोरेट के साथ एकरूप करने हेतु एक जोखिम प्रबंधन नीति को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2018-2019	20.09.2019 1130 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए—विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली—110001
2	2019-2020	30.12.2020 1400 बजे	वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से, निगम पंजीकृत कार्यालय
3	2020-2021	24.11.2021 11230 बजे	वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से, निगम पंजीकृत कार्यालय

8. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा हुआ हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार

Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c) There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d) The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.03.2022 is Rs. 1499.40 Crore. The Corporation received Rs. Nil as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 14,99,399 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. One (01) share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 04.08.2022

किया है।

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2022 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ है। संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. निल की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000/– प्रत्येक के 14,99,399 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000/– मात्र का एक (01) शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य–निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय–समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/ स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय–समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

	ह0/–	ह0/–
	(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
स्थानः नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांकः 04.08.2022	(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

VAP & Associates
Company Secretaries

Head Office:
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91–9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2022, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the above mentioned DPE Guidelines, except the following observations:

1. As per DPE guidelines, at least one-third of the Board Members should be Independent Directors. There was no Independent Directors on the Board till 16.11.2021. Two Independent Directors were appointed w.e.f. 17.11.2021 and 13.12.2021.

2. The Board shall meet at least once in every three months and the time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, on perusal of records of the Company, we observed that only three meeting were held and the time gap between Board Meetings dated 24.03.2021, 28.07.2021 and 27.12.2021 is exceeding 3 (three) months.

3. Two-thirds of the members of Audit Committee shall be Independent Directors, Remuneration Committee should be comprising of at least three Directors, all of whom should be part-time Directors (i.e. Nominee Directors or Independent Directors) and Remuneration Committee should be headed by an Independent Director.

4. The Audit Committee should meet at least four times in a year and not more than four months shall elapse between two meetings. However, on perusal of records of the Company, we observed that the Audit Committee has met only three times during the year on 28.07.2021, 27.12.2021 and 24.03.2022 and the time gap between Meetings 24.03.2021, 28.07.2021 and 27.12.2021 is exceeding 4 (Four) months.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
Firm Reg. No. S2014UP280200
Peer Review No. 1083/2021

Sd/-
Parul Jain
Proprietor
CP No. 13901
M.No. F8323

Place: Ghaziabad
Date: 23.07.2022

VAP & Associates
Company Secretaries

Head Office:
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91–9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण–पत्र

सेवा में

सदस्यगण
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी)
नई दिल्ली।

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा–निर्देशों एवं संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005–जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में ग्राह्य उक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यय करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित समस्त दशाओं का निगम द्वारा अनुपालन किया गया है; निम्नलिखित प्रेक्षणों के अतिरिक्तः

1. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। 16.11.2021 तक निदेशक मण्डल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 17.11.2021 एवं 13.12.2021 से की गई।
2. निदेशक मण्डल प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं किन्हीं दो निदेशक मण्डल बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि निदेशक मण्डल की केवल तीन बैठकें दिनांक 24.03.2021, 28.07.2021 एवं 27.12.2021 आयोजित की गईं; बैठकों के बीच का अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।
3. अकेंक्षण समिति में दो–तिहाई सदस्य स्वतत्रं निदेशक होंगे, पारिश्रमिक समिति में कम से कम तीन निदेशक शामिल होने चाहिए, जिसमें सभी अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामित निदेशक या स्वत्रंत निदेशक) होने चाहिए एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए।
4. अकेंक्षण समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठक होनी चाहिए एवं 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल चार महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि वर्ष के दौरान अकेंक्षण समिति की तीन बैठकें दिनांक 28.07.2021, 27.12.2021 एवं 24.03.2022 हुई हैं एवं 24.03.2021, 28.07.2021 एवं 27.12.2021 की बैठकों के बीच का समय अंतराल 4 (चार) महीने से अधिक है।

आगे हम यह व्यक्त करते है कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए ना तो भविष्य की व्यवहारिकता के रूप मे आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण सं. S2014UP280200
पीर रिवियू सं. 1083/2021

ह0/–

पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 23.07.2022

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

No. : AMG-V/4-15/PSU/NBCFDC/2022-23 Dated : 26.08.2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
5वीं मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110 016

विषयः भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र' भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

दत्तप्रसाद शिरसाट
26.08.22

उप निदेशक (ए.एम.जी.–V)

Ph.: 91-1123454100
Fax: 91-1123702271

DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

संख्याः एएमजी–V/4-15/पीएसयू/एन.बी.सी.एफ.डी.सी./2022-23 दिनांकः 26.08.2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
5वीं मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110 016

विषयः भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र' भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजेने की कृपा करें।

भवदीय

दत्तप्रसाद शिरसाट
26.08.22

उप निदेशक (ए.एम.जी.–V)

Ph.: 91-1123454100
Fax: 91-1123702271

DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022.

The preparation of financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28th June, 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of the **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March, 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment or supplement to statutory auditor's report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit (Central Expenditure)

Place: New Delhi
Dated: 26.08.2022

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सावंधिक लेखापरीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपार्ट दिनांक 28 जून, 2022 के द्वारा की गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत वित्तीय लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों की पहुंच के बिना की गई है एवं सांवधिक लेखापरीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी/अनुपूरक टिप्पणी की जाय।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.08.2022

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone IND AS financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2022,** the Statement of Income and Expenditure, statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by **the Companies Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2022,** its **profit/surplus** and cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the separate Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 004143सी

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय खातों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (''एक कंपनी'') के अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य, उसी समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की 31 मार्च, 2022 को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कपंनी पर लागू नहीं हैं क्योकि यह एक असूचीबद्ध कपंनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं, जो उस पर परिणामतः हो।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व–इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक की कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करके प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भीः

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों की पहचान और आकलन किया है उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और उन जोखिमों के जिम्मेदार लेखापरीक्षा प्रक्रिया को किया है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखेबाजी के कारण भौतिक गलत बयानबाजी का परिणाम त्रुटि का

a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2016** ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

पता नहीं लगने के परिणाम से उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत जालसाजी जानबूझकर चूक गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सततता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुतीकरण करते हैं।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में प्रभारित किया गया है और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां सम्मिलित हैं जिनकी अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं; हम संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2016 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

(d) In our opinion, the aforesaid standalone Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

(f) With respect to the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the **Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014,** in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B,** our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Umesh Kumar Gupta
Partner
M.No:085859
UDIN:22085859ALWXJL9966

Place: New Delhi
Date: 28.06.2022

क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन—पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम—7 के साथ पठित अधिनियम की धारा—133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक—मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में, अनुलग्नक—'क' पर हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

छ) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम—11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः—

i) कंपनी के पास मुकदमेबाजी का कोई भी लंबित मामला नहीं है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर होगा।

ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

iii) विलंब से संबंधित उप—नियम के संबंध में, यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक—ख के रूप में संलग्न है।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0 / —
सी.ए. उमेश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्य सं.: 085859
यू.डी.आई.एन. 22085859ALWXJL9966

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Backward Classes Finance And Development Corporation** ("the Corporation") as of **March 31, 2022** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my /our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा—143 की उप—धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस नोट में वर्णित (दिशा निर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को

financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Umesh Kumar Gupta
Partner
M.No : 085859
UDIN : 22085859ALWXJL9966

Place: New Delhi
Date: 28.06.2022

शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन—देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन—देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ—गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया को क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में सभी मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0/—
सी.ए. उमेश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्य सं.: 085859
यू.डी.आई.एन. 22085859ALWXJL9966

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.06.2022

Report on direction issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

With reference letter No. AMG-II/4-13/PSU Appt. of Int. Auditor/2020-21/621 dated 29.01.2021 of the office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development), Indraprastha Estate, New Delhi

S.No.	Directions	Reply
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of the accounting transactions outside IT system on the integrity of their accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, all accounting transactions are being made through IT System i.e. the tally/customized software except Management Information System Report
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No borrowing was made during the year, hence, not applicable to the Corporation.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, the funds received for the specific schemes Central/State agencies were properly accounted as per terms and there is no case of deviation.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Umesh Kumar Gupta
Partner
M.No : 085859
UDIN : 22085859ALWXJL9966

Place: New Delhi
Date: 28.06.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान, निदेशक लेखा परीक्षक (स्वास्थ्य, कल्याण और ग्रामीण विकास), इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110002 के पत्र सं. एएमजी–।।/4–13/पीएसयू अपा. ऑफ इं. आडिटर/2020–21/621 दिनांक 29.01.2021 के संदर्भ में।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं।	हाँ, प्रबंध सूचना तंत्र रिपोर्ट के अतिरिक्त समस्त लेखाकरण लेन–देन आई.टी. तंत्र अर्थात टैली/कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ माफी के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	वर्ष के दौरान किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया गया अतः निगम के लिए लागू नहीं है।
3.	क्या केंद्र /राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को उसकी सेवा और शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से आगणन किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि को शर्तों के अनुसार उपयुक्त रूप से आगणन किया गया और विचलन का कोई मामला नहीं है।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0/–
सी.ए. उमेश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्य सं.: 085859
यू.डी.आई.एन. 22085859ALWXJL9966

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	76.96	97.38
	(b) Other intangible assets	4	11.84	16.83
	(i) Intangible asset under development		-	3.54
	(c) Right of Use Assets	3.1	38.78	39.36
	(d) Financial assets			
	(i) Loans	6	150,032.34	145,729.94
	(ii) Others	7	655.47	633.83
	(e) Other non-current assets	8	68.55	86.43
			150,883.94	**146,607.31**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Trade Receivable/Debtors	5	1.68	2.97
	(ii) Cash and cash equivalents	9	4,037.62	4,117.36
	(iii) Grant Fund	10	5,312.33	6,124.70
	(iv) Loans	6	50,682.14	51,352.51
	(v) Others	7	1,623.10	2,042.85
	(b) Current tax asset (Net)	11	29.72	28.10
	(c) Other current assets	8	24.83	14.32
			61,711.42	**63,682.81**
	Total Assets		**212,595.36**	**210,290.12**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	12	149,940.00	149,940.00
	(b) Other equity	13	56,924.55	53,695.27
			206,864.55	**203,635.27**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	(a) Provisions	14	26.29	8.80
			26.29	**8.80**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Others			
	- Total outstanding dues of Grants & Creditors other than micro enterprises and small enterprises	15	5,178.47	6,203.68
	- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		4.07	4.47
	(b) Other Current Liabilities	16	72.71	76.36
	(c) Provisions	14	449.27	361.54
			5,704.52	**6,646.05**
	Total Equity and Liabilities		**212,595.36**	**210,290.12**
III.	**See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements**	1 - 51		

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

Sd/-
Partner: Umesh Kumar Gupta
M. No. 085859
UDIN : 220 85 859 ALWXJL9966
Place : New Delhi
Date : 28.06.2022

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S. G. M. (Finance) &
Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I.	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	76.96	97.38
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	11.84	16.83
	(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		–	3.54
	(ग) सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार	3.1	38.78	39.36
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) ऋण	6	150,032.34	145,729.94
	(ii) अन्य	7	655.47	633.83
	(ङ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	68.55	86.43
			150,883.94	**146,607.31**
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) प्राप्य व्यवसाय / देनदार	5	1.68	2.97
	(ii) नकद एवं नकदी समकक्ष	9	4,037.62	4,117.36
	(iii) अनुदान निधि	10	5,312.33	6,124.70
	(iv) ऋण	6	50,682.14	51,352.51
	(v) अन्य	7	1,623.10	2,042.85
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	29.72	28.10
	(ग) अन्य वर्तमान देएताएं	8	24.83	14.32
			61,711.42	**63,682.81**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**212,595.36**	**210,290.12**
II.	**इक्विटी व देयताएं**			
1.	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	149,940.00	149,940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	56,924.55	53,695.27
			206,864.55	**203,635.27**
2	**देयताएं**			
(i)	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) प्रावधान	14	26.29	8.80
			26.29	**8.80**
(ii)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देएताएं			
	(i) अन्य			
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अनुदानों एवं उधारदाताओं के देय कुल बकाया	15	5,178.47	6,203.68
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल देय बकाया		4.07	4.47
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	72.71	76.36
	(ग) प्रावधान	14	449.27	361.54
			5,704.52	**6,646.05**
	कुल इक्विटी व देयताएं		**212,595.36**	**210,290.12**
III.	वित्तीय विवरण के लिए लेखाकंन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1–51		

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0 / –
भागीदारः उमेश कुमार गुप्ता
सदस्य सं. 085859
यू.डी.आई.एन. : 220 85 859 ALWXJL9966

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

ह0 / –
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 / –
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0 / –
अजित कुमार सामल
वरि.महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Income & Expenditure Statement for year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2022	For the year ended 31st March 2021
I.	Revenue from operations	17	5,321.53	5,589.10
II	Other Income	18	196.42	233.60
III	**Total Revenue (I+II)**		**5,517.95**	**5,822.70**
IV	**Expenses**			
	Allowance/Reversal for Loans & advances	19	526.09	-
	Penal Interest waived off and others	20	48.23	37.16
	Employee Benefit Expense	21	1,120.09	1,210.91
	Depreciation and Amortization Expense	22	36.89	35.77
	Training & Development Expenses	23	430.34	625.85
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	17.52	11.41
	Other Expenses	25	379.53	357.44
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	44.64	136.43
	Total Expenses (IV)		**2,603.33**	**2,414.96**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		**2,914.62**	**3,407.74**
VI	Exceptional Items	27	(141.15)	(21.80)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		**3,055.77**	**3,429.54**
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**3,055.77**	**3,429.54**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**3,055.77**	**3,429.54**
XIV	**Other Comprehensive Income / (Expenses)**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	8.93	(3.05)
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**3,064.70**	**3,426.49**
XVI	**Earning Per Equity share:**			
	(1) Basic (₹)	29	20.58	23.09
	(2) Diluted		20.53	23.04
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (₹)		-	-
	(2) Diluted (₹)		-	-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (₹)	29	20.58	23.09
	(2) Diluted (₹)		20.53	23.04
XIX	See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

Sd/-
Partner: Umesh Kumar Gupta
M. No. 085859
UDIN : 220 85 859 ALWXJL9966
Place : New Delhi
Date : 28.06.2022

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S. G. M. (Finance) &
Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का आय—व्यय विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	17	5,321.53	5,589.10
II	अन्य आय	18	196.42	233.60
III	**कुल व्यय (I+II)**		**5,517.95**	**5,822.70**
IV	**व्यय**			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति / परिवर्तन	19	526.09	—
	माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य	20	48.23	37.16
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,120.09	1,210.91
	मूल्याह्रास व परिशोधन व्यय	22	36.89	35.77
	प्रशिक्षण व विकास व्यय	23	430.34	625.85
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रिमों पर छूट	24	17.52	11.41
	अन्य व्यय	25	379.53	357.44
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	28	44.64	136.43
	कुल व्यय (IV)		**2,603.33**	**2,414.96**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III-IV)**		**2,914.62**	**3,407.74**
VI	असाधारण मदें	27	(141.15)	(21.80)
VII	कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य **(V-VII)**		3,055.77	3,429.54
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		—	—
	(2) आस्थगित कर		—	—
IX	**निरंतर संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**3,055.77**	**3,429.54**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		—	—
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		—	—
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य (X - XI)		—	—
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**3,055.77**	**3,429.54**
XIV	**अन्य व्यापक आय / (व्यय)**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	26	8.93	(3.05)
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते के लिए पुनर्परिभाषित नहीं किया जाएगा		—	—
	ख. (i) मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		—	—
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		—	—
XV	**अवधि में कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं अन्य समग्र आय से निर्मित)**		**3,064.70**	**3,426.49**
XVI	प्रति साम्य अंश अर्जनः			
	(1) मूलभूत (₹)	29	20.58	23.09
	(2) तनुकृत (₹)		20.53	23.04
XVII	**प्रति साम्य अंश अर्जनः**			
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		—	—
	(2) तनुकृत (₹)		—	—
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जनः**			
	(बंद एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	29	20.58	23.09
	(2) तनुकृत (₹)		20.53	23.04
XIX	वित्तीय विवरण के लिए लेखाकंन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1 - 51		

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0/—
भागीदारः उमेश कुमार गुप्ता
सदस्य सं. 085859
यू.डी.आई.एन. : 220 85 859 ALWXJL9966

ह0/—
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/—
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/—
अजित कुमार सामल
वरि.महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Cash Flow Statement for the Year Ended March 31 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022		For the Year ended March 31, 2021	
A. Cash flow from Operating Activities				
Net Profit before Extraordinary Items and Tax		2,914.62		3,407.74
Adjustments for:				
Exceptional Items	141.15		21.80	
Depreciation & Amortization	36.89		35.77	
Other Comprehensive Income/(Expense)	8.93		(3.05)	
Adjustment for General Reserve	-		(76.26)	
Interest- Other Income	(181.57)		(207.96)	
		5.39		(229.70)
Operating Profit Before Working Capital Changes		**2,920.02**		**3,178.04**
Changes in working capital:				
Decrease / (Increase) in Current Trade receivable	1.29		4.17	
Decrease / (Increase) in Non-Current loans	(4,302.40)		(11,720.28)	
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets	(21.64)		15.25	
Decrease / (Increase) in Current loans	670.36		4,477.10	
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others	419.74		334.42	
Decrease / (Increase) in other non current assets	17.88		(15.56)	
Decrease / (Increase) in current tax assets	(1.62)		27.61	
Decrease / (Increase) in other current assets	(10.51)		41.80	
(Decrease) / Increase in other current financial liability	(1,025.61)		1,112.33	
(Decrease) / Increase in other current liability	(3.65)		(10.83)	
(Decrease)/ Increase in non current Financial Liability	17.49		1.97	
Changes in Other Bank Balances				
(Decrease)/ Increase in Current provisions	87.73	(4,150.94)	(29.10)	(5,761.12)
Cash generated from operations		(1,230.92)		(2,583.08)
Net Income Tax (Paid) net of Refunds		-		-
Net Cash Flow from / (used in) Operating Activities (A)		**(1,230.92)**		**(2,583.08)**
B. Cash Flow from Investing Activities				
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	0.13		0.35	
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(7.47)		(96.39)	
Interest Income	181.57		207.96	
		174.23	-	111.92
Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)		**174.23**		**111.92**
C. Cash Flow from Financing Activities				
Issue of Share Capital	-		5,540.00	
Adjustment in Other Equity	164.58			
Increase in share application money pending allotment				
Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities (C)		**164.58**		**5,540.00**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		**(892.11)**		**3,068.83**
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 9&9.1)		10,242.06		7,178.47
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year		**9,349.95**		**10,247.30**

Components of Cash & Cash Equivalents as at the end of the year: (` in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Cash - in - hand	-	-
Saving Bank Accounts	4,037.62	4,117.36
Other Bank Balance (Grant Funds)-Saving Bank	5,312.33	6,124.70
Share Application Money Pending allotment	-	-
Cash & Bank Balances	**9,349.95**	**10,242.06**
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Cash Equivalent at the end of the year	**9,349.95**	**10,242.06**

Notes:

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2. Amendment to Ind-As 7

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

Sd/-
Partner: Umesh Kumar Gupta
M. No. 085859
UDIN : 220 85 859 ALWXJL9966
Place : New Delhi
Date : 28.06.2022

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S. G. M. (Finance) &
Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ		2,914.62		3,407.74
समायोजन हेतु:				
असाधारण मदें	141.15		21.80	
अवमूल्यन और परिशोधन	36.89		35.77	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	8.93		(3.05)	
सामान्य आरक्षित के लिए समायोजन	–		(76.26)	
ब्याज–अन्य आय	(181.57)		(207.96)	
		5.39		(229.70)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**2,920.02**		**3,178.04**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः				
वर्तमान व्यवसायिक प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	1.29		4.17	
गैर–वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)	(4,302.40)		(11,720.28)	
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(21.64)		15.25	
वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)	670.36		4,477.10	
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	419.74		334.42	
अन्य गैर.वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	17.88		(15.56)	
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1.62)		27.61	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(10.51)		41.80	
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी)/वृद्धि	(1,025.61)		1,112.33	
अन्य वर्तमान देयताएं में (कमी)/वृद्धि	(3.65)		(10.83)	
गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी)/वृद्धि	17.49		1.97	
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन				
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	87.73	(4,150.94)	(29.10)	(5,761.12)
संचालन से सृजित नकदी		**(1,230.92)**		**(2,583.08)**
शुद्ध वापसी का शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)		–		–
परिचालन गतिविधियाँ (क)/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		**(1,230.92)**		**(2,583.08)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों की बिक्री/निपटान	0.13		0.35	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों की खरीद	(7.47)		(96.39)	
ब्याज आय	181.57		207.96	
		174.23	–	111.92
निवेश कार्यकलापों (ख) से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		**174.23**		**111.92**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी का निर्गम	–		5,540.00	
अन्य इक्विटी में समायोजन	164.58			
अंश अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन में वृद्धि				
वित्तीय कार्यकलापों (ग) से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		**164.58**		**5,540.00**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध बढ़ोतरी/(कमी) (क + ख + ग)		**(892.11)**		**3,068.83**
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष (टिप्पणीः – 9 और 9.1 देखे)		10,242.06		7,178.47
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष		**9,349.95**		**10,247.30**

वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष के घटक : **(₹ in Lakhs)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पास में नकदी	–	–
बचत खातों में	4,037.62	4,117.36
अन्य बैंक अवशेष(अनुदान निधि)–बचत खाता	5,312.33	6,124.70
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	–	–
नकद एवं बैंक अवशेष	**9,349.95**	**10,242.06**
घटाएं: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियां		
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	**9,349.95**	**10,242.06**

टिप्पणियाँ

1. **इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक–7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।**
2. **भारतीय लेखाकरण मानक–7 में संशोधन** को 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है, कंपनी के भारतीय लेखाकरण मानक–7 संशोधन को अंगीकार किया है। जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण कार्यकलापो से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक शेष और अंतःशेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता है।संशोधन की ग्राह्यता का कोई भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी
ह0/–
भागीदारः उमेश कुमार गुप्ता
सदस्य सं. 085859
यू.डी.आई.एन. : 220 85 859 ALWXJL9966

ह0/–
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/–
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
अजित कुमार सामल
वरि.महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the Year ended 31st March, 2022

A. Equity share capital (₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year		
Balance at the end of the year	**14,994,000.00**	**149,940.00**

(` in Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Reserve		Retained Earnings	Total
		Special	General		
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00	51,195.27	-	53,695.27
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy					
(Refer note no. 36)	-	-		-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**2,500.00**	**51,195.27**	**-**	**53,695.27**
Profit for the year	-	-	-	3,055.77	3,055.77
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	8.93	8.93
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**3,064.70**	**3,064.70**
Transfer to general reserve	-	(1,500.00)	3,064.70	(3,064.70)	(1,500.00)
Others				-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-
- Addition During The Year (See Note 13.1)	-	164.58	1,500.00		1,664.58
- Share Capital issued during the year	-				
Balance at the end of the year	**-**	**1,164.58**	**55,759.97**	**-**	**56,924.55**

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2021

A. Equity share capital (` in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at April 1, 2020	14,440,000.00	144,400.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	554,000.00	5,540.00
Balance at March 31, 2021	**14,994,000.00**	**149,940.00**

B. Other Equity

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00	47,845.04	-	50,345.04
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-	-	-	-
Adjustment of Depreciation			(76.26)		(76.26)
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**2,500.00**	**47,768.78**	**-**	**50,268.78**
Profit for the year restated	-	-	-	3,429.54	3,429.54
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	(3.05)	(3.05)
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**3,426.49**	**3,426.49**
Others					-
- Adjustment of depreciation	-				-
Transfer to General Reserve	-	-	3,426.49	(3,426.49)	-
Addition During The Year	5,540.00				
Share Capital issued during the year	(5,540.00)				
Balance at the end of the year	**-**	**2,500.00**	**51,195.27**	**-**	**53,695.27**

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

Sd/-
Partner: Umesh Kumar Gupta
M. No. 085859
UDIN : 220 85 859 ALWXJL9966
Place : New Delhi
Date : 28.06.2022

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S. G. M. (Finance) &
Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूँजी (₹ लाख में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	14,994,000.00	149,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिर्पोटिंग अवधि के शुरूआत में पुर्ननिर्धारित अवशेष राशि		
चालू वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के अंत में अवशेष	**14,994,000.00**	**149,940.00**

ख. अन्य साम्य (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	आरक्षित		धारित आय	योग
		विशेष	सामान्य		
वर्ष के आरंभ में अवशेष	–	2,500.00	51,195.27	–	53,695.27
पूर्वावधि समायोजन/लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखे)	–	–	–	–	–
– मूल्यह्रास का समायोजन	–	–	–	–	–
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**–**	**2,500.00**	**51,195.27**	**–**	**53,695.27**
वर्ष के लिए लाभ	–	–	–	3,055.77	3,055.77
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	–	8.93	8.93
वर्ष के लिए कुल ब्यापक आय	**–**	**–**	**–**	**3,064.70**	**3,064.70**
सामान्य आरक्षित को अंतरित	–	(1,500.00)	3,064.70	(3,064.70)	(1,500.00)
अन्य					
– अवमूल्यन का समायोजन	–	–	–	–	–
– वर्ष के दौरान जोड़े (टिप्पणी 13.1 देखे)	–	164.58	1,500.00	–	1,664.58
– वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	–				
वर्ष के अंत में अवशेष	**–**	**1,164.58**	**55,759.97**	**–**	**56,924.55**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूँजी (₹ लाख में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2020 को अवशेष	14,440,000.00	144,400.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिर्पोटिंग अवधि के शुरूआत में पुर्ननिर्धारित अवशेष राशि		
चालू वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	554,000.00	5,540.00
31 मार्च, 2021 को अवशेष	**14,994,000.00**	**149,940.00**

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	2,500.00	47,845.04	-	50,345.04
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखे)	-	-	-	-	-
मूल्यहास का समायोजन			(76.26)		(76.26)
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**-**	**2,500.00**	**47,768.78**	**-**	**50,268.78**
पुर्नवर्णित वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	3,429.54	3,429.54
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	(3.05)	(3.05)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**3,426.49**	**3,426.49**
अन्य					-
- मूल्यह्रास का समायोजन	-			-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-	3,426.49	(3,426.49)	-
वर्ष के दौरान जोड़े	5,540.00				
वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(5,540.00)				
वर्ष के अंत में अवशेष	**-**	**2,500.00**	**51,195.27**	**-**	**53,695.27**

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0/–
भागीदारः उमेश कुमार गुप्ता
सदस्य सं. 085859
यू.डी.आई.एन. : 220 85 859 ALWXJL9966

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

ह0/–
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/–
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
अजित कुमार सामल
वरि.महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

NOTES TO ACCOUNTS

Note :- 1 Corporate Information

National Backward Classes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Note :- 2 Accounting Policies

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2022 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018.

b) Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(b) Certain financial assets and liabilities

c) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी :1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्मीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में स्थित है।

टिप्पणी :2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 व 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है।

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

(ख) निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपए में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ड) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन–देन की नकदी रहित प्रकृति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities , including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) Revenue recognition

a) Corporation recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind As-115 :-

(i) Identify contracts with a customer :- A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.

(ii) Identify performance obligations in the contract : A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.

(iii) Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.

(iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract : For a contract that has more than one performance obligation , the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

(v) Recognise revenue when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

II Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

निगम ने भारतीय लेखा मानक–7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन–पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतः शेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ–साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्यय विवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन–पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक–115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता है:

(i) **एक ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचानः** एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) **अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचानः** अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तानांतरण का एक वादा है।

(iii) **लेन–देन की कीमत का निर्धारणः** लेन–देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

(iv) **अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करनाः** एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन–देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।

(v) **मान्य राजस्वः** निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

II राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर–वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

ख) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ग) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना–वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collectability is uncertain.

f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.

g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

i) Revenue Grant from Government

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.

* Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.

- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j) Corporate Social Responsibility (CSR) expenses, as per company act,2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k) Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

l) Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- AS 8

m) Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

ङ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक—18 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित है।

च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) अन्य राजस्व मान्यता

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय—व्यय विवरणी से संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।
- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान राशि प्राप्त हुई है, को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व(सीएसआर) व्यय एवं अन्य अनुदान को आय एवं व्यय के विवरण में रिपोर्टिंग के लिए वितरण के आधार पर माना गया है।

ट) आय कर

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) भारतीय लेखाकरण मानक—8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता है।

ड) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित ह्रास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते हैं:

i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।

ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल—पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

n) Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o) Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण की एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य ह्रास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	**उपयोगी जीवन (वर्ष)**
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

ह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

अवशेष मूल्य एवं उपयोगी जीवन अवधि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षित एवं समायोजित की जाती है, यदि उपयुक्त हो, वर्ष के दौरान जुड़ी/निस्तारण की गई, मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो–रेटा आधार पर ली गई/ निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

ढ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए उपयोग होंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में समान रूप से अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तब, परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ण) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक–109 अपेक्षा करता है।

अनुबंधित परिसंपत्तियों/व्यावसायिक प्राप्य के अतिरिक्त समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह की समान धनराशि के आधार पर अथवा जीवन समयावधि ई.सी.एल. के बराबर धनराशि किया जाना होता है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर महत्वपूर्ण रूप से खर्च किया गया है।

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p) Employee Benefits

a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Pension fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q) Earnings per Share

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event.

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुत्क्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी में अवधि के दौरान आय/व्यय के रूप में माना गया है।

(ii) गैर–वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय खाते में लिया जाता है।

त) कर्मचारी लाभ

(क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

(ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश) खाते मे प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

(ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय लेखे में प्रभार किया गया है।

(घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

(ङ) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

(च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पी.एफ.आर.डी.ए.) के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

(छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) प्रति अंश आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके प्रति शेयर आय की गणना की गई है। गैर–मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जबकि

i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व के रूप मे

ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

s) Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(i) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:

i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा

ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii) एक संभव दायित्व, जब–तक कि संसाधन का बहिगर्मन की संभाव्यता सुदूर हो

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का अन्तःगमन संभाव्य हो।

ध) वित्तीय उपकरण/साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन–देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

(i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय के विवरण में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित होता है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

निम्नलिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हो:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों–संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना जाता है। तथापि, आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि कंपनी मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड के

FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

t) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

रूप में अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड आदि को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नामित नहीं किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने किसी भी वित्तीय दायित्व को एफ.वी.टी.पी.एल. का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

न) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन–देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तोः

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैः

स्तर 1 – समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ–प्रेक्षणीय होते हैं।

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

u) Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

* expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.
* expected to be realised with in twelve months after the reporting period.
* held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non -current.

A Liability is treated as current when :

* it is expected to be settled in normal operating cycle.
* it is held for the purpose of trading/business.
* it is due to be settled within twelve months after the reporting period .or
* there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

v) LEASE :

The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116. the right-to-use asset is periodically

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रकृति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

प) वर्तमान एवं गैर – वर्तमान वर्गीकरण

निगम परसिंपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान एवं गैर – वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, इसे वर्तमान के रूप में माना जाता हैः

* सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
* समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।
* प्रमुखतः व्यापार / व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।

अन्य सभी परसिंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जबः

* इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,
* इसे व्यापार / व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,
* इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा
* रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) पट्टा

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुर्नस्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्रास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है। संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार, विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण

reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the “Right of Use Assets” and lease liabilities in “other financial liabilities” in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. A lease is no longer enforceable when the lessee and the lessor each have the right to terminate the lease without permission from the other party with no more than an insignificant penalty.

ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 “Revenue from contract with customers” to allocate the consideration in the contract.

Further, the Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of “Other Income”.

आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन–पत्र में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को एवं संक्षिप्त अवधि के पट्टों के लिए दायित्व जिसकी समयावधि 12 महीने अथवा उससे कम से एवं व्यय मूल्य को परिसंपत्तियों की मान्यता को नहीं चुना है। जब पट्टाधारी एवं पट्टादाता प्रत्येक पट्टे को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना और कम से कम दण्ड के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है, तब पट्टा को आगे लागू नहीं किया जाता है।

ii. पद पट्टेदार के रूम में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे को निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नही ंतो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनके प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर–लीज़ घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक समान आधार आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टा भुगतान की पहचान करती है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE: 3 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT'S

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost								
At 1 April 2020	47.94	54.33	60.89	8.60	20.63	3.81	71.07	267.27
Additions during the year	-	45.14	0.32	-	19.07	-	14.16	78.69
Disposals/Adjustments		0.01	0.02	-	-	-	0.32	0.35
At 31 March 2021	**47.94**	**99.46**	**61.18**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**84.91**	**345.61**
At 1 April 2021	47.94	99.46	61.18	8.60	39.70	3.81	84.91	345.61
Additions during the year		0.87	3.16				3.44	7.47
Disposals/Adjustments			0.09				0.04	0.13
At 31st March 2022	**47.94**	**100.33**	**64.25**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**88.32**	**352.95**
Depreciation and Impairment								
At 1 April 2020	34.19	44.56	52.29	5.96	16.27	3.48	64.13	220.88
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.69	8.54	3.64	0.81	6.01	0.04	7.62	27.35
Impairment								-
Disposals/Adjustments								-
At 31 March 2021	**34.88**	**53.10**	**55.93**	**6.77**	**22.28**	**3.52**	**71.75**	**248.23**
At 1 April 2021	34.88	53.10	55.93	6.77	22.28	3.52	71.75	248.23
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.65	12.02	2.18	0.56	4.45	0.02	7.88	27.77
Impairment	-	-	-	-		-	-	-
Disposals/Adjustments		-				-	-	
At 31st March 2022	**35.53**	**65.12**	**58.11**	**7.33**	**26.73**	**3.54**	**79.63**	**276.00**
Net book value								
At 31st March 2022	**12.41**	**35.21**	**6.15**	**1.27**	**12.97**	**0.27**	**8.68**	**76.96**
At 31 March 2021	**13.06**	**46.36**	**5.25**	**1.83**	**17.42**	**0.29**	**13.16**	**97.38**

Note :-3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी – 3 संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडीशनर एवं कूलर	ई.पी.ए.बी. एक्स	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	कुल
लागत या मानी गई लागत								
1 अप्रैल, 2020 को	47.94	54.33	60.89	8.60	20.63	3.81	71.07	267.27
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	45.14	0.32	-	19.07	-	14.16	78.69
निपटान/समायोजन		0.01	0.02	-	-	-	0.32	0.35
31 मार्च, 2021 को	**47.94**	**99.46**	**61.18**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**84.91**	**345.61**
1 अप्रैल, 2021 को	47.94	99.46	61.18	8.60	39.70	3.81	84.91	345.61
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		0.87	3.16				3.44	7.47
निपटान/समायोजन			0.09				0.04	0.13
31 मार्च, 2022 को	**47.94**	**100.33**	**64.25**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**88.32**	**352.95**
मूल्य ह्रास एवं क्षति								
1 अप्रैल, 2020 को	34.19	44.56	52.29	5.96	16.27	3.48	64.13	220.88
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.69	8.54	3.64	0.81	6.01	0.04	7.62	27.35
क्षति								-
निपटान/समायोजन								-
31 मार्च, 2021 को	**34.88**	**53.10**	**55.93**	**6.77**	**22.28**	**3.52**	**71.75**	**248.23**
1 अप्रैल, 2021 को	34.88	53.10	55.93	6.77	22.28	3.52	71.75	248.23
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.65	12.02	2.18	0.56	4.45	0.02	7.88	27.77
क्षति	-	-	-	-		-	-	-
निपटान / समायोजन		-				-	-	
31 मार्च, 2022 को	**35.53**	**65.12**	**58.11**	**7.33**	**26.73**	**3.54**	**79.63**	**276.00**
शुद्ध अंकित मूल्य								
31 मार्च, 2022 को	**12.41**	**35.21**	**6.15**	**1.27**	**12.97**	**0.27**	**8.68**	**76.96**
31 मार्च, 2021 को	**13.06**	**46.36**	**5.25**	**1.83**	**17.42**	**0.29**	**13.16**	**97.38**

टिप्पणी 3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया गया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE: 3 (i) Right of Use Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings (Mumbai Flat)	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2020	52.66	52.66
Adjustment of Transition of IND AS 116		-
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2021	**52.66**	**52.66**
At 1 April 2021	52.66	52.66
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2022	**52.66**	**52.66**
Depreciation and Impairment		
At 1 April 2020	12.71	12.71
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	0.59
Impairment		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2021	**13.30**	**13.30**
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment (Refer Note-22)		-
Disposals/Adjustments		-
At 31st March 2022	**13.88**	**13.88**
Net book value		
At 31st March 2022	**38.78**	**38.78**
At 31 March 2021	**39.36**	**39.36**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी – 3(i) संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (मुम्बई फ्लैट)	योग
<u>लागत या मानी गई लागत</u>		
1 अप्रैल, 2020 को	52.66	52.66
भारतीय लेखाकरण मानक 116 के परिवर्तन का समायोजन		-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2021 को	52.66	52.66
1 अप्रैल, 2021 को	52.66	52.66
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 को	**52.66**	**52.66**
<u>मूल्यह्रास एवं क्षति</u>		
1 अप्रैल, 2020 को	12.71	12.71
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.59	0.59
क्षति		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च, 2021 को	**13.30**	**13.30**
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.59	0.59
क्षति (संदर्भ टिप्पणी–22) .		
निपटान/समायोजन .		
31 मार्च, 2022 को	**13.88**	**13.88**
<u>शुद्ध अंकित मूल्य</u>		
31 मार्च, 2022 को	**38.78**	**38.78**
31 मार्च, 2021 को	**39.36**	**39.36**

NOTE: 4 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under Development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2020	48.78	3.54	52.32
Addition during the year	14.16	-	14.16
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2021	**62.94**	**3.54**	**66.48**
Addition during the year	3.54	-	3.54
Adjustment/deletions during the year	-	3.54	3.54
Closing balance at 31st March 2022	**66.48**	**-**	**66.48**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2020	38.28	-	38.28
Amortization during the year (Refer Note-22)	7.83	-	7.83
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2021	**46.11**	**-**	**46.11**
Amortization during the year (Refer Note-22)	8.54	-	8.54
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2022	**54.64**	**-**	**54.64**
Net book value			
As at 31 March 2022	**11.84**	**-**	**11.84**
As at 31 March 2021	**16.83**	**3.54**	**20.37**

NOTE: 4(a) Ageing Intangible Assets under Development

Intangible assets under development ageing schedule FY 2022

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Intangible assets under development ageing schedule FY 2021

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	3.54				3.54
Projects temporarily suspended					

टिप्पणी 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल
1 अप्रैल, 2020 को लागत अथवा मानी गई लागत	48.78	3.54	52.32
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	14.16	-	14.16
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतशेष	**62.94**	**3.54**	**66.48**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	3.54	-	3.54
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	3.54	3.54
31 मार्च, 2022 को अंतशेष	**66.48**	**-**	**66.48**
<u>परिशोधन एवं क्षति</u>			
1 अप्रैल, 2020 को आरंभिक अवशेष	38.28	-	38.28
वर्ष में दौरान परिशोधन (संदर्भ टिप्पणी–22)	7.83	-	7.83
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतशेष	**46.11**	**-**	**46.11**
वर्ष में दौरान परिशोधन (संदर्भ टिप्पणी–22)	8.54	-	8.54
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतशेष	**54.64**	**-**	**54.64**
<u>शुद्ध अंकित मूल्य</u>			
31 मार्च, 2022 को	**11.84**	**-**	**11.84**
31 मार्च, 2021 को	**16.83**	**3.54**	**20.37**

टिप्पणी – 4 (क) अमूर्त परिसंपत्तियों की अवधि बढ़ाने हेतु विकासाधीन

वित्तीय वर्ष 2022 में अमूर्त परिसंपत्तियाँ की अवधि बढ़ने के तहत समय सारिणी

(₹लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2021 में अमूर्त परिसंपत्तियाँ की अवधि बढ़ने के तहत समय सारिणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	3.54				3.54
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					

NOTE: 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		Total	As at March 31, 2021		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
Considered Good-Secured						
Considered Good-UnSecured		1.68	1.68		2.97	2.97
Significant Increase in Credit Risk						
Less : Allowance for loans & advances						
Total	-	1.68	1.68	-	2.97	2.97

Trade Receivables Ageing FY 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	1.68	-	-	-	-	1.68
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	**1.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**

Trade Receivables Ageing FY 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	2.97	-	-	-	-	2.97
(ii)Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii)Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv)Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	**2.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.97**

टिप्पणी: 5

प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर–वर्तमान अंश को 'गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है एवं प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के वर्तमान अंश को 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		योग	31 मार्च, 2021 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
अच्छे माने गए–असुरक्षित		1.68	1.68		2.97	2.97
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
घटाए: ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस						
योग	-	1.68	1.68	-	2.97	2.97

वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्य बढ़ी व्यवसाय अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए अवशेष					योग
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– अच्छे माने गए	1.68	-	-	-	-	1.68
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय– अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय– उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय– उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	**1.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.68**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्य बढ़ी व्यवसाय अवधि

(₹ in Lakhs)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए अवशेष					योग
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– अच्छे माने गए	2.97	-	-	-	-	2.97
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय– उधारी क्षति -	-	-	-	-	-	
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय– अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय– उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय– उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	**2.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.97**

NOTE: 6 FINANCIAL ASSETS - LOANS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		Total	As at March 31, 2021		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a)'General loans	67,589.06	20,839.24	88,428.31	66459.23	21,622.91	88,082.15
'(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b)'General loans	1,568.14	524.79	2,092.92	1281.73	457.83	1,739.56
'(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	69,157.20	**21,364.03**	**90,521.23**	**67,740.96**	**22,080.74**	**89,821.71**
Considered Good-UnSecured						
General loans	37,846.48	8,245.12	46,091.60	31,628.27	6,628.09	38,256.36
Significant Increase in Credit Risk						
General loans		168.58	168.58	-	170.07	170.07
Less : Allowance for loans & advances #		(168.58)	(168.58)		(170.07)	(170.07)
Sub Total (1)	**107,003.68**	**29,609.16**	**136,612.83**	**99,369.23**	**28,708.83**	**128,078.06**
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) 'Micro Finance Loan	30,490.91	19805.68	50,296.59	32,712.13	21887.01	54,599.14
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) 'Micro Finance Loan	1,830.23	701.49	2,531.72	3,111.99	32.40	3,144.39
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	32,321.14	**20,507.16**	**52,828.30**	**35,824.12**	**21,919.41**	**57,743.54**
Considered Good-UnSecured						
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	10,615.78	527.87	11,143.66	10,430.23	685.95	11,116.18
Significant Increase in Credit Risk						
Micro Finance Loan		480.53	480.53	-	22.76	22.76
Less : Allowance for loans & advances #		(480.53)	(480.53)	-	(22.76)	(22.76)
		-	-	-	-	-
Sub Total (2)	**42,936.92**	**21,035.04**	**63,971.96**	**46,254.35**	**22,605.37**	**68,859.72**
(3) Loans to Managing Director				-		
Sub Total (3)	-	-	-	-	-	-
(4)Loans to Employees						
Loans & Interest accrued						
Considered Good-Secured	52.60	11.68	64.28	67.24	10.15	77.39
Considered Good-UnSecured	39.13	26.26	65.40	39.12	28.16	67.28
Sub Total (4)	**91.74**	**37.94**	**129.68**	**106.36**	**38.31**	**144.66**
Grand Total (1+2+3+4)	**150,032.34**	**50,682.14**	**200,714.47**	**145,729.94**	**51,352.51**	**197,082.45**

टिप्पणी: 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ–ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		योग	31 मार्च, 2021 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सामान्य ऋण						
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
(क) सामान्य ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	67,589.06	20,839.24	88,428.31	66459.23	21,622.91	88,082.15
(ख) सामान्य ऋण (सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	1,568.14	524.79	2,092.92	1281.73	457.83	1,739.56
	69,157.20	**21,364.03**	**90,521.23**	**67,740.96**	**22,080.74**	**89,821.71**
अच्छे माने गए–असुरक्षित						
सामान्य ऋण	37,846.48	8,245.12	46,091.60	31,628.27	6,628.09	38,256.36
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सामान्य ऋण		**168.58**	**168.58**	**-**	**170.07**	**170.07**
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस		(168.58)	(168.58)		(170.07)	(170.07)
उप योग (1)	**107,003.68**	**29,609.16**	**136,612.83**	**99,369.23**	**28,708.83**	**128,078.06**
(2) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सूक्ष्म ऋण						
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
(क) सूक्ष्म वित्त ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	30,490.91	19805.68	50,296.59	32,712.13	21887.01	54,599.14
(ख) सूक्ष्म वित्त ऋण (सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	1,830.23	701.49	2,531.72	3,111.99	32.40	3,144.39
	32,321.14	**20,507.16**	**52,828.30**	**35,824.12**	**21,919.41**	**57,743.54**
अच्छे माने गए–असुरक्षित						
सूक्ष्म वित्त ऋण (असुरक्षित अच्छे माने गए)	10,615.78	527.87	11,143.66	10,430.23	685.95	11,116.18
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सूक्ष्म वित्त ऋण		480.53	480.53	-	22.76	22.76
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस #		(480.53)	(480.53)	-	(22.76)	(22.76)
		-	-	-	-	-
उप योग (2)	42,936.92	21,035.04	63,971.96	46,254.35	22,605.37	68,859.72
(3) प्रबन्ध निदेशक को ऋण						
उप योग (3)	-	-	-	-	-	-
(4) कर्मचारियों को ऋण						
उपार्जित ऋण एवं ब्याज						
अच्छे माने गए–सुरक्षित	52.60	11.68	64.28	67.24	10.15	77.39
अच्छे माने गए–असुरक्षित	39.13	26.26	65.40	39.12	28.16	67.28
उप योग (4)	**91.74**	**37.94**	**129.68**	**106.36**	**38.31**	**144.66**
कुल योग (1+2+3+4)	**150,032.34**	**50,682.14**	**200,714.47**	**145,729.94**	**51,352.51**	**197,082.45**

Allowance for Loan & Advances to respective State Channel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

Note 6.1 Current Loans are loan amount, which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

Note 6.2 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 6.3 Out of the total Loans of Rs. 2,03,795.27. Lakhs (as at 31.03.2021, Rs.1,99,959.10 Lakhs) out of which Rs.1,85,684.94 lakh (as at 31.03.2021 Rs.1,77,409.79 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 6.4 The utilization amount of loan beyond 180 days under the prevalent lending policy is eligible for refund. Hence, the same stand in current.

Note 6.5 The disbursement , accumulated over the years with channel Partners for which utilization certificates of Rs..3388.24 lakhs (Rs. 8.139.84 Lakhs as at 31.03.2021) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs. 2494.76 lakhs (Rs. 4,609.01 lakhs as at 31.03.2021) are more than six months old as at year end.

Note 6.6 In respect of Loans given, Corporation has obtained Government Assurance from channel partners and signed MOU with RRBs/PSB'sand others amounting to Rs. 57,884.37 Lakh (Previous year Rs. 49,565.37 Lakh). As per legal opinion , Government assurance and signed MOU do not tantamount to Government Order/ Block Government Gaurantee or other financial instrument. However, same can be enforced in disputed cases by way of arbitration. In view of the above, Corpration is adequantely covered in cases where the outstanding loan amount is backed by Govt. assurance and signed MOUand disclosed as " Unsecured and considered good" as the repayment is regular.

Note 6.6.1 In the Loans and Interest thereon no provision is recognized since there is no doubt about their recoverability, however in some cases it take substantial time. The Gaurantee Deed include the principal amount and all type of interest thereon are covered by Guaranttor(State Government). The above amounts outstanding since substantial period of time are elegible for revoking Guarantee.

Note 6.7 As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees as given below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		Total	As at March 31, 2021		Total
	Principal	Interest		Principal	Interest	
House Building Advance	37.24	50.83	88.07	48.20	59.70	107.90
Vehicle Loan	11.42	1.72	13.14	11.49	0.95	12.43
General Purpose Advance	53.55	-	53.55	67.59	-	67.59
Grand Total	**102.21**	**52.55**	**154.76**	**127.27**	**60.64**	**187.92**

'As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

'**Note 6.8** Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

Note 6.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered	Closing Balance
General Loan	128,248.14	16,610.20	504.45	(14,821.59)	22,394.06	136,781.42
Funded Interest	-					-
Micro Finance	68,882.49	30,527.23	278.21	14,821.59	19,857.42	64,452.50
Funded Interest			-			
Total	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**
Loan Due	5,208.23	(907.53)				4,300.70
Loan Not due (31.03.2021)	191,922.41	5,010.81				196,933.21
Previous year	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**

संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (रा.चै.ए.) / चैनल सहभागियों के लिए ऋण एवं अग्रिम का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया जाता हैं।

टिप्पणी 6.1 वर्तमान ऋण वे ऋण राशियाँ हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 12 माह की अवधि में प्राप्त होने योग्य है।

टिप्पणी 6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसा कि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम पर लागू नहीं हैं, इसने बकाया ऋण / उस पर ब्याज प्रावधान हेतु निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रावधानों के अपने मानदंड बनाए हैं।

टिप्पणी 6.3 कुल बकाया ₹ 2,03,795.27 लाख (31.03.2021 को ₹ 1,99,959.10 लाख) में से ₹ 1,85,684.94 लाख (31.03.2021 को ₹ 1,77,409.79 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 6.4 लागू ऋण नीति के अनुसार 180 दिनों में अनुपभुक्त ऋण राशि वापस की जानी होती है! तथापि, इसे वर्तमान में माना गया हैं।

टिप्पणी 6.5 चैनल पार्टनर्स के पास वर्षों से संचित, संवितरण जिसके लिए ₹ 3388.24 लाख (31.03.2021 को ₹ 8,139.84 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने हैं जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर ₹ 2494.76 लाख (31.03.2021 को ₹ 4,609.01 लाख) छह महीने से अधिक पुराने हैं।

टिप्पणी 6.6 ऋणों के संबंध मे प्रदान किए गए ₹ 57,884.37 लाख (गत् वर्ष ₹ 49,565.37 लाख) की राशि निगम चैनल सहभागियों से आश्वासन प्राप्त करती है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको / सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों एवं अन्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। विधिक राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना सरकारी आदेश / ब्लॉक शासकीय गारण्टी अथवा अन्य वित्तीय प्रपत्र के बराबर नहीं होते है। तथापि, इसे विवादित मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में निगम में पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है जहां बकाया ऋण राशि सरकार द्वारा समर्थित है और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है और पुनर्भुगतान नियमित होने के कारण "असुरक्षित और अच्छे माने गए है" के रूप में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी 6.6.1 ऋण और उस पर ब्याज में किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनकी वसूली के बारे में कोई संदेह नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी डीड में मूल राशि शामिल होती है और उस पर सभी प्रकार का ब्याज गारंटर (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। पर्याप्त अवधि से बकाया उपरोक्त राशियाँ गारंटी को रद्द करने के योग्य हैं।

टिप्पणी 6.7 भारतीय लेखाकरण मानक –109 के अनुसार कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर–रियायती ऋण विवरण में मूल एवं ब्याज घटक दोनों शामिल हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है'–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		योग	31 मार्च, 2021 को		योग
	मूल	ब्याज		मूल	ब्याज	
गृह निर्माण अग्रिम	37.24	50.83	88.07	48.20	59.70	107.90
वाहन ऋण	11.42	1.72	13.14	11.49	0.95	12.43
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	53.55	-	53.55	67.59	-	67.59
कुल योग	**102.21**	**52.55**	**154.76**	**127.27**	**60.64**	**187.92**

दिशानिर्देशों / मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी: 6.8 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया साधारण ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली / समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं।

टिप्पणी: 6.9 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन / पुर्नगृहित	वसूले गए	अंत–शेष
सामान्य ऋण	128,248.14	16,610.20	504.45	(14,821.59)	22,394.06	136,781.42
निधित ब्याज	-					-
सूक्ष्म वित्त	68,882.49	30,527.23	278.21	14,821.59	19,857.42	64,452.50
निधित ब्याज						-
योग	**197,130.63**	**47,137.43**	**782.66**	**-**	**42,251.47**	**201,233.91**
देय ऋण	5,208.23	(907.53)				4,300.70
अदेय ऋण (31.03.2021)	191,922.41	5,010.81				196,933.21
गत् वर्ष	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**

Note 6.9.1 Details of Loan and Advances as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriated	Recovered	Closing Balance
General Loan	120,812.09	16,493.17	876.38	(11,483.36)	19,664.10	128,248.14
Funded Interest						-
Micro Finance	69,193.13	30,177.31	1,077.44	11,483.36	17,927.15	68,882.49
Funded Interest						-
Total	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**
Loan Due	6,745.14	(1,536.91)				5,208.23
Loan Not due (31.03.2021)	183,260.08	8,662.33				191,922.41
Previous year	**169,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	**-**	**38,875.67**	**190,005.22**

Note 6.10 Details of Rescheduled Loan & Advances
The Corporation has rescheduled Loans aggregating to ₹ 3,525.05 Lakh (Previous year ₹4,558.12 Lakh) in respect of following SCA :

Particulars	Goa SC/ST/BC Dev. Corpo.	Kerala BC Dev. Corpo.	Tripura BC Dev. Corpo.
Principal			**3,525.05**
Previous Year	**86.54**	**2,455.64**	**2,015.94**

Note 6.11 **Allowances on Loan and advances to respective chennal partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33) Provision is recognised when:**

(i) The Corporation has a present obligation as a result of past event

(ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and

(iii) A reliable estimate of amount of obligation can be made

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

In respect to Loans/ dues payable by Channel Partners(CP'S) which are adequantely covered by State Government Gaurantees/other Fianancial Instruments, no provision is made.

Provision are reviewd at each Balance Sheet Date.

The Corporation as per the policy approved for "reschedulement of overdue loans and advances" had rescheduled the loans in very exceptional cases. Further,the Board of the Directors vide 126th meeting of the board had considered the reschdulement/deferment of overdue of channel partners and approved the policy of expected credit loss on overdue based on unsecured and as per probability of default.

टिप्पणी 6.9.1 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/पुर्नगृहित	वसूले गए	अंत–शेष
सामान्य ऋण	120,812.09	16,493.17	876.38	(11,483.36)	19,664.10	128,248.14
निधित ब्याज						-
सूक्ष्म वित्त	69,193.13	30,177.31	1,077.44	11,483.36	17,927.15	68,882.49
निधित ब्याज						-
योग	**190,005.22**	**46,670.47**	**1,953.82**	**-**	**37,591.25**	**197,130.63**
देय ऋण	6,745.14	(1,536.91)				5,208.23
अदेय ऋण (31.03.2021)	183,260.08	8,662.33				191,922.41
गत् वर्ष	**169,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	**-**	**38,875.67**	**190,005.22**

टिप्पणी: 6.10 पुनर्निर्धारित ऋण और अग्रिम का विवरण
निगम ने निम्नलिखित एस.सी.ए. के संबंध में कुल ₹3,525.05 लाख (गत् वर्ष ₹4,558.12) के ऋणों को पुनर्निर्धारित किया है:

विवरण	गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	केरल बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	त्रिपुरा बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
मूल			**3,525.05**
गत् वर्ष	**86.54**	**2,455.64**	**2,015.94**

टिप्पणी: 6.11 **संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार (सन्दर्भ टिप्पणी–33) प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब:**

(i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का वर्तमान दायित्व है

(ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की उम्मीद है और

(iii) दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है

ऊपर मान्यता प्राप्त प्रावधान जो 12 महीने से अधिक समय तक निपटाने की उम्मीद है, वर्तमान मूल्य पर कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके मापा जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है और समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

चैनल पार्टनर्स (सीपी) द्वारा देय ऋणों/देय राशियों के संबंध में, जो राज्य सरकार की गारंटी/अन्य वित्तीय प्रपत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किए गए हैं, प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर कोई प्रावधान समीक्षित नहीं है।

निगम ने "अतिदेय ऋणों और अग्रिमों के पुनर्निर्धारण" के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार बहुत ही असाधारण मामलों में ऋणों को पुनर्निर्धारित किया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने बोर्ड की 126वीं बैठक के माध्यम से चैनल भागीदारों के अतिदेय के पुनर्निर्धारण/स्थगन पर विचार किया था और असुरक्षित और डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर अतिदेय पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की नीति को मंजूरी दी थी।

Note 6.11.1 Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2022

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 21-22	Closing Balance
Loans & Advances -General loan	170.07	(1.49)		168.58
Loans & Advances -Micro finance	22.76	457.77		480.53
Total	**192.83**	**456.28**	**0.00**	**649.11**
Previous year	**329.58**	**16.93**	**153.68**	**192.83**

Note 6.11.2 Allowances on Loan and advances to respective channel partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33)

Note 7 Other financial assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022			As at March 31, 2021		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) Interest Receivable:						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan	-	1,364.07	1,364.07	-	1,502.00	1,502.00
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
- Interest on Micro Finance		63.61	63.61	-	300.81	300.81
	-	**1,427.68**	**1,427.68**	**-**	**1,802.81**	**1,802.81**
Unsecured, considered good						
Interest on General Loan	-	446.85	446.85	-	383.92	383.92
Interest on Micro Finance	-	6.37	6.37	-	4.69	4.69
	-	**453.22**	**453.22**	**-**	**388.61**	**388.61**
Doubtful						
Interest on General Loan	-	446.85	446.85	-	360.15	360.15
Interest on Micro Finance	-	6.37	6.37	-	0.70	0.70
Penal Interest on General Loan	242.20		242.20	264.75		264.75
Penal Interest on Micro Finance	3.52		3.52	3.52		3.52
	245.72	**453.22**	**698.94**	**268.27**	**360.85**	**629.12**
Less : Allowance for loans & advances	(245.72)	(453.22)	(698.94)	(268.27)	(360.85)	(629.12)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	**-**	**1,427.68**	**1,427.68**	**-**	**1,830.57**	**1,830.57**
(2) Interest accrued but not due						
General Loan	647.92	155.14	803.05	608.31	147.72	756.03
Micro Finance		39.31	39.31		56.21	56.21
Sub Total (2)	**647.92**	**194.45**	**842.36**	**608.31**	**203.93**	**812.24**
Others						
(i) Interest accrued but not due - Saving Bank		0.97	0.97		8.35	8.35
(ii) Security Deposits - Unsecured Considered Good	0.63		0.63	0.47	-	0.47
(iii) Other Receivables						
(iii)(a)Amount recoverable/adjustable from employees	0.19		0.19	16.17		16.17
(iii)(b)Amount recoverable from parties -considered good - Secured						
(iii)(c)Amount recoverable from parties -considered good - Unsecured	6.74		6.74	8.88		8.88
(iii)(d)Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk						-
(iii)(e)Amount recoverable from parties - Credit impaired						-
(iii)(f)Form banks (others)					-	-
Sub Total (3)	**7.56**	**0.97**	**8.53**	**25.52**	**8.35**	**33.87**
Grand Total (1+2+3)	**655.47**	**1,623.10**	**2,278.57**	**633.83**	**2,042.85**	**2,676.68**

टिप्पणीः 6.11.1 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) की अनुमति

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2021–2022 की अवधि में पीछे से लाए गए/वसूले गए प्रावधान	अंत शेष
ऋण एवं अग्रिम–सामान्य ऋण	170.07	(1.49)		168.58
ऋण एवं अग्रिम–सूक्ष्म वित्त	22.76	457.77		480.53
योग	**192.83**	**456.28**	**0.00**	**649.11**
गत् वर्ष	**329.58**	**16.93**	**153.68**	**192.83**

टिप्पणी 6.11.2 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों की अनुमति निगम की नीति के अनुसार किया गया है (सन्दर्भ टिप्पणी–33)

टिप्पणी 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) प्राप्य ब्याजः						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
–सामान्य ऋण पर ब्याज	-	1,364.07	1,364.07	-	1,502.00	1,502.00
(सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी प्राप्त)						
–सूक्ष्म ऋण पर ब्याज		63.61	63.61	-	300.81	300.81
	-	**1,427.68**	**1,427.68**	**-**	**1,802.81**	**1,802.81**
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	446.85	446.85	-	383.92	383.92
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	6.37	6.37	-	4.69	4.69
	-	**453.22**	**453.22**	**-**	**388.61**	**388.61**
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	446.85	446.85	-	360.15	360.15
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	6.37	6.37	-	0.70	0.70
सामान्य ऋण पर दण्ड ब्याज	242.20		242.20	264.75		264.75
सूक्ष्म ऋण पर दण्ड ब्याज	3.52		3.52	3.52		3.52
	245.72	**453.22**	**698.94**	**268.27**	**360.85**	**629.12**
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस	(245.72)	(453.22)	(698.94)	(268.27)	(360.85)	(629.12)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	**-**	**1,427.68**	**1,427.68**	**-**	**1,830.57**	**1,830.57**
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	647.92	155.14	803.05	608.31	147.72	756.03
सूक्ष्म ऋण		39.31	39.31		56.21	56.21
उप योग (2)	**647.92**	**194.45**	**842.36**	**608.31**	**203.93**	**812.24**
अन्य						
(i) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं – बचत बैंक		0.97	0.97		8.35	8.35
(ii) सुरक्षित जमा– असुरक्षित अच्छे माने गए	0.63		0.63	0.47	-	0.47
(iii) अन्य प्राप्य						
(iii)(क) वसूली योग्य राशि/कर्मचारियों से समायोजित	0.19		0.19	16.17		16.17
(iii)(ख) पार्टियों से प्राप्य धनराशि–अच्छे माने गए–सुरक्षित						
(iii)(ग) पार्टियों से प्राप्य धनराशि–अच्छे माने गए–असुरक्षित	6.74		6.74	8.88		8.88
(iii)(घ) पार्टियों से प्राप्य धनराशि –क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						.
(iii)(ङ) पार्टियों से प्राप्य धनराशि–उधारी क्षति						.
(iii)(च) बैंक से (अन्य)					.	.
उप योग (3)	**7.56**	**0.97**	**8.53**	**25.52**	**8.35**	**33.87**
कुल योग (1+2+3)	**655.47**	**1,623.10**	**2,278.57**	**633.83**	**2,042.85**	**2,676.68**

Note 7.1 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2022 to 31.03.2022 have not been raised upto 31.03.2022. However, interest for that period amounting to ₹ 82.03 Lakhs (₹ 94.40 Lakhs as at 31.03.2021) has been included in interest accrued but not due.

Note 7.2 Detail of allowance for interest on Loan & Advances (current / non current) as on 31.03.2022.

(₹ in Lakhs)

	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back	Closing Balance
Penal Interest	268.27		22.55	245.72
Interest on loan - General Loan	360.15	86.70		446.85
Interest on loan - Micro Finance	0.70	5.67		6.37
Total	**629.12**	**92.37**	**22.55**	**698.94**
Previous Year	**576.56**	**55.31**	**2.75**	**629.12**

Note 7.3 Allowances on Loan and advances in respective channel partners is made as per the Corporation policy

Note :- 8 Other current & non current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022			As at March 31, 2021		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Samples		0.30	0.30		0.30	0.30
Net planned Assets for gratuity or leave encashment(Refer Note:14.1)	43.47	-	43.47	58.96	-	58.96
Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	25.08	21.75	46.83	27.47	13.56	41.03
Stamps in hand	-	0.22	0.22		0.01	0.01
Capital Advances	-	-	-	-		-
IGST Cenvat	-	-	-		-	-
Advance Receivable		2.56	2.56		0.45	0.45
Grand Total	**68.55**	**24.83**	**93.38**	**86.43**	**14.32**	**100.75**

Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

Note 9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand		
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	4,037.62	4,117.36
Total	**4,037.62**	**4,117.36**

Note 9.1 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

टिप्पणी 7.1 वर्ष के दौरान, 16.02.2022 से 31.03.2022 की अवधि की अतिरिक्त मांग की नोटिसें 31.03.2022 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, अवधि की ₹ 82.03 लाख (31.03.2021 को ₹ 94.40 लाख) की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी 7.2 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान / वर्तमान) पर प्रबंधन का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	पीछे से लाए गए वसूले गए / प्रावधान	अंत शेष
दण्ड ब्याज	268.27		22.55	245.72
ऋण पर ब्याज – सामान्य ऋण	360.15	86.70		446.85
ऋण पर ब्याज – सूक्ष्म वित्त	0.70	5.67		6.37
योग	**629.12**	**92.37**	**22.55**	**698.94**
गत् वर्ष	**576.56**	**55.31**	**2.75**	**629.12**

टिप्पणी 7.3 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 8 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		योग	31 मार्च, 2021 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
नमूने		0.30	0.30		0.30	0.30
उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियाँ (सन्दर्भ टिप्पणी–14.1)	43.47	-	43.47	58.96	-	58.96
पूर्वप्रदत्त व्यय (टिप्पणी–8.1 देखें)	25.08	21.75	46.83	27.47	13.56	41.03
उपलब्ध स्टैम्प	-	0.22	0.22		0.01	0.01
अग्रिम निधि	-	-	-	-	-	-
आई.जी.एस.टी. सेनवैट	-	-	-		-	-
अग्रिम प्राप्य		2.56	2.56		0.45	0.45
कुल योग	**68.55**	**24.83**	**93.38**	**86.43**	**14.32**	**100.75**

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम या वित्तीय संपत्तियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

टिप्पणीः 9 **नकद एवं नकदी समकक्ष**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा		
–पास में नकद		
(ख) बैंक के पास अवशेष		
–बचत खाते में	4,037.62	4,117.36
योग	**4,037.62**	**4,117.36**

टिप्पणीः 9.1 सामान्यतः उधार लेने वाले अभिकरणों से वसूली / वापसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्राप्त हुए। अतः इसे इच्छित उद्धेश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सकता था।

Note 10 Cash and cash equivalent-Grant Fund

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
(c) Other Bank Balance (Grant Funds & Others)		
- Saving Account	5,147.75	6,124.70
Post Retirement Medical Fund for Superannuated Employees	164.58	
Total	**5,312.33**	**6,124.70**

'Note 10.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant (Interest Subvention Scheme VISVAS & other CSR Funds) along with Separate Saving Account for Post Retirement-Medical Expenses.

Note: 11 Current Tax Asset (Net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Income Tax/TDS Receivable	29.72	28.10
Total	**29.72**	**28.10**

Note: 12 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Authorized share capital (150,00,000 Equity shares of ₹1,000/- each) (As at 31st March 2021, 150,00,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	1,50,000.00	1,50,000.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital (1,49,94,000 Equity shares of ₹1,000/- each) (As at 31st March 2021, 1,44,40,000 Equity shares of ₹1,000/- each,)	1,49,940.00	1,49,940.00
Total	**1,49,940.00**	**1,49,940.00**

Note : 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00	14,440,000.00	144,400.00
Add: Shares Issued during the year	-	-	554,000.00	5,540.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**14,994,000.00**	**149,940.00**	**14,994,000.00**	**149,940.00**

Shares held by promoters at the end of the year	Shares held by Promoters at the end of the Year			% Change during the year ***
	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
Equity Shares	President of India	14,993,999	100.00	Nil
	Joint Secretary Backward Classes	1	0.00	Nil
Total		14,994,000	100.00	

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

टिप्पणी 10 नकद एवं नकदी समकक्ष – अनुदान राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान राशि एवं अन्य)		
–बचत खाता	5,147.75	6,124.70
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा कोष	164.58	
योग	**5,312.33**	**6,124.70**

टिप्पणी 10.1 अन्य बैंक अवशेष मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के साथ सेवानिवृत्त के पश्चात्–चिकित्सा व्यय के लिए अलग बचत खाता सहित निधि को प्रदर्शित करता है (विस्वास ब्याज सबवेंशन योजना एवं अन्य सी.एस.आर. राशि)।

टिप्पणी 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	29.72	28.10
योग	**29.72**	**28.10**

टिप्पणी 12 अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्राधिकृत अंश पूंजी (₹1000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2021 को, ₹ 1000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	150,000.00	150,000.00
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी (₹ 1000/– प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2021 को ₹ 1000/– प्रत्येक के 1,44,40,000 साम्य अंश)	1,49,940.00	1,49,940.00
कुल	**1,49,940.00**	**1,49,940.00**

टिप्पणीः 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(₹ लाख में)

Particulars	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	14,994,000.00	149,940.00	14,440,000.00	144,400.00
जोड़ेः वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-	554,000.00	5,540.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**14,994,000.00**	**149,940.00**	**14,994,000.00**	**149,940.00**

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर	वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तन % ***
	प्रोमोटर्स का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
इक्विटी अंश	भारत के राष्ट्रपति	14,993,999	100.00	शून्य
	संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग	1	0.00	शून्य
योग		14,994,000	100.00	

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹ 1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

Note: - 13 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Special Reserve	1,164.58	2,500.00
General Reserve	55,759.97	51,195.27
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**56,924.55**	**53,695.27**

Note 13.1 Special Reserve
Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Balance as at the beginning of the year	2,500.00	2,500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Less: Transferred to General Reserve	1,500.00	
Add: Post Retirement Medical Fund for Superannuated Employees	164.58	
Closing Balance	**1,164.58**	**2,500.00**

Note. No. 13.1.1 During the Financial Year 2021-22, the Corporation had received an accumulated balance of Rs. 156.89 Lakh from NBCFDC Medical Trust and as per the approval of Board of the Board of Directors vide 126th meeting of the board the same fund is maintained by the Corporation. The same fund henceforth be maintained by the Corpoartion itself.

Note 13.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Balance as at the beginning of the year	51,195.27	47,845.04
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	4,564.70	3,350.23
Closing Balance	**55,759.97**	**51,195.27**

Note 13.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.1)	-	-
Add/Less: Other Adjustment(refer Note No. 7.2 & Note 3.1 (Right of use Assets)		(76.26)
Add/Less: Other adjsutment		
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	3,055.77	3,429.54
Add: Special Reserve	1,500.00	
	4,555.77	**3,353.28**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	8.93	(3.05)
Less : Transferred to General Reserve	4,564.70	3,350.23
Closing Balance	**-**	**-**

टिप्पणी 13 अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
विशेष आरक्षित	1,164.58	2,500.00
सामान्य आरक्षित	55,759.97	51,195.27
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**56,924.55**	**53,695.27**

टिप्पणी 13.1 विशेष आरक्षित

अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के आरम्भ में अवशेष	2,500.00	2,500.00
जोड़ेः सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
घटाएः सामान्य आरक्षित से अंतरण	1,500.00	
जोड़ेःसेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष	164.58	
अंतः शेष	**1,164.58**	**2,500.00**

टिप्पणी 13.1.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम को एनबीसीएफडीसी मेडिकल ट्रस्ट से ₹ 156.89 लाख की राशि प्राप्त हुई है एवं निदेशक मण्डल की 126 वीं बैठक के अनुमोदन के अनुसार इस निधि का रखरखाव निगम द्वारा किया जा रहा है। अब से इस निधि का रखरखाव निगम द्वारा ही किया जाएगा।

टिप्पणी 13.2 सामान्य आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	51,195.27	47,845.04
जोड़ेः सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	4,564.70	3,350.23
अंतः शेष	**55,759.97**	**51,195.27**

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े/घटाएः मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.1 देखें)	-	-
जोड़े/घटाएः अन्य समायोजन (सन्दर्भ टिप्पणी 7.2 एवं टिप्पणी 3.1 देखें) (सम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार)		(76.26)
जोड़े/घटाएः अन्य समायोजन		
जोड़ेः आय व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	3,055.77	3,429.54
जोड़ेःसामान्य आरक्षित	1,500.00	
	4,555.77	**3,353.28**
जोड़ेः परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य–समग्र आय	8.93	(3.05)
घटाएः सामान्य आरक्षित को अंतरित	4,564.70	3,350.23
अंतः शेष	**-**	**-**

Note 13.4 Share application money pending allotment

Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	-	5,540.00
Less: Shares alloted during the year	-	(5,540.00)
Closing Balance	**-**	**-**

Note 13.5 Special Reserve of Rs 1000 lakhs (Rs 2500 lakhs as at 31.03.2021) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry Further, the Board Directors of the Corporation in its 126 th meeting held on 27/12/2021 has been approved the reduce of "Special Reserve Fund" from Rs. 2500 lakh to Rs. 1000.00 lakh w.e.f financial year 2021-22.

Note 13.6 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve.

Note 13.7 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

Note 14 Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022			As at March 31, 2021		
	Non-Current	Current	Total	Non-Current	Current	Total
Provision for Retirement Benefits to Employees						
-Gratuity						
-Leave Benefits	8.19		8.19			
-Medical Scheme						
Sub Total (a)	**8.19**	**-**	**8.19**	**-**	**-**	**-**
Provision for Performance Related Pay :						
- Managing Director		13.81	13.81	-	45.31	45.31
- Other Employees		222.13	222.13	-	243.02	243.02
Sub Total (b)	**-**	**235.95**	**235.95**	**-**	**288.33**	**288.33**
Leave Travel Concession	18.11	6.58	24.69	8.80	17.60	26.40
Performance Linked Incentive Grant to Channel Partners	-	173.50	173.50	-	55.52	55.52
House Tax		-	-		0.09	0.09
Provision for Expenses		33.23	33.23			
Total	**26.29**	**449.27**	**475.56**	**8.80**	**361.54**	**370.34**

टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि

अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ः वर्ष के दौरान प्राप्त	-	5,540.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आवंटित अंश	-	(5,540.00)
अंतः शेष	**-**	**-**

टिप्पणी 13.5 ₹1000 लाख (31.03.2021 को ₹ 2500 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित सहित कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा। इसके अलावा, निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 27/12/2021 को आयोजित 126वीं बैठक में अपनी "विशेष आरक्षित निधि" को वित्तीय वर्ष 2021–22 से ₹ 2500 लाख से ₹ 1000.00 लाख घटाने की मंजूरी दी है।

टिप्पणी 13.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों के वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इस प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी 13.7 निगम लाभ के लिए नहीं है एवं इनके प्रशिक्षण और बाजार एक्सपोजर कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसकी गतिविधियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की प्रकृति में हैं।

टिप्पणी 14 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान :						
–उपदान						
–अवकाश लाभ	8.19		8.19			
–चिकित्सा योजना						
उप योग (क)	**8.19**	**-**	**8.19**	**-**	**-**	**-**
कार्य निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान :						
–प्रबन्ध निदेशक		13.81	13.81	-	45.31	45.31
–अन्य कर्मचारी		222.13	222.13	-	243.02	243.02
उप योग (ख)	**-**	**235.95**	**235.95**	**-**	**288.33**	**288.33**
यात्रा अवकाश रियायत	18.11	6.58	24.69	8.80	17.60	26.40
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	173.50	173.50	-	55.52	55.52
गृह कर		-	-		0.09	0.09
व्यय के लिए प्रावधान		33.23	33.23			
योग	**26.29**	**449.27**	**475.56**	**8.80**	**361.54**	**370.34**

Note 14.1 Details of provisions (FY 2021-22)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2021	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2021-2022	Written back during 2021-22	As at 31st March 2022
Gratuity (refer note no. 8)	(33.03)	(10.44)			(43.47)
Leave Benefits (refer note no. 8)	(25.94)	34.13			8.19
House tax	0.09	0.07	0.16		-
Performance linked incentive	55.52	173.50	44.02	11.50	173.50
Grant to Channel Partners					
Leave Travel Concession	26.40	0.61	2.32		24.69
Performance Related Pay	288.33	91.31	130.79	12.90	235.95
Provision for Expenses		33.23			33.23
Total	**311.38**	**322.41**	**177.30**	**24.40**	**432.09**

Note 14.1 Details of provisions (FY 2020-21)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2020	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2020-2021	Written back during 2020-21	As at 31st March, 2021
Gratuity	(15.11)	(17.91)	-	-	(33.03)
Leave Benefits (refer note no. 7)	(22.91)	(3.03)	-	-	(25.94)
House tax	-	0.09	-	-	0.09
Performance linked incentive	135.29	161.76	227.54	13.99	55.52
Grant to Channel Partners					
Leave Travel Concession	15.93	11.09	0.62	-	26.40
Performance Related Pay	247.27	166.86	122.88	2.92	288.33
Total	**360.45**	**318.86**	**351.03**	**16.91**	**311.38**

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of ₹24.69 Lakhs (₹ 26.40 Lakhs as at 31.03.2021) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of ₹ 91.30 (₹ 166.86 Lakhs as at 31.03.2021) has been made on the basis of 'Very Good rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU,which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021–22)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2021–22 के दौरान उपभोग/भुगतान	वर्ष 2021–22 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2022 को
उपदान (सन्दर्भ टिप्पणी 8)	(33.03)	(10.44)			(43.47)
अवकाश लाभ (सन्दर्भ टिप्पणी 8)	(25.94)	34.13			8.19
गृह कर	0.09	0.07	0.16		-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	55.52	173.50	44.02	11.50	173.50
यात्रा अवकाश रियायत	26.40	0.61	2.32		24.69
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	288.33	91.31	130.79	12.90	235.95
व्यय के लिए प्रावधान		33.23			33.23
योग	**311.38**	**322.41**	**177.30**	**24.40**	**432.09**

टिप्पणीः 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2020–21)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2020–21 के दौरान उपभोग/भुगतान	वर्ष 2020–21 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2021 को
उपदान	(15.11)	(17.91)	-	-	(33.03)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(22.91)	(3.03)	-	-	(25.94)
गृह कर	-	0.09	-	-	0.09
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	135.29	161.76	227.54	13.99	55.52
यात्रा अवकाश रियायत	15.93	11.09	0.62	-	26.40
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	247.27	166.86	122.88	2.92	288.33
योग	**360.45**	**318.86**	**351.03**	**16.91**	**311.38**

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश ₹24.69 लाख (31.03.2021 को ₹ 26.40 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन ₹91.30 लाख (31.03.2021 को ₹ 166.68 लाख) का प्रावधान समस्त कर्मचारियों की बहुत अच्छी रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा–स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय'' एवं ''निगम'' के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात–खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. सं. 2(14)/12–DPE(WL)–GL–IV/14 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध–वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध–अर्जित अवकाश को साथ–साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान) का भारतीय लेखाकरण मानक–19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येकपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेज्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य का निर्धारण, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके वास्तविक मूल्यांकन पर किया जाता है।

Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary, appointed for the purpose, in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (Ind As) Rule, 2015.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(I)	**Key Assumption of actuarial**				
	Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
	Discount Rate	7.18%	7.18%	6.94%	6.94%
	Salary rise (p.a) *	6%	6%	6%	6%
	Expected rate of return on assets	7.18%	7.18%	6.94%	6.94%
	Demographic Assumptions				
	Employee Turnover	2%		2%	2%
	Retirement Age	60 years		60 years	60 years
	* first 7 year 6% & for 1 Year after 7 year 12% & for 10 years after that 6%				
(II)	**Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End**				
	Defined Benefit Obligation	434.33	311.01	411.19	316.91
	Fair Value of Plan Assets	477.80	302.82	444.21	342.85
		(43.47)	8.19	(33.03)	(25.94)
	Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
	Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
	Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**(43.47)**	**8.19**	**(33.03)**	**(25.94)**
(III)	**Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End**				
	Service Cost	18.87	24.92	17.35	23.34
	Net Interest Cost	(2.74)	(1.95)	(0.81)	(1.07)
	Past Service Cost			-	
	Remeasurements		11.16		31.21
	Administration Expenses				
	(Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments				
	Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**16.12**	**34.13**	**16.54**	**53.48**
(IV)	**Current /Non Current Bifurcation**				
	Current Benefit Obligation	13.71	10.25	31.92	29.10
	Non- Current Benefit Obligation	420.62	300.75	379.26	287.81
	(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**434.33**	**311.01**	**411.19**	**316.91**
(V)	**Actual return on Plan assets**				
	Interest Income on Plan Assets	30.83		26.30	
	Expected Return on Plan Assets		23.79		21.44
	Remeasurements of Plan assets	25.13	10.95	(12.12)	1.33
	Actual Return on Plan Assets	**55.95**	**34.75**	**14.18**	**22.78**

जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय लेखाकरण मानक–19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व वास्तविक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है।

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एव ंदीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन–पत्र के साथ–साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान				
आर्थिक पूर्वानुमान	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
छूट दर	7.18%	7.18%	6.94%	6.94%
वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6%	6%	6%	6%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	7.18%	7.18%	6.94%	6.94%
जनांकिकी पूर्वानुमान				
कर्मचारी कारोबार	2%		2%	2%
सेवानिवृत्ति आयु	60 years		60 years	60 years
*पहले 7 वर्ष 6% एवं 7 वर्षों के बाद 1 वर्ष के लिए 12% एवं उसके बाद 10 वर्षों के लिए 6%:				
(II) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	434.33	311.01	411.19	316.91
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	477.80	302.82	444.21	342.85
अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(43.47)	8.19	(33.03)	(25.94)
परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर–मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति				
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**(43.47)**	**8.19**	**(33.03)**	**(25.94)**
(III) अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत / (आय)				
सेवा लागत	18.87	24.92	17.35	23.34
शुद्ध ब्याज लागत	(2.74)	(1.95)	(0.81)	(1.07)
पिछली सेवा लागत			-	
पुनः मापन		11.16		31.21
प्रशासन व्यय				
निपटान / कांट–छांट के कारण (प्राप्ति) / हानि				
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषिक लाभ लागत / (आय)	**16.12**	**34.13**	**16.54**	**53.48**
(IV) वर्तमान / गैर–वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	13.71	10.25	31.92	29.10
गैर–वर्तमान लाभ बाध्यता	420.62	300.75	379.26	287.81
तुलन–पत्र में लिए गए (परिसंपत्तियां) / दायित्व	**434.33**	**311.01**	**411.19**	**316.91**
(V) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	30.83		26.30	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी		23.79		21.44
योजना परिसंपत्तियों का पुनः–मापन	25.13	10.95	(12.12)	1.33
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**55.95**	**34.75**	**14.18**	**22.78**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End	PUC Method		PUC Method	
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	4.06		1.01	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	(5.71)		(6.32)	
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments	21.91		(2.75)	
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	(25.13)		12.12	
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized in OCI	(8.93)		3.05	
Amount Recognized in OCI	**(4.87)**		**4.06**	
(VII) Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period Premeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions		(4.66)		(4.93)
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments		26.77		37.47
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)		(10.95)		(1.33)
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized (gains)/losses		**11.16**		**31.21**
(VIII) Changes in defined Benefit Obligation during the Period				
Defined Benefit Obligations Beginning of period	411.19	316.91	377.41	297.16
Interest cost on DBO	28.08	24.92	25.49	23.34
Current service cost	18.87	21.85	17.35	20.38
Benefit paid (if any)				(56.51)
Benefit paid by the Insurer (if any)	(40.00)	(74.78)		
Past Service cost				
Actuarial (gain)/loss	16.20	22.11	(9.06)	32.54
Defined Benefit Obligation at the end of the period	**434.33**	**311.01**	**411.19**	**316.91**
(IX) Change in Fair Value of Plan Assets during the Period				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	444.21	342.85	392.52	320.07
Interest Income on Plan assets	30.83	23.79	26.30	21.44
Contributions	17.64		37.50	-
Benefits paid	(40.00)	(74.78)		
Actuarial gain/(loss) on plan assets	25.13	10.95	(12.12)	1.33
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**477.80**	**302.82**	**444.21**	**342.85**
(X) Reconciliation of Balance Sheet Amount				
Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	(33.03)	(25.94)	(15.11)	(22.91)
Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	16.12	34.13	16.54	53.48
Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	(8.93)		3.05	
Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(17.64)		(37.50)	(56.51)
Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**(43.47)**	**8.19**	**(33.02)**	**(25.94)**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक(आय)/हानि मान्यता प्राप्त धनराशि का विश्लेषण	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	4.06		1.01	
पुनः–मापन के कारणः				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	(5.71)		(6.32)	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव	21.91		(2.75)	
निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)	(25.13)		12.12	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त कुल पुनः–मापन	(8.93)		3.05	
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**(4.87)**		**4.06**	
(VII) अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्तियों)के पुनः–मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण				
पूर्व मापन के कारण :–				
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		(4.66)		(4.93)
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव		26.77		37.47
निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(10.95)		(1.33)
परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
कुल पुनः मापन में(प्राप्ति)/हानि		**11.16**		**31.21**
(VIII) अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	411.19	316.91	377.41	297.16
डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	28.08	24.92	25.49	23.34
वर्तमान सेवा लागत	18.87	21.85	17.35	20.38
भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हो)				(56.51)
बीमाकर्त्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रदत्त लाभ	(40.00)	(74.78)		
पूर्व सेवा लागत				
वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	16.20	22.11	(9.06)	32.54
अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**434.33**	**311.01**	**411.19**	**316.91**
(IX) अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	444.21	342.85	392.52	320.07
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	30.83	23.79	26.30	21.44
अंशदान	17.64		37.50	-
भुगतान किए गए लाभ	(40.00)	(74.78)		
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	25.13	10.95	(12.12)	1.33
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**477.80**	**302.82**	**444.21**	**342.85**
(X) तुलन–पत्र की धनराशि का मिलान				
अवधि के आरंभ में, तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(33.03)	(25.94)	(15.11)	(22.91)
लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	16.12	34.13	16.54	53.48
ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः–मापन	(8.93)		3.05	
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता अंशदान लाभ	(17.64)		(37.50)	(56.51)
अवधि के अंत में तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	**(43.47)**	**8.19**	**(33.02)**	**(25.94)**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
	PUC Method		PUC Method	
(XI) Sensitivity Analysis				
Defined Benefit Obligation-Discount Rate + 100 base points	(24.53)	(20.31)	(26.52)	(20.69)
Defined Benefit Obligation-Discount Rate - 100 base points	26.74	22.51	28.84	22.93
Defined Benefit Obligation-Salary Escalation Rate + 100 base points	5.80	23.49	19.68	23.95
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(10.66)	(22.57)	(18.83)	(22.99)
(XI) Expected Cash flows for the Next Ten Years				
Year - 2021				
Year - 2022			33.01	
Year - 2023	14.20		12.94	
Year - 2024	15.02		13.65	
Year - 2025	34.02		32.69	
Year - 2026	64.75		59.52	
Year - 2027	41.64			
Year - 2028 to 2032	389.31			
Year - 2027 to 2031			336.45	

Note 14.6 Estimates of future salary increase considered in actuarial valuation taken in to account inflation, seniority, promotion and other relevant factor

Note 15 Other financial liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Amount payable/adjustable to SCA	0.03	1.59
Security deposit & retention money (Unsecured Considered Good)	0.72	1.38
Grant from government/Financial Institutions	5,137.93	5,732.67
Interest on Grant Fund	9.82	392.03
Sub Total (1)	**5,148.50**	**6,127.67**
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	29.96	76.01
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note - 41)	4.07	4.47
Sub Total (2)	**34.04**	**80.48**
Total	**5,182.54**	**6,208.15**

Trade Payables Ageing FY 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	4.07					4.07
(ii) Others	11.20			18.76		29.96
(iii) Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**15.28**	**-**	**-**	**18.76**	**-**	**34.04**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर+100 आधार अंक	(24.53)	(20.31)	(26.52)	(20.69)
परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर–100 आधार अंक	26.74	22.51	28.84	22.93
परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर+100 आधार अंक	5.80	23.49	19.68	23.95
परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर–100 आधार अंक	(10.66)	(22.57)	(18.83)	(22.99)
(XII) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष –2021				
वर्ष – 2022			33.01	
वर्ष – 2023	14.20		12.94	
वर्ष – 2024	15.02		13.65	
वर्ष – 2025	34.02		32.69	
वर्ष – 2026	64.75		59.52	
वर्ष – 2027	41.64			
वर्ष – 2028–2032	389.31			
वर्ष – 2027–2031			336.45	

टिप्पणी 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

Note 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य धनराशि	0.03	1.59
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	0.72	1.38
सरकार/वित्तीय संस्थानों से अनुदान	5,137.93	5,732.67
अनुदान निधि पर ब्याज	9.82	392.03
उपयोग (1)	**5,148.50**	**6,127.67**
अन्य देयः		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं का कुल देय बकाया	29.96	76.01
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 41 देखें)	4.07	4.47
उपयोग (2)	**34.04**	**80.48**
योग	**5,182.54**	**6,208.15**

व्यवसाय अवधि वित्तीय वर्ष 2021–22

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	4.07					4.07
(ii) अन्य	11.20			18.76		29.96
(iii) विवादित बकाया –एम.एस.एम.ई.						-
(v) अन्य विवादित बकाया					-	
योग	**15.28**	**-**	**-**	**18.76**	**-**	**34.04**

Trade Payables Ageing FY 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	4.47					4.47
(ii) Others	57.25		18.76			76.01
(iii) Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**61.72**	**-**	**18.76**	**-**	**-**	**80.48**

Note 15.1 Security Deposit includes deposits received from various vendors/ suppliers for services.

Note 15.2 Corporation received various grants/funds from administrative ministry for implementing various scheme of ministry as well as other CPSEs for specific purpose. Corporation has maintained separate account for such funds/grants and it has been shown as liability till the fund is utilized for the purpose it was received. After disbursing the same has been adjusted from the PIA (Project Implementing Agencies) balances.

Note 15.3 During the year an amount of Rs.3111.20 lakhs (previous year Rs.2353.69 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs.3400.63 lakhs (Previous year Rs. 2045.82 lakhs) was released/refunds including interest o the tune of Rs.515.13 lakh (Previous Year Rs. 187.16 lakh) to the training institutions/administrative ministry and recognised during the financial year as revenue grant.The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2022 are as under :

व्यवसाय अवधि वित्तीय वर्ष 2020—21

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	4.47					4.47
(ii) अन्य	57.25		18.76			76.01
(iii) विवादित बकाया —एम.एस.एम.ई.						-
(v) अन्य विवादित बकाया						-
योग	**61.72**	**-**	**18.76**			**80.48**

टिप्पणी 15.1 सुरक्षा जमा में विभिन्न विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जमा सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 15.2 निगम प्रशासनिक मंत्रालय से विभिन्न अनुदान / निधियाँ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं साथ ही साथ अन्य सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों से प्राप्त की है। निगम ने इस प्रकार की निधियों / अनुदान के लिए अलग से खाता तैयार किया है एवं इसे दायित्व के तौर पर दर्शाया गया है, जब तक कि इनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु न कर लिया जाए जिसके लिए ये प्राप्त हुए थे। इनका वितरण करने के उपरांत (परियोजनाओं क्रियान्वयन एजेंसी) बकाया में समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 15.3 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में ₹ 3111.20 लाख की धनराशि (गत वर्ष ₹ 2353.69 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि ₹ 3400.63 लाख (गत् वर्ष ₹ 2045.82 लाख) की अवमुक्ति / वापसी राशि में ₹ 515.13 लाख (गत् वर्ष ₹ 187.16 लाख) की वापसी ब्याज सहित प्रशिक्षण संस्थानों / प्रशासनिक मंत्रालय को की गई थी एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वर्ष के आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

During the F.Y 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggers)	69.54	18.61	88.15		2.66	2.66	69.54	21.27	90.81	26.85	21.27	48.12	42.69	0.00	42.69
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 18-19 (North Eastern Region)	318.60	95.08	413.68		3.18	3.18	318.60	98.26	416.86	318.60	98.26	416.86	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19 (Transgender)	81.02	12.23	93.24		3.94	3.94	81.02	16.17	97.19	14.19	16.17	30.36	66.83	0.00	66.83
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 18-19 (Transgender)	7.76	1.26	9.02		0.18	0.18	7.76	1.44	9.20	7.76	1.44	9.19	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 19-20	0.00	99.87	99.87		13.63	13.63	-0.00	113.50	113.49		113.49	113.49	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 19-20 (Transgender) HEALTH	0.00	3.65	3.65		(3.65)	(3.65)	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 19-20 (Drug Demand Reduction)	150.00	13.81	163.81		4.68	4.68	150.00	18.49	168.49	150.00	18.49	168.49	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 19-20 (for Beggers)	70.00	5.04	75.04		2.14	2.14	70.00	7.18	77.18	70.00	7.18	77.18	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 19-20	400.00	25.87	425.87		12.16	12.16	400.00	38.03	438.03		38.03	38.03	400.00	0.00	400.00
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 19-20 (NER)	300.00	19.40	319.40		7.76	7.76	300.00	27.16	327.16	132.21	27.16	159.37	167.79	0.00	167.79
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 19-20 (NER)	1077.09	49.21	1126.30	-	18.38	18.38	1,077.09	67.59	1,144.68	300.88	67.59	368.47	776.21	0.00	776.21
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 19-20 (Transgender) HEALTH	25.83	4.91	30.74		4.26	4.26	25.83	9.17	35.00	23.13	9.17	32.30	2.70	0.00	2.70
Ministry of SJ&E (Grant-XIII) of 20-21	250.00	9.95	259.95		6.30	6.30	250.00	16.25	266.25	250.00	16.25	266.25	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XIV) of 20-21	250.00	9.26	259.26		7.40	7.40	250.00	16.66	266.66	250.00	16.66	266.66	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XV) of 20-21	250.00	8.03	258.03		7.37	7.37	250.00	15.40	265.40	250.00	15.40	265.40	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XVI) of 20-21 (P.M. Daksh) -1	639.00	6.30	645.30		(0.92)	-0.92	639.00	5.38	644.38	68.21	5.38	73.59	570.78	0.00	570.78
Central warehouse Corporation	34.44	0.00	34.44			-	34.44	-	34.44	34.44	-	34.44	0.00	0.00	-
Concor corporation of India Ltd.	21.33	0.00	21.33	53.46		53.46	74.79	-	74.79	13.97		13.97	60.82	0.00	60.82
Development Commisioner (Hnadicraft)	0.00	1.46	1.46		0.04	0.04	-0.00	1.51	1.50			-	0.00	1.51	1.51
IFCI Social Foundation	12.23	0.00	12.23		0.40	0.40	12.23	0.40	12.63	12.23	0.40	12.63	0.00	0.00	-
Indian Railway Finance Corporation ltd.	135.17	0.00	135.17	44.58		44.58	179.75	-	179.75	133.14		133.14	46.61	0.00	46.61
Engineers India Ltd.	103.49	0.00	103.49	151.20		151.20	254.69	-	254.69	197.09		197.09	57.60	0.00	57.60
CONCOR AIR LIMITED- COVID 19 GRANT ACCOUNT	0.00	0.00	0.00			-	-		-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XVII) of 20-21 (P.M. Daksh)-2	639.00	0.07	639.07		18.25	18.25	639.00	18.32	657.32		18.32	18.32	639.00	0.00	639.00
MINISTRY OF SJ&E [FAIR & EXIHIBITION] ACCOUNT	20.10	0.00	20.10		0.49	0.49	20.10	0.49	20.59	20.10	0.49	20.59	0.00	0.00	-
CONCOR COVID 19 CSR GRANT	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
CONCOR AIR LIMITED CSR SDTP GRANT RECEIVED ACCOUNT				19.96	-	19.96	19.96	-	19.96	19.96		19.96	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XIX) of 21-22 (P.M. Daksh)-2				900.00	8.76	908.76	900.00	8.76	908.76	592.75	8.76	601.51	307.25	0.00	307.25
Ministry of SJ&E (Grant-XX) of 21-22 (P.M. Daksh)-3				1942.00		1,942.00	1,942.00	-	1,942.00			-	1942.00	0.00	1,942.00
Ministry of SJ&E (Grant-XVIII) of 20-21 (P.M. Daksh)-1					15.20	15.20	-	15.20	15.20		15.20	15.20	0.00	0.00	-
Total	**4,854.58**	**384.01**	**5,238.59**	**3,111.20**	**132.62**	**3,243.83**	**7,965.78**	**516.63**	**8,482.42**	**2,885.50**	**515.13**	**3,400.63**	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.79**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17–18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I) (भिखारियों हेतु)	69.54	18.61	88.15		2.66	2.66	69.54	21.27	90.81	26.85	21.27	48.12	42.69	0.00	42.69
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	318.60	95.08	413.68		3.18	3.18	318.60	98.26	416.86	318.60	98.26	416.86	0.00	0.00	-
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–III) (ट्रासजेंडर)	81.02	12.23	93.24		3.94	3.94	81.02	16.17	97.19	14.19	16.17	30.36	66.83	0.00	66.83
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV) (ट्रासजेंडर)	7.76	1.26	9.02		0.18	0.18	7.76	1.44	9.20	7.76	1.44	9.19	0.00	0.00	-
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– V)	0.00	99.87	99.87		13.63	13.63	-0.00	113.50	113.49		113.49	113.49	0.00	0.00	-
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– VI) (ट्रासजेंडर) स्वास्थ्य	0.00	3.65	3.65		(3.65)	(3.65)	-	-	-			-	0.00	0.00	-
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– VII) (नशीली दवा की मांग में कमी)	150.00	13.81	163.81		4.68	4.68	150.00	18.49	168.49	150.00	18.49	168.49	0.00	0.00	-
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– VIII) (भिखारियों हेतु)	70.00	5.04	75.04		2.14	2.14	70.00	7.18	77.18	70.00	7.18	77.18	0.00	0.00	-
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IX)	400.00	25.87	425.87		12.16	12.16	400.00	38.03	438.03		38.03	38.03	400.00	0.00	400.00
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–X) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	300.00	19.40	319.40		7.76	7.76	300.00	27.16	327.16	132.21	27.16	159.37	167.79	0.00	167.79
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XI) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	1077.09	49.21	1126.30	-	18.38	18.38	1,077.09	67.59	1,144.68	300.88	67.59	368.47	776.21	0.00	776.21
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XII) (ट्रासजेंडर) स्वास्थ्य	25.83	4.91	30.74		4.26	4.26	25.83	9.17	35.00	23.13	9.17	32.30	2.70	0.00	2.70
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XIII)	250.00	9.95	259.95		6.30	6.30	250.00	16.25	266.25	250.00	16.25	266.25	0.00	0.00	-
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XIV)	250.00	9.26	259.26		7.40	7.40	250.00	16.66	266.66	250.00	16.66	266.66	0.00	0.00	-
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XV)	250.00	8.03	258.03		7.37	7.37	250.00	15.40	265.40	250.00	15.40	265.40	0.00	0.00	-
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XVI) (अनुदान–XVI) (प्रधानमंत्री दक्ष)–2	639.00	6.30	645.30		(0.92)	-0.92	639.00	5.38	644.38	68.21	5.38	73.59	570.78	0.00	570.78
केन्द्रीय भण्डारण निगम	34.44	0.00	34.44			-	34.44	-	34.44	34.44		34.44	0.00	0.00	-
कॉनकोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	21.33	0.00	21.33	53.46		53.46	74.79	-	74.79	13.97		13.97	60.82	0.00	60.82
डेवलपमेंट कमिश्नर हैण्डीक्राट	0.00	1.46	1.46		0.04	0.04	-0.00	1.51	1.50			-	0.00	1.51	1.51
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	12.23	0.00	12.23		0.40	0.40	12.23	0.40	12.63	12.23	0.40	12.63	0.00	0.00	-
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि	135.17	0.00	135.17	44.58		44.58	179.75	-	179.75	133.14		133.14	46.61	0.00	46.61
इंजीनियर इण्डिया लि०	103.49	0.00	103.49	151.20		151.20	254.69	-	254.69	197.09		197.09	57.60	0.00	57.60
कॉनकोर एयर लि०–कोविड–19 अनुदान खाता	0.00	0.00	0.00			-	-		-			-	0.00	0.00	-
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XVII) (प्रधानमंत्री दक्ष)–2	639.00	0.07	639.07		18.25	18.25	639.00	18.32	657.32		18.32	18.32	639.00	0.00	639.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (मेला एवं प्रदर्शनी) खाता	20.10	0.00	20.10		0.49	0.49	20.10	0.49	20.59	20.10	0.49	20.59	0.00	0.00	-
कॉनकोर कोविड–19 सी.एस.आर. अनुदान	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
कॉनकोर एयर लि० सी.एस.आर. एस.डी.टी.पी. अनुदान प्राप्त खाता				19.96	-	19.96	19.96	-	19.96	19.96		19.96	0.00	0.00	-
वर्ष 21–22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XIX)(प्रधानमंत्री दक्ष)–2				900.00	8.76	908.76	900.00	8.76	908.76	592.75	8.76	601.51	307.25	0.00	307.25
वर्ष 21–22 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XX) (प्रधानमंत्री दक्ष)–3				1942.00		1,942.00	1,942.00	-	1,942.00			-	1942.00	0.00	1,942.00
वर्ष 20–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XVIII) (प्रधानमंत्री दक्ष)–1					15.20	15.20		15.20	15.20		15.20	15.20	0.00	0.00	-
योग	**4,854.58**	**384.01**	**5,238.59**	**3,111.20**	**132.62**	**3,243.83**	**7,965.78**	**516.63**	**8,482.42**	**2,885.50**	**515.13**	**3,400.63**	**5,080.28**	**1.51**	**5,081.79**

During the F.Y 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC-MSJ&E(VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	878.09	8.02	886.11		23.30	23.30	878.09	31.32	909.41	820.45	23.01	843.46	57.64	8.31	65.96
Total	**878.09**	**8.02**	**886.11**	**-**	**23.30**	**23.30**	**878.09**	**31.32**	**909.41**	**820.45**	**23.01**	**843.46**	**57.64**	**8.31**	**65.96**

During the Financial Year, the Corporation has refunded Rs. 714.21 Lakh and Rs. 23.01 Lakh towards principal and interest to the Ministry only.

During the F.Y 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
COVID 19 RELIEF FUND ACCOUNT	5.19	0.05	5.24	1.10	0.12	1.23	6.29	0.17	6.46	5.49		5.49	0.80	0.17	0.97
Total	**5.19**	**0.05**	**5.24**	**1.10**	**0.12**	**1.23**	**6.29**	**0.17**	**6.46**	**5.49**	**-**	**5.49**	**0.80**	**0.17**	**0.97**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एन.बी.सी.एफ.डी.सी.– सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (विस्वास) योजना–2020 खाता	878.09	8.02	886.11		23.30	23.30	878.09	31.32	909.41	820.45	23.01	843.46	57.64	8.31	65.96
योग	**878.09**	**8.02**	**886.11**	**-**	**23.30**	**23.30**	**878.09**	**31.32**	**909.41**	**820.45**	**23.01**	**843.46**	**57.64**	**8.31**	**65.96**

वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने रू.714.21 लाख एवं रू. 23.01 लाख मात्र मूलधन एवं ब्याज के रूप में मंत्रालय को वापस किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
कोविड–19 राहत कोष खाता	5.19	0.05	5.24	1.10	0.12	1.23	6.29	0.17	6.46	5.49		5.49	0.80	0.17	0.97
योग	**5.19**	**0.05**	**5.24**	**1.10**	**0.12**	**1.23**	**6.29**	**0.17**	**6.46**	**5.49**	**-**	**5.49**	**0.80**	**0.17**	**0.97**

Note 15.4

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	75.09	13.15	88.24		5.46	5.46	75.09	18.61	93.70	5.55		5.55	69.54	18.61	88.15
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 18-19 (North Eastern Region)	0.00	13.72	13.72		0.74	0.74	0.00	14.46	14.46	-	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19	0.00	70.83	70.83		3.83	3.83	0.00	74.66	74.66	-	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 18-19	0.00	68.06	68.06		3.68	3.68	-	71.74	71.74	-	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 18-19 (North Eastern Region)	479.68	62.62	542.30		32.46	32.46	479.68	95.08	574.76	161.08	-	161.08	318.60	95.08	413.68
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 18-19	(0.00)	23.89	23.89		1.29	1.29	-0.00	25.18	25.18		25.18	25.18	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 18-19 (Transgender)	90.01	6.16	96.17		6.07	5.49	90.01	12.23	102.23	8.98	-	8.98	81.02	12.23	93.24
Ministry of SJ&E (Grant-VIIa) of 18-19 (Transgender)	10.00	0.69	10.69		0.57	0.57	10.00	1.26	11.26	2.24	2.24		7.76	1.26	9.02
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 19-20	1,193.21	53.64	1,246.85		46.23	46.23	1,193.21	99.87	1,293.08	1,193.21	-	1,193.21	0.00	99.87	99.87
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 19-20 (Transgender) -Training	73.99	2.69	76.68	(73.33)	0.96	-72.37	0.66	3.65	4.31		0.66	0.66	1.67	1.98	3.65
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 19-20 (Drug Demand Reduction)	150.00	3.89	153.89		9.92	9.92	150.00	13.81	163.81	-	-	-	150.00	13.81	163.81
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 19-20 (for Beggars)	70.00	0.50	70.50		4.54	4.54	70.00	5.04	75.04	-	-	-	70.00	5.04	75.04
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 19-20	400.00	0.08	400.08		25.79	25.79	400.00	25.87	425.87	-	-	-	400.00	25.87	425.87
Ministry of SJ&E (Grant-XIII) of 19-20	300.00	0.06	300.06		19.34	19.34	300.00	19.40	319.40	-	-	-	300.00	19.40	319.40
Ministry of SJ&E (Grant-XIV) of 19-20 (NER)	1,200.00	1.19	1,201.19		69.41	69.41	1,200.00	70.60	1,270.60	144.30	-	144.30	1055.70	70.60	1126.30
Ministry of SJ&E (Grant-XV) of 19-20 (Transgender)- Heath Check up oth	60.24	2.69	62.93	73.33	2.22	75.55	133.57	4.91	138.47	107.74	-	107.74	25.83	4.91	30.74
MIN. OF SJE SDTP GRANT-XVI (2020-21)-1-ACCOUNT	-	-	-	250.00	9.95	259.95	250.00	9.95	259.95	-		-	250.00	9.95	259.95
MIN.OF SJE SDTP GRANT-XVII (2020-21)-II ACCOUNT	-	-	-	250.00	9.26	259.26	250.00	9.26	259.26	-		-	250.00	9.26	259.26
MIN.OF SJE SDTP GRANT-XVIII (2020-21)-III ACCOUNT	-	-	-	250.00	8.03	258.03	250.00	8.03	258.03	-		-	250.00	8.03	258.03
MIN.OF SJE [SDTP GRANT-XIX 2020-21]-PM DAKSH-1 ACCOUNT	-	-	-	639.00	6.30	645.30	639.00	6.30	645.30	-		-	639.00	6.30	645.30
Central warehouse Corporation	5.12	-	5.12	36.16		36.16	41.28	-	41.28	6.84	-	6.84	34.44	0.00	34.44
Concor corporation of India Ltd.	21.33	-	21.33			-	21.33	-	21.33	-	-	-	21.33	0.00	21.33
Development Commissioner (Handicraft)	4.54	1.78	6.32		0.15	0.15	4.54	1.93	6.46	4.54	0.46	5.00	0.00	1.47	1.46
IFCI Social Foundation	12.23	-	12.23			-	12.23	-	12.23	-	-	-	12.23	0.00	12.23
Indian Railway Finance Corporation ltd.	20.22	-	20.22	131.30		131.30	151.51	-	151.51	16.34	-	16.34	135.17	0.00	135.17
Engineers India Ltd.	173.18	-	173.18	103.49		103.49	276.67	-	276.67	173.18	-	173.18	103.49	0.00	103.49
CONCOR AIR LIMITED-COVID 19 GRANT ACCOUNT	-		-	9.32		9.32	9.32		9.32	9.32		9.32	0.00	0.00	0.00
MIN.OF SJE [SDTP GRANT-XX 2020-21] PM-DAKSK-2 ACCOUNT	-		-	639.00	0.07	639.07	639.00	0.07	639.07			-	639.00	0.07	639.07
MINISTRY OF SJ&E[FAIR & EXIHIBITION] ACCOUNT	-		-	20.10		20.10	20.10	-	20.10			-	20.10	0.00	20.10
CONCOR COVID 19 CSR GRANT				25.33		25.33	25.33	-	25.33	25.33		25.33	0.00	0.00	0.00
Total	**4,338.82**	**325.63**	**4,664.44**	**2,353.69**	**266.27**	**2,619.39**	**6,692.51**	**591.90**	**7,284.41**	**1,858.66**	**187.16**	**2,045.82**	**4,834.86**	**403.73**	**5,238.59**

टिप्पणी 15.4

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी / ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17–18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I) (भिखारियों हेतु)	75.09	13.15	88.24		5.46	5.46	75.09	18.61	93.70	5.55		5.55	69.54	18.61	88.15
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	0.00	13.72	13.72		0.74	0.74	0.00	14.46	14.46	-	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–III)	0.00	70.83	70.83		3.83	3.83	0.00	74.66	74.66	-	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV)	0.00	68.06	68.06		3.68	3.68	-	71.74	71.74	-	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– V) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	479.68	62.62	542.30		32.46	32.46	479.68	95.08	574.76	161.08	-	161.08	318.60	95.08	413.68
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान– VI)	(0.00)	23.89	23.89		1.29	1.29	-0.00	25.18	25.18		25.18	25.18	0.00	0.00	0.00
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VII) (ट्रासजेंडर)	90.01	6.16	96.17		6.07	5.49	90.01	12.23	102.23	8.98	-	8.98	81.02	12.23	93.24
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VIIक) (ट्रासजेंडर)	10.00	0.69	10.69		0.57	0.57	10.00	1.26	11.26	2.24		2.24	7.76	1.26	9.02
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VIII)	1,193.21	53.64	1,246.85		46.23	46.23	1,193.21	99.87	1,293.08	1,193.21	-	1,193.21	0.00	99.87	99.87
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IX) (ट्रासजेंडर)–प्रशिक्षण	73.99	2.69	76.68	(73.33)	0.96	-72.37	0.66	3.65	4.31		0.66	0.66	1.67	1.98	3.65
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–X) (नशीली दवा की मांग में कमी)	150.00	3.89	153.89		9.92	9.92	150.00	13.81	163.81	-	-	-	150.00	13.81	163.81
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XI) (भिखारियों हेतु)	70.00	0.50	70.50		4.54	4.54	70.00	5.04	75.04	-	-	-	70.00	5.04	75.04
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XII)	400.00	0.08	400.08		25.79	25.79	400.00	25.87	425.87	-	-	-	400.00	25.87	425.87
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XIII)	300.00	0.06	300.06		19.34	19.34	300.00	19.40	319.40	-	-	-	300.00	19.40	319.40
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XIV) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1,200.00	1.19	1,201.19		69.41	69.41	1,200.00	70.60	1,270.60	144.30	-	144.30	1055.70	70.60	1126.30
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–XV) (ट्रासजेंडर)–स्वास्थ्य जाँच अन्य	60.24	2.69	62.93	73.33	2.22	75.55	133.57	4.91	138.47	107.74	-	107.74	25.83	4.91	30.74
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एसडीटीपी अनुदान–XVI वर्ष 2020–21 –I–खाता	-	-	-	250.00	9.95	259.95	250.00	9.95	259.95	-		-	250.00	9.95	259.95
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एसडीटीपी अनुदान–XVII वर्ष 2020–21 –II–खाता	-	-	-	250.00	9.26	259.26	250.00	9.26	259.26	-		-	250.00	9.26	259.26
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एसडीटीपी अनुदान–XVIII वर्ष 2020–21 –III–खाता	-	-	-	250.00	8.03	258.03	250.00	8.03	258.03	-		-	250.00	8.03	258.03
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय अनुदान–XIX	-	-	-	639.00	6.30	645.30	639.00	6.30	645.30	-		-	639.00	6.30	645.30
वर्ष 2020–21(प्रधानमंत्री दक्ष)–1 खाता	5.12	-	5.12	36.16		36.16	41.28	-	41.28	6.84	-	6.84	34.44	0.00	34.44
केन्द्रीय भण्डारण निगम															
कॉनकोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	21.33	-	21.33			-	21.33	-	21.33	-	-	-	21.33	0.00	21.33
डेवलपमेंट कमिश्नर (हैण्डीक्राट)	4.54	1.78	6.32		0.15	0.15	4.54	1.93	6.46	4.54	0.46	5.00	0.00	1.47	1.46
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	12.23	-	12.23			-	12.23	-	12.23	-	-	-	12.23	0.00	12.23
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि	20.22	-	20.22	131.30		131.30	151.51	-	151.51	16.34	-	16.34	135.17	0.00	135.17
इंजीनियर इण्डिया लि०	173.18	-	173.18	103.49		103.49	276.67	-	276.67	173.18	-	173.18	103.49	0.00	103.49
कॉनकोर एयर लि. –कोविड–19 अनुदान खाता	-		-	9.32		9.32	9.32		9.32	9.32		9.32	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एसडीटीपी अनुदान–XX वर्ष 2020–21 (प्रधानमंत्री दक्ष)–2 खाता	-		-	639.00	0.07	639.07	639.00	0.07	639.07			-	639.00	0.07	639.07
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (मेला एवं प्रदर्शनी) खाता	-		-	20.10		20.10	20.10	-	20.10			-	20.10	0.00	20.10
कॉनकोर कोविड–19 सी.एस.आर. अनुदान				25.33		25.33	25.33	-	25.33	25.33		25.33	0.00	0.00	0.00
योग	4,338.82	325.63	4,664.44	2,353.69	266.27	2,619.39	6,692.51	591.90	7,284.41	1,858.66	187.16	2,045.82	4,834.86	403.73	5,238.59

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC - MSJ&E (VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	-	-	-	1,000.00	8.02	1,008.02	1,000.00	8.02	1,008.02	121.91	-	121.91	878.09	8.02	886.11
Total	**-**	**-**	**-**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**121.91**	**-**	**121.91**	**878.09**	**8.02**	**886.11**

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
COVID 19 RELIEF FUND ACCOUNT	-		-	28.32	0.05	28.37	28.32		28.32	23.14		23.14	5.19	0.05	5.24
Total	**-**	**-**	**-**	**28.32**	**0.05**	**28.37**	**28.32**	**-**	**28.32**	**23.14**	**-**	**23.14**	**5.19**	**0.05**	**5.24**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत शेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी / ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एन.बी.सी.एफ.डी.सी.– सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (विश्वास) योजना–2020 खाता				1,000.00	8.02	1,008.02	1,000.00	8.02	1,008.02	121.91		121.91	878.09	8.02	886.11
योग	**-**	**-**	**-**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**121.91**	**-**	**121.91**	**878.09**	**8.02**	**886.11**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत शेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी / ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
कोविड–19 राहत कोष खाता	-		-	28.32	0.05	28.37	28.32		28.32	23.14		23.14	5.19	0.05	5.24
योग	**-**	**-**	**-**	**28.32**	**0.05**	**28.37**	**28.32**	**-**	**28.32**	**23.14**	**-**	**23.14**	**5.19**	**0.05**	**5.24**

Note 15.5 During the year, 2018-19 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-I) of Rs. 50.00 lakhs (2017-18 Rs. 100.00 Lakhs) from the Administrative Ministry for imparting training to the baggars. The Corporation had earned interest of Rs 2.66 Lakhs (Previous Year Rs. 5.45 Lakh, Rs. 7.47 lakh, 2019-20 & for 2018-19 Rs. 5.69 Lakh) from bank. The Corporation has released Rs 26.85 lakhs (Previous year Rs. 5.55 Lakhs, 2019-20 of Rs. 47.86 Lakhs and 2018-19 Rs. 27.05 Lakhs). The Corporation stands committed to release grant in next financial year. As per terms of GFR -2017. The Corporation has been deposited the earning of entire interest of Rs. 21.27 Lakhs in consolidated funds of ministry.

Note 15.6 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-II) of Rs.1000.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries in North Eastern Region . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation has earned interest of Rs.3.18 lakh (Previous Year Rs. 32.46 Lakhs Rs.62.62 Lakhs in 2019-2020) from bank. The Corporation has released Rs. 318.60 Lakhs (Previous year Rs. 161.08,lakhs , Rs. 520.32 Lakhs in 2019-20) . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 98.26 Lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry during the year 2021-22.

Note 15.7 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -III) of Rs. 90.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training of society of transgender . The Corporation had earned interest of Rs. 3.94 lakh (Previous Year Rs. 6.07 lakhs and Rs. 6.16 Lakhs in 2019-20) from bank .The Corporation has released Rs. 14.19 Lakhs (Previous year Rs.8.98) including monitoing cost of 10% . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 16.17 lakh has beene deposited in consodilated funds of Ministry . The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.08 08 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -IV) of Rs. 10.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training of society of transgender in North Eastern Region of the Country. The Corporation had earned interest of Rs. 0.18 lakh (Previous Year Rs.0.57 Lakhs and Rs. 0.69 Lakhs in 2019-20) from bank .The Corporation has released remaining fund of Rs. 7.76 Lakhs (Previous year Rs. 2.25 lakhs) . Earning of Interest of Rs. 1.44 has been deposited in consodilated funds of Ministry as per terms of GFR 2017, Rule 230.

Note 15.09 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-V) of Rs. 1500.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs.13.63 Lakhs (Previous Year Rs.46.23 lakhs and Rs. 53.64 Lakhs in 2019-20) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 113.50 lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry during the year.. The Corporation has released Rs. nil (previous year Rs. 1193.21 lakh and Rs. 306.79 Lakhs in 2019-20) and recognized during that years.

टिप्पणी 15.5 वर्ष 2018—19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान—I) ₹ 50.00 लाख (वर्ष 2017—18 में ₹ 100.00 लाख) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से ₹ 2.66 लाख (गत् वर्ष ₹ 5.45 लाख, ₹ 7.47 लाख 2019—20 एवं ₹ 5.69 लाख 2018—19 में ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने ₹ 26.85 लाख (गत् वर्ष ₹ 5.55 लाख 2019—20 में ₹ 47.86 लाख एवं ₹ 27.05 लाख 2018—19) अवमुक्त किए हैं। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपार्जित ब्याज ₹ 21.27 लाख की राशि मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी है।

टिप्पणी 15.6 वर्ष 2018—19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर—पूर्वी क्षेत्र हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान—II) ₹ 1000.00 लाख निगम ने प्राप्त किया। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 3.18 लाख (गत् वर्ष ₹ 32.46 लाख, ₹ 62.62 लाख 2019—2020 में) का ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने धनराशि ₹ 318.60 लाख (गत् वर्ष ₹161.08 लाख, ₹ 520.32 लाख 2019—2020 में) अवमुक्त कर दी है। जी.एफ.आर. 2017, नियम 230 की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपार्जित ब्याज ₹ 98.26 लाख की राशि मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी है।

टिप्पणी 15.7 वर्ष 2018—19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मत्रांलय से ट्रासजेंडर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान—III) ₹ 90.00 लाख प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 3.94 लाख (गत् वर्ष ₹ 6.07लाख एवं ₹ 6.16 लाख 2019—2020 में) का ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने ₹ 14.19 लाख (गत् वर्ष ₹ 8.98 लाख) की धनराशि जारी की, जिसमें निगरानी लागत 10% शामिल है। जी.एफ.आर. 2017 नियम 230 की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपार्जित ब्याज ₹ 16.17 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.8 वर्ष 2018—19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मत्रांलय से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ट्रासजेंडर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान—IV) ₹10.00 लाख प्राप्त किए। निगम ने बैंक से ₹ 0.18 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.57 लाख एवं 2019—2020 में ₹ 0.69 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने वर्ष के दौरान अवशेष धनराशि ₹ 7.76 लाख (गत् वर्ष ₹ 2.25 लाख) अवमुक्त कर दी है। जी.एफ.आर. 2017 नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज राशि ₹ 1.44 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है।

टिप्पणी 15.9 वर्ष 2019—20 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान—V) ₹1500.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 13.63 लाख (गत् वर्ष ₹ 46.23 लाख एवं 2019—2020 में 53.64 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर. 2017 नियम 230 की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज राशि ₹113.50 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी है। निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 1193.21 लाख एवं 2019—2020 में 306.79 लाख) अवमुक्त की है जिसे वर्ष के दौरान माना गया है।

Note 15.10 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VI) of Rs. 75.00 Lakhs (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training of transgender community. The Corporation had earned interest of Rs.nil (Previous Year Rs. 1.97 Lakhs (net) and Rs, 1.68 lakh from bank . As per sanction order earning of Interest if any is to be utilized for monitoring of project. Further, as per instructions conveyed by M/O Social Justice and Empowerment an amount of Rs. 73.33 Lakhs had been appropriated in 2020-21 for health & other of the community. The Corporation has released Rs 0.00 Lakh. (previous years Rs.1.67 Lakhs) and recognized during that year. As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 3.65 lakh has been transfered in interest account of Grant -XII of trasgender's health and deposited in consodilated funds of Ministry alongwith during the year 2021-22.

Note 15.11 During the year2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VII) of Rs.150 Lakhs from the Administrative Ministry for organizing training programme of victims of substance abuse under the National Action plan for drug Demand Reduction under National policy on prevention of Alclholism and drug abuse in pan India. The Corporation had earned interest of Rs. 4.68 Lakhs (Previous Year Rs.13.81 Lakhs) from bank. As per Sanction earning of Interest if any is to be utilized for monitoring of project. The Corporation refunded the whole unutilized grant fund alongwith earned interest amount of Rs. 168.49 lakh to administrative ministry,

Note 15.12 During the year 2019-20 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VIII) of Rs. 70.00 lakhs (2018-19 NIL) from the Administrative Ministry for imparting training to the baggers . The Corporation had earned interest of Rs 2.15 Lakhs (Previous Years Rs.4.54 Lakhs and Rs. 0.50 Lakh in 2019-20) from bank . The Corporation has refunded the unutilized fund of Rs. 70 Lakhs and eaning of Interest of Rs. 7.19 lakh to administrative ministry.

Note 15.13 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IX) Rs.400.00 Lakhs) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 12.16 Lakhs (Previous Years Rs.25.79 Lakhs and Rs. 0.08 in 2019-20) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest , if any to be deposited in consodilated funds of Ministry and Rs. 38.03 lakh has been deposited in ministry account. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.14 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-X) of Rs. 300.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries for North Eastern Region . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 7.76 lakh (Previous Year Rs.19.34 Lakhs and 2019-20 Rs.0 .06 Lkh)) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to the tune of Rs. 27.16 lakh has been deposited in consodilated funds of Minaistry. The Corporation has released Rs 132.21 Lakh. (previous years Rs.nil Lakhs) and recognized during that year. The Corporation stands committed to release grant if any in next financial year.

Note 15.15 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XI) of Rs.1200.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute

टिप्पणी 15.10 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रासजेंडर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VI) ₹75.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹1.97 लाख (शुद्ध) एवं ₹1.68 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। स्वीकृति आदेश के अनुसार उपार्जन ब्याज पर, यदि कोई देय हो, का उपयोग परियोजना की निगरानी हेतु किया जाना है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 2020–21 में स्वास्थ्य सुधार एवं अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए ₹ 73.33 लाख की राशि विनियोजित की गई थी। निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹1.67 लाख) अवमुक्त किए हैं एवं उसे वर्ष के दौरान माना गया है। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान उपार्जित ब्याज ₹ 3.65 लाख ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य अनुदान–XII ब्याज खाते में अंतरित किया गया है एवं मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है।

टिप्पणी 15.11 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने अखिल भारतीय स्तर पर मद्य व्यसन एवं नशीले प्रदार्थ रोकथाम की राष्ट्रीय निति के तहत नशीली दवाओं में कमी हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत मादक पदार्थों से पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VII) ₹150 लाख (गत् वर्ष शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 4.68 लाख (गत् वर्ष ₹13.81 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। स्वीकृति के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी हेतु उपयोग किया जाता है। निगम ने ₹168.49 लाख उपार्जित ब्याज राशि सहित संपूर्ण अनुपयुक्त अनुदान राशि प्रशासनिक मंत्रालय को वापस कर दी है।

टिप्पणी 15.12 वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VIII) ₹ 70.00 लाख (वर्ष 2018–19 में ₹ शून्य) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से ₹ 2.15 लाख (गत् वर्ष ₹ 4.54 लाख एवं 2019–2020 में ₹ 0.50 लाख) ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने ₹ 70.00 लाख की अप्रयुक्त राशि एवं ₹ 7.19 लाख की ब्याज राशि प्रशासनिक मंत्रालय को वापस कर दी है।

टिप्पणी 15.13 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–IX) ₹400.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹ 12.16 लाख (गत् वर्ष ₹ 25.79 लाख एवं 2019–20 में ₹ 0.80 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार,उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाना है एवं ₹ 38.03 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.14 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–X) ₹300.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹7.76 लाख (गत् वर्ष ₹ 19.34 लाख एवं 2019–20 में ₹ 0.60 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ. आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, उपार्जित ब्याज ₹ 27.16 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम ने ₹ 132.21 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) की राशि अवमुक्त की हैं एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया हैं। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि, यदि कोई हो, को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.15 वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मत्रांलय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XI) ₹1200.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार, निगम को

10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 18.38 Lakh (Previous Years Rs. 48.02 lakh and Rs. 1.19 lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest , if any to be deposited in consodilated funds of Ministry . The Corporation has deposited the same to the tune of Rs. 67.59 lakh in consolidated funds of ministry . The Corporation has released Rs 300.88 lakhs (Previous year Rs.122.91 Lakh). The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.16 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XII) of Rs. 75.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for health check up & provididing cash aasistance for food, sanitizer , masks etc. in the backdrop of Covid -19 panadamic rehabilitation of transgender community . The Corporation had earned interest of Rs. 0.61 lakhs (Previous Years Rs.2.21 Lakh and Rs. 2.69 lakh in 2019-20) from bank. Further an amount of interest to the tune of Rs. 3.65 lakh reappropriated from grant -vi above. and as per terms of GFR 2017 earning of interest of Rs. 9.17 lakh has been deposited in consolidated fund of ministryFurther ,during 2020-21 an amount of Rs. 73.33 Lakhs has been appropriated from grant -vi as per advice of M/O Social Justice & Empoerment . As per sanction earning of Interest if any is to be utilized for the monitoring of project. The Corporation has released Rs 23.13 Lakh. (previous year Rs.107.74 Lakh and 14.76 Lakhs during 2019-20) and recognized during the year. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.17 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIII) of Rs.250.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 6.30 Lakh (Previous Year Rs. 9.95 Lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to the tune of Rs. 16.25 lakh has ben deposited in consolidatedf fund of ministry. The Corporation has utilized the grant fund of Rs. 250 .00 lakh (previous year nil) for intended pupose.

Note 15.18 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIV) of Rs.250.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 7.41 Lakh (Previous Year Rs. 9.26 Lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to the tune of Rs. 16.67 lakh has ben deposited in consolidated fund of ministry. The Corporation has utilized the grant fund of Rs. 250 .00 lakh (previous year nil) for intended pupose.

Note 15.19 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XV) of Rs.250.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 7.37 Lakh (Previous Year Rs.8.03 Lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 15.40 lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry.. The Corporation has utilized the entire grant fund of rs. 250 Lakh (previous year -nil-) for intended purpose.

प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹18.38 लाख (गत् वर्ष ₹ 48.02 लाख एवं ₹ 1.19 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, उपार्जित ब्याज यदि कोई हो मंत्रालय की संचित निधि में जमा की जानी है। निगम ने, ₹ 67.59 लाख की राशि मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी है। निगम ने ₹ 300.88 लाख (गत् वर्ष ₹ 122.91 लाख) अवमुक्त किए हैं। निगम अवशेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.16 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रासजेंडर समुदाय के कोविड–19 माहमारी पुनर्वास की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य जांच एवं भोजन, सैनीटाइजर, मास्क आदि के लिए नकद सहायता प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XII) ₹ 75.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 0.61 लाख (गत् वर्ष ₹ 2.21 लाख एवं 2019–20 में ₹ 2.69 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया था। इसके अलावा, ऊपर दिये गए अनुदान– vi से ₹ 3.65 लाख के ब्याज की राशि का पुनर्विनियोजन किया गया एवं जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, उपार्जित ब्याज ₹ 9.17 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। इसके अलावा, 2020–21 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सलाह के अनुसार अनुदान– vi से ₹ 73.33 लाख की राशि विनियोजित की गई है। स्वीकृति के अनुसार, उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी हेतु उपयोग किया जाना है। निगम ने ₹ 23.13 (गत् वर्ष ₹ 107.74 लाख एवं 2019–2020 में ₹ 14.76 लाख) अवमुक्त किए हैं जो वर्ष के दौरान माने गए हैं। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.17 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIII) ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹ 6.30 लाख (गत् वर्ष ₹ 9.95 लाख) का ब्याज उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹ 16.25 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम ने ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के अनुदान निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया है।

टिप्पणी 15.18 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIV) ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त हुई। शर्तों के अनुसार निगम को अपने अंश के रूप में प्रशिक्षण लागत का 10% का अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹ 7.41 लाख (गत् वर्ष ₹ 9.26 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹ 16.67 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम ने ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के अनुदान निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया है।

टिप्पणी 15.19 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XV) ₹250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण व्यय का 10% का अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹ 7.37 लाख (गत् वर्ष ₹ 8.03 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹ 15.40 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम ने समग्र अनुदान निधि ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया है।

Note 15.20 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XVI) of Rs.639.00 Lakhs (previous year 2019-20 Rs. nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. . The Corporation had earned interest of .nil (Previous Year Rs.6.30 lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 5.38 lakh after adjustment of Rs. 0.92 lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry. As per idirection of administrative ministry an amount of Rs. 500 Lakh has been reappropriated in P.M. Daksh 2021-22 and on advice of administrative ministry the same has been re reappropriated from 2021-22.. The Corporation has utilized an amount of Rs. 68.21 lakh including operating cost @3% on Rs. 66.22 lakh during the year and stands committed utilized the remaing grant in next financial year..

Note 15.21 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XVII) of Rs.639.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. . The Corporation had earned interest of Rs.18.25 lakh (Previous Year Rs.0.07 lakh) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to the tune of rs. 18.32 lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.22 An amount of Rs. 500 lakh has been reappropriated from grant XVIII as per direction of administrative ministry during the year 2021-22 for imparting training to the beneficiaries. . The Corporation had earned interest of Rs. 15.20 lakh (Previous Year nil) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest an amount of rs. 15.20 lakh has been deposited in consodilated funds of Ministry. On the advice/ direction of adminstrative minisrtry the same has been reappropriated in grant 2020-21. The Corporation had utilized the entire grant fund for its intended pupose during the financial year 2021-22.

Note 15.23 During the year 2021-22, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIX) of Rs.900.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. . The Corporation had earned interest of Rs.8.76 lakh (Previous Year nil) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest of Rs. 8.76 lakh has been deposited in consolidated fund of ministry. The Corporation has released the Rs. 592.75.lakh including administrative and monitoring cost @ 1% of Rs. 4.98 lakh (previous year nil) for intended purpose. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.24 During the year 2021-22, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XX) of Rs 1942.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. The Corporation had earned interest of Rs.nil (Previous Year nil) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated fund of ministry af. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.25 As regards to CSR Funds received from Central Warehouse Corproration towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of Rs.00.00 lakhs (Previous year of Rs.36.16 lakhs). The Corproation has adjusted towards operating cost @5% of Rs.0.00 Lakh and released Rs. 34.44 lakh including arrear (previous year Rs.6.84 Lakh) to training institution for intended purpose for previous year.

टिप्पणी 15.20 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री दक्ष योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XVI) ₹639.00 लाख (गत् वर्ष 2019–20 में ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 6.30 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ. आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार ₹ 0.92 लाख, समायोजन के पश्चात् उपार्जित ब्याज ₹ 5.38 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार पी.एम.दक्ष 2021–22 में ₹ 500 लाख की राशि पुनर्नियोजित की गई है एवं प्रशासनिक मंत्रालय के सुक्षाव पर इसे 2021–22 से पुनर्नियोजित किया गया है। निगम ने वर्ष के दौरान ₹ 66.22 लाख पर 3% की दर से परिचालन लागत सहित ₹ 68.21 लाख की राशि का उपभोग किया है एवं अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष अनुदान राशि का उपभोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.21 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री दक्ष योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XVII) ₹ 639.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹18.25 लाख (गत् वर्ष ₹0.07 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹ 18.32 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.22 वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार अनुदान राशि (अनुदान–XVIII) ₹ 500.00 लाख पुनर्विनियोजन की है। निगम ने बैंक से ₹ 15.20 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹15.20 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। प्रशासनिक मंत्रालय के सुझाव/निर्देश पर इसे 2020–21 के अनुदानों में पुनः पुनर्विनियोजित की गई है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संपूर्ण निधि का उपभोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया है।

टिप्पणी 15.23 वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री दक्ष योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIX) ₹ 900.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 8.76 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज ₹ 8.76 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा कर दी गई है। निगम ने इच्छित उद्देश्य हेतु ₹ 592.75 लाख अवमुक्त किए हैं, जिसमें प्रशासनिक एवं अनुश्रवण लागत ₹ 4.98 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) 1% दर से शामिल हैं। अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.24 वर्ष 2021–22 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री दक्ष योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XX) ₹1942.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.25 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में केन्द्रीय भण्डारण निगम से उनकी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राशि ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 36.16 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ 0.00 लाख 5% की दर से परिचालन लागत समायोजित किया है एवं ₹ 34.44 लाख बकाया सहित (गत् वर्ष ₹ 6.84 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी की है।

Note 15.26 As regards to CSR Funds from Concor Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs. 53.46 lakhs (during 2019-20 of Rs. 52.87 lakhs) . The Corproation has released Rs.13.97 lakh (previous year Rs.31.54 lakh) to training institution for intended purpose and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.27 The Corporation had entered into a Memorandum of Understanding with Development Commissioner (Handicrafts) ,Ministry of Textiles for cluster development for upholding explicit identification of handicrafts products and base line survey to the beneficiaries and received during the year Rs.nil. (2019-20 of Rs10.00 Lakhs) . The Corporation earned interest of Rs 0.04 lakhs for 2021-22 (Previous Year Rs.0.09 Lakh and Rs. 0.31 Lakhs 2019-20, Rs.1.07 lakhs during 2018-19). The Corporation has released during the year of Rs 0.00.Lakhs including interest to the tune of Rs. 0.00 Lakhs (previous year Rs.4.54 Lakh and Rs. 5.46 lakh during 2019-20) and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.28 During the year 2017-18, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with IFCI Social fouindation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs nil.(Previous year.cumulaively Rs. 69.90 lakh) . The Corporation has released/refunded unutilized fund to thr tune of Rs.12.63 Lakh including earning of interest of Rs. 0.41 lakh (Previous year cumulatevly released to training partners of Rs. 57.27 lakh) to training institutions/ CSR fund provider.

Note 15.29 As regards to CSR Funds received from Indain Railway Finance Corporation Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs. 44.57 lakh (net of PFA monitoring service charges) (Previous year of Rs.. 131.30 Lakh and Rs. 85.65- lakhs during 2019-20). The Corporation has released Rs. 133.14 lakhs (Previous year Rs.16.34 Lakh and Rs. 65.43Lakhs during 2019-20) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2022 and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.30 As regards to CSR Funds received from Concor Air Ltd.. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of Rs.19.96 lakh (net of PFA monitoring service charges) (Previous year of Rs.9.32 Lakh). The Corporation has released Rs.19.96 lakhs (Previous year Rs.8.98 Lakhs) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2022.

Note 15.31 As regards to CSR Funds received from Engineers India Ltd.during 2021-22 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs.151.20 Lakhs (previous year Rs.103.49, Rs. 303.07 Lakh 2019-20 & 2018-19 Rs.47.04 Lakhs). The Corporation has released to the tune of Rs. 197.09 lakhs including monitoring charges (Previous years Rs. 103.49 Lakh , Rs. 303.07 Lakhs in 2019.20 and Rs. 47.04 lakh in 2018-19) to training institutions and stands committed to release remaining grant in next financial year. ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2022

Note 15.32 Total outstanding dues of creditors other than micro etreprises and small eterprises is net of prior period adjustment (refer note no 41)

टिप्पणी 15.26 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, कॉनकोर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 53.46 लाख (वर्ष 2019–2020 में ₹ 52.87 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ 13.97 लाख (गत् वर्ष ₹ 31.54 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी किए एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.27 निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ समूहों के हस्तशिल्प उत्पादों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने व लाभार्थियों के बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं वर्ष के दौरान ₹ शून्य (वर्ष 2019–20 में ₹ 10.00 लाख) प्राप्त किए। निगम ने वर्ष 2021–22 में ₹ 0.04 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.09 लाख एवं वर्ष 2019–20 में ₹ 0.31लाख, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.07 लाख) का ब्याज अर्जित किया है। निगम ने वर्ष के दौरान ₹ 0.00 लाख जारी किए हैं जिसमें ₹ 0.00 लाख (गत वर्ष ₹ 4.54 लाख एवं 2019–20 के दौरान ₹ 4.56) की ब्याज राशि सम्मिलित है तथा अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.28 वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया व ₹ शून्य (गत् वर्ष सकल ₹ 69.90 लाख) का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने प्रशिक्षण संस्थानों/कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड प्रदाता को ₹ 0.41 लाख (पिछले वर्ष ₹ 57.27 लाख प्रशिक्षण भागीदारों के लिए सकल रूप से) के उपार्जित ब्याज सहित ₹12.63 लाख की अप्रयुक्त निधि जारी/वापस की है।

टिप्पणी 15.29 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 44.57 लाख (शुद्ध पी.एफ. ए. निगरानी सेवा शुल्क) (गत् वर्ष ₹ 131.30 लाख एवं वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 85.65 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹133.14 लाख (गत् वर्ष ₹ 16.34 लाख एवं 2019–20 के दौरान ₹ 65.43 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं जिसके सापेक्ष 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र लंबित है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.30 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, कॉनकोर एयर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 19.96 लाख (शुद्ध पी.एफ.ए. निगरानी सेवा शुल्क) (गत् वर्ष ₹ 9.32 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ 19.96 लाख (गत् वर्ष ₹ 8.98 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए गए, जिसके सापेक्ष 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र लंबित है।

टिप्पणी 15.31 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, वर्ष 2021–22 के दौरान इंजीनियर्स इण्डिया लि० की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 151.20 लाख (गत वर्ष ₹ 103.49 लाख, 2019–20 में ₹ 303.07 लाख एवं 2018–19 में ₹ 47.04 लाख) प्राप्त हुई है। निगम ने ₹ 197.09 लाख, अनुश्रवण शुल्क सहित (गत् वर्ष ₹ 103.49 लाख, 2019–20 में ₹ 303.07 लाख एवं 2018–19 में ₹ 47.04 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके सापेक्ष 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र लंबित है।

टिप्पणी 15.32 सूक्ष्म व लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य देनदारों का कुल बकाया पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध है (टिप्पणी संख्या 41 देखें)।

Note 16 Other Current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
TDS payable	45.88	49.79
GST payable	6.35	5.33
Provident fund payable	12.10	12.05
Pension & Post retirement medical fund	1.38	1.37
Employee Reimbursement & Others Payables	7.00	7.82
Total	**72.71**	**76.36**

Note 17 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
a) RENDERING OF SERVICES :		
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	4,155.99	4,120.82
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	1,057.39	1,309.27
Penal Interest (General Loan)	54.40	13.62
Penal Interest (Micro Finance)	11.48	0.94
Donation Received	1.23	28.37
	5,280.49	**5,473.02**
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	-	84.19
Monitoring Cost on CSR Activities	24.05	11.69
Management Fee-Visvas Scheme	16.98	20.20
	41.04	**116.08**
Total	**5,321.53**	**5,589.10**

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement of applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan, in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partner. The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation, the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization, the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

'Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies

टिप्पणी 16 अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
टी.डी.एस. देय	45.88	49.79
जी.एस.टी. देय	6.35	5.33
भविष्य निधि देय	12.10	12.05
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि	1.38	1.37
कर्मचारी भुगतान एवं अन्य देय	7.00	7.82
कुल	**72.71**	**76.36**

टिप्पणी 17 संचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं का प्रतिपादन :		
एस.सी.ए. से ऋण पर ब्याज/अन्य		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	4,155.99	4,120.82
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	1,057.39	1,309.27
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	54.40	13.62
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	11.48	0.94
प्राप्त दान	1.23	28.37
	5,280.49	**5,473.02**
ख) अन्य संचालन से आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	-	84.19
सीएसआर गतिविधियों पर निगरानी लागत	24.05	11.69
प्रबन्धन शुल्क–विश्वास योजना	16.98	20.20
	41.04	**116.08**
योग	**5,321.53**	**5,589.10**

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक–115 (ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन में आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढॉचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग प्रमाण–पत्र के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना की ब्याज दर जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है, अग्रिम पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण/प्रदत्त पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रुप में माना गया है।

'Note 17.5 Interest Income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using effective interest Rate method.

'Note 17.6 Interest income on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 17.7 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of Rs. 1.23 Lakh (FY 21-22) & 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 17.8 Accrual of Revenue & Terms of references are as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	1,885.92	305.50	2,100.95	93.36
Add: Interest accrued & due during the year	4,155.99	1,057.39	4,120.82	1,309.27
Less: Interest Received during the year	4,230.99	1,292.91	4,335.85	1,097.13
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	1,810.92	69.98	1,885.92	305.50
Penal Interest receivable as at beginning of the year	264.75	3.52	264.75	3.56
Add. Recognized during the year	54.40	11.48	13.62	0.94
Less : Received during the year	54.40	11.48	13.62	0.94
Less: Adjustment, if any	22.55	-0.00	-	0.04
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	242.20	3.52	264.75	3.52

Terms of references:

General Loan includes Education loan, New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

(₹ in Lakhs)

Particulars	General Loan Scheme			Micro Finance		
	Education Loan	New Swarnima	Term Loan	Micro Finance	Mahila Samridhi / Small Loan Finance	NBFC-MFI-Loan
Rate of Interest*	1.5% / 1%	2%	3%, 4% & 5% $	2%	1% / 3%	4%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt. (w.e.f. 01.04.2021 for SMF)	4 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 year inclusive of study period of 4 years	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due
$ 4% interest charged in r/o loan above ₹ 5 lakh to 10 Lakh and 5% on above ₹ 10 Lakh
Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated with in 10 working days of drawl from NBCFDC.

टिप्पणी 17.5 दिए गए ऋणों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर माना जाता है।

टिप्पणी 17.6 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 17.7 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची, III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹1.23 लाख (वित्त वर्ष 2021–22) और ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020–21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 17.8 **राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	1,885.92	305.50	2,100.95	93.36
जोड़ें: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	4,155.99	1,057.39	4,120.82	1,309.27
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	4,230.99	1,292.91	4,335.85	1,097.13
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन–पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	1,810.92	69.98	1,885.92	305.50
वर्ष के आरंभ पर प्राप्य दण्ड ब्याज	264.75	3.52	264.75	3.56
जोड़े: वर्ष के दौरान माना गया	54.40	11.48	13.62	0.94
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त	54.40	11.48	13.62	0.94
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	22.55	-0.00	-	0.04
तुलन–पत्र की तिथि को प्राप्य पैनल ब्याज	242.20	3.52	264.75	3.52

कार्य क्षेत्र:

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा, सावधि ऋण तथा लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	सामान्य ऋण योजना			सूक्ष्म वित्त योजना		
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि / लघु वित्त ऋण	एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई. ऋण
ब्याज दर*	1.5% / 1%	2%	3%, 4% & 5% $	2%	1% / 3%	4%
पुनर्भगतान अवधि	9.5 वर्ष में 20 तिमाही किस्त	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें (लघु वित्त ऋण के लिए 01.04.2021 से प्रभावी)	4 वर्ष में तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 वर्ष जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां

* देय का पुनर्भुगतान समय पर करने पर 0.5% की छूट
$ ₹ 5 लाख से ₹ 10.00 लाख तक के ऋणों पर 4% एवं ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर 5% ब्याज दर प्रभार्य
चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज @ 1% की दर पर होगा।

ख. **अग्रिम धनराशि पर ब्याज:** एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वित्तीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वित्तीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वित्तीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

Period	ROI
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

Note 18 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
a) **Interest Income**		
Interest on advances to employees	14.52	14.73
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	**14.52**	**14.73**
b) **Interest from Banks**		-
Interest on savings bank	181.57	202.91
Interest on fixed deposits	-	5.05
Sub Total (b)	**181.57**	**207.96**
c) **Other Non-Operating Income**		-
Miscellaneous income	0.33	10.91
Sub Total (c)	**0.33**	**10.91**
Total (a+b+c)	**196.42**	**233.60**

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of ₹ 3.49 Lakhs (₹ 3.45 lakhs as at 31.03.2021)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July' 2017 and received ₹ 1.10 Lakh (Previous year 28.32 lakh) The Corporation has released ₹ 5.49 Lakh for current FY (Previous Year ₹ 23.14).

Note 19 Allowance/Reversal for Loans & advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Allowance for Loans & advances	433.73	-
Uncollectable Interest	92.36	
Total	**526.09**	**-**

अवधि	ब्याज की दर
1–120 दिन	3%
121–180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

टिप्पणी 18 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिमों पर ब्याज	14.52	14.73
शैक्षिक ऋण पर ब्याज रियायत	-	-
उप योग (क)	**14.52**	**14.73**
ख) बैंको से ब्याज		-
बचत खाते पर ब्याज	181.57	202.91
सावधि जमाओं पर ब्याज	-	5.05
उप योग (ख)	**181.57**	**207.96**
ग) अन्य गैर–संचालन आय		-
विविध आय	0.33	10.91
उप योग (ग)	**0.33**	**10.91**
योग (क+ख+ग)	**196.42**	**233.60**

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में ₹ 3.49 लाख (31.03.2021 को ₹ 3.45 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी.के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12–ए, छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और निगम ने ₹ 1.10 लाख (गत् वर्ष ₹ 28.32 लाख) प्राप्त किए हैं। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 5.49 लाख (गत् वर्ष ₹ 23.14 लाख) जारी किए।

टिप्पणी 19 ऋण एवं अग्रिमों के लिए भत्ता/प्रत्यावर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों के लिए भत्ता	433.73	-
गैर–संग्रहरणीयोग्य ब्याज	92.36	
योग	**526.09**	**-**

Note 20 Penal Interest waived off and others

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Penal Interest waived off	45.52	-
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	2.70	37.16
Total	**48.23**	**37.16**

Note 21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
a) **Salary, Wages & Benefits**		
- Salary and Allowances	919.52	1,000.41
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds	-	
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	148.13	146.10
c) Staff welfare expenses	-	
- Leave Travel Concession	0.61	11.09
- Medical Reimbursements /Policies	39.38	26.79
- Others	12.44	26.52
Total	**1,120.09**	**1,210.91**

Note 21.1 Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of ₹ 3.50 Lakhs (₹ 19.24 lakhs as at 31.03.2021)

Note 22 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	27.77	27.35
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	8.54	7.83
Depreciation Charge for Right of Use Assets (refer note no. 3.1)	0.59	0.59
Total	**36.89**	**35.77**

Note 23 Training and Other Developmental Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	3,571.07	2,371.75
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	3,400.63	2,045.82
Sub Total (a)	**170.44**	**325.93**
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	34.71	-
Performance linked Grant in aid (SCAs)	173.50	161.76
Cluster Development Expenses	38.29	111.43
Publicity Grant to SCAs	7.91	3.59
Donation & Covid 19 Expenses (See Note 23.4)	5.49	23.14
Sub Total (b)	**259.90**	**299.92**
Total	**430.34**	**625.85**

टिप्पणी 20 माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	45.52	-
एकल निस्तारण योजना (ओटीएस) के तहत ब्याज प्रोत्साहन	2.70	37.16
योग	**48.23**	**37.16**

टिप्पणी 21 कर्मचारी लाभ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
– वेतन एवं भत्ते	919.52	1,000.41
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	
– भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	148.13	146.10
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
– यात्रा रियायत अवकाश	0.61	11.09
– चिकित्सा प्रतिपूर्ति / नीतियाँ	39.38	26.79
– अन्य	12.44	26.52
योग	**1,120.09**	**1,210.91**

टिप्पणी 21.1 अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन ₹ 3.50 लाख (31.03.2021 को ₹ 19.24 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी 22 मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	27.77	27.35
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	8.54	7.83
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास शुल्क (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 3.1)	0.59	0.59
योग	**36.89**	**35.77**

टिप्पणी 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	3,571.07	2,371.75
घटाएं- वर्ष के दौरान माने गए / अवमुक्त (टिप्पणी 15.3 देखें)	3,400.63	2,045.82
उप योग (क)	**170.44**	**325.93**
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	34.71	-
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	173.50	161.76
समूह विकास व्यय	38.29	111.43
एस.सी.ए. को प्रचार–प्रसार अनुदान	7.91	3.59
दान एवं कोविड–19 व्यय (टिप्पणी 23.4 देखें)	5.49	23.14
उप योग (ख)	**259.90**	**299.92**
योग	**430.34**	**625.85**

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹18548.02 lakhs (Previous year 14976.95 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 4913.02 lakhs (Previous year ₹3687.24 lakhs) are awaited as at year end.

'Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them, payments on account of grant from training programmes are charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹878.63 lakhs (Previous year ₹ 705.13 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 7.00 lakhs (Previous year ₹130.54 lakhs) are awaited as at year end.

Note. 23.4 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised expenditure of Rs. 5.49 Lakh (FY 21-22) & 23.14 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 24 Rebate on Interest on Loans & Advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Rebate	17.52	11.41
Total	**17.52**	**11.41**

Note 24.1 Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest": In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as "Rebate on interest . As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

टिप्पणी 23.1 निगम ने अब तक ₹ 18548.02 लाख (गत् वर्ष 14,976.95 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए.के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से ₹ 4913.02 लाख (गत् वर्ष ₹ 3687.24 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित हैं।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ₹ 878.63 लाख (गत् वर्ष ₹ 705.13 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से ₹ 7.00 लाख (गत् वर्ष ₹ 130.54 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित हैं।

टिप्पणी 23.4 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ 5.49 लाख (वित्त वर्ष 2021–22) एवं ₹ 23.14 लाख (वित्त वर्ष 2020–21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	17.52	11.41
योग	**17.52**	**11.41**

टिप्पणी 24.1 **"ब्याज में छूट के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहन"**: चैनल सहभागियों को देय पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए "ब्याज में छूट" योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

Note 25 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration (Refer Note No-25.1)	1.48	1.48
Repair & Maintenance (Equipment & others)	7.94	10.32
Electricity & Water charges	11.69	8.51
Rent	184.92	160.03
Rates & Taxes	0.42	0.46
Insurance	0.85	1.15
Telephone	7.08	7.31
Travelling Expenses -Directors	0.26	0.43
Travelling Expenses -Staffs & others	10.44	8.49
Conveyance	5.70	6.17
Vehicle Running & Maintenance	1.17	1.51
Office Expenses & Maintenance	35.37	29.13
Legal & Professional charges	8.42	28.44
Printing & stationery	5.82	7.10
Advertisement	2.31	0.03
Conference and Meetings	0.13	0.51
Recruitment & Training	0.20	3.60
Monitoring & Evaluation	9.03	4.40
Security & Other Services Charges	62.19	62.06
Other Expenditure	24.12	16.31
Total	**379.53**	**357.44**

Note 25.1 Payment to the Auditor

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Statutory Auditor Remuneration	1.48	1.48
For taxation matters (Tax Audit)	0.22	0.22
for company law matters		
for other services (GST & Others) (see note 25.1.1)	0.41	0.41
for reimbursement of expenses		
Total	**2.11**	**2.11**

Note 25.1.1 The Corporation had incurred GST & 80G fee of Rs. 0.30 Lakh and Rs. 0.12 Lakh respectively.

Note 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	8.93	(3.05)
Total	**8.93**	**(3.05)**

टिप्पणी 25 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी 25.1 देखें)	1.48	1.48
मरम्मत एवं रख–रखाव (उपकरण एवं अन्य)	7.94	10.32
विद्युत एवं पानी का प्रभार	11.69	8.51
किराया	184.92	160.03
दरें एवं कर	0.42	0.46
बीमा	0.85	1.15
टेलीफोन	7.08	7.31
यात्रा व्यय –निदेशक	0.26	0.43
यात्रा एवं व्यय–स्टॉफ एवं अन्य	10.44	8.49
कनवेंश	5.70	6.17
वाहन चालन एवं रख–रखाव	1.17	1.51
कार्यालय व्यय और रख–रखाव	35.37	29.13
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	8.42	28.44
मुद्रण एवं स्टेशनरी	5.82	7.10
विज्ञापन	2.31	0.03
सम्मेलन एवं बैठकें	0.13	0.51
भर्ती एवं प्रशिक्षण	0.20	3.60
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	9.03	4.40
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	62.19	62.06
अन्य व्यय	24.12	16.31
योग	**379.53**	**357.44**

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक अंकेक्षक पारिश्रमिक	1.48	1.48
कराधान मामलों के लिए (टैक्स आडिट)	0.22	0.22
कंपनी विधिक मामलों के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए (जी.एस.टी. एवं अन्य) (टिप्पणी 25.1.1 देखें)	0.41	0.41
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
योग	**2.11**	**2.11**

टिप्पणी: 25.1.1 निगम ने जी.एस.टी. एवं 80जी शुल्क क्रमशः ₹ 0.30 लाख एवं ₹ 0.12 लाख वहन किए हैं।

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ–एककीरण नीचे दिखाया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिभाषिक लाभ योजना का पुनःमापन		
- उपदान	8.93	(3.05)
योग	**8.93**	**(3.05)**

Note :- 27 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Excess Provision of Performance Incentive written back & other	(12.90)	(2.92)
Interest on Income Tax Refund	(0.44)	(1.11)
Loss /(Profit) on sale of assets	0.00	(0.06)
Leave Encashment Expenses written off (see note 27.1)	(51.43)	-
Excess Provision/Expenses written back	(11.50)	(17.71)
Expenses/Liability written off	(17.51)	
Other Exceptional Income (See Note No. 27.2)	(47.37)	
Total	**(141.15)**	**(21.80)**

Note 27.1 A sum of Rs. 51,43,073 has been received from LIC India during this Financial Year on account of Leave Encashment expenses paid by the Corporation earlier.

Note 27.2 Other Exceptional Income Comprises of Interest & Arbitration fee received w.r.t Puducherry BC division amounting to Rs. 32.26 Lakh and 14.64 Lakh respectively & other exceptional fee of Rs. 0.47 Lakh only.

All the provisions written back are considered as Exceptional Items except Provision Written back on Loan & Advances.

Note :- 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Direct Expenses	43.96	132.44
Overheads	0.68	3.99
Total	**44.64**	**136.43**

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of The Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

a. Detail of amount required to be spent

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Average surplus/profit of the last three years	2,929.68	2,442.81
Un-spent amount as at Beginning of the Year	(121.16)	(33.59)
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	58.59	48.86
Amount Spent during the year	44.64	136.43
Amount considered during the year		
Un-spent amount as at Year End	(107.21)	(121.16)
Total	**(107.21)**	**(121.16)**

टिप्पणी 27 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पीछे से लाया गया कार्य निष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान एवं अन्य	(12.90)	(2.92)
आयकर वापसी पर ब्याज	(0.44)	(1.11)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	0.00	(0.06)
पीछे से लाए गए अवकाश नकदीकरण व्यय (टिप्पणी 27.1 देखें)	(51.43)	-
पीछे से लाए गए आधिक्य प्रावधान/व्यय	(11.50)	(17.71)
बट्टे खाते में डाला गया व्यय/दायित्व	(17.51)	
अन्य असाधारण आय (टिप्पणी 27.2 देखें)	(47.37)	
योग	**(141.15)**	**(21.80)**

टिप्पणी 27.1 इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण व्यय खाते में एलआईसी इंडिया से ₹51,43,073 की राशि प्राप्त हुई है।

टिप्पणी: 27.2 पुड्डुचेरी बी.सी. विभाग के संबंध में क्रमशः ₹32.26 लाख एवं ₹ 14.64 लाख की धनराशि एवं अन्य असाधारण शुल्क ₹ 0.47 लाख अन्य असाधारण आय में ब्याज एवं मध्यस्थता शुल्क सम्मिलित है।

पीछे से लाए गए सभी प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में माना जाता है सिवाय ऋण एवं अग्रिमों पर पीछे से लाए गए प्रावधानों के।

टिप्पणी 28 निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	43.96	132.44
ओवरहेड्स	0.68	3.99
योग	**44.64**	**136.43**

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित व्यय जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार हैं।

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
गत् तीन वर्षों का औसत आधिक्य/लाभ	2,929.68	2,442.81
वर्ष के आरंभ में व्यय न की गई धनराशि	(121.16)	(33.59)
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपरोक्त 1 का 2%)	58.59	48.86
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	44.64	136.43
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि		
वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(107.21)	(121.16)
योग	**(107.21)**	**(121.16)**

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year. The income earned, if any incidentally to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

(b) Details of Average of Surplus/Profit of the last three Financial Years as follows:

(₹ in Lakhs)

Financial Years	Net Profit	Average Net Profit	Amount to be Spent for CSR Expenditure
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59

(c) CSR Disclousre as per Section 135 of the Companies Act, 2013

Particulars	(₹ in Lakhs)
amount required to be spent by the company during the year	58.59
amount of expenditure incurred,	36.17
shortfall at the end of the year,	22.42
total of previous years shortfall	Nil
reason for shortfall	Delay in submitting the proposal by channel partners.
nature of CSR activities,	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventing health care and making avialable safe drinking water.

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of Rs.22.42 lacs to specially designated Unspent Corporate Social Responsibiity Account with in 30 days of the end of the Financial Year.

Note: 29 Earnings per share (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Basic EPS		
From continuing operation	20.58	23.09
Diluted EPS		
From continuing operation	20.53	23.04

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, यदि कोई हो, सी.एस.आर. परियोजनाओं के लिए किसी भी आकस्मिक खर्च को सी.एस.आर. खर्चों से हटाया गया है।

ख. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आधिक्य/लाभ के औसत का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ	औसत शुद्ध लाभ	सी.एस.आर. व्यय के लिए खर्च की जाने वाली राशि
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

विवरण	(₹लाख में)
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	58.59
वहन की गई राशि	36.17
वर्ष के अंत में कमी	22.42
गत् वर्षों में कुल कमी	शून्य
कमी के कारण	चैनल भागीदारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी।
सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रकृति	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, एवं पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित सीएसआर नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर व्यय न गई शेष राशि ₹ 22.42 लाख को विशेष रूप से नामित व्यय न गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

टिप्पणी 29 प्रति अंश अर्जन (ई.पी.एस.)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय		
सतत् संचालन से	20.58	23.09
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	20.53	23.04

Note 29.1 Basic Earning per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	3055.77	3429.54
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	**3055.77**	**3429.54**
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	148.51	148.51

Note :- 29.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	3055.77	3429.54
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**3055.77**	**3429.54**

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	148.82	148.51
Effect of Dilution :	-	
Share Application money pending allotment		0.31
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**148.82**	**148.82**

टिप्पणी 29.1 प्रति अंश मूल आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के अंशधारकों के आरोप्य लाभ सतत् संचालन	3055.77	3429.54
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	3055.77	3429.54
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अशों की संख्या का औसत भार	**148.51**	**148.51**

टिप्पणी 29.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय :-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभः सतत् संचालन	3055.77	3429.54
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय प्रयुक्त आगणन	**3055.77**	**3429.54**

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	148.82	148.51
तनुकृत का प्रभावः	-	
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि		0.31
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**148.82**	**148.82**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Notes :- 30

Note 30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

(a) Mr. Rajnish Jenaw, Managing Director
(b) Mr. Arvind Kathuria, Sr. General Manager (Planning) retired on 31/07/2021
(c) Mr. Ajit Kumar Samal, Sr. GM (Finance) & Company Secretary
(d) Mr. V. R. Chary, Sr. General Manager (HR & Personal)
(e) Ms. Anupama Sood, Sr. General Manager (Project)
(f) Mr. Suresh Kumar Sharma, General Manager (SD)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

Note 30.2 Compensation of Key Management Personnel

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Short Term Benefits (Salaries/PRPetc.)	228.19859	337.88
Sitting Fees to Independent Directors	0.42	
Post Employment Benefits	28.13	40.63
Other Long Term Benefits		
Termination Benefits		
Share Based Payment		
Medical	1.72	2.36
Others (Reimb.)	1.55	2.33
Sub Total (1)	**260.02**	**383.20**
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	27.51	31.97
Interest	11.79	11.12
Repayment during the year	6.43	9.16
Sub Total (2)	**32.85979**	**33.93**
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	**292.88**	**417.13**

Loans or Advances granted to promoters, directors, KMPs and the related parties

(₹ in Lakhs)

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters		
Directors		
KMPs	27.51	0.01%
Related Parties		

Director sitting fees of ₹ 42480 FY 2021-22 against ₹ Nil-including GST FY 2020-21 has been paid to two Non - Official Independent Directors) (refer note no 25)

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. Of Public Enterprises (DPE)

TA/DA is paid /payable in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

टिप्पणी 30

टिप्पणी 30.1 **संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)**

(क) श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबन्ध निदेशक
(ख) श्री अरविंद कथूरिया, वरि. महाप्रबन्धक (योजना) 31.07.2021 को सेवानिवृत्त
(ग) श्री अजित कुमार सामल, वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव
(घ) श्री वी.आर. चारी, वरि. महाप्रबन्धक (मा.स.–कार्मिक)
(ङ) श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबन्धक (परियोजना)
(च) श्री सुरेश कुमार, महाप्रबन्धक (कौशल विकास)

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारितोषिक**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संक्षिप्त अवधि लाभ (वेतन/कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन इत्यादि)	228.19859	337.88
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क	0.42	
सेवायोजन के पश्चात लाभ	28.13	40.63
अन्य लम्बी अवधि के लाभ		
समाप्ति लाभ		
अंश आधारित भुगतान		
चिकित्सा	1.72	2.36
अन्य (प्रतिपूर्ति)	1.55	2.33
उप योग (1)	**260.02**	**383.20**
संबंधित पार्टी को ऋणः		
वर्ष के दौरान/ अंत तक दिए गए ऋण	27.51	31.97
ब्याज	11.79	11.12
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	6.43	9.16
उप योग (2)	**32.85979**	**33.93**
समाप्त वर्ष पर संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकृति धनराशि(1+2)	292.88	417.13

प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण या अग्रिम

(₹ लाख में)

उधारकर्ता का प्रकार	अवशेष ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों एवं अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटर्स		
निदेशक		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	27.51	0.01%
संबंधित पार्टियाँ		

दो गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को वर्ष 2021–22 में ₹ 42480/– निदेशक मंडल की बैठक शुल्क, वर्ष 2020–21 में ₹ शून्य जी.एस.टी. का भुगतान किया गया (टिप्पणी सं. 25 देखें)।

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान/सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया/देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

Note 30.3 Transaction with the Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following :-

Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influence over Corporation).

Certain Significant Transactions :

(₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended March 31, 2022	For the Year Ended March 31, 2021
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	-	5,540.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	2,842.00	2,028.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reimbursement of expenses of organizing events	-	-
	Total	**2,842.00**	**7,568.00**

Note :- 30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended March 31, 2022		For the Year Ended March 31, 2021	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	14994000	99.9%	14994000	99.9%

Note 31 Capital management

Note 31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2022 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

Note 31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2022 :

i) Recognition of Corporate Social Responsibilities (CSR) expenses from utilization to disbursement.

ii) Some other category of target group has been added in objective clause.

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन—देन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन—देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है:

सरकार का नाम: भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (निगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

कुछ महत्वपूर्ण लेन—देन

(₹ लाख में)

पक्ष	लेन—देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	-	5,540.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	2,842.00	2,028.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	-
	योग	**2,842.00**	**7,568.00**

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबंधित पार्टी

पार्टी का नाम	संबंध	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	अंशधारक	14994000	99.9%	14994000	99.9%

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी 31.1 कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत् करती है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 31.2 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए है :

I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।

II) उद्देश्य के परिच्छेय में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

Note :- 32 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022			As at March 31, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	4,037.62	-	-	4,117.36
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	0.63	-	-	0.47
(iv) Other Financial Assets	-	-	2,277.94	-	-	2,676.21
(vi) Loans	-	-	200,584.79	-	-	196,937.78
(vi) Staff Loans & advances			129.68			144.66
(vii) Cash & Cash Equivalents-Grant Fund			5,312.33			6,124.70
Total Financial Assets	**-**	**-**	**212,342.99**	**-**	**-**	**210,001.18**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities			5,182.54	-	-	6,208.15
(ii) Security deposit & retention money			0.72			1.38
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**5,183.26**	**-**	**-**	**6,209.53**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loans	200,584.79	200,584.79	196,937.78	196,937.78
(ii) Staff Loans & advances	129.68	154.76	144.66	172.13
Total Financial Assets	**200,714.47**	**200,739.56**	**197,082.45**	**197,109.92**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

टिप्पणी 32 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	4,037.62	-	-	4,117.36
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	0.63	-	-	0.47
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	2,277.94	-	-	2,676.21
(vi) ऋण	-	-	200,584.79	-	-	196,937.78
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम			129.68			144.66
(vii) नकद एवं नकद समकक्ष–अनुदान राशि			5,312.33			6,124.70
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**212,342.99**	-	-	**210,001.18**
वित्तीय देयताएँ						
(I) अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	5,182.54	-	-	6,208.15
(ii) सुरक्षित जमा एवं प्रतिधारित धनराशि			0.72			1.38
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**5,183.26**	-	-	**6,209.53**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(I) ऋण	200,584.79	200,584.79	196,937.78	196,937.78
(II) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	129.68	154.76	144.66	172.13
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**200,714.47**	**200,739.56**	**197,082.45**	**197,109.92**

i) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 –समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (अ–समायोजित)।

स्तर 2 –स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एव दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है:

Fair Value hierarchy as on 31-03-2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2022	-	-	200,584.79	200,584.79
Loans to employees	31st March 2022	-	-	129.68	129.68
		-	**-**	**200,714.47**	**200,714.47**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortized Cost					
Loans	31st March 2021	-	-	196,937.78	196,937.78
Loans to employees	31st March 2021	-	-	144.66	144.66
		-	**-**	**197,082.45**	**197,082.45**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Ohers. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Ohers.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2022	-	-	200,584.79	200,584.79
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2022	-	-	129.68	129.68
		-	-	**200,714.47**	**200,714.47**

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2021	-	-	196,937.78	196,937.78
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2021	-	-	144.66	144.66
		-	-	**197,082.45**	**197,082.45**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी के वित्तीय जोखिम कार्यकलापों को उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और जिन वित्तीय जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है और कंपनी की नीति एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल ने इन सभी जोखिमों जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं, के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा की और सहमत है:

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम–ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है, यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभाविता पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत् आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं :

– दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note 33 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2022 **(₹ in Lakhs)**

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	200,584.80	0%	-	200,584.80
		Interest on Loans	1,427.68	0%	-	1,427.68
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			649.11	100%	649.11	-
		Interest on Loans	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			698.94	100%	698.94	-
			203,360.53		**1,348.05**	**202,012.48**

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	196,795.66	0%	-	196,795.66
		Interest on Loans	1,804.08	0%	-	1,804.08
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	167.20	15%	25.08	142.12
			-	25%	-	-
			167.75	100%	167.75	-
		Interest on Loans	24.72	15%	3.71	21.01
			7.28	25%	1.82	5.46
			623.61	100%	623.61	-
			199,590.30		**821.96**	**198,768.34**

– उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 33 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	200,584.80	0%	-	200,584.80
		ऋणों पर ब्याज	1,427.68	0%	-	1,427.68
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			649.11	100%	649.11	-
		ऋणों पर ब्याज	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			698.94	100%	698.94	-
			203,360.53		**1,348.05**	**202,012.48**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	196,795.66	0%	-	196,795.66
		ऋणों पर ब्याज	1,804.08	0%	-	1,804.08
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	167.20	15%	25.08	142.12
			-	25%	-	-
			167.75	100%	167.75	-
		ऋणों पर ब्याज	24.72	15%	3.71	21.01
			7.28	25%	1.82	5.46
			623.61	100%	623.61	-
			199,590.30		**821.96**	**198,768.34**

a) Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security “shall be made as per the Probability of default.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

During the year, no repayment of principal or interest has been received from Assam Artfed and provision @ 100% has been created against principal& interest outstanding considered as unsecured as advance is against the post dated cheque (pdc) as a significant credit risk. Further, the total provision stands against the Loans and Advances is Rs. 1348.05 Lakh. The SCA wise detail is as follows:

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
Bihar BC		255.87	255.87	255.87
MP SC	56.87	67.97	124.84	124.84
MP BC	56.42	92.85	149.27	149.27
Maharashtra Mahatma Phule	48.62	20.69	69.32	69.32
Assam Artfed	481.36	11.91	493.27	493.27
Others NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
Penal Interest		245.72	245.72	245.72
Total	**649.11**	**698.94**	**1348.05**	**1348.05**

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when received due to its uncertainty factor.

c) Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

Note 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. **See Note 30** for further disclosures.

क) जहां पर धनराशि तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश/ गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक की संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

वर्ष के दौरान, असम आर्टफेड से मूलधन या ब्याज का कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और मूलधन एवं बकाया ब्याज के सापेक्ष 100% का प्रावधान किया गया है, जिसे असुरक्षित माना जाता है क्योंकि अग्रिम एक महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम के रूप में पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) के सापेक्ष है। इसके अलावा, ऋण और अग्रिम के सापेक्ष कुल प्रावधान ₹ 1348.05 लाख है। एससीए वार विवरण इस प्रकार है:

रा.चै.ए. का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @100%
बिहार बी.सी.		255.87	255.87	255.87
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति	56.87	67.97	124.84	124.84
मध्य प्रदेश बी.सी.	56.42	92.85	149.27	149.27
म्हाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	20.69	69.32	69.32
असम आर्टफेड	481.36	11.91	493.27	493.27
अन्य एन.जी.ओ.	5.83	3.92	9.76	9.76
दण्ड ब्याज		245.72	245.72	245.72
योग	**649.11**	**698.94**	**1348.05**	**1348.05**

ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता कारक के कारण जैसे भी और जब भी देय हुआ है, माना गया है।

ग) वित्तीय वर्ष के अंत में सीधे असुरक्षित गैर सरकारी संगठन/छात्रों को संवितरित ऋणों पर अतिदेय ब्याज।

टिप्पणी 34 अनिश्चितता आकलन के प्रमुख साधन

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए समुचित निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

Note 35 Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note 36 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables		
Other current & Non current Provision		
Trade Receivables		
Other Financial Assets (Current)		
Other Financial Liabilities		
Other current & Non - Current liabilities		
Other Receivable (Current)		
Intangible Assets		
Property, Plant & Equipment's		
Right of Use		
Provisions	0.00	1.00
Net Impact on Equity	**-**	**-**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Impact on statement in Income and Expenditure loss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses		
Employees Benefit Cost		1.00
Training & other Developmental Expenditure		
Depreciation & Amortization Costs		
CSR expenses		
Other Developmental Expenses		
Exceptional Items		
Interest income on Loan to Channel Partners		
	-	**1.00**
Attributable to Equity Holders	**-**	**1.00**

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.01
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.01

टिप्पणीः 35 परिचालन रिर्पोटिंग अंश (सेगमेंट)

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
साम्य अंश पर प्रभाव (साम्य अंश में वृद्धि / (कमी))		
देय व्यवसाय		
अन्य वर्तमान एवं गैर–वर्तमान प्रावधान		
प्राप्य व्यवसाय		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)		
अन्य वित्तीय देयताएं		
अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान देयताएं		
प्राप्य अन्य (वर्तमान)		
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		
उपयोग का अधिकार		
प्रावधान	0.00	0.00
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	**-**	**-**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आय एवं व्यय विवरण पर हानि का प्रभाव (आधिक्य मेंवृद्धि / (कमी))		
अन्य व्यय		
कर्मचारी लाभ लागत		1.00
प्रशिक्षण एवं अन्य विकास व्यय		
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत		
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		
अन्य विकासात्मक व्यय		
असाधारण मदें		
चैनल पार्टनर्स के ऋण पर ब्याज आय		
	-	**1.00**
अंश धारकों पर आरोप्य	-	**1.00**

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) (ई.पी.एस. में वृद्धि(कमी))

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सतत संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	-	0.01
अंशधारकों पर आरोप्य सतत् संचालन से लाभ, तनुकृत	-	0.01

Note 37 Contingent Liabilities /Asset and commitments

Liabilities :

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any)is Nil (Nil as at 31.03.2021).	-	-

Assets:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Contingent Asset and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount on account of and not provided for	-	-

Note 38 In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made , taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

Note 39 The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of ₹ 45.52 lakh (₹ 37.16 lakh as at 31.03.2021), under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others, who have some overdues and ready to settle the overdues with in the 3 months of sanction by NBCFDC. The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date. Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @3% on the settlement amount for the period of 9 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. The detail is as under:-

During the Financial Year 2021-22

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2022 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interst waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Crore)
Assam BC	46.29	45.52	0.77	119.2
VJNT MAHARASTRA	1.93		1.93	85.88
G. Total	**48.22**	**45.52**	**2.70**	**205.08**

During the Financial Year 2020-21

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2021 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interst waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Lakh)
VJNT Maharashtra	26.64		26.64	870.18
Maharashtra Rajya Itar Magas	10.52		10.52	870.03
SUB TOTAL	37.16	-	37.16	1,740.21
G. Total	**37.16**	**0.00**	**37.16**	**1740.21**

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व / संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ

दायत्वि :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएं (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम यदि कोई हो) (31.3.2021 को शून्य)।	-	-

परिसंपत्तिः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएं (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) खाते पर अनुमानित धनराशि और प्रावधान नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणी 38 इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय–समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन–देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

टिप्पणीः 39 निगम ने एकल निस्तारण योजना (ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन ₹ 45.52 लाख (31.03.2021 को ₹ 37.16 लाख) माफ किया है। निगम की एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों (रा.चै.ए./एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की स्वीकृति के 3 माह में बकाया के भुगतान हेतु तैयार है, निर्धारित तिथि पर प्राप्त होने पर निगम दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अतिरिक्त, 9 माह की अतिरिक्त अवधि में निस्तारित सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्भुगतान प्राप्त होने के बाद ऋणग्राही 3% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि में

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों / अन्य का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज / दण्ड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	प्रभावित वसूली (₹ लाख)
असम बी.सी.	46.29	45.52	0.77	119.2
वी.जे.एन.टी. महाराष्ट्र	1.93		1.93	85.88
कुल योग	**48.22**	**45.52**	**2.70**	**205.08**

वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों / अन्य का नाम	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज / दण्ड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	प्रभावित वसूली (₹ लाख)
वी.जे.एन.टी. महाराष्ट्र	26.64		26.64	870.18
महाराष्ट्र राज्य इतर मागस	10.52		10.52	870.03
उप योग	37.16	-	37.16	1,740.21
कुल योग	**37.16**	**0.00**	**37.16**	**1740.21**

Note 40 A property situated at x-29, Hauz Khas, New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacated since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period. The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax. In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

Note 41 **Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	4.07	4.47
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management .

This has been relied upon by the auditors.

Note 42

Note 42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

Note 42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits . The cumulative Status of legal cases is as under.

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	-	2	-	2
Decree Execution in process	-	3	-	-	3
Cases dismissed	-	-	-	-	-
Total	**-**	**3**	**2**	**-**	**5**

Note 43 The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required . Consequently the provision of Ind As - 12 'Income Tax is not Applicable.

Note 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

टिप्पणी 40 एक्स–29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति वर्ष 1994–95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014–15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर, भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12 एए, के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के अनुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

टिप्पणी 41 **माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत वांछित प्रकटन**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	4.07	4.47
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ–साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय ब्याज की धनराशि और देय राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष बकाया धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए जाते हैं।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि का निर्धारण किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

टिप्पणी 42.1 निगम ने चूककर्त्ता चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी मुकदमें दायर किए गए है और निगम के पास किसी भी भुगतान के दायित्व का मामला नहीं है।

टिप्पणी 42.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार है:–

विवरण	अपराधिक केस	नागरिक केस	अन्य द्वारा दायर किए गए नागरिक केस	विवाचन/ मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	-	2	-	2
न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में	-	3	-	-	3
खारिज केस	-	-	-	-	-
योग	**-**	**3**	**2**	**-**	**5**

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान वांक्षित नहीं है। इसी प्रकार भारतीय लेखाकरण मानक –12, आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

Note 45 In the opinion of Board /Management, the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of ₹ 391.27 lakhs (₹ 381.49 lakhs as at 31.03.2021) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of these states two new states of Jharkhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

Note 48

1. The company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.
2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows-

Nature of Expenses	Amount (₹ in Lakhs)
Rent	184.92
Hiring of Vehicle	5.70
Security & Other Services Charges	62.19
Total	**252.81**

Note No. 49

DISCLOSURE OF RATIOS:	2021-22		2020-21		Increase/ Decrease from Previous Year
Current Ratio: Current Asset Current Liabilities	56399.09 556.77	10129.66%	57,558.11 521.35	11040%	-9%
Debt-Equity Ratio: Total Liablities Total Share Holder Equity	5730.81 206864.55	2.77%	6654.848379 203635.2691	3.27%	-18%
Debt Service coverage Ratio Operating income Short term debt & current portion of long term debt	53.23 -		55.61 -		
Return on Equity Ratio: Net Income/surplus Share holder Equity	3064.698797 206864.55	1.48%	3426.488314 203635.2691	1.68%	-14%
Inventory Turnover Ratio: cost of Good sold AverageInventory for same period	- -				

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन–पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ₹ 391.27 (31.03.2021 को ₹ 381.49 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य के नाम किया गया है।

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. में मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की एस.एस.सी. के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 48

1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।
2. भारतीय लेखाकरण मानक– 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार हैं–

व्यय की प्रकृति	धनराशि (₹/लाख)
किराया	184.92
वहनों को किराए पर लेना	5.70
सुरक्षा और अन्य सेवाओं के प्रभार	62.19
योग	**252.81**

टिप्पणी 49

अनुपातों का प्रकटीकरण	2021–22		2020–21		गत्वर्ष से वृद्धि/कमी
वर्तमान अनुपात: वर्तमान परिसंपत्ति वर्तमान देयताएं	 56399.09 556.77	10129.66%	 57,558.11 521.35	11040%	-9%
ऋण–इक्विटी अनुपात: कुल देयताएं कुल साम्य अंश धारक	 5730.81 206864.55	2.77%	 6654.848379 203635.2691	3.27%	-18%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात परिचालन लागत अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान भाग	 53.23 .		 55.61 .		
इक्विटी अनुपात से वापसी शुद्ध आय/आधिक्य साम्य अंश धारक	1.48% 3064.698797 206864.55		1.68% 3426.488314 203635.2691	-14%	
वस्तुसूची व्यवसाय अनुपात: बेचे गए सामान की लागत समान अवधि के लिए औसत इन्वेंटरी	 - -				

DISCLOSURE OF RATIOS:	2021-22		2020-21		Increase/ Decrease from Previous Year
Trade Receivable Ratio: Net Sale Average account receivable	 - -				
Trade Paybale Ratio: Average No. of Days for amount due Average no of days i.e. 365	 - -				
Net Capital Turnover Ratio: Total sales /Reenue from Operation Share Holder Equity	 5,321.53 206864.55	2.57%	 5,589.10 203635.2691	2.74%	-7%
Net Profit/Surplus Ratio: Revenue-Cost Revenue	 2,914.62 5,321.53	54.77%	 3,407.74 5,589.10	60.97%	-11%
Return on Capital Employed Ratio: Earning before intt. & tax Capital Employed(Total Asset- Curent Liability	 3,055.77 206890.8359	1.48%	 3429.54 203644.0752	1.68%	-14%
Return on Investment: Net Income/ Surplus Cost of Investment (Total Asset- Curent Liability	 3,055.77 206890.84	1.48%	 3429.54 203644.08	1.68%	-14%

Note 50 Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51 **Approval of financial Statement**

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 28.06.2022

Signatories to Note 1 to 51

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

Sd/-
Partner: Umesh Kumar Gupta
M. No. 085859
UDIN : 220 85 859 ALWXJL9966
Place : New Delhi
Date : 28.06.2022

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
S. G. M. (Finance) &
Company Secretary

अनुपातों का प्रकटीकरणः	2021–22		2020–21		गत्वर्ष में वृद्धि/कमी
व्यापार प्राप्य अनुपातः शुद्ध बिक्री प्राप्य औसत खाते	 - -				
व्यापार देय अनुपातः दिनों की औसत संख्या जब से धनराशि देय है दिनों की औसत संख्या अर्थात 365	 - -				
शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपातः संचालन से कुल बिक्री/राजस्व साम्य अंश धारक	 5,321.53 206864.55	2.57%	 5,589.10 203635.2691	2.74%	-7%
शुद्ध लाभ/आधिक्य अनुपातः राजस्व–लागत **राजस्व**	 2,914.62 5,321.53	54.77%	 3,407.74 5,589.10	60.97%	-11%
नियोजित पूँजी अनुपात पर वापसीः ब्याज एवं टैक्स से पूर्व उपार्जन नियोजित पूँजी (कुल परिसंपत्ति–वर्तमान देयता)	 3,055.77 206890.8359	1.48%	 3429.54 203644.0752	1.68%	-14%
निवेश पर वापसीः शुद्ध आय/आधिक्य निवेश की लागत (कुल परिसंपत्ति–वर्तमान देयता)	 3,055.77 206890.84	1.48%	 3429.54 203644.08	1.68%	-14%

टिप्पणी 50 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत् वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनज़र पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 51 **वित्तीय विवरण का अनुमोदन**

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनांक 28.06.2022 को जारी किया गया।

टिप्पणीः 1 से 51 तक के हस्ताक्षरकर्त्ता

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0/–
भागीदारः उमेश कुमार गुप्ता
सदस्य सं. 085859
यू.डी.आई.एन. : 220 85 859 ALWXJL9966
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.06.2022

ह0/–
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/–
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
अजित कुमार सामल
वरि.महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
ई-मेल : info@nbcfdc.gov.in, **वेबसाइट :** www.nbcfdc.gov.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016
E-mail : info@nbcfdc.gov.in, **Website :** www.nbcfdc.gov.in

Design & Printed at: **Viba Press Pvt. Ltd.,** 9810049515